पंचम माला, खंड 29, अंक 7, मंगलवार, 31 जुलाई, 1973/9 श्रावण, 1895 (शक)
Fifth Series, Vol. XXIX No. 7, Tuesday, July 31, 1973/Sravana 9, 1895 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[आठवां सत्र
Eighth Session]

सत्यमेव जयते

[खंड 29 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XXIX contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय सूची/Contents

अंक 7, मंगलवार, 31 जुलाई, 1973/9 श्रावण, 1895 (शक)

No. 7, Tuesday, July 31, 1973/Sravana 9, 1895 (Saka

ता० ० संख्या S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
122	विभिन्न डाक/एक्सप्रैस गाड़ियों के डिब्बों में पानी तथा बिजली की सप्लाई	Supply of Water and Electricity to coaches of various Mail/Express Trains	1
123	न्यायपालिका को अखिल भारतीय सेवा बनाने का प्रस्ताव	Proposal to make judiciary an All India Service	3
124	इडिक्की विद्युत परियोजना का पूरा होना	Completion of Idikki Power Project	4
125	मारुति लिमिटेड द्वारा एकत्र की गई जमा राशि	Deposits collected by Maruti Limited	6
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
121	देश में बाढ़ के प्रकोप का मुकाबला करने के लिए किए गए अल्पकालीन और दीर्घ उपाय	Short Term and Long Term Measures taken to fight the Flood Ravages in the country	15
126	रेलवे में बाक्स वैगनों के कारण समस्या पैदा होना	Box Wagons posing problem to Railways	17
127	शावालेस एंड कम्पनी के 148 कर्मचारी-अंशधारियों की निदेशक मंडल के विरुद्ध कुप्रबंध की कथित शिकायत	Complaints by 148 Employee-shareholders of Shaw Wallace and Company alleging Act of Mismanagement against the Board of Directors	17

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
128	देश की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अशोधित तेल का उत्पादन	Production of crude to meet demand of the country	18
129	औषध निर्माता फर्मों को उन वस्तुओं के लिए सी० ओ० बी० लाइसेंस दिया जाना जिनको वे वास्तव में नहीं बनाती	Issue of COB Licences to Drug Manufacturing firms for items not actually produced by them	18
130	पांचवीं योजना में बिजली पैदा करने का लक्ष्य	Power Generation Target for 5th Plan	19
131	दिल्ली क्षेत्र (उत्तर रेलवे) के कुछ स्टेशनों के सहायक स्टेशन मास्टरों के कार्य का विश्लेषण	Job analysis of Assistant Station Masters of certain stations, Delhi Area (Northern Railway) . . .	19
132	कलकत्ता उच्च न्यायलय में अनिर्णीत मामले	Cases pending with Calcutta High Court	19
133	बर्मा आयल द्वारा आयल इंडिया के अपने शेयर सरकार को बेचने का प्रस्ताव	Proposal from Burmah Oil for selling its shares in Oil India to Government	20
134	9 जून, 1973 को परसाखेडा रेलवे स्टेशन (बरेली) के निकट रेलवे लाइन से फिशप्लेटों के हटाये जाने का पता लगना	Fish plates found removed near Parsakhera Railway Station, Bareilly on 9-6-73	20
135	ललितपुर-टीकमगढ़, छतरपुर पन्ना होकर सतना तक नई रेलवे लाइन बिछाने का मध्य प्रदेश सरकार का प्रस्ताव	Madhya Pradesh Government's proposal for laying new Railway Lines upto Satna via Lalitpur-Tikamgarh-Chhatarpur Panna	21
136	नर्मदा नदी जल विवाद पर प्रधान मंत्री का फैसला	P. M.'s Award on Narmada River Waters Issue	22
137	विद्युत उत्पन्न करने तथा उसके वतरण के लिए केन्द्रीय एजेन्सी की स्थापना	Setting up of Central Agency for Power Generation and distribution .	22
138	विदेशी तेल कम्पनियों को बढ़ाई गई क्षमता का उपयोग करने की अनुमति	Permission for utilisation of expanded capacity by Foreign Oil Companies	23

ता० प्र० संख्या S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
139	झांसी-मानिकपुर लाइन (मध्य रेलवे) पर बरास्ता मानिकपुर-झांसी से इलाहाबाद को एक्सप्रैस गाड़ी	Express train from Jhansi to Allahabad via Manikpur on Jhansi Manikpur Line (Central Railway) . . .	23
140	कुकिंग गैस के मूल्य कम करने के बारे में भारतीय तेल निगम का प्रस्ताव	Proposal from IOC for reducing price of cooking Gas	24
अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.			
1201	इंडियन विस्फोटक खाद कारखाने को भेजे गये वैगन से 287 धुआं बमों का बरामद होना	Recovery of 287 Smoke Bombs from a Wagon sent to Indian Explosives Fertilizer Factory	24
1202	औषध निर्माता फर्म मैसर्स 'रोश' द्वारा लाभ लाभांश, स्वामित्व आदि विदेश भेजना	Repatriation of Profits, Dividends, Royalties etc. by M/s. Roche, a Drug Manufacturing Firm . . .	24
1203	प्रैडिनीसोलीन का उत्पादन और उसकी तस्करी	Production and Smuggling of Predinsolene	25
1204	गाड़ियों की छतों पर यात्रा करने वाले यात्रियों की मृत्यु होने पर उनके परिवारों को मुआवजा	Compensation to Families of Persons who may die while travelling on Roof Tops of Trains	26
1205	उर्वरक संयंत्रों की स्थापना विषयक कर्मी दल (टास्क फोर्स) के सुझाव	Suggestions made by Task Force for setting up Fertilizer Plant. . .	26
1206	विदेशी औषध कम्पनियों द्वारा अपनी औषधियों के निर्माण में भारतीय मुख्य औषधियों का उपयोग	Utilization of Indian Basic Drugs by Foreign Drug Companies in their Formulations	27
1207	उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिये जापान से सहायता	Assistance from Japan for Setting up Fertilizer Plants . . .	27
1208	पानी को रोकने हेतु पोंग बांध की सुरंगों को बंद करना	Tunnels of Pong Dam plugged to Impound Water	28
1209	पश्चिम रेलवे के ट्रेवलिंग इन्स्पेकटर्स आफ एकांउट्स के स्थानान्तरण और नियुक्ति संबंधी नीति	Policy of Transfer and Posting of Travelling Inspectors of Accounts on Western Railway	29

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1210	अजमेर डिवीजन (पश्चिमी रेलवे) में श्रमिकों को भुगतान न किये जाने और भुगतान रोकने के बारे में शिकायतें	Complaints about Non-payment and Withol ding of Payment to Workers on Ajmer Division (Western Railway)	29
1212	मई, जून, 1973 में बम्बई में रेलवे दुर्घटनाओं में मारे गये व्यक्ति	Persons killed in Railway Accidents in Bombay during May and June, 1973	30
1213	अति प्रवीण बढ़ई ग्रेड 2 अजमेर वर्कशाप (पश्चिम रेलवे) के पद के लिये व्यावसायिक परीक्षण के बारे में अभ्यावेदन	Representation regarding Trade Test for post of Highly Skilled Carpenters Grade II, Workshop, Ajmer (Western Railway)	30
1214	भारतीय उर्वरक निगम द्वारा उर्वरक के अधिकृत एजेंटों तथा विक्रयकर्ताओं की नियुक्ति	Appointment of Authorised Agents and Sellers of Fertilizers by FCI . .	31
1215	केरल में बिजली परियोजनाएं	Power Projects in Kerala . .	
1217	जन 1973 में ग्वालियर जिले की डबरा तहसील के निकट रेलवे लाईन के निकट बम का पाया जाना	Bomb found on Track near Dabra Tehsil in Gwalior District in June, 1973.	31
1218	बीकानेर डिवीजन (उत्तर रेलवे) में रेलवे लाइन के रेत से ढके जाने के कारण हुई क्षति और रेलगाड़ियों का स्थगित किया जाना	Cancellation of Trains and Loss suffered due to Railway Track having been covered with Sand in Bikaner Division (Northern Railway)	32
1219	औषधि निर्माता फर्मों को गैर-कानूनी ढंग से जारी किये गये अनुमति पत्र	Permission letters issued without Legal Backing to Drug Manufacturing Firms	32
1220	मैसर्स होयस्ट फार्मस्युटिकल्स लिमिटेड को सप्लाई की गई एनेलजीन के आयात पर खर्च की गई विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange spent on Import of Analgin Supplied to M/s. Hoechst Pharmaceuticals Ltd. . . .	32
1221	नागालैण्ड के भांडरू क्षेत्र में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा सर्वेक्षण	Survey by O & NGC in Bhandru Area of Nagaland	33
1222	औषध निर्माता कम्पनियों के लिये निर्यात अनिवार्य करना	Imposition of Export obligations on Pharmaceutical Companies . . .	33

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1223	पाराद्वीप पत्तन पर उर्वरक कारखाने की स्थापना	Setting up of Fertilizer Plant at Paradip Port	34
1224	भारतीय उर्वरक निगम के एक निदेशक को फ्रेंकफर्त में रसायन इंजीनियरों के योरोपीय सम्मेलन में भाग लेने का आमत्रंण	Invitation to a Director of FCI to attend European Convention of Chemical Engineers at Frankfurt .	35
1225	तारापुर परमाणु केन्द्र से बिजली सप्लाई करने वाले ट्रांसमिशन फीडर में दोष	Defects in Transmission Feeders supplying Power from Tarapur Atomic Station . .	35
1226	पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में फरक्का की गंगा डाउन स्ट्रीम के भूक्षरण का नियंत्रण	Control of Erosion by Ganga Down stream of Farakka in Murshidabad district of West Benga .	36
1227	गंडक परियोजना की क्रियान्वित में हुए गोल माल की जांच	Enquiry into Bungling in the implementation of Gandak Project .	36
1228	रेलवे पासों के दुरुपयोग के बारे में पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक के विरुद्ध शिकायत	Complaint against General Manager, Eastern Railway regarding Misuse of Railway Passes	37
1229	चौथी योजना में सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिये उड़ीसा द्वारा वित्तीय सहायता मांगा जाना	Financial Assistance sought by Orissa for completion of Irrigation Project in Fourth Plan	37
1230	त्रिपुरा में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के परियोजना मैनेजर के विरुद्ध शिकायत	Complaint against Project Manager of O & NGC at Tripura . . .	37
1231	लाभ अनुपात की 'कंडीशन' को महाराष्ट्र में देवगढ़ नदी परियोजना पर से हटाना	Exemption of Deogad River Project in Maharashtra from benefit ratio condition	38
1232	वेस्ट कोस्ट एक्सप्रैस गाड़ी का चलना	Running of the West Coast Express	38
1233	सोन नदी जल विवाद के समझौते के लिये संसद सदस्यों द्वारा प्रधान मंत्री से अनुरोध	Request to Prime Minister by M.Ps for Settlement of Sone River Water Dispute	39
1234	एकाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति में विलंब	Delay in the Appointment of Chairman of the Monopolies Commission .	39

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1235	बिजली पैदा करने वाले एककों के लिये नए आयातित उपकरणों का प्रयोग न करना	Non-utilisation of New Imported Equipment for Power Generating Units	39
1236	कटक-पारादीप रेल टर्मिनस और अयस्क चढ़ाने उतारने के स्थान को पोर्ट रेलवे से जोड़ने का कार्य पूरा करना	Completion of Port Railway Connecting Cuttack Paradip Rail Terminus and the Ore Handling Site . .	40
1237	भाप से चलने वाले इंजनों के निर्माण के बारे में विवाद	Controversy on the Question of Production of Steam Locomotives . .	40
1238	केप्रोलक्टम के आयात के लिए व्यय की गई विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange spent on the Import of Caprolactum . . .	40
1239	पम्पिग सैटों का यंत्रीकरण तथा गांवों का विद्युतीकरण	Energisation of Pumping Sets and Electrification of Villages . .	41
1240	पारेषण तथा वितरण के दौरान बिजली की हानि	Power Losses in Transmission and Distribution	42
1241	सम्पूर्ण रूप से देशीय औषध निर्माता एककों को जारी किये गये सी० ओ० बी० लाइसेंस	C.O.B. Licences issued to wholly indigenous Drug Manufacturing Units .	43
1242	अनुमति पत्रों के आधार पर औषध निर्माता फर्मों द्वारा कतिपय औषधियों का उत्पादन	Production of certain items by Drug Manufacturing Firms on the Authority of Permission Letters . .	43
1244	विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा अर्जित लाभों का बाहर भेजा जाना	Remittance of Profits Earned by Foreign Oil Companies	44
1245	पश्चिम बंगाल में गावों का विद्युतीकरण	Electrification of Villages in West Bengal	44
1246	ओखला, दिल्ली डिवीजन (उत्तर रेलवे) पर ए० सी० सी० साइडिंग पर लगाया विलम्ब शुल्क	Demurrage levied on ACC siding at Okhla Delhi Division (Northern Railway) . . .	45
1247	न्यायालयों में निर्णयाधीन पड़े वरिष्ठता संबंधी मामले	Seniority cases pending before law courts	46
1248	चौथी योजना में अतिरिक्त विद्युत् प्रजनन का लक्ष्य	Target of additional power generation in Fourth Plan	46

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1249	कच्चे तेल के आयात पर खर्च की जाने वाली अतिरिक्त विदेशी मुद्रा	Additional foreign exchange to be spent on import of crude oil . . .	47
1250	उड़ीसा में देवगढ़ टाउन में बिजली का फेल होना	Power failures at Deogarh town in Orissa	47
1251	हाल में नई चालू की गई गाड़ियों के गंतव्य स्थान	Destinations of new Trains recently introduced	48
1252	एक्सप्रैस गाड़ियों को बंद किया जाना	Suspension of express Trains	48
1253	रेलवे सुरक्षा बल तथा इसके गठन संबंधी समस्याओं के अध्ययन के लिए समिति	Committee to study problems of R.P.F. and its composition . . .	49
1254	'लैक आफ वैगन्स हिटस बेंटोनाइट मुवमेंट'	Lack of wagons hits Bentonite Movement	49
1255	रेलगाड़ियों में लूटपाट की घटनाओं में वृद्धि	Increase in Robbery in Trains .	50
1256	लाखों टन कोयले के एक स्थान से दूसरे स्थान को परिवहन के लिये तैयार की गई योजनायें	Schemes formulated to transport millions tonnes of coal from one place to another	50
1257	उर्वरक कारखाने स्थापित करने हेतु वित्तीय तथा तकनीकी सहायता के लिए जापान के साथ बातचीत	Negotiations with Japan for financial and technical assistance for Fertilizer Plants	51
1258	दामोदर घाटी निगम में वर्ष 1980 में बिजली की कमी	Shortage of Power in DVC in 1980 .	51
1259	गोहाटी-लुम्डिंग सैक्शन (पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे) पर मालगाड़ी का दुघटनाग्रस्त होना	Accident of goods train on Gauhati Lumding Section (North-East Frontier Railway)	52
1260	कर्वी स्टेशन को सीतापुर से और सीतापुर स्टेशन को चित्रकूट से मिलाने के लिए जनता से अभ्यावेदन	Representation made by public for linking of Karvi Station with Sitapur and Sitapur Station with Chitrakoot	52
1261	राष्ट्रीय जल नीति	National Water Policy	52
1262	ट्राम्बे उर्वरक संयंत्र में उर्वरक का प्रस्तावित उत्पादन	Output of Fertilizers in the Trombay Fertilizers Plant	53

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1263	विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा राज्यों में डीजल सप्लाई करने से इन्कार करना	Refusal by Foreign Oil Companies to supply Diesel in States . . .	53
1264	आगामी पांच वर्षों में तेल अन्वेषण कार्य में संभावित प्रगति	Expected progress of Oil Exploration in next Five Years . . .	54
1265	संविधान के अनुच्छेद 31ग पर सर्वोच्च न्यायालय के विचार	Supreme Court's observation on article 31-C of the Constitution . .	54
1266	ग्रामीण विद्युतीकरण के ल पश्चिम बंगाल को सहायता	Assistance to West Bengal for Rural Electrification . . .	54
1267	बिजली फैल हो जाने के कारण तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग तथा गुजरात तेल शोधक कारखाने को हुई हानि	Loss suffered by O & N. G. C. and Gujarat Refinery due to failure of power supply . . .	55
1268	गत तीन महीनों में हुई रेल दुर्घटनाएं	Railway Accidents in the country during last three months . . .	56
1269	बम्बई जा रही वाराणसी एक्स प्रैस की छत पर बैठकर जाने वाले यात्रियों की मृत्यु	Death of Passengers Travelling on roof of Varanasi Express going to Bombay	56
1270	पोंग बांध के कारण हटाये गये लोगों को मुआवजा देना	Compensation to Oustees of Pong Dam Area	57
1271	विद्युत सप्लाई के मामले में उद्योगों की प्राथमिकता	Priority to the supply of power to Industries	58
1272	वैगनों की सप्लाई के लिये समय सीमा	Time Limit for Supply of Wagons	58
1273	दामोदर घाटी निगम द्वारा बिहार को बिजली की सप्लाई	Power supply to Bihar by DVC .	59
1274	बिजली उत्पादन के लिये भूमिगत जल संसा नों का उपयोग	Utilisation of underground Water Resources for Power Generation . .	59
1275	मुज्ज रपुर, बिहार में एक तापीय बिजली घर का निर्माण	Construction of a Thermal Power Plant in Muzaffarpur, Bihar . . .	59
1276	मिट्टी के तेल तथा पैट्रोलयम में अपमिश्रण रोकने के लिये एक ए सी की स्थापना	Setting up of an Agency to check Adulteration in Kerosene Oil and Petroleum	60

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1277	मुरादाबाद-अलीगढ़ यात्री गाड़ी (उत्तर रेलवे) से यात्रा करने वाली महिला यात्रियों को लूटा जाना तथा उनके साथ अभद्र व्यवहार	Looting and Molestation of Women passengers travelling by Moradabad-Aligarh Passenger Train (Northern Railway)	60
1278	इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अनिर्णीत	Cases Pending in Allahabad High Court	61
1279	कलकत्ता में पेट्रोल तथा एच० एस० डी० तेल की कमी	Shortage of Petrol and HSD Oil in Calcutta	62
1280	पेट्रोलियम उत्पाद तथा गैस का पता लगाने के लिए पश्चिम बंगाल के गलसी स्थान में एक कुयें का खोदा जाना	Digging of a well at Galsi in West Bengal to find petroleum Products and gas	62
1281	हाल्दिया पेट्रो-रसायन उद्योग समूह में उत्पादन प्रारंभ करना	Commencement of production at the Haldia Petrol Chemical Complex	62
1282	उत्तर रेलवे में मेडिकल विभाग के उच्च अधिकारियों का एक ही नगर में रहना	Stay of High Officials of Medical Department at the same Station in Northern Railway	63
1283	स्वास्थ्य विभाग के उच्च पदाधिकारियों द्वारा उत्तर रेलवे के उत्तरीक्षेत्र में किये गये दौरे	Tours undertaken by Higher Officers of Health Department in Northern Area of Northern Railway .	63
1284	उत्तर रेलवे के स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार के मामले	Cases of Corruption in Health Department in Northern Railway .	64
1285	पिछड़े क्षेत्रों में नई लाइनें बिछाने तथा परिवर्तन परियोजनाओं के लिये 235 करोड़ रुपये की राशि का अ[illegible] यतन	Extra Allocation of Rs. 235 crores for New Lines and Conversion projects in Backward areas . . .	64
1286	मैसूर में काबिनी परियोजना का निर्माण	Construction of Kabini Project in Mysore.	65
1287	त्रिपुरा में बारमूरा के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर तेल के लिए [illegible]द्रण	Drilling for Oil in places other than Barmura in Tripura . ..	66
1288	सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन मामले	Cases Pending with the Supreme Court	66

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1289	उच्च न्यायालयों में विचाराधीन मामले	Cases Pending with High Courts	66
1290	सिंचाई परियोजनाओं की लागत में वृद्धि संबंधी विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन	Report of Experts Committee on Rising costs of Irrigation Projects	67
1291	राज्यों के सिंचाई और विद्युत मंत्रियों का कोडाइकनाल में सम्मेलन	Conference of State Ministers of Irrigation and Power at Kodaikanal .	68
1292	पन बिजली पैदा करने में अपने साधन समाप्त कर चुके राज्यों में बिजली उत्पादन कार्य-क्रम तैयार करने के लिये एक समिति का गठन	Setting up of a Committee to plan out Power Generation programme of States which have exhausted Resources in Generation of Hydel Power .	70
1293	कच्चे तेल के मूल्य संबंधी शांतिलाल शाह समिति का फार्मूला क्रियान्वित करने के लिये विदेशी तेल कम्पनियों की मांग	Demand from Foreign oil companies for Implementation of Shantilal Shah Committee formula regarding crude oil prices	70
1294	रोपड़, पंजाब में एक तापीय विद्युत की स्थापना	Setting up of a Thermal Power plant at Ropar, Punjab	71
1295	जालंधर जिले में फिल्लौर स्टेशन (उत्तर-रेलवे) के निकट रेल पटरी पर एक बम का पाया जाना	Live Bomb detected on Track near Phillaur Station in Jullundur District (Northern Railway) .	71
1296	दिल्ली के उपनगरीय क्षेत्रों के लिये तेज गाड़ियां चलाने के बारे में अनुरोध	Request for Fast Trains for Suburban Areas of Delhi	71
1297	बड़े तापीय बिजली घरों के लिए स्थान चयन करने संबंधी समिति का प्रतिवदन	Report of Committee for Selection of sites for large thermal power Stations	72
1298	राजस्थान में पोंग बांध के कारण बेघर हुए व्यक्तियों को बसाना	Resettlement of Oustees of Pong Dam in Rajasthan . . .	72
1299	रेलवे प्रशासन को सुव्यवस्थित करना	Streamlining of Railway Administration	73
1300	प्रादेशिक बिजली बोर्डों का पुनर्गठन	Reconstruction of Regional Electricity Boards	73
1301	मूल औषधियों के मूल्य ढांचे के बारे में जांच	Examinations of Price Structure of the basic Drugs . . .	73

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1302 अत्यावश्यक बल्क ड्रग्ज़ के मूल्यों के बारे में औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो का प्रतिवदन	Report of the Bureau of Industrial Costs and Prices on Prices of Essential Bulk Drugs . . .	74
1303 आंध्र प्रदेश में उर्वरक संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव	Proposal to set up a Fertilizer Plant in Andhra Pradesh . .	74
1304 पांचवीं योजना में समुद्री-कटाव विरोधी कार्यक्रम	Anti-Sea Erosion Programme in Fifth Plan	74
1305 राष्ट्रीय जल योजना के बारे में विधान	Legislation on National Water Scheme	75
1306 दिल्ली में भूमिगत रेलवे के बारे में सर्वेक्षण	Survey Report for Underground Railway in Delhi	76
1307 चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम तीन महीनों में अनाज का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाना	Movement of Food Grain Traffic for First Three Months of Current Financial Year . . .	76
1308 श्रीनिवासपुरी नई दिल्ली में गहरी नालियों के कारण रेल दुर्घटनाएं	Railway Accidents due to Deep Drain located in Sriniwaspuri, New Delhi	77
1309 देश में प्रीडिनसोलीन के उत्पादक और इसकी मैसर्स जान वाइथ द्वारा तस्करी	Indigenous Producers of predinsolene and its Smuggling by M/s. John Wyeth	77
1310 मैसर्स सैन्डोज द्वारा रूस को औषधियों का निर्यात	Export of Drugs by M/s. Sandoz to USSR	78
1311 मैसर्स फाइजर लिमिटेड द्वारा आक्सी-टेट्रासाइक्लाइन का उत्पादन	Production of Oxytetracycline by M/s. Pfizer Limited	79
1312 दिल्ली और बम्बई से कलकत्ता जाने वाले मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों का मार्ग बदल कर उन्हें बिहार के पालामऊ जिले के रास्ते से गुजारना	Re-routing of Mail/Express Trains to Calcutta from Delhi and Bombay to pass through Distt. Palamau, Bihar	7
1313 बराडीह-डेहरी और गड़हवा रोड-चोपान लाईनों पर गाड़ियों का देरी से चलना	Late running of trains on Barwadih-Dehri and Garhwa Road Chopan Lines . .	80

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1314 रांची से चुनार गढ़, चोपान, गडहवा रोड़, बखडीह अथवा डेहरी-डालटन गंज के रास्ते दिल्ली के लिए नई डाक/एक्सप्रेस गाड़ी	New Mail/Express Train from Ranchi to Delhi through Chunar Garh, Chopan, Garhwa Road, Barwadih or Dehri Daltonganj . .	80
1315 छोटा नागपुर क्षेत्र के लिये रेल विकास कार्यक्रम	Railway development programme for Chotanagpur Area. . . .	81
1316 गंगा नदी पर; फरक्का बांध के निर्माण के बारे में बंगला देश की समस्या	Bangladesh Problem re. Construction of Farakka Barrage over the Ganga	1
1317 फैरो-एलायस कारपोरेशन लिमिटेड के विरुद्ध कम्पनी अधिनियम के उल्लंघन की शिकायतें	Complaints about Violation of Companies Act against the Ferro-Alloys Corporation Ltd. . . .	81
1318 फरक्का बांध परियोजना के अंतर्गत भागीरथी पर जंगीपुर बांध की सुरक्षा	Protection of Jangipur Barrage on Bhagirathi under Farakka Barrage Project . .	82
1319 शाहादरा-सहारनपुर लाइट रेलवे को पुनः चालू करना	Re-opening of S.S. Light Railway	82
1320 1978-79 तक उर्वरकों के उत्पादन तथा मांग में अंतर	Gap in the Production and Demand of Fertilizers by 1978-79 . .	83
1321 आंध्र प्रदेश में बिजली की कमी	Power shortage in Andhra Pradesh	83
1322 आंध्र प्रदेश में वरदराजस्वामी जलाशय परियोजना का निर्माण	Construction of Vardarajaswamy Reservoir Project in Andhra Pradesh .	84
1323 आंध्र प्रदेश में श्री सैलमपन बिजली परियोजना का क्रियान्वित किया जाना	Execution of Srisailem Hydro Electric Project in Andhra Pradesh .	84
1324 बांसपानी-जखपाड़ा रेल मार्ग पर निर्माण कार्य	Construction work on Banspani Jakhapara Railway Track . .	84
1326 उड़ीसा में कटक स्थित राज सहायता प्राप्त रेलवे होस्टल की क्षमता में वृद्धि करना	Increase in capacity of Subsidized Railway Hostel at Cuttack in Orissa	85
1327 बाद नियंत्रण योजनाओं के लिए उड़ीसा को विशष सहायता	Special Assistance to Orissa for Floo Cont	8

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय SUBJECT	PAGES
1328	पश्चिम बंगाल में फरक्का बांध का कार्य / Work of Farakka Barrage in West Bengal	86
1329	महाराष्ट्र में सिंचाई योजनाओं को स्वीकृति / Clearance of Irrigation Schemes in Maharashtra	86
1330	विभिन्न उच्च न्यायालयों में रिक्त पद / Vacancies in various High Courts	88
1331	मैसूर में बिजली की सप्लाई में कटौती / Power cut in Mysore	89
1332	जापान तथा अन्य देशों से उर्वरक कारखानों की स्थापना के लिए ऋण / Credit from Japan and other countries setting up Fertilizer Factories. .	89
1333	गुलधार और गाजियाबाद (उत्तर रेलवे) के बीच मेरठ शटल गाड़ी के यात्रियों का लूटा जाना / Looting of Passengers of Meerut Shuttle between Guldhar and Ghaziabad (Northern Railway) . .	89
1334	ग्रामीण विद्युतीकरण की नई परियोजनाओं के लिए सहायता / Assistance for new Projects for Rural Electrification	90
1335	राज्य बिजली बोर्डों के अध्यक्षों द्वारा इसी वर्ष विद्युत उत्पादन योजनाओं की स्वीकृति और अधिक सहायता के लिए अनुरोध / Request of Chairman of State Electricity Boards for Sanction of Power Generation Schemes within this year and for grant of Financial Assistance	91
1336	जूना गढ़ जिले के त्रिमूर्ति में एक लघु उर्वरक संयंत्र की स्थापना / Setting up of a Mini Fertilizer Plant at Trimurti in Junaghad District	91
1337	ईंट भट्टा उद्योग की भट्टों तक कोयला लाने के लिए बैगनों के नियतन की मांग / Demand of Brick Kiln Industry for Allotment of Wagons for bringing coal to Kilns	91
1338	भारत में बिजली उत्पादन की लागत / Cost of Power Generation in India.	92
1339	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम अथवा अभी हाल में राष्ट्रीयकृत की गई कोयला खानों द्वारा तापीय बिजलीघरों को दिए गए कोयले की किस्म के बारे में शिकायत / Complaint regarding Quality of Coal Supplied to Thermal Stations by the newly nationalised coal mines or NCDC	93

प्र० सं० या U.S.Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1340	बदरपुर और ओबरी तापीय बिजली घर	Badarpur and Obri Thermal Power Stations 93
1341	मैसूर की सिंचाई तथा विद्युत योजनाएं	Irrigation and Power Schemes from Mysore. 93
1342	उन गाड़ियों के नाम जिनमें दूसरे दर्जे के डिब्बे हटा दिये गये हैं	Names of Trains from which second Class Accommodation has been withdrawn 96
1343	चुनाव कानूनों में प्रस्तावित संशोधन	Proposed Amendments to Election Laws 96
1344	पोंग बांध में पानी	Water in Pong Dam 96
1345	दिल्ली में तीसरा रेल टरमिनस	Third Railway Terminus for Delhi 97
1346	पोंग बांध के निर्माण-कार्य में प्रगति	Progress of work on Pong Dam . 97
1347	कुवैत से कच्चे तेल का आयात	Import of Crude Oil from Kuwait . 98
1348	माल ढोने के लिए वैगनों की आवश्यकता तथा उपलब्धि	Requirement and Availability of Wagons for Transportation of Food 98
1349	मारवाड़ जंकशन स्टेशन पर माइक द्वारा घोषणाएं करने का प्रबंध	Arrangements for Announcements on Mike at Marwar Junction Station . 99
1350	हल्दिया-बरौनी-कानपुर पाईपलाईन के दस्तावेजों के गुम होने के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के विचार	Views of Committee on Public Undertakings regarding Missing of Documents of Haldia-Barauni-Kanpur Pipe Line 99
1351	श में बिजली का उत्पादन	Production of Electricity in the country 100
1352	उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बिजली की खपत	Electricity Consumption in U.P. Rajasthan, Himachal Pradesh and J & K 100
1353	आयल इंडिया लिमिटेड को उत्तर पूर्वी भारत में पेट्रोलियम की खोज के लिए पट्टे पर दिए गए क्षेत्र	Areas in North East India Leased to Oil India Ltd., for Exploration of Petroleum . . 100

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1354 बाण सागर परियोजना संबंधी समझौते का प्रारूप	Draft Agreement on Bansagar Project	101
1355 घायल हो जाने या मृत्यु हो जाने पर यात्रियों को दिए जाने वाले मुआवजे की राशि	Quantum of Compensation paid to Passengers in Case of Injury or Death	102
1356 वर्ष 1973-74 में अशोधित तेल की कीमतों में दो बार वृद्धि होने के कारण विदेशी मुद्रा का अतिरिक्त भार	Additional burden of Foreign Exchange as a Result of the two Increases in prices of Crude Oil in 1973-74	102
1357 उत्तर प्रदेश में टेहरी बांध का निर्माण	Construction of Tehri Dam in Uttar Pradesh	103
1358 उत्तर प्रदेश में ऋषिकेश से मुनीकी रेती तक रेल लाइन का बढ़ाया जाना और हरिद्वार तथा ऋषिकेश के बीच अधिक रेलगाड़ियों का चलाया जाना	Extension of Railway Line from Rishikesh to Muniki Reti in Uttar Pradesh and Introduction of more Trains between Hardwar and Rishikesh .	103
1359 आपात काल के लिए विद्युत जमा करने की योजना	Plan for Storage of Power for Emergencies	104
1360 पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों को बढ़ाने के लिए अपनाया गया फार्मूला	Formula adopted for increasing prices of Petroleum products . . .	104
1361 मालहारगढ़ और हरकियाखाल स्टेशनों (पश्चिम रेलवे) के बीच यात्री गाड़ी का पटरी से उतर जाना	Derailment of Passenger Train between Malhargarh and Harkiakhal Stations (Western Railway). . . .	104
1362 नेशनल रेयन्स कम्पनी में चुनाव	Elections in the National Rayons Company	105
1363 पश्चिम कोसी नहर का कमला नदी के साथ जोड़ा जाना	Linking of Western Kosi Canal with Kamala River	105
1364 पूर्वोत्तर रेलवे मजदूर संघ को मान्यता देना	Recognition of North Eastern Railway Mazdoor Union	106
1365 देश में सिंचाई/जल शुल्क की दर	Rates of Irrigation/Water Charges in the country	106
1366 विदर्भ क्षेत्र में विद्युतीकरण	Electrification in Vidarbha Region .	107

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1367 अकोला रेलवे स्टेशन के लिए टर्मिनल सुविधाएं	Terminal Facilities for Akola Railway Station	108
1368 क्योंझर, उड़ीसा में आनन्दपुर बांध परियोजना	Anandapur Barrage Project in Keonjhar Orissa	108
1369 उड़ीसा में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं पर कार्य आरंभ किया जाना	Centrally sponsored scheme undertaken in Orissa under Rural Electrification programme	109
1370 दक्षिण-पूर्व रेलवे के पैसेन्जर हाल्ट के एजेंटों द्वारा टिकट की बिक्री के लिए बढ़ी हुई दर से कमीशन देने का अनुरोध	Request for Enhanced Rate of Commission on Sale of Tickets to Agents of Passenger Halts (South Eastern Railway)	109
1371 व्यास परियोजना के लिये व्हील्स खरीदने के बारे में करार	Agreement Regarding Purchase of Wheels for Beas Project . .	110
1372 व्यास परियोजना की खान में चलने वाली रेल गाड़ियों में उपयोग किये जाने के लिये पहियों की खरीद	Purchase of Wheels for use in Mine Trains of Beas Project . . .	110
1373 जनवरी, 1972 में दिल्ली स्टेशन से हावड़ा के लिए बुक की गई मटर की खेप	Consignment of Peas booked from Delhi Station to Howrah in January, 1972	111
1374 ताप बिजलीघर पर कोयले की कमी का प्रभाव	Effect of Coal Shortage on Thermal Power Station	111
1375 राज्य बिजली बोर्डों के चेयरमनों का सम्मेलन	Conference of Chairmen of State Electricity Boards	112
1376 भारत में तेल की खोजहेतु उपकरणों के लिए रूस से समझौता	Agreements with USSR for Equipment for Oil Exploration in India . .	112
1377 अर्हता प्राप्त बेरोजगार व्यक्तियों को ठेके देने की योजना	Scheme to Award Contracts to Qualified Unemployed Persons . . .	113
1378 गाजियाबाद, मुरादनगर और मोदीनगर (उत्तर रेलवे) में टिकटों की पुनः बिक्री	Re-Selling of Tickets at Ghaziabad, Muradnagar and Modinagar (Northern Railway)	114
1380 रेल कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने की प्रक्रिया	Method of redress of Grievances of Railway Employees . .	114

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1381 चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियनें	Registered Trade Union in Chitranjan Locomotive Works . . .	114
1382 चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में चोरी के मामले	Theft cases in Chittaranjan Locomotive Works	115
1383 रूस द्वारा उपकरणों की सप्लाई न किए जाने के कारण मथुरा तेल शोधक कारखाने के निर्माण कार्य में विलम्ब	Delay in construction work on the oil refinery at Mathura for non-supply of equipment by USSR . .	115
1384 औषधियों के मूल्यों में वृद्धि	Spurt in prices of Drugs . . .	116
1385 1 जुलाई, 1973 को हावड़ा में रेल दुर्घटना	Rail accident at Howrah on 1st July, 1973	116
1386 विद्युत प्रजनन परियोजनाओं के लिये सीमेंट और इस्पात की सप्लाई हेतु स्थापित समिति	Committee set up for supply of cement and Steel for power generating projects	116
1387 पूर्वी और पश्चिमी रेलवे में तीसरे दर्जे के आरक्षणों में कदाचार	Malpractice in third class reservations in Western and Eastern Railways .	117
1388 पूर्वी रेलवे के हावड़ा और सियालदह सेक्शनों में उपनगरीय यात्रियों की सुरक्षा	Security to Suburban passengers of Eastern Railway on Howrah and Sealdah Sections	118
1389 आल इंडिया मिनिस्टेरियल स्टाफ एसोसियेशन की दानापुर शाखा द्वारा 27 मार्च, 1973 को रेल मंत्री को प्रस्तुत किया गया ज्ञापन	Memorandum submitted to Railway Minister on 27th March, 1973 by all India Ministerial Staff Association, Danapur Branch	118
1390 डिविजनल कमर्शियल सुपरिन्टेंडेंट आसनसोल द्वारा, जारी किए दंड संबंधी आदेश	Punishment Orders issued by Divisional Commercial Superintendent, Asansol	119
1391 डिविजनल सुपरिन्टेडेंट, धनबाद के कार्यों पर कलकत्ता उच्च न्यायालय की टिप्पणियां	Comments of Calcutta High Court on Divisional Superintendent, Dhanbad	120
1392 उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में नदियों में बाढ़ों का नियंत्रण करने संबंधी प्रस्ताव	Proposal to control floods in rivers in Eastern parts of U.P. . . .	120

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1393 सिंचाई क्षमता का कम उपयोग करने के कारण हुई भारी हानि	Huge oss due to poor utilisation of Irrigation potential . . .	120
1394 उत्तर प्रदेश द्वारा बिजली घरों के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव	Proposals submitted by U.P, for power Generating Projects . . .	121
1395 ब्यास-सतलुज लिंक प्रोजेक्ट मजदूर एकता यूनियन, सुन्दर नगर जिला मंडी (हिमाचल प्रदेश) से ज्ञापन	Memorandum from Beas Sutluj Link Project Mazdoor Ekta Union, Sunder Nagar, Distt. Mandi, (H. P.) . .	121
1396 डुम्बरु (त्रिपुरा) में गोमती पन बिजली परियोजना	Gomati Hydel Project at Dumboroo (Tripura)	122
1397 देहरादून एक्सप्रैस और सियालदह एक्सप्रैस गाड़ियों के लिए फैजाबाद स्टेशन के लिए आरक्षण कोटा	Reservation quota for Dehradun express and Sealdah Express Trains from Faizabad Station . . .	122
1398 उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा अपने कर्मचारियों को समय पर वेतन का भुगतान न किया जाना	Inability of U.P. State Electricity Board to disburse salary to its Employees in time	123
1399 मथुरा तेल शोधक कारखाने के लिए उपकरणों की सप्लाई के लिए रूस से बातचीत	Negotiations with USSR for Supply of equipment for Mathura Refinery	123
1400 देश में बिजली घरों की स्थापना	Setting up of power Houses in the country	124
3 अप्रैल 1973 के अंतारांकित प्रश्न संख्या 5746 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	Statement Correcting reply to U.S.Q. No. 5746 dated 3-4-73 . . .	124
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to matter of urgent Public importance . . .	125
दिल्ली में खाद्य-पदार्थों में बड़े पैमाने पर अपमिश्रण का समाचार	Reported Large scale adulteration of foodstuff in Delhi . . .	125
श्री सतपाल कपूर	Shri Satpalkapur .	125
श्री आर० के० खाडिलकर	Shri R.K. Khadilkar . . .	125
बिहार में सूखे और अभाव की स्थिति के बारे में	Re. Drought and Scarcity conditions in Bihar	129
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table . .	130
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	Committee on the Welfare of Schedule Castes and Scheduled Tribes . .	131
21 वां प्रतिवेदन	Twenty-first Report .	131

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
नियम 377 के अंतर्गत मामला	Matter Under Rule 377	132
महाराष्ट्र-मैसूर सीमा विवाद	Maharashtra-Mysore Border Dispute	132
सीमा शुल्क स्वर्ण (नियंत्रण) और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक (संशोधन) विधेयक	Customs Gold (Control) and Central Excises and Salt (Amendment) Bill	132
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider . .	132
श्री के० आर० गणेश	Shri K. R. Ganesh .	132
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee .	133
श्री टी० एस० लक्ष्मणन	Shri T. S. Lakshmanan .	133
प्रो० मधु दंडवते	Prof. Madhu Dandavate . .	134
रेलवे में नौकरियों के लिए अल्पसंख्यकों की भर्ती के संबंध में चर्चा	Discussion Re. Recruitment of Minorities for jobs in the Railways. .	135
श्री समर गुह	Shri Samar Guha . . .	135
श्री एन० के० पी० साल्वे	Shri N. K. P. Salve	138
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharyya .	139
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C. M. Stephen . . .	140
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee . . .	141
श्री मोइनुल हक चौधरी	Shri Moinul Haque Choudhury . .	142
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee . . .	144
श्री बी० पी० मौर्य	Shri B. P. Maurya . . .	145
श्री पीलू मोदी	Shri Piloo Mody	147
श्री चन्द्रजीत यादव	Shri Chandrajit Yadav .	148
श्री जी० विश्वानाथन	Shri G. Viswanathan	149
श्री शम्भू नाथ	Shri Shambu Nath	149
श्री श्यामनन्दन मिश्र	Shri Shyamnandan Mishra .	150
श्री मोहम्मद जमीलुर्रहमान	Shri Md. Jamilurrahaman . . .	150
श्री कार्तिक उरांव	Shri Kartik Oraon	151
श्री नाथुराम अहिरवार	Shri Nathu Ram Ahirwar . .	151
श्री मुल्की राज सैनी	Shri Mulaki Raj Saini . . .	151

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
श्री मौलाना इसहाक सांम्भली	Shri Maulana Ishaque Sambhali	152
श्री दरबारा सिंह	Shri Darbara Singh . . .	152
श्री हुकम चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachwai .	152
श्री एल० एन० मिश्र	Shri L. N. Mishra	152

लोक-सभा

LOK SABHA

मंगलवार, 31 जुलाई, 1973/9 श्रावण, 1895 (शक)

Tuesday, July 31, 1973/Sravana 9, 1895 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

विभिन्न डाक/एक्सप्रैस गाड़ियों के डिब्बों में पानी तथा बिजली की सप्लाई

*122. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न डाक और एक्सप्रैस गाड़ियों के यात्रा के अन्ततक जानेवाले, अनेक डिब्बों में पानी तथा बिजली उपलब्ध नहीं होती है ; और

(ख) क्या यात्रियों को असुविधा से बचाने के लिये प्रत्येक महत्वपूर्ण स्टेशन पर डिब्बों की उचित जांच करने की व्यवस्था की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं ।

(ख) उन सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों पर जहां से गाड़ियां बनकर चलती हैं, सवारी डिब्बों में पूरी तरह पानी भरने की व्यवस्था तथा यह सुनिश्चित करने की व्यवस्था पहले से है कि बिजली की फिटिंग्स ठीक प्रकार कार्य करें । हरेक मध्यवर्ती महत्वपूर्ण स्टेशन पर भी आने-जानेवाली गाड़ियों की जांच के लिए ऐसी व्यवस्था है । यह सुनिश्चित करने के लिए कि वर्तमान व्यवस्थाएं संतोषजनक ढ़ंग से काम करें, अधिकारियों और पर्यवेक्षक कर्मचारियों द्वारा अचानक जांच की जाती है ।

Shri S. M. Banerjee: It appears from the reply of the hon. Minister as if he had seen each and every toilet to know that whether there is any water or not but generally there is no water in the toilets. It is my experience that water runs short after about twelve hours journey in the mail and express trains which are running

between Calcutta and Delhi or between Delhi and Madras. The real difficulty is feit when the passengers get up in the morning and find no water in the toilet. I want to know if any instructions have been issued for water filling at all such stations where water is available.

Shri Mohd. Shafi Qureshi: Standing instructions have been given to each railway station for checking up of water and electricity. Besides complaint books are maintained at each station wherein the passengers can record their complaints regarding of lack of any particular amenity in train.

Shri S. M. Banerjee: Is it also a fact that cold drinking water will be provided to IIIrd class passengers. The said question is about the water in toilets but I want to know if cold drinking water will be made available for IIIrd class passengers.

Shri Mohd. Shafi Qureshi: It has been decided in the current year plan that water coolers should be provided at each railway station. We will act according to your suggestion regarding the long distance trains.

Shri D. N. Tiwari: Those who have travelled by mail and express train have seen that electric light is seldom available even in first class compartment what to speak of third class. Generally there is no light and if at all it is there it is as good as the light emitted by firefly.

There have been many a complaints about it. There is no water, no electricity, no fans in the trains and even drinking warter is not available at the Railway Stations. I had myself brought this to the notice of Railway Minister that I did not find water at any station during my journey from Chapra to Delhi. May I know from the hon. Minister if he has only theoritical knowledge or if he has ever tried to have the real information about these matters.

Shri Mohd. Shafi Qureshi: Sixty lakh passengers travel by seven thousand trains every day. At places there is shortage of water and electricity. There is lot of pilferage of spare parts of electric fans. Water taps are stolen which causes lot of difficulty. I don't mean to say all is well everywhere. Wherever there are shortcomings we are trying to remove them. We are spending a sum of Rs. 4 crores on amenities every year. I acknowledge my shortcomings. But I tell you that every possible efforts shall be made to eliminate them.

Shri M. C. Daga: The question of water and electricity are different matter. There are water taps at places which do not yield any water for the old and infirm, who cannot exert sufficient pressure to make the water flow. I want to know from the hon. Minister as to how many times he has made surprised visits to the IIIrd class compartments, and what are the shortcomings he has noticed there.

Shri Mohd. Shafi Qureshi: It is possible that there might be water taps which require strength to get water. In view of the hon. Member's suggestion this difficulty will be removed in this regard.

Shri Rajender Prasand Yadav : Mr. Speaker, sir, the hon. Minister has evaded the reply to question of Shri M. C. Daga and Shri Tiwari. I want to know if the hon. Minister speaking from his personal experience and if so how many times he has travelled by IIIrd class.

Railway Minister (Shri L. N. Mishra): If the hon. member is referring to me I would say that it was only five months back that I along with the transport member travelled three times without any previous notice in the IIIrd class. I did find that there was shortage of water, the cleanliness was wanting and there was lot of congestion and I do agree that the required facilities were not available. We are trying to improve things. We are having a meeting tomorrow regarding the late running of trains and we propose to launch a special drive against late running of trains. I am sure I will be able to present a better picture of the Railways next time.

न्यायपालिका को अखिल भारतीय सेवा बनाने का प्रस्ताव

*123. **श्री वी० मायावन :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार न्यायपालिका को एक अखिल भारतीय सेवा बनाने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) और (ख) : राष्ट्रीयएकीकरण तथा न्यायपालिका की दक्षता और स्वतंत्रता के भी हित में सरकार एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ।

(ग) जब 1966 में एक ऐसा ही प्रस्ताव राज्य सरकारों को भेजा गया था तब उनमें से बहुतों ने इस विचार का विरोध किया था ।

श्री वी० मायावन : क्या सरकार प्रजातंत्र के अनुयायियों की इस आशंका से अवगत है कि सरकार स्वाधीन न्यायपालिका को प्रतिबद्ध न्यायपालिका बना रही है जैसा कि सोवियत संघ और उसके जैसे शासनतंत्र वाले देशों में होता है । दूसरे यदि हमें संघीय प्रणाली को प्रभावशाली बनाना है तो क्या केन्द्रीय सरकार का यह कर्त्तव्य नहीं है कि वह राज्य सरकारों की इच्छाओं का मान-आदर करे ?

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : मेरे पहले प्रश्न का उत्तर है 'जी नहीं' । जहां तक राज्य सरकारों से परामर्श का संबंध है हम उनसे बिना परामर्श लिए कुछ नहीं करते हैं ।

श्री वी० मायावन : क्या यह सच है कि स्वर्गीय मोहन कुमारमंगलम ने सारे देश के प्रतिबद्ध वकीलों से मिलकर नियुक्त किए जानेवाले न्यायाधीशों की एक लम्बी सूची बनाई थी और विधि मंत्रालय को दी थी ?

क्या यह भी सच है कि श्री वी० आर० कृष्ण अय्यर को सूची में सबसे प्रथम स्थान दिया गया था ?

अध्यक्ष महोदय : आपको यह प्रश्न थोड़े बेहतर ढंग से पूछना चाहिए था उक्त प्रश्न तो न्यायपालिका को अखिल भारतीय सेवा बनाने के सम्बन्ध में है और आपके प्रश्न की इससे कहांतक संगति है

श्री वी० मायावन : मैंने ऐसा केवल यह बताने के लिए कहा है कि वह स्वाधीन न्यायपालिका न चाहकर प्रतिबद्ध न्यायपालिका चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रतिबद्ध न्यायपालिका का प्रश्न नहीं उठता है। यह पूर्णतया पृथक प्रश्न है। यहां तो प्रश्न अखिल भारतीय संवर्ग के बारे में है।

श्री पीलू मोदी : इस सेवा में लेने के लिये प्रतिबद्ध वकीलों की क्या एक सूची तैयार की गई है?

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : यदि मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने की अनुमति दें तो मैं इससे इन्कार करता हूं। यह सच नहीं है।

श्री ए० के० एम० इशहाक : न्यायपालिका को अखिल भारतीय सेवा बनाने से यह भी हो सकता है कि किसी बंगाली न्यायाधीश की नियुक्ति तमिलनाडु में कर दी जाए। परन्तु जैसाकि आजकल प्रचलित है किसी भी राज्य की अदालत की भाषा उस क्षेत्र की भाषा होती है और यदि इस योजना के अधीन बंगाली न्यायाधीश की नियुक्ति तमिलनाडु में कर दी जाती है तो इससे मामला कैसे हल होगा ?

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : यही कारण है कि 10 राज्य सरकारों ने अखिल भारतीय न्यायपालिका सेवा का विरोध किया था।

Mr. Speaker: I am happy that Shri Bal Govind Verma is amongst ourselves hale and hearty;

इडिक्की विद्युत् परियोजना का पुरा होना

*124. **श्री प्रबोध चन्द्र :**

श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इडिक्की विद्युत् परियोजना को पूरा करने के पुनरीक्षित लक्ष्य प्राप्त होने की संभावना नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) : प्रथम यूनिट के दिसम्बर, 1974 के बजाए मार्च, 1975 में चालू होने की संभावना है। थोड़ी सी देरी श्रमिक अशान्ति के कारण प्रत्याशित है।

श्री प्रबोध चन्द्र : मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या परियोजना के पूरा होने में विलम्ब पहली बार हुआ है क्योंकि इससे पहले भी एक बार विलम्ब हुआ था परन्तु तब यह कहा गया था कि यह परियोजना 1973 तक पूरी हो जाएगी। तब कुछ 6 महीने का विलम्ब हुआ और अब फिर यह तीसरी बार विलम्ब हुआ है क्या सरकार इस बार निश्चित है कि यह अंतिम विलम्ब है नाकि पहला अथवा दूसरा तीसरा !

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (डा० के० एल० राव) : वस्तुतः इस परियोजना को 1971 तक पूरा हो जाना चाहिए था। यह दुर्भाग्य की बात है कि श्रम समस्या के कारण इसमें तीन वर्ष का विलम्ब हो गया है। (**व्यवधान**) मुख्यतः श्रमिक असंतोष और कुछ हद तक वित्तीय अभाव के कारण यह पूरी नहीं हो सकी है। लेकिन हम इस बारे में अब बहुत ध्यान दे रहे हैं और हमें आशा है कि यह परियोजना मार्च, 1975 तक पूरी हो जाएगी क्योंकि यह एक उपयोगी परियोजना है।

श्री प्रबोध चन्द्र : मैं अध्यक्ष महोदय का ध्यान मूल उत्तर की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें कहा गया है।

"प्रथम यूनिट के दिसम्बर, 1974 के बजाए मार्च, 1975 में चालू होने की संभावना है।"

और अब मंत्री महोदय का कहना है कि यह परियोजना 1971 तक पूरी हो जानी चाहिए न कि दिसम्बर, 1974 तक। यह तथ्यों का गलत विवरण है। परियोजना के पूरे होने में देरी के साथ-साथ परियोजना पर होनेवाले अनुमानित खर्च में भी परिवर्तन किया गया है। यह 85 करोड़ रुपये या थोड़ा इससे अधिक है अतः में जानना चाहता हूं कि क्या परियोजना के पूरा होने में कुछ और विलम्ब होने की भी संभावना है और क्या परियोजना पर होनेवाले व्यय में वृद्धि की जाएगी?

डा० के० एल० राव : परियोजना को जब स्वीकृति दी गई थी तो इसके पूरा होने की लक्ष्य तिथि 1971 थी पर बाद में कुछ कारणों से निर्धारित तिथि को समय-समय पर स्थागित करना पड़ा था। पहले 1973 रखी गई फिर 1974 कर दी गई अब हम आशा करते है कि यह मार्च, 1975 तक पूरी हो जाएगी। जहां तक अनुमानित व्यय का प्रश्न है पिछला अनुमान 80 करोड़ रुपये के लगभग बताया गया था।

Shri Yamuna Prasad Mandal: The hon. Minister has said that first unit will be commissioned in March, 1975 whereas it was to be commissioned in December, 1974. This slight delay is anticipated due to labour unrest I want to know whether this date will be extended from March, 1975.

Shri Bal Govind Verma: I hope their this date will not be extended beyond 1975.

श्री एच० एम० पटेल : मंत्री महीदय ने बताया है कि 1971 परियोजना के पूरे होने के लिए निर्धारित लक्ष्य नहीं था और परियोजना पूरी होने की असली तिथि 1974 है अतः विलम्ब कुछ महीनों का हुआ है यदि मैंने उनके आशय को ठीक समझा है तो मुझे लगता है कि उन्हें इस बार में गलतफहमी हुई है क्योंकि श्रमिक समस्या के परिणामस्वरूप परियोजना पर पिछले तीन वर्षों से ढीला-ढाला काम हो रहा है। अतः जो परियोजना 1971 में पूरी होनी थी इसमें 4 वर्ष का विलम्ब हो गया है और हो सकता है इसमें और भी विलम्ब हो क्योंकि श्रमिक समस्याएं अभी समाप्त नहीं हुई। क्या मंत्री महोदय सही स्थिति से अवगत कराएगें।

डा० के० एल० राव : यह सच है कि मूल योजना के अनुसार परियोजना वर्ष 1971 में पूरी हो जानी चाहिए थी। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना है जिससे काफी मात्रा में बिजली पैदा की जा सकती है। यदि यह पूरी हो जाती है तो केरल को इसके द्वारा काफी आय हो सकती थी क्योंकि केरल में बिजली की कमी नहीं है और वह इससे उत्पन्न होनेवाली बिजली को तमिलनाडु तथा मैसूर राज्यों

को बेचकर काफी पैसा कमा सकता था । परन्तु दुर्भाग्यवश श्रमिक समस्या के कारण यह पूरी नहीं हो सकी । हर तीन महीने के बाद हम परियोजना का पुनर्लोकन करते हैं। किसी भी परियोजना की ओर इतना ध्यान नहीं दिया गया जितना कि इसकी ओर दिया जा रहा है इसके बावजूद भी यह पाया गया है कि वहां पर कभी एक समस्या उठ खड़ी होती है तो कभी दूसरी। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है क्योंकि यह बहुत उत्तम एवं महत्वपूर्ण परियोजना है। केरल सरकार इस बारे में बहुत उत्सुक है और अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है । मैं संबद्ध कई माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वह देखे कि कुछ प्रगति हो तथा कुछ कार्य करे और यदि ऐसा हुआ है तो यह परियोजना 1974 से पहले ही पूरी हो सकती है ।

श्री एच० एम० पटेल : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस विलम्ब के परिणाम-स्वरूप केन्द्र सरकार का या केरल सरकार को कितना अतिरिक्त खर्चा वहन करना पड़ा है ?

डा० के० एल० राव : मैं यह नहीं कहूंगा कि विलम्ब के कारण अतिरिक्त खर्चा वहन करना पड़ा है किन्तु संशोधित अनुमान के ऊपर विभिन्न परिस्थितियों जैसे अवमूल्यन, पाकिस्तान के साथ संघर्ष सामान्य मूल्य दर वृद्धि इत्यादि के कारण 12 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ है।

Shri Ram Kunwar: The hon. Minister has stated that work is being hampered due to labour trouble, I want to know whether the problem of those labourers have been solved and this project will be ready by 1975.

डा० के० एल०राव : जैसा कि मैंने पहले कहा कि केरल सरकार इस संबंध में बड़ी उत्सक है और इस दिशा में अपनी ओर से हर संभव उपाय कर रही है । आजकल वहां मौनसून है और इस कारण वहां काम नहीं हो सकता है । अक्तूबर में फिर काम चालू किया जाएगा और मैं यह महसूस करता हूं यदि कुछ सक्रिय सहयोग आप लोगों का मिला तो यह परियोजना 1974 में भी पूरी हो सकती है ।

श्री सी० एम० स्टीफन : मंत्री महोदय का कहना है कि परियोजना पूरी होने में विलम्ब श्रमिक समस्या के कारण हुआ है । क्या इस संबंध में ठेकेदारों और सरकार के बीच झगड़े नहीं हुए है और क्या परियोजना के पूरे होने में विलम्ब का एक यह भी कारण हैं । क्या सरकार अपने हठ के कारण जीवन-निर्वाह व्यय में वृद्धि के परिणामस्वरूप श्रमिकों की मजूरी में वृद्धि नहीं कर रही है और इस कारण भी विलम्ब हो रहा है । क्या यह सच है कि परियोजना में विलम्ब का मुख्य कारण ठेकेदारों और सरकार के बीच झगड़ा है और श्रमिक समस्या के कारण तो मामूली सा विलम्ब हुआ है ।

डा० के० एल० राव : मैंने पहले भी निवेदन किया है कि इसके लिए कई कारण उत्तरदायी हैं किन्तु मेरे विचारनुसार श्रमिक समस्या इसके लिए मुख्य कारण है ।

मारुति लिमिटेड द्वारा जमा की गई राशि

*125. **श्री मधु लिमये** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारुति लिमिटेड ने 200 एजेंटों/जमाकर्ताओं से 4 करोड़ रुपये की जमा राशि एकत्र की है ;

(ख) यदि ये आंकड़े सही नहीं है तो वास्तव में कितनी जमा राशि एकत्र की गई है ;

(ग) इस जमा राशि पर यदि कोई ब्याज दिया जाता है तो उसकी दर क्या है ; और

(घ) क्या प्रत्याशी एजेंटों से जमाराशि एकत्र करने की अनुमति मारुति लिमिटेड को सरकार द्वारा दी गई थी

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ): (क) से (ग) कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली और हरियाणा के पास प्रस्तुत मारुति लिमिटेड का नवीनतम तुलन-पत्र 31-3-72 तक का है। इस तुलन-पत्र से मालूम पड़ता है कि बैंकों से प्रतिभूत ऋण के सिवाय, इसमें बैंकों को छोड़कर अन्य स्थानों से 400,000 रु० का ब्याज रहित धारण अप्रतिभूत ऋण था। इस प्रकार के अप्रतिभूत ऋणों का आगे विश्लेषण तुलन-पत्र में प्राप्य नहीं है।

(घ) कम्पनी अधिनियम, 1956 कम्पनी को अपने होने वाले अभिकर्त्ताओं से ऋण स्वीकार किये जाने के लिए सरकार की अनुमति प्राप्त करना अपेक्षित नहीं करता है।

Shri Madhu Limaye: Mr. Speaker, Sir, the reply does not answer my question. It has been stated in the Rules, "A question may be asked for the purpose of obtaining information on a matter of public importance." The reply of the hon. Minister is based upon the balance sheet which can be had from the Registrar of companies against payment of one rupee by me or anybody else. It is one year and four months back when the balance sheet was received. I am getting information that deposits are being collected rapidly from every region. But no information is being received as to whether this collection is for the Agency or in the manner other companies collect deposits. This is my point of order.

I would like to know whether he ... **(Interruption).** May I not rise on a point of order ?.. **(Interruption).** Point of order will be raised when the hon. Minister gives wrong reply. You are subject to Rules. **(Interruption).** Mr. Speaker Sir, you should given ruling on my point of order.

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। प्रश्न पूछिए। प्रश्न काल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

Shri Madhu Limaye: My question has not been answered.

Shri Atal Bihari Vajpayee: They are making uproar. They have come with a mind to make a noise on Maruti. **(Interruption).**

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल के दौरान व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। आप कृपया बैठ जाइये।

Shri Madhu Limaye: Mr. Speaker, Sir, before I ask my question I rise on a Point of Protection. I seek your protection. If I use the word 'Goondai' they will make hue and cry. Therefore, I am using the word 'Hulladbaji'. This 'Hulladbaji' should be stopped.

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसके बारे में पहले ही चेतावनी दे दी है।

Shri Madhu Limaye: 'Hulladbaji' should be stopped and silence should be maintained.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि जब माननीय सदस्य प्रश्न पूछ रहा हो तो व्यवधान न डालें (**व्यवधान**)

श्री पीलू मोदी : अध्यक्ष महोदय , आप सबसे पहले उप सचेतक को अनुदेश दें जो सदस्यों के पास जाकर उन्हें शोर मचाने के लिए अनुरोध कर रहे हैं. . . (**व्यवधान**)

Shri Madhu Limaye: Why a sense of nervousness prevails and 'hulladbaji' begins when Maruti is mentioned.

श्री श्यामनन्दन मिश्र: जो सदस्य मारुति लिमिटेड का समर्थन कर रहे हैं वे प्रधान मंत्री के हितों का समर्थन नहीं करते ।

Shri Madhu Limaye: First of all let me know as to whether my question has been replied, only then I will ask a supplementary. If in your opinion question is to be replied after combining all the three parts of the question, this will be a new procedure ... (interruptions). I am asking him. If he wants me not to seek clarification, I will accept it.

अध्यक्ष महोदय : सदन की कार्यवाही में व्यवधान न डालिए । माननीय सदस्य को प्रश्न पूछने दीजिए । (**व्यवधान**) आप क्या कर रहे है ? अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता ।

Shri Madhu Limaye: These Members are taking my time.

Mr. Speaker: There is an occassion for intervention. When one subject is being debated, why you are making it complicated.

श्री लिमये, इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । मंत्री महोदय ने स्पष्ट कर दिया है कि उनका उत्तर अप्रैल, 1972 तक प्राप्त जानकारी पर आधारित था । यदि आप समझते है कि आपके प्रश्न का उत्तर नहीं आया है तो आप दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं (**व्यवधान**)

प्रश्न काल के दौरान व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता ।

प्रो० मधु दण्डवते : आप 'मारुति' शब्द को असंसदीय घोषित कर दीजिए, सभी समस्याएं हल हो जाएंगी । (**व्यवधान**)

श्री ज्योतिर्मय बसु उठे ।

अध्यक्ष महोदय : अगर आप बैठ जाए, तो सभी समस्याएं हल हो जाएंगी ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वे 3 लाख रुपया एकत्र कर रहे हैं (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठेंगे या नहीं ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आप हर समय मेरी टिप्पणी चाहते हैं । इसे इतनी आम और घटिया न बनाइए माननीय मंत्री प्रश्न पूछें । श्री लिमये ।

Shri Madhu Limaye: My first question is whether the hon. Minister has made any effort during the last 16 months to get information as to whether Maruti Limited company has collected 4 crores of rupees by putting pressure of 'Mataji' on the people. What is unparliamentary in 'Maruti' or 'Mataji'?

अध्यक्ष महोदय : यदि आप उन्हें भड़काते रहे तो मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता ।

आप सीधा प्रश्न पूछिए । आप भड़काने के ढंग से प्रश्न न पूछें ।

Shri Madhu Limaye: Please do not shout at me. I am asking a straight question. They are making 'hulladbaji' and you are remonstrating me . Is 'Mataji' unparliamentary word ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप संसद का हनन करना चाहते है । यह एक सर्वोच्च फोरम है । माननीय प्रधानमंत्री संसद का हनन कर रही है । आप कहते है कि यह गलत है । आपको अपने पर शर्म आनी चाहिए (**व्यवधान**)

Shri Madhu Limaye: Why are you supressing me. They are making 'Hulladbaji' You should supress them.

Mr. Speaker: You have no business to point out that others are making 'hulladbaji'.

Shri Hukam Chand Kachwai: They will make noise and you will supress us! This can not be allowed.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य सीधे प्रश्न पूछें .... (**व्यवधान**)

श्री जो० विश्वनाथन : माननीय संसद ने कुछ 'असंसदीय' नहीं कहा ।

श्री पी० के० देव : यह पता नहीं लग रहा कि मारुति की 'माताजी' कौन हैं ?

अध्यक्ष महोदय : अगर आपके उस तरफ के सदस्यों को भड़काने से वे अपनी आवाज उठाते हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता । आप सीधे प्रश्न पूछें ।

श्री एच० एम० पटेल : किसी को भड़काने की दिजम्मेदारी का अभियोग केवल श्री लिमये पर नहीं लगाया जा सकता, लेकिन मंत्री महोदय से पूरी जानकारी मांगना क्या हमारा न्यायोचित अधिकार नहीं ? मंत्री महोदय इसका प्रतिरोध क्यों कर रहे हैं ?

Shri Madhu Limaye: My question is whether by misusing the Government machinery 4 crore rupees have been collected from would-be agents and two crore rupees have been collected under the table ? (*Integruption*). Should I put supplementary if he wishes so.

श्री वेदव्रत बरुआ : मैं आशा करता हूं कि माननीय इस स्थिति की सराहना करेंगे कि गैर सरकारी कम्पनियों के बारे में हमें कम्पनी नियम के अन्तर्गत कार्यवाही करनी होगी....

Shri Madhu Limaye: There are regulations of Reserve Bank also.

श्री वेदव्रत बरुआ : जहां तक कम्पनी नियम का संबंध है, कुछ विनियमों के अधीन तुलन-पत्र दर्ज करवाना ही पड़ता है, । और 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष का तुलन-पत्र दर्ज करवाने के मामले में 6 महीने का समय दिया जाता है और फिर एक महीने का समय कम्पनियों के रजिस्ट्रार के पास दर्ज करवाने के लिए दिया जाता है। अतः तुलन-पत्र दर्ज करवाने का समय अभी नहीं आया है और कम्पनी का यह कहना विधिसंगत है कि उनके पास अभी समय है और कानून के अन्तर्गत

हमारे पास कोई प्रावधान नहीं है जिसके अन्तर्गत हम कम्पनी को तुलन-पत्र दर्ज करने के लिए कह सकें क्योंकि ऐसा कानूनी रूप से अपेक्षित नही है।

दूसरे, तुलन-पत्र दर्ज किए जाने पर हमारा विभाग तथ्यों की जांच करता है। कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत अपेक्षित कागजातों को पढ़कर ही विभाग आगे जानकारी मांग सकता है।

अब तक हमें एजेन्सी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमें सिर्फ उतनी ही जानकारी है जितनी कम्पनी ने अपने तुलन-पत्र में दी है। कम्पनी ने उसमें लिखा है कि कारों के वितरण के लिए बिक्री प्रबन्ध किए जा रहे हैं। और कुछ डीलरों के साथ बातचीत पहले ही पक्की हो चुकी है और मशहूर डीलरों को नियुक्त करने तथा उत्पादों की बिक्री के लिए अच्छे वित्तीय प्रबन्ध करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे। कम्पनी को विक्रय एजेन्सियां बनाने का अधिकार पूर्ण-रूपेण न्यायसंगत है हम इस आधार पर कोई कार्यवाही नहीं कर सकते कि विक्रय एजेन्सियां बनाना या धनराशि एकत्र करना विकृत व्यापार प्रणाली है। हम केवल यही कह सकते कि इन विक्रय एजेन्टों के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है जैसा कि आरोप लगाया गया है और जब भी कम्पनी अधिनियम के अन्तगर्त हमें जानकारी मिलेगी, आवश्यक कार्यवाही की जाएगी और जो भी जानकारी मंत्रालय को मिलेगी, हम उस पर विचार करेंगे।

Shri Madhu Limaye: In answer to one of my questions, the Government had conceded that in letter of intents have been issued to the big share holders of Maruti Limited. According to the regulations deposits, through agents or otherwise, up to 25 per cent of the issued capital can be received. But this is not the matter covered by the companies Act. Reference should be made to the Reserve Bank regulations in this regard. Will the hon. Minister try to find out, before the balance sheet is filed, either through the Registrar of companies or through the Department of Company Affairs, the extent of deposits collected by Maruti Limited and also is it a fact that they have received Rs. 4 crores from the would-be agents against due receipt and Rs. 2 crores under the table. Will he place the information before the House?

श्री वेदव्रत बरुआ : जहां तक रिजर्व बैंक विनियमों का प्रश्न है, हमने इस पर विचार किया है..... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : शांति रखिए। कृपया मंत्री महोदय की बात सुनिए।

श्री वेदव्रत बरुआ : रिजर्व बैंक विनियम व्यापर सौदों पर लागू नहीं होते। (**व्यवधान**)

Shri Madhu Limaye: Not even to deposits?

श्री वेदव्रत बरुआ : यह विनियम सामान्य व्यापार सौदों पर लागू नहीं होता। कानून के अन्तर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : उनको उत्तर देने दीजिए।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : इसमें कोई संदेह नहीं कि जमा राशियों के नियंत्रण या विनियम के लिए रिजर्व बैंक के विनियम हैं। इन विनियमों में स्वयं ही इस बात की व्याख्या की गई है कि उन विशिष्ट विनियमों के लिए कितनी जमाराशि करने का विचार

है ? अब परिभाषा से स्पष्ट है कि कम्पनी के कार्य के उद्देश्य के लिए क्रय/विक्रय तथा अन्य एजेन्सियों से कम्पनी कार्य के उद्देश्य हेतु प्राप्त की जाने वाली जमा राशि विशिष्टतया शामिल नहीं की जाती । मैंने माननीय सदस्य के प्रश्न को समझ लिया है । अतः यह मानते हुए भी कि रिजर्व बैंक के विनियमों के अन्तर्गत बिक्री एजेन्टों से जमाराशि ली गई है और जैसा कि मेरे सहयोगी ने बताया कि हमारे पास कोई प्रामाणिक या सरकारी जानकारी नहीं है फिर भी 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष के तुलन-पत्र के न होने पर हम उन्हें रिजर्व बैंक विनियमों के अन्तर्गत शामिल नहीं कर सकते।

दूसरा प्रश्न कम्पनी अधिनियम के बारे में है ।

Shri Madhu Limaye: I had asked whether information would be collected from Maruti Limited through agencies of company Affairs Department without waiting for the balance sheet ?

श्री एच० आर० गोखले : कम्पनी नियम प्रशासन कम्पनी अधिनियम द्वारा शासित है, अतः अपरिहार्य रूप से हमें कम्पनी अधिनियम का पालन करना होगा। जैसा कि मेरे सहयोगी ने बताया स्थिति असाधारण नहीं है । हमारे पास जो नवीनतम तुलन-पत्र उपलब्ध है वह 31, मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष का है । इसका कारण यह है कि इस अवधि के लिए ही आम वार्षिक सभा बुलाई गई थी और तुलन-पत्र तथा लाभ-हानि लेखे तैयार किए गए थे और कम्पनी नियम प्रशासन के पास निर्धारित अवधि के अन्तर्गत दर्ज कराए गए थे ।

वर्तमान नियम इस कम्पनी के लिए नहीं बनाया गया है बल्कि यह नियम वर्ष 1956 से लागू है—कम्पनी का यह कर्तव्य है कि वह सात मास की अवधि के अन्तर्गट तुलन-पत्र दर्ज करवाए लेकिन यह अवधि अभी समाप्त नहीं हुई है। अतः समयानुसार तुलन-पत्र और लाभहानि लेखे दर्ज करवाए जायेंगे । लाभ-हानि के लेखे तथा सुरक्षित एवं असुरक्षित ऋणों की राशि एवं स्वरूप का पूरा ब्योरा देने वाला तुलन-पत्र दर्ज करवाना कम्पनी का कर्तव्य है ।

जैसा कि 31 मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले तुलन-पत्र में 4 लाख रुपया दिखाया गया है तो कम्पनी को 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त जमाराशि, यदि ली गई हो, दिखानी पड़ेगी चाहे वह जमा राशि कहीं से प्राप्त की गई हो ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : काला धन भी ?

श्री एच० आर० गोखले : यदि माननीय सदस्य उत्तर चाहते हैं तो मैं दे सकता हूं चाहे उससे वह सन्तुष्ट हों अथवा न हों। दूसरा प्रश्न जानकारी के बारे में है। माननीय सदस्य ने पूछा है कि उपबन्धों को देखे बिना हम यह जानकारी क्यों नहीं मांग सकते। यह उपबन्ध भी कम्पनी अधिनियम द्वारा शासित है। दो उपबन्ध हैं ।

एक व्यवस्था यह है कि उन कागजातों के आधार पर जो कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत करने होते हैं और यदि वे उसी प्रकार प्रस्तुत कर दिये जाते हैं और कोई अन्य जानकारी मांगी जाती है तो यह मांगी जा सकती है। यदि, उदाहरणार्थ, प्रथम दृष्टया सामग्री उपलब्ध है जिसके आधार पर एक तर्कसंगत निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि एजेन्टों तथा अन्य व्यक्तियों से डिपा-

जिट्स स्वीकार करने के अतिरिक्त किसी भी लेन देन में यदि कम्पनियों के साथ सम्बन्ध रखने वाले ऋणदाताओं के साथ अथवा अन्य व्यक्तियों के साथ धोखा धड़ी की गई है तब उस विशष्ट उपबंध के अन्तर्गत जानकारी मांगी जा सकती है।

जैसा कि कि मेरे साथी ने कहा है, सर्वप्रथम, यदि यह मान लिया जाये कि डिपाजिटस स्वीकार किये जाते हैं, यह अपने आप में गैर-कानूनी नहीं है, और यह विश्वास करने के लिए कोई आधार नहीं है कि यदि डिपाजिट स्वीकार किए जाते हैं और ऋणदाताओं अथवा जमाकर्ताओं के साथ कोई धोखाधड़ी होती है तो विशिष्ट उपबन्धों के अन्तर्गत किसी कार्यवाही की व्यवस्था नहीं है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मंत्री महोदय ने अभी कहा है कि यदि सरकार की जानकारी में किसी कम्पनी विशेष के विरुद्ध कोई प्रतिकूल टिप्पणी है तो सरकार अधिनियम के अन्तर्गत कम्पनी से जानकारी मांग सकती है। मैं मंत्री महोदय से यह बात जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि मारुती लिमिटड होने वाले एजेन्टों से रुपया इकट्ठा किया जा रहा है और मारुति लिमिटेड के दोनों प्रकार नं० 1 तथा नं० 2 का रुपया इकट्ठा करने के बारे में समाचार पत्रों में प्रति टिप्पणियां बहुत प्रकाशित हुई हैं। यदि ऐसा है तो सरकार ने कम्पनी से जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की है, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री एच० आर० गोखले : श्रीमन्, मैं इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं । यह सच है कि एक सामाचार पत्र में कम्पनी के बारे में कुछ प्रकाशित हुआ है और उस सम्बन्ध में बहुत विवाद भी उठा है। यदि ऐसा किसी उद्देश्य को लेकर किया गया है तो हम मामले को आगे नहीं बढ़ाते । केवल समाचार पत्र की रिपोर्ट पर ही कार्यवाही नहीं की जाती । मेरे विचार से जिस व्यक्ति को ऋण मिला है उसे शिकायत करनी चाहिए कि उसके साथ जालसाजी की गई है । जिस व्यक्ति ने ऋण दिया है वह भी शिकायत कर सकता है कि उसके साथ जालसाजी हुई है, अन्य उपबन्ध सामग्री के आधार पर भी यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जालसाजी की गई है । यह मान लेने पर भी कि डिपाजिट्स स्वीकार किये जाते हैं, केवल यही तथ्य जांच के लिए पर्याप्त नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्योंकि वह प्रधानमंत्री का पुत्र है ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : एक साधारण प्रश्न यह उठता है कि आवश्यक पत्र जारी किये जाने वाले चरण में जबकि कार का परीक्षण भी नहीं हुआ है अथवा उसे पास नहीं किया गया है, क्या कोई विक्रय एजेन्ट नियुक्त कर सकता है । क्या यह बात स्वयं में, यदि विनअ शब्दावली का प्रयोग किया जाये अत्यन्त असाधारण प्रतीत नहीं होती है । सरकार ने अभी तक कार का माडल भी निश्चित नहीं किया है न ही इसे मंजूरी दी है ।

अध्यक्ष महोदय : मूल प्रश्न डिपाजिट्स के बारे में है । अतः माननीय सदस्य का प्रश्न मूल प्रश्न से किस प्रकार उठता है ?

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मैंने यह प्रश्न पूछा है कि क्या कोई आशयपत्र दिये जाने वाले चरण में विक्रय एजेन्ट नियुक्त कर सकता है और क्या यह अत्यन्त असाधारण बात नहीं है....

अध्यक्ष महोदय : यह मूल प्रश्न से किस प्रकार उठता है ?....

श्री श्यामनन्दन मिश्र : यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और जो प्रश्न पूछे जाने हैं उनसे यह प्रश्न उठता है।

अध्यक्ष महोदय : यह महत्वपूर्ण तो हो-सकता है परन्तु यह मूल प्रश्न से सम्बद्ध भी होना चाहिए।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : वह मूल प्रश्न से सम्बद्ध है, आप इसे पूछने से किस प्रकार रोक सकते हैं

मन्त्री महोदय ने जो उत्तर दिया है उसी से यह प्रश्न उठता है कि क्या सरकार को अधिकार है अथवा नहीं, क्या सरकार के पास ऐसी शक्तियां हैं अथवा नहीं कि वे इस बात की जांच करें कि जनता का रुपया सुरक्षित है। जब जनता ने किसी कम्पनी में रुपया जमा किया है तब क्या यह सरकार का कर्तव्य नहीं है और क्या सरकार के पास ऐसी शक्ति नहीं है कि वे इस बात की जांच करें कि जनता का रुपया सुरक्षित है अर्थात् जमा किया गया रुपया सुरक्षित है और उसका सद्उपयोग किया जा रहा है ?.....

अध्यक्ष महोदय : आप भाषण न दीजिये, अब अपना प्रश्न पूछिये।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : क्या सरकार के पास इस बात की जांच करने की शक्ति है अथवा नहीं कि कम्पनी के पास जमा किया गया रुपया सुरक्षित है और उसका सद्उपयोग हो रहा है।

तीसरे, कम्पनी ने बैंक से ऋण लिया है। क्या सरकार इस बात का ब्यौरा देगी कि बैंकों से कितने ऋण लिये गये हैं और उन ऋणों के भुगतान के बारे में क्या गारंन्टियां दी गयी हैं ?

श्री वेदव्रत बरुआ : मामला विक्रय एजेन्सियां तथा वितरण एजेन्सियां बनाने के बारे में है। ये होने वाले वितरकों तथा कम्पनियों के बीच के मामले हैं। सभी गैर-सरकारी कम्पनियों में जब ये कम्पनियां चालू होती हैं, तब तुरन्त उनके मामले में हस्तक्षेप करने के लिये कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है....।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : क्या इसका तात्पर्य यह है कि कोई भी जनता से रुपया ऐंठ कर उसका दुरुपयोग कर सकता है ?

श्री वेदव्रत बरुआ : बात यह है कि यह एजेन्टों तथा कम्पनी के बीच विश्वास का मामला है, यदि एजेन्सियां कम्पनी के साथ एक विशिष्ट प्रकार का व्यवहार करती हैं, तब जैसाकि माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है, हमारे पास कम्पनी के मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं होता है.....

श्री श्यामनन्दन मिश्र : कार के स्वीकृत किये जाने से पहले भी।

अध्यक्ष महोदय : आप मंत्री महोदय का उत्तर क्यों नहीं सुनते हैं ?

श्री वेदव्रत बरुआ : जब वितरक कम्पनी के पास रुपया जमा करने के लिये सहमत हैं तब विक्रय एजेन्सियां बनाने के विरुद्ध कम्पनी कानून के अन्तर्गत कोई व्यवस्था नहीं है। जब तक वे कोई आरोप नहीं लगाते तब तक सरकार मामले की जांच नहीं कर सकती।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। मैंने पूछा था कि कम्पनी अधिनियम के सरकार को यह जांच करने का अधिकार है अथवा नहीं कि जनता का रुपया सुरक्षित है। मैंने बैंकों से प्राप्त किये गये ऋणों तथा उनके लिए दी गयी गारन्टियों के विषय में एक सूचना और मांगी है।

श्री वेदव्रत बरुआ : अधिनियम की धारा 125 के अन्तर्गत कम्पनी जो देनदारियां बनाती है उन्हें कम्पनियों के रजिस्ट्रार के पास नोट कराना होता है। इस समय मेरे पास सभी तथ्य उपलब्ध नहीं हैं। परन्तु कम्पनी ने पंजाब नेशनल बैंक तथा एक अन्य और बैंक के प्रति देनदारियां दिखाई हैं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : बैंकों से कितना ऋण लिया गया ?

श्री एच० आर० गोखले : प्रश्न बैंकों से लिये गये ऋणों के बारे में पूछा गया है। जहां तक अप्रतिभूत ऋणों का प्रश्न है, मैं बता चुका हूं कि यह राशि 4 लाख रुपया है । जो ऋण बैंकों से ले लिये गये हैं उनकी राशि 11.74 लाख रुपया है।

दूसरा प्रश्न यह है कि किन-किन बैंकों से लिये गये हैं तथा क्या गारन्टियां दी गई हैं। जहां तक बैंकों का प्रश्न है ऋण (1) सैन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, (2) पंजाब नेशनल बक से लिये गये हैं, राशि 10 लाख रुपये की है, देनदारी 10 जनवरी, 1972 को बनायी गयी और मौजूदा मशीनरी की गारन्टी दी गयी। सन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया से 1 लाख रुपया और लिया गया है। यह रुपया 3 मोटर बसों के लिए 25-1-72 को लिया गया । पंजाब नेशनल बैंक के बारे में मुझे पता नहीं । परन्तु मूल कक्ष, संयंत्र, मशीनें आदि गारन्टी के रूप में रखी गयी हैं (**व्यवधान**)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : क्या इस देश में यह सामान्य व्यापार पद्धति नहीं है कि उत्पादन बाजार में आने से पूर्व ही विक्रय एजेंसियों आदि के प्रबन्ध पहले ही कर दिये जाते हैं ?

श्री एच० आर० गोखले : व्यापार नीति निर्धारित करना व्यापार करने वाली कम्पनी का कार्य है। कार को स्वीकृति मिलने से पूर्व ही रुपया जमा करना चाहिये अथवा नहीं यह जमा कर्ताओं के देखने की बात है इसका कोई आधार प्रतीत नहीं होता है कि सुरक्षा को कोई खतरा है। प्रथम दृष्टया ऐसी खतरे की कोई बात नहीं दिखाई देती है।

श्री एस० ए० कादर : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विपक्ष के सदस्य मारुती के बारे में प्रत्येक प्रकार का प्रश्न पूछने का प्रयास करते हैं, क्या इससे यह बात प्रकट नहीं होती है कि वे मारुती (प्राइवेट) लिमिटेड के प्रभारक एजेन्ट हैं ?

अध्यक्ष महोदय : श्री शंकर दयाल सिंह।

Shri Shanker Dayal Singh : * * * *

Mr. Speaker: You should withdraw your words.

यह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। आप अपने शब्द वापस लीजिये।

श्री पी० के० देव : उन्हें सदन से क्षमा याचना करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति शान्ति। मुझे खेद है। प्रश्न काल अब समाप्त होता है।

श्री पी० के० देव : उन्होंने विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्हें क्षमा मांगनी पड़ेगी।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनसे कहा है कि वह अपने शब्द वापस लें। मेरे विचार से उन्होंने अपने शब्द वापस ले लिये हैं .....(**व्यवधान**)

अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया है ।

Expunged as ordered by the chair.

एक माननीय सदस्य : उन्होंने शब्द वापस नहीं लिये हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप अपने शब्द वापस ले रहे हैं? कृपा इन्हें वापस ले लीजिए ।

The words objectionable, should be withdrawn.

Shri Shankar Dayal Singh: I have not mentioned any member. I have said that there is such a lobby going on ....(*interruptions*) ....There is an active lobby of car manufacturers.

Mr. Speaker: But I have asked you to withdraw that.

Shri Shankar Dayal Singh: I will request you that they should withdraw the lobby active here.

Mr. Speaker : Please withdraw what you have said. Are you withdrawing that?

Shri Shankar Dayal Singh: I have not mentioned the name of any of the members.....

श्री भागवत झा आज़ाद : उदाहरण के लिए श्री पीलू मोदी ने बहुत से अनुपूरक प्रश्न पूछे हैं। इन अनुपूरकों में प्रधानमंत्री के विरुद्ध आरोप लगाये गये हैं। इस प्रश्न के बारे में क्या गलत बात है । क्या इसमें राजनैतिक उद्देश्य अन्तर्गस्त है । उन्हें अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार है परन्तु उसका उद्देश्य इस प्रकार का नहीं होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ कहा गया है वह संसदीय नहीं है। उसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया है। श्री सतपाल कपूर।

श्री भागवत झा आज़ाद : अध्यक्ष महोदय हमारी स्थिति ऐसी ही है। अन्य कम्पनियों की तरह मारुती के बारे में भी अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं । परन्तु विपक्ष सीधे साधे प्रश्न नहीं पूछे हैं परन्तु शरारतपूर्ण व्यक्तिगत प्रश्न पूछे गए हैं, और इस प्रकार हमें भी सम्बद्ध अनुपूरक पूछने का अधिकार है जिससे कि वस्तुस्थिति का सही चित्रण किया जा सके। हमें क्यों नहीं पूछने चाहिएं? उन्होंने केवल इतना कहा है कि इस कम्पनी के विरुद्ध कहानी बनायी जा रही है। हम इस आरोप को पुनः दोहराते हैं क्योंकि कार बनाने वाली अन्य कम्पनियां इस नई परियोजना के प्रभावों में तोड़-फोड़ करना चाहती हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

देश में बाढ़ के प्रकोप का मुकाबला करने के लिये किये गए अल्पकालीन और दीर्घकालीन उपाय

*121. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश के विभिन्न भागों में बाढ़ के प्रकोप का मुकाबला करने के लिए क्या अल्पकालीन और दीर्घकालीन उपाय किए गए हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० के० एल० राव) : बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 1954 में एक राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया था। देश में बाढ़ प्रवण क्षेत्र लगभग 20 मिलियन हैक्टेयर आंका गया है।

1954 में शुरू किए कार्यक्रम के बाद अब तक किया गया कार्य निम्नलिखित है :—

1 तटबंधों की लंबाई—7375 किलोमीटर

2. निकास नालियों की लंबाई—11134 किलोमीटर

3. नगर बचाव स्कीम—197

4. ऊंचे किए गए गांव —4585

इसके अतिरिक्त, कई क्षेत्रों में वर्तमान तटबंधों को ऊंचा उठाया गया है और सुदृढ़ किया गया है। उड़ीसा में महानदी पर हीराकुंड बांध, दामोदर बेसिन में पंचेट और मैथन बांध और गुजरात में ताप्ती पर उकई बांध जैसे बाढ़ नियंत्रण जलाशय निर्मित किए जा चुके हैं। बिहार की तूफानी और आश्चर्य-पूर्ण कोसी पर बराज और तटबंधों के निर्माण द्वारा काबू पा लिया गया है। असम में डिब्रूगढ़ और बिहार में मन्सी आदि पर गंभीर कटावों से आतंकित क्षेत्रों के बचाव के लिए कदम उठाये जा चुके हैं।

अब तक बचाया गया कुल क्षेत्र बाढ़ प्रवण क्षेत्र का लगभग एक तिहाई भाग है।

आगे के कार्यों में पहले ही पूर्ण हुए कार्यों का उचित अनुरक्षण और नई स्कीमों का कार्यान्वयन शामिल है। नई स्कीमों में वे तात्कालिक कार्य आते हैं जो अन्य समय में पूर्ण किए जा सकें गा जिनको लघुकालीन कहा जाता है और अन्य उपायों को दीर्घकालीन उपाय कहा जाता है।

1971 के भारी बाढ़ों के बाद कई कार्यों को तात्कालिक कार्यों के रूप में शुरू किया गया और वे कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। इनमें गंगा के दक्षिण तट पर बक्सर से कोइलवार तक तटबंध, गंगा के साथ-साथ वर्तमान तटबंधों को ऊंचा उठाना और सुदृढ़ीकरण, बिहार में महानन्दा तटबंध और गंडक पर बचाव कार्य और तटबंधों का निर्माण, उड़ीसा में रेंगाली बांध, उत्तर प्रदेश में चितौनी के निकट और चितौनी के नीचे गंडक के दक्षिण तट पर बाढ़ बचाव और कटाव-रोधी स्कीमें, खासकर, बलिया जिले में गंगा और घाघरा पर कटाव-रोधी उपाय, लखनऊ नगर बचाव स्कीम और आजमगढ़ नगर बचाव स्कीम, और पश्चिम बंगाल में महानन्दा तटबंध स्कीम, लोअर दामोदर बाढ़ नियंत्रण और निकास स्कीम, दुब्दा निकास स्कीम, मोगराहाट निकास स्कीम और केराला व्यपवर्तन स्कीम शामिल हैं।

संचय जलाशय जो नदी के पीक निस्सार को संयत करेगा आम तौर पर पर्याप्त समय लेता है। असम में पगलाडिया पर एक संचय जलाशय का निर्माण शुरू कर दिया गया है। संचय जलाशय जिन पर विचार किया गया है और जिनके लिए अन्वेषण किए जा चुके हैं, वे हैं—असम में वारक बांध, उड़ीसा में भी मकुंड जलाशय और बिहार में सुवर्णरेखा पर चांदिल बांध। ब्रह्मपुत्र बेसिन में सुबनसिरी और देहिंग पर बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिए अन्वेषण प्रगति पर हैं और गंगा जैसे अन्य बाढ़ प्रवण बेसिनों में किए जाने का प्रस्ताव है। असुरक्षित क्षेत्रों में बाढ़ चेतावनियां देने

के लिए गोहाटी, जलपाइगुड़ी, पटना, लखनऊ, सूरत, भुवनेश्वर और विली में केन्द्रीय बाढ़ चेतावनी यूनिट स्थापित किए गए हैं ताकि राज्य प्राधिकारी बचाव और सहायता कार्यों के लिए समय पर प्रबंध कर सकें।

विस्तृत योजनाओं को तैयार करने और उनके समन्वित और प्रभावकारी ढंग से कार्यान्वयन के लिए असम में ब्रह्मपुत्र घाटी और उत्तर बंगाल नदियों के लिए क्रमशः असम और पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा बाढ़ नियंत्रण आयोग गठित किए गए हैं। भारत सरकार ने गंगा बेसिन में बाढ़ नियंत्रण की एक विस्तृत योजना तैयार करने और उसको संबंधित राज्य सरकारों द्वारा समन्वित ढग से कार्यान्वयन कराने के लिए गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग गठित किया गया है।

रेलवे में बाक्स वैगनों के कारण समस्या पैदा होना

*126. **मौलाना इसहाक सम्भली** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाक्स बैगनों के कारण रेलवे में गंभीर समस्या पैदा हो रही है;

(ख) यदि हां, तो वह किस प्रकार की समस्या है; और

(ग) समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

शा वालेस एण्ड कम्पनी के 148 कर्मचारी—अंशधारियों के निदेशक मंडल के विरुद्ध कुप्रबन्ध की कथित शिकायत

*127. **श्री भान सिंह भोरा** :

श्री पी० ए० सामिनाथन :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शा वालेस कम्पनी, कलकत्ता के 148 कर्मचारी-अंशधारियों ने कम्पनी के निदेशक बोर्ड के विरुद्ध कुप्रबन्ध के आरोपों के बारे में कम्पनी विधि बोर्ड को प्रार्थना-पत्र दिये थे, और

(ख) यदि हां, तो कम्पनी विधि बोर्ड ने उन प्रार्थना-पत्रों पर क्या कार्यवाही की है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले): (क) तथा (ख) : मैसर्स शा वालेस एण्ड कम्पनी लिमिटेड के 142 कर्मचारी-हिस्सेधारियों ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 250 के अन्तर्गत एक आदेश प्रेषित करने व साथ ही कथित अधिनियम की धारा 408 (1) के अन्तर्गत दो निदेशकों की नियुक्ति के लिये, कम्पनी विधि बोर्ड को एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया था। आवेदन-पत्र तथा अन्य उपलब्ध सूचना पर विचार करने के पश्चात, कम्पनी विधि बोर्ड ने अधिनियम की धारा 250(4) के अन्तर्गत, यह घोषणा करते हुए 18-12-1972 को एक आदेश प्रेषित किया कि आर०जी० शा एण्ड कम्पनी लिमिटेड, शा डर्बी एण्ड कम्पनी लि०, शा स्काट एण्ड कम्पनीं लि०, एवं थामस राइस मिलिंग कम्पनी लि०, द्वारा धारित हिस्सों का कोई अन्तरण, 18-12-1972 से तीन वर्ष की अवधि के लिए लाग न होगा।

कम्पनी विधि बोर्ड ने, कम्पनी, एवं कर्मचारी-हिस्सेधारियों के प्रतिनिधियों से सुनवाई करने के पश्चात, अधिनियम की धारा 408(1) के अन्तर्गत, 28-5-1973 से तीन वर्ष की अवधि के लिए, मैसर्स शा वैलेस एण्ड कम्पनी लिमिडेड के निदेशक मंडल में, श्री जी० शाह, शाख-प्राप्त लेखाकार कलकत्ता, एवं श्री एम०पी० वाधवान निदेशक, स्टील अथारिटी आफ इण्डिया, नई दिल्ली, को निदेशक नियुक्त करते हुए , 28-5-1973 को एक आदेश पारित कर दिया।

देश की आवश्यकता को पूरा करने के लिये अशोधित तेल का उत्पादन

*128. **श्री अरविंद एम० पटेल** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अशोधित तेल का उत्पादन हमारी आवश्यकता से बहुत कम है; और

(ख) यदि हां, तो अशोधित तेल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकांत बरुआ) : (क) जी हां।

(ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, जो देश में तेल अन्वेषण कार्य करने के लिए मुख्य उपक्रम है, ने एक कार्यक्रम तैयार किया है जो 1974-75 से प्रारम्भ होने वाले पांचवीं पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ किया जायेगा। इसमें 1.47 मिलियन मीटर के व्यधन-कार्य 105 पार्टी-वर्ष के भूगर्भीय कार्य तथा 150 पार्टी वर्ष के भूभौतिकीय कार्य की परिकल्पना की गई है। इसके परिणामस्वरूप तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को 70 मिलियन मी० टन के एक अतिरिक्त प्रति लभ्य स्टोर तथा अशोधित तेल के उत्पादन को इस रूप में प्राप्त करने की आशा है कि जिससे (इस समय 4 मिलियन के कुछ अधिक की तुलना में) 1978-79 के दौरान 8.42 मिलियन मीटरी टन के उत्पादन स्तर को प्राप्त किया जा सके।

2. इसी प्रकार आयल इण्डियन लि०, जो पूर्वी क्षेत्र में कार्य करता है, ने अपने अन्वेषण कार्य में और वृद्धि करने के लिए एक दीर्घावधि कार्यक्रम तैयार किया है । इस कार्यक्रम के भाग के ही रूप में आगामी वर्षों में 192,500 फीट की गहराई के असम में 11 कुओं तथा अरुणाचल प्रदेश में 5 कुओं के व्यधन कार्य सम्मिलित हैं। यह कार्य पर्याप्त व्यधन कार्य से अतिरिक्त है जो अन्य खनन पट्टे वाले क्षेत्रों में किये गये हैं।

औषध निर्माता फर्मों को उन वस्तुओं के लिये सी० ओ० बी० लाइसेंस दिया जाना, जिनको वे वास्तव में नहीं बनाती

*129. **श्री के० एस० चावड़ा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ औषध निर्माता फर्मों को उन वस्तुओं के लिये सी०ओ०बी० लाइसेंस दिये गये हैं जिनका उन्होंने गत तीन वर्षों से उत्पादन नहीं किया;

(ख) क्या इन सी०ओ०बी० लाइसेंसों के अन्तर्गत वे वस्तुएं आती हैं जिनका वे स्वीकृति पत्रों के अन्तर्गत उत्पादन कर रहे थे;

(ग) क्या स्वीकृति-पत्रों का कोई कानूनी आधार नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो स्थिति ठीक करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकांत बरुआ) : (क) औद्योगिक विकास मंत्रालय द्वारा उद्योग (विकास और नियंत्रण) अधिनियम की धारा 13(ग) के अन्तर्गत 19 फरवरी 1970 और 18 जुलाई 1970 को जारी की गई अधिसूचनाओं के अन्तर्गत औषधि निर्माताओं को सी०ओ०बी० लाइसेंस प्रदान किये गये हैं । ये लाइसेंस उद्योग (विकास और नियंत्रण) अधिनियम 1951 के लाइसेंस व्यवस्था से छूट के समय के दौरान इन उपक्रमों द्वारा स्थापित वास्तविक उत्पादन तथा ऐसे उत्पादन के स्थापन के लिये उठाये गये कारगर कदमों का संज्ञान करने के लिए प्रदान किये जाते हैं ।

(ख), (ग) और (घ) कई कम्पनियों को 1952 से 1965 के समय के दौरान अनुज्ञा-पत्र जारी किये गये थे जिसमें इन अनुज्ञा-पत्रों में दिखाये गये मदों के निर्माण का अधिकार दिया गया था कुछेक कम्पनियों ने अनुज्ञा पत्रों में दी गई क्षमता को सी ओ वी लाईसेंस में सम्मिलत करने के लिये अनुरोध किया था । ऐसे केसों में सी ओं बी लाईसेंस क्षमताओं को समेकित करने के लिये प्रदान किये गये हैं ।

पांचवीं योजना में बिजली पैदा करने का लक्ष्य

*130. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**

श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

क्या **सिचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या पांचवी योजना के लिये निर्धारित बिजली पैदा करने के लक्ष्य में कमी की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी और क्यों ?

सिचाई और विद्युत् मंत्री (डा० के० एल० राव) : (क) और (ख) बिद्युत उत्पादन की पांचबीं योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। अत: इस समय लक्ष्य से कम करने का प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली क्षेत्र (उत्तर रेलवे) के कुछ स्टेशनों के सहायक स्टेशन मास्टरों कार्य का विश्लेषण

*131. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **रेल** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासन को दिल्ली क्षेत्र के कुछ स्टेशनों पर सहायक स्टेशन मास्टरों के कार्य का बिश्लेषण करने के बारे में लोक सभा के किसी सदस्य से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां । माननीय सदस्य ने स्वयं उत्तर रेलवे के महाप्रबन्धक को लिखा था ।

(ख) दिसम्बर, 1973 तक ।

कलकत्ता उच्च न्यायालय में अनिर्णीत पड़े मामले

*132. **श्री दिनेश जोरदर : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता उच्च न्यायालय में 10 बर्ष से अधिक की अबधि से 10,000 से अधिक मामले अनिर्णीत पड़े हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी नहीं। कलकत्ता उच्च न्यायालय में जून, 1973 के अन्त में 10 वर्ष से अधिक से लम्बित मामलों की संख्या केवल 3746 थी।

(ख) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने उच्च न्यायालय में बकाया मामलों की समस्या को हल करने और उसे नियंत्रण में रखने के लिये बहुत से उपाय किये हैं।

वर्मा आयल द्वारा आयल इण्डिया के अपने शेयर सरकार को बेचने का प्रस्ताव

*133. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्मा आयल ने आयल इण्डिया के अपने अधिकांश शेयरों को सरकार को बेचने का प्रस्ताव किया है ; और

यदि हां तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकांत बरुआ) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

9 जून, 1973 को परसाखेडा रेलवे स्टेशन (बरेली) के निकट रेलवे लाइन से

फिश प्लेटों के हटाए जाने का पता लगना

*134. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या 9 जून, 1973 को हावड़ा-अमृतसर मेल के गुजरने से पूर्व बरेली के निकट परसा-खेड़ा रेलवे स्टेशन के बाह्य सिगनल के निकट रेलवे लाइन की फिश प्लेटो के हटाये जाने का पता लगा था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह तोड़फोड़ की कार्यवाही थी; और

(ग) रेल गाड़ियों की दुर्घटनाओं को रोकने हेतु ऐसी बातों का पता लगाने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(ख) अब तक की पुलिस की जांच पड़ताल से पता लगा है कि इसके पीछे तोड़फोड़ का उद्देश्य नहीं था। यह रेल पथ फिटिंग्स की चोरी का मामला प्रतीत होता है; और

(ग) इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं । किये जा रहे हैं :—

राज्य सरकारों द्वारा :

(i) रेल पथ पर विशेष रूप से मेद्य खण्डों में गश्त लगाना;

(ii) रेल पथ के निकट रहने वाले ग्रामीणों में शिक्षात्मक प्रचार करना;

(iii) जहां ग्राम रक्षा समितियां हैं; वहां उनका सहयोग प्राप्त करना;

(iv) समाज विरोधी तत्वों की विनाशकारी गतिविधियों के बारे में समय पर सूचना देने वाले व्यक्तियों को पुरस्कार प्रदान करना ।

(v) इस प्रकार की गतिविधियों में संलग्न शरारती, असंतुष्ट और समाज विरोधी तत्वों के विषय में आसूचना एकत्रित करना ;

(vi) जहां सम्भव हो, वहां भारतीय दण्ड संहिता तथा भारतीय रेल अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमे चलाकर अपराधियों को दण्ड दिलाना;

रेलों द्वारा :

(i) रेल सुरक्षा दल, आसूचना एकत्र करके और पुलिस के साथ उसका विनिमय करके, अपराधियों का पता लगाने, पकड़वाने और उन पर मुकदमा चलाने में राज्य पुलिस की सहायता करता है;

(ii) जहां सम्भव होता है रेलवे सुरक्षा दल द्वारा रखे गये कुत्ता दस्तों का अपराधियों का पता लगाने में उपयोग किया जाता है;

(iii) संदिग्ध व्यक्तियों विशेषकर लुहारों, रद्दी सामान का लेन-देन करने वालों, अन्य ज्ञात अपराधियों तथा समाज विरोधी तत्वों के ऊपर कड़ी निगरानी रखी जाती है;

(iv) राज्य की पुलिस के साथ विभिन्न स्तरों पर आवैधिक बैठकें करके और सूचना के आदान-प्रदान द्वारा निकट सहयोग व समन्वय रखा जाता है ;

(v) इंजीनियरी और रेल पथ कर्मचारियों को हिदायत कर दी गयी है कि रेलवे के खुले सामान या औजारों का ढेर रेल पथ के पास न लगाया जाये ;

(vi) जिन रेल कर्मचारियों की गलतियों से रेल पथ से छेड़-छाड़ में मदद मिलती है, उन्हें निवारक दण्ड दिया जाता है;

(vii) रेल पथ पर नियुक्त श्रमिकों के पूर्ववृत की जांच की जाती है ।

Madhya Pradesh Government's Proposal for laying new Railway Lines upto Satna Via Lalitpur-Tikamgarh-Chhatarpur, Panna

*135. **Shri Nathu Ram Ahirwar:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Madhya Pradesh Government have submitted any proposal for laying a Railway line upto Satna via Lalitpur-Tikamgarh, Chhatarpur, Panna in order to develop the dacoit infested area of Bundelkhand; and

(b) if so, the time by which his Ministry would give its approval to it ?

The Minister of Railways (Shri L. N. Mishra): (a) Yes, Sir.

(b) There is no proposal to consider the construction of a railway line from Satna to Lalitpur via Tikamgarh. However, the Central railway administration has been asked to submit an estimate for carrying out a traffic survey for new lines in this area from Damoh to Harparpur via Panna and Chhatterpur and Damoh to Banda via Panna. A portion of the suggested line between Chhatterpur and Panna would be covered by the survey under consideration. Further consideration to the proposal will be given after the survey is carried out and the results thereof become available.

नर्मदा नदी जल विवाद पर प्रधान मंत्री का फैसला

*136. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**

श्री पी० सी० मावलंकर :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नर्मदा नदी जल विवाद पर प्रधान मंत्री द्वारा अपना फैसला देने में विलम्ब के कारण गुजरात राज्य में चिन्ता हो रही है;

(ख) क्या गुजरात के मुख्य मंत्री ने प्रधान मंत्री के फैसले की घोषणा को स्थगित करने की मांग की है; और

(ग) उक्त फैसले की घोषणा में विलम्ब के कारण क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० के० एल० राव) : (क) पंचाट के प्राप्त होने की प्रत्याशित तिथि के सम्बन्ध में संसद सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों ने पूछताछ की हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) सम्बद्ध राज्य सरकारों ने अपने-अपने मामले प्रधान मंत्री को प्रस्तुत किए हैं । इसमें शामिल मामले पेचीदा हैं जिन के सम्बन्ध में बहुत सी बातों पर विचार करना अपेक्षित है । इस मामले के सभी सम्बद्ध पहलुओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जा रहा है ।

विद्युत् उत्पन्न करने तथा उसके वितरण के लिये केन्द्रीय एजेन्सी की स्थापना

*137. **श्री नरेन्द्र सिंह :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समूचे देश में पर्याप्त विद्युत उत्पन्न करने तथा इसकी वितरण प्रणाली में सुधार करने के लिए केन्द्रीय एजेंसी की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या इस बारे में राज्य बिजली बोर्डों में परामर्श किया गया है और यदि हां, तो इस पर बोर्डों की प्रतिक्रिया क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० के० एल० राव) : (क) जी, हां ।

(ख) केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण का पुनर्गठन किया जाना है ताकि देश में विद्युत विकास की गतिविधियां का समन्वय तथा बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अभिकल्प योग्यता का विस्तार और राज्यों के बीच विद्युत के आपसी विनिमय का प्रबन्ध भी किया जा सके ।

विद्युत उत्पादन तथा इसके अन्तर्राज्यीय स्थानान्तरण की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वायत्तशासी क्षेत्रीय बोर्डों का गठन किया जाना है ।

प्रत्येक राज्य के भीतर विद्युत का उत्पादन तथा वितरण राज्य बिजली बोर्डों की जिम्मेदारी होगी । वे राज्य के स्वामित्व में विद्युत केन्द्रो से उत्पादन की देखभाल की करेंगे । उपर्युक्त पहलू सुझाव के रूप में हैं और इन्हें अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

(ग) राज्य बिजली बोर्डों के अध्यक्षों की हाल ही में हुई बैठक तथा राज्यों के सिचाई और विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में इस विषय पर सामान्य रूप से विचार किया गया था ।

विदेशी तेल कम्पनियों को बढ़ाई गई क्षमता का प्रयोग करने की अनुमति

*138. **श्री रानेन सेन :**

श्री एच० एम० पटेल :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में काम कर रही विदेशी तेल कम्पनियों ने सरकार से अपनी बढ़ाई गई क्षमता का उपयोग करने की अनुमति मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकांत बरुआ) : (क) और (ख) तीन विदेशी तेल कम्पनियों अर्थात् बर्मा-शैल, एस्सो तथा कालटैक्स के पास प्रतिवर्ष लगभग 2.5 मिलियन मीटरी टन की क्षमता फालतू है । देश में पेट्रोलियम उत्पादों की बहुत जरूरी आवश्यकताएं पूरी करने के लिये इस फालतू क्षमता को तदर्थ आधार पर, प्रक्रिया उप्रान्त आधार पर इस्तेमाल करने का निर्णय किया गया है । इस प्रबन्ध के अन्तर्गत, कच्चा तेल भारतीय तेल निगम द्वारा सप्लाई किया जाता ह और उससे उपलब्ध शोधित उत्पादो भी भारतीय तेल निगम द्वारा बेचे जाते हैं ।

Express train from Jhansi to Allahabad via Manikpur on Jhansi-Manikpur Line (Central Railway)

*139. **Shri R. R. Sharma :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) Whether Government have under consideration any proposal to introduce an Express Train on Jhansi-Manikpur line of the Central Railway and to run it from Jhansi to Allahabad via Manikpur ; and

(b) if so, by what time it is likely to be finalised ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) No Sir.

(b) Does not arise.

कुकिंग गैस के मूल्य कम करने के बारे में भारतीय तेल निगम का प्रस्ताव

*140. **श्री वी० के० दास चौधरी :**

श्री आर० एन० बर्मन :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम ने कुकिंग गैस के मूल्य कम करने के बारे में सरकार के सम्मुख एक प्रस्ताव रखा है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है; और

(ग) कुकिंग गैस का मूल्य कितना कम किया जायेगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकांत बरुआ) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Recovery of 287 Smoke Bombs from a Wagon sent to Indian Explosives Fertilizer Factory

1201. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to the Starred Question No. 500 on the 27th March, 1973 regarding recovery of 287 smoke bombs from a wagon sent to Indian Explosives Fertilizer Factory and state :

(a) whether the enquiry into the matter has since been completed and

(b) if so, the result thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways, (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) and (b) The matter is still under enquiry by the U. P. Police authorities.

औषध निर्माता फर्म मैसर्स 'रोश' द्वारा लाभांश, स्वामित्व आदि विदेश भेजना

1202. **श्री विद्याधर वाजपेयी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की करेंगे कि कि :

(क) मैसर्स रोश बहु राष्ट्रीय और औषध निर्माता फर्म में वर्तमान विदेशी साम्य पूंजी कितनी है;

(ख) क्या सम्पूर्ण विदेशी साम्य पूंजी विदेशों से लाई गई है या लाभ द्वारा देश में अर्जित की गई है;

(ग) विदेशों से कितनी विदेशी साम्य पूंजी लाई गई है; और

(घ) इस देश में इस फर्म के कार्य संचालन आरम्भ करने से लेकर आज तक इस फर्म द्वारा लाभ, लाभांश और स्वामित्व के रूप में वर्षवार कितनी राशि विदेश भेजी गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) मैसर्स रोचे प्रोडैक्ट लि० के पास 100 लाख रुपये के कुल साम्य पूंजी शेयर एवं उनकी वर्तमान विदेशी शेयर-पूंजी 89 लाख रुपये है । समस्त विदेशी साम्य पूंजी विदेश से बाहर भेजी गई ।

(घ) 1963 से लाभांश के रूप में निम्नलिखित राशि भेजी गई:—

(लाख रुपयों में)

1963	1.25
1964	11.57
1965	15.02
1966	15.02
1967	16.80
1968	16.80
1969	16.80
1970	16.80
1971	16.80
1972	16.53

इसके अतिरिक्त, 1962 से 1971 के 10 वर्षों में 18 लाख स्वीस फ्रैंक तकनीकी सेवा एवं ऊपरी खर्च के रूप में; 1972 में विटामिन-ए संयंत्र के लिए डिजायन एवं प्राप्ति शुल्क के रूप में 2.59 स्विस फ्रैंक तथा 1966 में विटामिन ए पाउडर के निर्माण के लिए तकनीकी सेवा के रूप में 60,000 स्विस फ्रैंक बाहर भेजे गये ।

प्रैडनीसोलोन का उत्पादन और उसकी तस्करी

1203. **श्री विद्याधर वाजपेयी:** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महत्वपूर्ण औषधि, प्रैडनीसोलीन की जितनी मात्रा का देश में उत्पादन होता है, वह देश की मांग पूरी करने के लिये पर्याप्त है;

(ख) देशी और आयातित प्रैडनीसोलीन के मूल्यों में भारी अन्तर होने के कारण अत्यधिक मात्रा में प्रैडनीसोलीन की देश में तस्करी होती है; और

(ग) क्या सरकार राज्य व्यापार निगम के माध्यम से प्रैडनीसोलीन का सीमित आयात करने, और इसे 'पूलड्' मूल्यों पर औषधि एककों को बेचने की वांछनीयता पर विचार कर रही है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) जी नहीं । वर्ष 1972-73 के लिये 750 किलोग्राम की अनुमानित मांग के मुकाबले वर्ष 1972 में प्रेडीनीसोलीन का उत्पादन 595 किलोग्राम था ।

(ख) जुलाई-सितम्बर 1969 में जब इन मदो का आयात वर्जित था एक औषधि निर्माता द्वारा आयातित प्रेडीनीसोलीन हाईड्रोकारटीसोन एकसीटेट आदि खरीदे जाने की रिपोर्ट को छोड़कर सरकार को देश में प्रेडीनीसोलीन की तस्करी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है ।

(ग) जी नहीं । प्रेडीनीसोलीन को वर्तमान आई०टी०सी० नीति पुस्तक के परिशिष्ट 19 की सूची III में शामिल किया गया है । अतः यह सीमित रूप से आयात के लिये अनुज्ञेय मद है ।

गाड़ियों की छतों पर यात्रा करने वाले यात्रियों की मृत्यु होने पर उनके परिवारों को मुआवजा

1204. **श्री विश्वनाथन झुंझुनवाला** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे में आजकल बहुत से यात्री नियमित रूप से गाड़ियों की छतों पर यात्रा कर रहे हैं;

(ख) क्या रेलवे प्रशासन गाड़ियों की छतों पर यात्रा करते समय मरने वाले यात्रियों के परिवारों को मुआवजा देने के लिये बाध्य है और यदि हां, तो कितना; और

(ग) उक्त प्रकार की यात्रा के क्या कारण हैं और यात्रियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरैशी) : (क) कुछ व्यक्ति कुछ मौकों पर जैसे स्थानीय त्योहारों, मेलों, गणतन्त्र दिवस समाहरोह आदि के समय, विशेषकर उपनगरीय क्षेत्रों में कुछ गाड़ियों में छतों पर बैठकर यात्रा करते हैं ।

(ख) छत पर बैठकर यात्रा करना कानून के अन्तर्गत अपराध है । अतः ऐसे मामलों में कोई क्षतिपूर्ति नहीं दी जाती ।

(ग) यात्री कभी-कभी तो जगह की कमी के कारण गाड़ी की छत पर बैठकर यात्रा करते हैं और कभी-कभी, डिब्बों में जगह उपलब्ध होने पर भी, आदतन छत पर बैठकर यात्रा करते हैं ।

लाउडस्पीकरों के जरिये यात्रियों को इस तरह यात्रा करने में निहित खतरों से आगाह करने के लिए नियमित रूप से प्रचार व अभियान चलाये जाते हैं । इस तरह की अनियमित यात्रा की रोक थाम के लिए स्टेशन तथा टिकट जांच कर्मचारी सरकारी रेलवे पुलिस तथा रेल सुरक्षा दल के सहयोग से बार-बार जांच करते हैं ।

कुछ मेलों, त्योहारों आदि के अवसरों पर भीड़ की निकासी के लिए विशेष गाड़ियां चलायी जाती हैं और गाड़ियों में डिब्बों की संख्या भी बढ़ायी जाती है ।

उर्वरक संयंत्रों की स्थापना विषयक कर्मी दल (टास्क फोर्स) के सुझाव

1205. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बनाने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या एक कर्मी दल ने सुझाव दिया है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंत तक देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिय देश में इस से कम 12 और उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जाने चाहिए;

(ख) क्या अनेक प्राइवेट फमों ने देश में नये उर्वरक संयंत्रों की स्थापना में रूचि प्रकट की है;

(ग) क्या सरकार ने 12 कारखानों में से कुछ कारखाने खोलने की कोई योजना बनाई है और यदि हां, तो इस बारे में प्राइवेट फर्मों के प्रस्तावों और सरकार की अपनी योजनाओं का संक्षिप्त विवरण क्या है ; और

(घ) क्या कर्मी दल ने प्रस्तावित कारखानों के स्थापनास्थलों का भी सुझाव दिया है और यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) टास्क फोर्स (कार्यकारी दल) की सिफारिशों में 1978-79 तक उवर्रक की देशीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए उत्पन्न

की जाने वाली अतिरिक्त उर्वरक क्षमता सम्मिलित है। यह अतिरिक्त क्षमता 10-12 संयंत्रों के मानक क्षमता के तदनुरूप है।

(ख) इस सम्बन्ध में कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनका ब्यौरा सभापटल पर रखे गये विवरण पत्र में दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये सख्या एल० ी० 5247/73]

(ग) और (घ) सरकार ने पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र में भटिन्डा, पानीपत, मथुरा, पारादीप तथा ट्राम्बे में 5 नये उर्वरक संयंत्रों कीं स्थापना को सिद्धान्त रूप में अनुमोदित कर दिया है। ये स्थान टास्क फोर्स द्वारा सुझाए गए स्थानो में से हैं।

विदेशी औषध कम्पनियों द्वारा अपनी औषधियों के निर्माण में भारतीय मुख्य औषधियों का उपयोग

1206. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला**: क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बनाने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार ने दवाइयां तैयार करने के लिये भारत स्थित विदेशी औषध कम्पनियों को 50 प्रतिशत भारतीय मुख्य औषधियों का उपयोग करने को वाध्य करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या इस बात का अध्ययन कर लिया है कि इन विदेशी फर्मो द्वारा बनाई जाने वाली दवाइयां को वनाने के लिये भारतीय मुख्य औषधियां बड़ी माता में उपलब्ध हैं ; और

(ग) इससे कितनी विदेशी मुद्रा की वचत होगी और क्या यह नियम भारतीय फर्मो पर भी लागू किया जायेगा और यदि नहीं, तों इसके क्या कारण है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मत्री (श्री दलबीर सिह) : (क) जी नहीं। विदेशी औषधि कम्पनियों द्वारा सूत्रीकरण क्रिया जो साधारणत : आसान और अपेक्षाकृत अधिक लाभ दायक है, को प्रोत्हसाहन न देने की नीति है। वास्तव में विस्तार की अनुज्ञा देते समय या विदेशी औषधि कम्पनियों द्वारा या संगठित क्षेत्र में अन्य कम्पनियों द्वारा नई क्रियाएं लिये जाने के लिये शर्त लगाई जाती है कि वे प्रमुख औषधियों की निर्धारित माता अन्य असम्बन्ध सूत्रीकरर्ण कर्त्ताओं को उपलब्द्ध करेंगे। यह औषधि उद्योग भारतीय और विशेषत: लघु क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए है।

(ख) कई औषधियां (मूल औषधियां) जिनका देशीय उत्पादन मांग को पूरा करने के लिये यथेष्ट नहीं है, अभी तक आयात की जाती है। ऐसी कई मदों का आयात जहां कि इसके लिये काफी माता में विदेशी मुद्रा का निकास होता है या जहां यह देखा जाता कि राज्य व्यापार निगम काफी कम दामों पर इस प्रकार की औषधियों के लिये सौदा कर सकता है, राज्य व्यापार निगम द्वारा किया जाता है।

(ग) भाग (क) उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिये जापान से सहायता

1207. **श्री विश्वनाथ झुंझुंनवाला** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत सरकार ने जापान सरकार को यह सुझाव दिया है कि यदि वे इंजीनियर्स इन्डिया द्वारा स्थापित किये जाने वाले पांच उर्वरक संयंत्रों के लिये विदेशी मुद्रा की कुल माता के लिये वचन नहीं दे सकते तो कम से कम प्रत्येक वर्ष के लिये विदेशी मुद्रा का नियतन को निदिष्ट किया जाना चाहिये ;

(ख) यदि हां, तो उस पर जापान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या सरकार ने विदेशी फर्मों के सहयोग के लिये इच्छुक न होने पर भी योजना को आगे बढ़ाने की संभावना पर तथा इन फर्मों के सहयोग के अभाव में भारतीय फर्मों की योजना से सम्बद्ध करने के प्रश्न पर विचार किया और यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) इन परियोजनाओं की विदेशी मुद्रा संबंधी व्यवस्था के बारे में इस समय जापान सरकार से बात-चीत की जा रही है । वित्तीय व्यवस्था की रुपात्मकताओं को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(ग) हमारे उर्वरक कार्यक्रम के लिये बाहरी सहायता की आवश्यकता मुख्य रूप से सप्लाई की वित्तीय व्यवस्था तथा उस सप्लाई, जो देश के भीतर उपलब्ध नहीं है, तक सीमित रखी जाती है। इस प्रकार की सहायता के लिये विभिन्न विदेशों से पेशकशें प्राप्त हुई हैं।

पानी को रोकने हेतु पोंग बांध की सुरंगों को बंद करना

1208. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1973 में केन्द्रीय सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार वर्षा ऋतु में पानी को जमा करने हेतु पोंग बांध की सुरंगों को बंद कर दिया था ;

(ख) क्या इस निर्णय को इस बीच क्रियान्वित कर दिया गया है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या निर्णय के कार्यान्वयन को स्थगित करने से पूर्व संबंधित राज्यों विशेषकर राजस्थान राज्य से परामर्श किया गया था और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ; और

(घ) इस निर्णय को क्रियान्वित न करने के कारण कितना पानी पाकिस्तान को चला गया है और राजस्थान को सिंचाई में कितनी हानि हुई और क्या वर्षा ऋतु के पश्चात् सुरंगों को बंद करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो निर्णय को समय पर क्रियान्वित करने के कारण हुई हानि की तुलना में कितना पानी जमा किया जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (घ) इस वर्ष फरवरी के महीने में यह फैसला किया गया था कि पोंग बांध तथा अन्य संबंधित कार्यों को मानसून के आरंभ होने से पहले पूर्ण करने का प्रयत्न किया जाए ताकि पानी आंशिक रूप से जमा किया जा सके।

पोंग बांध पर 5 सुरंगों में से दो निर्गम सुरंगें बंद की जा चुकी हैं और एक पेन स्टाक सुरंग बनाई जा चुकी है । मानसून के जल को संचित करने के लिए शेष दो प्रवधारक नलों का बंद करना इन पर निर्भर था, उपयुक्त ऊंचाई तक बाध को ऊंचा करना, पुल के साथ उमड़ मार्ग को पूर्ण करना, और बंद की गई दो सुरंगों में द्वार लगाना ताकि जलाशय को नियंत्रित रूप से भरा जा सके । इसके परिणामस्वरूप उपयुक्त मदों पर कार्यप्रगति का मई, 1973 में पुनरीक्षण किया गया था । इसके अतिरिक्त एक समिति ने भी इस मामले की जांच की है । यह पता लगा कि कार्य प्रगति उतनी नहीं हुई जितनी आशा थी । इसको ध्यान में रखते हुए ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् तथा संबंधित राज्यों के साथ सलाह करके यह महसूस किया गया कि बांध की पूर्ण सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए इन सुरंगों को बंद करने के उत्तरार्द्ध तक स्थगित कर दिया जाए जिस समय तक बाढ़ों की भयंकरता

खत्म हो जाएगी और फिर भी यह संभव होगा कि राजस्थान में रबी की सिंचाई के लिए शेष मानसून के जल को संचित किया जा सकेगा। इसमें पाकिस्तान को प्रवाहित होने वाले मानसून के प्रवाह का लगभग 1.5 से 2.0 मिलियन एकड़ फुट कम हो जाने की संभावना है।

पश्चिम रेलवे के ट्रेवलिंग इन्स्पेक्टर्स आफ एकांउट्स के स्थानान्तरण और नियुक्ति संबंधी नीति

1209. **डा० सरदीश राय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अजमेर में ट्रेवलिंग इन्सपेक्टर्स आफ एकांउन्टस 10 वर्षों से अधिक अवधि में अजमेर डिवीजन में काम कर रहे हैं और भावनगर, राजकोट तथा बम्बई सेन्ट्रल में काम करने वाले ट्रेवेलिंग इन्सपेक्टर्स आफ एकाउंटस् को अजमेर में काम करने का अवसर नहीं दिया जा रहा है ;

(ख) क्या सरकार को 16 फरवरी, 1972 को एक अभ्यावेदन मिला है और बम्बई सेन्ट्रल में कोम करने वाले ट्रेवेलिंग इन्सपेक्टर्स से भी इस सम्बन्ध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस विषय पर क्या निर्णय किया गया है और डिप्टी सी० ए० ओ० (टी० ए०) की इन्सपेक्टरों के स्थानान्तरण और नियुक्त के बारे में क्या नीति है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) पश्चिम रेलवे पर चल लेखा निरीक्षकों की नियुक्तियां इस तरह से नियमित की जाती है कि सब चल लेखा निरीक्षक सुविधाजनक और असुविधाजनक स्टेशनों पर बारी-बारी से नियुक्त होते रहे हैं। अजमेर एक सुविधाजनक स्टेशन है और भावनगर, राजकोट और बम्बई सेंट्रल मण्डलों के चल लेखा निरीक्षक जो अजमेर में अपनी नियुक्ति के इच्छुक हैं, पहले ही यह अवसर प्राप्त कर चुके हैं। इस समय केवल एक ही ऐसा चल लेखा निरीक्षक है जिसे दस वर्ष से अधिक वर्षों से अजमेर में बने रहन की अनुमति दी गयी है क्योंकि उसकी पत्नी भी उसी कार्यलय में नौकर है। कर्मचारियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर उपर्युक्त नीति के अनुसार विचार किया गया है।

अजमेर डिवीजन (पश्चिमी रेलवे) में श्रमिकों को भुगतान न किये जाने और भुगतान रोकने के बारे में शिकायतें

1210. **डा० सरदीश राय** :

श्री रेणुपद दास :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तत्कालीन रेल मंत्री ने अपने पत्र संख्या एम० आर० 1245-ए 73 दिनांक 11 अक्तूबर, 1972 में पश्चिमी रेलवे के अजमेर में श्रमिकों को भुगतान न किए जाने और भुगतान रोके जाने के बारे में शिकायतों के संबंध में एक पत्र पहुंच जाने की रसीद भेजी थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को ठीक करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है और दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) पश्चिम रेल प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाये जा चुके हैं कि कर्मचारियों को देय भुगतान के बकाये साफ हो जाये, और इस समय केवल कुछ इक्के दूक्के मामले ही है।

मई, जून, 1973 में बम्बई में रेलवे दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्ति

1212. **श्री सतपाल कपूर :**

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर:

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई या उसके आस पास मई और जून 1973 में कितनी रेल दुर्घटनाएं हुई तथा दुर्घटना स्थलों के नाम क्या हैं ;

(ख) कुल कितने लोग मारे गये और घायल हुए तथा रेलवे की सम्पत्ति को कितनी हानि हुई ;

(ग) क्या इस बीच इन दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगा लिया गया है और यदि हां, तो उसकी मोटी रूप रेखा क्या है ; और

(घ) हताहत लोगों के परिवारों को कितना मुआवजा दिया गया ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) मई और जून, 1973 के दौरान गाड़ियों की टक्कर की दो दुर्घटनाएं हुई इनमें से एक दुर्घटना गोरेगांव और मलाड स्टेशनों के बीच और दूसरी विखरोली स्टेशन पर हुई । दो दुर्घटनाएं पटरी से उतरने की हुई जिनमें से एक शांताक्रुज स्टेशन पर और दूसरी चर्चगेट और मेरीन लाइन्स के बीच हुई ।

(ख) इन दुर्घटनाओं में 16 व्यक्ति मरे और 55 घायल हुए। लगभग 6,96,000 रुपये की रेल सम्पत्ति की क्षति का अनुमान लगाया गया था।

(ग) रेल संरक्षा के ऊपर आयुक्तों के अनन्तिम निष्कर्षों के अनुसार दोनों टक्करें रेल कर्मचारियों की गलती से हुई थीं । पटरी से उतरने की घटना रेल कर्मचारीयों की गलती से हुई तथा दूसरी घटना का कारण रेल उपस्कर की खराबी था।

(घ) दुर्घटनाओं के शिकार किसी भी व्यक्ति को अभी कोई मुआवजा नहीं दिया गया है।

अति प्रवीण बढ़ई ग्रेड 2 अजमेर वर्कशाप (पश्चिम रेलवे) के पद के लिये व्यावसायिक परीक्षण के बारे में अभ्यावेदन

1213. **श्री रेणुपद दास** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने कीं कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे की अजमेर वर्कशाप में अति प्रवीण बढ़ई, ग्रेड 2 के पद के लिये व्यावसायिक परिक्षण के बारे में सरकार को 10 सितम्बर, 1972 का अध्यावेदन मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

भारतीय उर्वरक निगम द्वारा उर्वरक के अधिकृत एजेंटों तथा विक्रयकर्ताओं की नियुक्ति

1214. **श्री बसन्त साठे** : क्या **पैट्रोलयम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न राज्यों में राज्यवार भारतीय उर्वरक निगम ने रसायनिक उर्वरक के कितने अधिकृत एजेन्टों/वितरकों अथवा विक्रय कर्त्ता की नियुक्ति की है ;

(ख) एजेन्टों और वितरकों/विक्रय कर्त्ताओं का चुनाव करने/नियुक्ति करने के लिये क्या सामान्य कसौटी अपनाई जाती है ;

(ग) क्या ऐसी डीलरशिप का कुछ प्रतिशत भूतपूर्व सैनिकों, बेकार तकनीकी स्नातकों के लिये आरक्षित है ; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में कितने व्यक्तियों को डीलरशिप दी गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रखी जयेगी ।

केरल में बिजली परियोजनाएं

1216. **श्री बयालार रवि** : क्या **सिंचाई और विद्युत् मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्माण के विभिन्न स्तरों में चल रही केरल की विभिन्न बिजली परियोजनाओं के नाम क्या हैं और उनमें से प्रत्येक के अनुमानतः कब तक पूरे हो जाने की संभावना है ; और

(ख) इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने में क्या कठिनाइयां महसूस की जा रही हैं और इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) केरल में कार्यान्वयनाधीन केवल एक ही विद्युत परियोजना है जिसका नाम इंदिरा की जल विद्युत परियोजना है । इस परियोजना में 68.20 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 130-130 मै० के तीन यूनिटों के प्रतिष्ठापन की परिकल्पना की गई है जब कि प्रथम युनिट मार्च, 1975 तक चालू होना अनुसूचित है, दूसरी और तीसरी यूनिटों के क्रमशः जून और अक्तूबर 1975 में चालू होने की संभावना है ।

(ख) परियोजना पर कार्य बार-बार होने वाली श्रमिक अशान्तियों तथा धन की कमी होने के कारण पीछे पड़ा है । प्रथम यूनिट को अनुसूचित तारीख तक पूर्ण करने के उद्देश्य से 1972-73 के दौरान, राज्य योजना में दिए गए आवंटन के अतिरिक्त, राज्य सरकार को 3 करोड़ रुपए की सहायता दी गई थी ।

Bomb found on Track near Dabra Tehsil in Gwalior District in June, 1973

1217. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether some powerful bombs were found lying on the Railway track near Dabra Tehsil in Gwalior District in the second half of June, 1973 and

(b) whether, as a result of the inquiry that has been conducted, the bombs are reported to have been made at some ordnance factory in India or at some foreign ordnance factory ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) Six shells (three with caps and three without caps) were found near the track between Dabra and Antpeth Railway Stations on 23-6-1973.

(b) The local police authorities have been asked to investigate into this.

Cancellation of Trains and loss suffered due to Railway Track having been covered with sand in Bikaner Division (Northern Railway)

1218. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Railway traffic came almost to a standstill during June, 1973 due to Railway track in Bikaner Division having been covered with sand ;

(b) the number of trains which had to be postponed as a result thereof; and

(c) the estimated loss suffered by Government on this account ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) Yes, on Hanumangarh-Sadulpur, Hanumangarh-Bikaner, Canal Loop and Lalgarh-Kolayat sections of Bikaner Division.

(b) One pair of passenger train was cancelled on its entire run and nine other pair of passenger trains were suspended on part of their run on some days during June, 1973. The movement of goods traffic was also suspended on different sections for varying durations.

(c) Rs. 13.04 lakhs approximately.

औषधि निर्माता फर्मों को गैर-कानूनी ढंग से जारी किये गए अनुमति पत्र

1219. **श्री के० एस० चावड़ा** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान औषधि निर्माता फर्मों को कुछ औषधियों का निर्माण करने के लिये कोई अनुमति पत्र जारी किये गये थे ;

(ख) क्या ये अनुमति पत्र गैर-कानूनी थे और ऐसे पत्रों का जारी किया जाना अनधिकृत था; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उन परिस्थितियों को निष्पक्ष जांच कराने का है, जिनके अधीन उक्त पत्र जारी किये गये थे ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) औद्योगिक लाइसेंसों तथा पंजीकरण के अलावा डी. जी. टी. डी. द्वारा कोई अनुमति पत्र जारी नहीं किये गये हैं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

मैसर्स होयस्ट फार्मेस्युटिकल्स लिमिटेड को सप्लाई की गई एनेलजीन के आयात पर खर्च की गई विदेशी मुद्रा

1220. **श्री के० एस० चावड़ा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री 27 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4743 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स होयस्ट को सप्लाई करने हेतु 10 टन एनेलजीन को विमान द्वारा भेजने पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई ;

(ख) क्या विदेशी मुद्रा खर्च करने के लिये वित्त मंत्रालय की अनुमति प्राप्त कर ली गई थी ;

(ग) जिस दिन 10 टन एनेलजीन को विमान द्वारा भेजे जाने का निर्णय किया गया था, उस दिन इण्डियन ड्रग्स एंड फार्मस्यूटिकल्स लिमिटेड के पास ऐनेलजीन का कितना भंडार था ; और

(घ) क्या आयात से पूर्व इंडियन ड्रग्स फार्मस्युटिकल्स लिमिटेड के साथ परामर्श किया गया था और उसकी सिफारिश क्या थी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) मैसर्स होयस्ट को सप्लाई किए गये 10 मीटरी टन एनेलजीन को विमान द्वारा भेजने पर 1.36 लाख रुपये की कुल अतिरिक्त विदेशी मुद्रा व्यय हुई । यह व्यय भार राज्य व्यापार निगम ने अपने प्रपुंज आयात लाइसेंस के द्वारा उठाया गया जिसमें भाड़े की लागत की व्यवस्था है ।

(ग) और (घ) आई० डी० पी० एल० (इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि०) ने मैसर्स मेचस्ट के खर्च पर 10 मीटरी टन एनेलजीन के विमान द्वारा उठाये जाने की सिफारिश की थी क्योंकि आई० डी० पी० एल० के पास उस समय केवल 228 किलोग्राम का संचय (स्टाक) था ।

नागालैंड के भाण्डरू क्षेत्र में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा सर्वेक्षण

1221. **श्री धर्मराव अफजल पुरकर** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम की सीमा के निकट नागालैंड के भाण्डरू क्षेत्र में तेल के लिये तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने कोई सर्वेक्षण किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) जी हां । दृश्यांश चट्टानों के स्तर विन्यास संरचना और अन्य भूगर्गीय गुणों के अध्ययन करने के लिये वाखा रोड़ और गरापानी के बीच बरास्ता भण्डारी स्तर भूगर्गीय चित्रण किया गया है । ये चट्टानें इओसिन से वाईओसिन युग तक के पाये गये हैं । वैरल और टिपम चटानें जो असम प्रमुख तेल युक्त चटानें हैं इस क्षेत्र में अनावृत पाई गयी है ।

औषध निर्माता कम्पनियों के लिये निर्यात अनिवार्य करना

1222. **श्रीमती ज्योतस्ना चन्दा** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ बड़ी भारतीय औषधि निर्माता कम्पनियों तथा अधिकतर विदेशी औषध निर्माता कम्पनियों से एक 'बोण्ड' भरने के लिये कहा गया है जिसमें उनके विस्तृत उत्पादन के 30 से 60 प्रतिशत तक उत्पादन को अनिवार्यतः निर्यात किया जाना है यद्यपि उन्हें 2 फरवरी, 1973

को घोषित की गई औद्योगिक नीति की अनुसूची 1 में सम्मिलित किया गया है जिसके द्वारा वे ऐसे उद्योगों में योगदान देने तथा ऐसे उद्योग स्थापित करने के हकदार हैं जो किसी प्रकार के निर्यात दायित्व के बिना राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के लिये महत्वपूर्ण हैं ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि 30 से 60 प्रतिशत तक निर्यात की व्यवस्था से औद्योगिक उत्पादन में बाधा पड़ेगी ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि विस्तृत उत्पादन में से निर्यात अनिवार्यता घटाकर 10 प्रतिशत की जाए ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ।

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) फरवरी 1973 में संशोधित औद्योगिक नीति के घोषणा की उपरान्त भारतीय औषधि निर्माता कम्पनियों पर विस्तृत उत्पादन का 30 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक के निर्यात की बाध्यता नहीं है । परन्तु ऐसे उपक्रमों जिन में अधिकांश विदेशी पूंजी है, के संबंध में इस प्रकार की निर्यात बाध्यता लागू होती है चूंकि संशोधित औद्योगिक नीति में, निर्यात संभावनाओं को ध्यान में रख कर ऐसी बाध्यता की अनुज्ञा है ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

पाराद्वीप पत्तन पर उर्वरक कारखाने की स्थापना

1223. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री गिरिधर गोमांगो :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में पाराद्वीप पत्तन पर स्थापित किये जाने वाला तटीय उर्वरक कारखाना आयातित कच्चे माल पर आधारित होगा ;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में विदेशी मुद्रा की आवश्यकता का कोई अनुमान लगाया है; और

(ग) सरकार ने उक्त कारखाने की स्थापना के लिये अपेक्षित विदेशी मुद्रा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोयिलम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) पारादीप में एक उर्वरक परियोजना की स्थापना के बारे में सरकार को हाल ही में एक तकनीकी-आर्थिक संम्भाव्य रिपोर्ट प्राप्त हुई है । विदेशी मुद्रा अंश तथा वित्तीय व्यवस्था करने के स्त्रोत आदि दोनों पहलुओं के साथ-साथ रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है ।

इन परियोजना में ईंधन तेल पर आधारित अमोनिया तथा आयातित एक फास्फेट एवं सल्फर पर आधारित सम्मिलित उर्वरकों का उत्पादन किया जाना निहित है । उर्वरक संभरण सामग्री के रूप में इस्तेमाल करने के लिए ईंधन तेल की घरेलु उपलब्धि का अन्तर आयात से पूरा किया जायेगा ।

भारतीय उर्वरक निगम के एक निदेशक को फ्रेंकफर्ट में रसायन इंजीनियरों के योरोपीय सम्मेलन में भाग लेने का आमंत्रण

1224. **श्री समर गुह** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम के एक निदेशक डा० एस० के० मुखर्जी को फ्रेंक्फर्ट में आयोजित होने वाले रसायन इंजीनियरों के त्रिवार्षिक योरोपीय सम्मेलन में (एक माननीय कांग्रेसी सदस्य) के रूप में भाग लेने के लिये आमंत्रित किया गया था ;

(ख) क्या ऐसे विशेष अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में केवल एक ही भारतीय रसायन इंजीनियर को आमंत्रित किया गया था ;

(ग) क्या इस सम्मेलन में विश्व भर के प्रसिद्ध रसायन इंजीनियरी विशेषज्ञों ने भाग लिया था ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार नया भारतीय उर्वरक निगम ने उनके भाग लेने में बाधा डाली थी ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस मामले संबंधी तथ्य तथा डा० मुखर्जी द्वारा उस अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग न लिये जाने के कारण क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) भारत से कोई अन्य कैमिकल इंजीनियर को इस कांग्रेस सम्मेलन में उसी हैसियत से जिस हैसियत सें डा० मुखर्जी को आमंत्रित किया गया था, को आमंत्रित करने के बारे में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है। सामान्यत सम्मेलन में उपस्थिति ठीक रही ।

(घ) और (ङ) सरकार ने डा० मुखर्जी द्वारा व्यक्तिगत हैसियत से निमंत्रण स्वीकार किये जाने पर तथा इस संबंध में उनके द्वारा दिये गये निःशुल्क मार्गव्यय के प्रयोग पर कोई आपत्ति नहीं की ।

तारापुर परमाणु केन्द्र से बिजली सप्लाई करने वाले ट्रांसमिशन फीडर में दोष

1225. **श्री प्रभुदास पटेल** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य को जहां पहले ही बिजली की कमी थी, जून 1973 में तारापुर परमाणु केन्द्र से राज्य को बिजली सप्लाई करने वाले ट्रांसमीशन फीडर में गंभीर संकट के कारण और अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था ; और

(ख) यदि हां, तो इस संकट के कारण का पता लगाने तथा संयंत्र के कार्य में सुधार लाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) तारापुर परमाणु ऊर्जा केन्द्र से विद्युत प्रदाय करने वाले पारेषण पोषकों पर ट्रिपिंग के कारण गुजरात राज्य में विद्युत की कोई भारी कमी नहीं हुई।

(ख) रोधकों पर प्रदोषण के कारण, पारेषण लाइनों में ट्रिपिंग हो जाती है । पारेषणों लाइनों में खराबियों की जांच करने तथा ऐसी खराबियों के पुनरार्वतन को रोकने के लिए लघु-कालीन तथा दीर्घकालीन उपाय सुझाने के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष ने एक तदर्थ समिति का गठन किया है । समिति ने अभी तक अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है ।

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में फरक्का की गंगा डाउन स्ट्रीम के भूक्षरण का नियंत्रण

1226. **श्री सरोज मुखर्जी :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूंजी लगाने संबंधी तकनीकी बातों में केन्द्र सरकार तथा पश्चिम बंगाल सरकार के मध्य असहमति होने के कारण पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में फरक्का की गंगा डाउन स्ट्रीम के भूरक्षण को नियंत्रित करने की योजना ठप्प हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो किन बातों को लेकर असहमति है तथा इस समस्या को हल करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) नदी कटाव का नियंत्रण राज्य योजना में बाढ़ नियंत्रण सैक्टर का एक भाग होता है । चौथी योजना के दौरान योजना स्कीमों की वित्त व्यवस्था के लिए अपनाए गए तरीके के अनुसार केन्द्रीय वित्तीय सहायता ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है जो किसी खास विकास के शीर्ष या स्कीम से जुड़ी हुई नहीं होती । राज्य सरकार प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न सैक्टरों या विशेष स्कीमों के लिए परिव्यय आवंटित कर सकती है । अतः मुर्शिदाबाद जिले में फरक्का के अनुप्रवाह में गंगा द्वारा कटाव के नियंत्रण की स्कीम के लिए अपेक्षित धन की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जानी है ।

बहरहाल, पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने 1973 की बाढ़ों से पूर्व पूर्ण किए जाने वाले कार्यों के कार्यान्वयन के लिए 1.25 करोड़ रूपए की तदर्थ सहायता के लिए अनुरोध किया था । अनुरोध की जांच की गई थी और यह विचार किया गया कि कटाव-रोधी कार्यों के कार्यान्वयन के लिए, जो कि राज्य योजना में बाढ़ नियंत्रण सैक्टर का एक भाग है, धन राज्य सरकार द्वारा जुटाया जाना चाहिए और तत्काल कार्यों के लिए अपेक्षित परिव्यय 1973–74 की राज्य योजना में कुछ अदल-बदल करके पूरा किया जा सकता है । यह राज्य सरकार को बता दिया गया है ।

राज्य सरकार ने सूचित किया है कि तत्काल कार्यों का बृहत् भाग पूर्ण किया जा चुका है और शेष प्रगति पर है ।

Enquiry into Bungling in the Implementation of Gandak Project

1227. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Irrigation & Power** be pleased to state :

(a) whether the Prime Minister had asked him to make an enquiry into the alleged bungling in the implementation of the Gandak Project ;

(b) whether he has completed the enquiry ; and

(c) if so, the findings thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation & Power (Shri Balgovind Verma):

(a) No Sir.

(b) and (c) Do not arise.

रेलवे पासों के दुरुपयोग के बारे में पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक के विरुद्ध शिकायत

1228. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे पासों के दुरूपयोग के बारे में पूर्व रेलवे के महाप्रबन्धक के विरूद्ध हाल ही में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : मामले की जांच हो रही है ।

चौथी योजना में सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिये उड़ीसा द्वारा वित्तीय सहायता मांगा जाना

1229. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चौथी योजना के अन्त तक शेष सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए उड़ीसा सरकार ने कुल कितने धन की मांग की है ; और

(ख) सरकार ने इसके लिए कितने धन की मंजूरी दी है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविंद वर्मा) : (क) उड़ीसा सरकार ने 26 लघु सिंचाई स्कीमों के लिए 3.20 करोड़ रुपये और 9 माध्यम सिंचाई स्कीमों के लिए 3.52 करोड़ रुपये को विशेष सहायता के लिए अनुरोध किया है । 8 मध्यम स्कीमों में से सलिया, बहुआ (चरण-एकक), बधुआ, सालकी, पोतमहल और हिरधाखती नामक 6 स्कीमें राज्य सरकार द्वारा मांगी गई केन्द्रीय सहायता के साथ चतुर्थ योजना के अन्त तक स्वीकृत होनी प्रस्तावित हैं और शेष तीन स्कीमों के नामशः घोड़ाहाडो, उदई और दाहूका के केन्द्रीय सहायता के साथ भी पांचवीं योजना में चले जाने का राज्य सरकार द्वारा अनुमान लगाया गया है ।

(ख) इस समय योजना आयोग इन प्रस्तावों पर विचार कर रहा है ।

त्रिपुरा में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के परियोजना मैनेजर के विरूद्ध शिकायत

1230. **श्री दशरथ देव :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या त्रिपुरा में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के परियोजना मैनेजर के विरूद्ध कोई शिकायत उनके मंत्रालय को प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की शिकायत की गई है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) अधिकारी के खिलाफ जो कुछ व्यक्तिगत आरोप लगाये गये हैं उन्हे तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के अध्यक्ष को, रिपोर्ट देने हेतु भेजे गये हैं । मंत्रालय में हाल ही में यह रिपोर्ट (सूचना) प्राप्त हुई है ।

लाभ अनुपात की 'कन्डीशन' को महाराष्ट्र में देवगढ़ नदी परियोजना पर से हटाना

1231. **श्री मधु दंडवते** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पिछड़े क्षेत्रों के मामले में इस 'कन्डीशन' को हटाने का है कि सिंचाई परियोजनाओं के लिए लाभ अनुपात 1.5 प्रतिशत होना चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो क्या महाराष्ट्र में देवगढ़ नदी परियोजना को इस लाभ अनुपात शर्त में छूट देने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि देवगढ़ परियोजना का प्रारंभिक सर्वेक्षण अप्रैल, 1971 में किया गया था और इस परियोजना की लागत 10.73 करोड़ रूपये आंकी गई थी और इसका लाभ लागत अनुपात 0.61 : 1 है । क्योंकि वित्तीय व्यवहार्यता के लिए नियत मापदण्ड लाभ लागत अनुपात का 1.5 और इससे अधिक है, देवगढ़ परियोजना राज्य सरकार द्वारा आर्थिक दृष्टि से अव्यवहार्य समझी गई है । महाराष्ट्र सरकार ने बताया है कि वर्तमान प्रतिमानों को शिथिल करने के लिए कोई प्रस्ताव उनके विचाराधीन नहीं है ।

वेस्ट कोस्ट एक्सप्रैस गाड़ी का चलना

1232. **श्री सी० एच० मोहम्मद कोया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971–72 में कितने यात्री वेस्ट कोस्ट एक्सप्रैस से फरोक स्टेशन पर चढ़े तथा उतरे ;

(ख) क्या उक्त रेलगाड़ी को तिरूर पर रोकने की मांग की गई है ;

(ग) इस मांग को न मानने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या उक्त रेलगाड़ी मालापुरम जिले के किसी स्टेशन पर रूकती है, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) नं० 27/28 वेस्ट कोस्ट एक्सप्रैस गाड़ियां फरोक स्टेशन पर नहीं रोकी जाती । इसलिए फरोक स्टेशन पर इन गाड़ियों में यात्रियों के चढ़ने-उतरने का प्रश्न नहीं उठता ।

(ख) और (ग) 5-7-1973 से 27/28 वेस्ट कोस्ट एक्सप्रैस गाड़ियों को तिरूर स्टेशन पर ठहराने की व्यवस्था कर दी गयी है ।

(घ) जी हां, मलप्पुरम जिले में तिरूर स्टेशन पर ।

Request to Prime Minister by M.Ps. for settlement of Sone River Water Dispute

1233. **Shri M. S. Purty:** Will the Minister of **Irrigation & Power** be pleased to state:

(a) whether some Members of Parliament have requested the Prime Minister to intervene in the Sone River Water dispute in order to safe-guard the interests of Bihar; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation & Power (Shri Balgovind Verma): (a) No such written request has been received.

(b) Discussions on the Bansagar Project and the Sone waters have been held with the Governments of Bihar, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh and efforts continue to be made to evolve proposals which might be acceptable to all the three States, and it is hoped that a settlement will be arrived at amongst the States in the near fuure.

एकाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति में विलम्ब

1234. **श्री यमुना प्रसाद मंडल**: क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त करने में विलम्ब होने के कारण निर्बन्धक व्यापार प्रक्रियाओं के मामलों के बारे में आयोग का कार्य रूक गया है ; और

(ख) यदि हां, तो अध्यक्ष की नियुक्ति में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : (क) तथा (ख) निर्बन्धन कारी व्यापार प्रथाओं के मामलों पर एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग का कार्य, अध्यक्ष की नियुक्ति में विलम्ब के कारण रुका नही । नये अध्यक्ष ने 23 जुलाई, 1973 को कार्य-भार ग्रहण कर लिया है ।

बिजली पैदा करने वाले एककों के लिए नए आयातित उपकरणों का प्रयोग न करना

1235. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **सिंचई और विद्युत मंत्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली पैदा करने वाले एककों के लिए आयत किए गए बड़ी संख्या में, उपकरणों का प्रयोग परियोजना कार्यों में करने के उपरांत अब नहीं किया जा रहा है ;

(ख) क्या देश में बिजली कम पैदा होने का एक मुख्य कारण ऐसे उपकरणों का प्रयोग न करना है ; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा): (क) जब तक सिविल कार्यों में विलम्ब के करण इरेक्शन निलंबित है लोअर सिलेरू (2—100 मेगावाट) और इदिक्की (3—130 मेगावाट) के लिए उपस्करों को स्टोर में जाना था । : सके अतिरिक्त कोसी जल विद्युत

परियोजना (1—5 मेगावाट) की यूनिट में से एक के लिए उपस्कर का इरेक्शन नहीं किया जा सका क्योंकि पाकिस्तान द्वारा जब्त किए गए पुर्जों के लिए प्रस्तस्थापन निर्माताओं से प्राप्त नहीं हुए हैं ।

(ख) सिविल कार्यों में विलम्ब और इसके परिणामस्वरूप विद्युत परियोजनाओं के उपस्कर के इरेक्शन में विलम्ब देश में विद्युत उत्पादन की कमी के कारणों में से एक है ।

(ग) विभिन्न परियोजना स्थलों पर सिविलि कार्यों में शीघ्रता लाई जा रही है । सीमेंट, इस्पात इत्यादि जैसी दुर्लभ सामग्रियों के लिए विशेष रूप से प्रबंध किया जा रहा है ।

कटक-पारादीप रेल टर्मिनस और अयस्क को चढ़ाने उतारने के स्थान को पोर्ट रेलवे से जोड़ने का कार्य पूरा करना

1236. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान कटक-पारादीप रेल टर्मिनस और अयस्क चढ़ाने-उतारने के स्थान को पोर्ट रेलवे से जोड़ने का कार्य कब पूरा हो जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : अपेक्षित निर्माण कार्य पूरे कर लेने के बाद कटक-पारादीप रेलवे लाइन को 9—7—1973 से अयस्क यातायात के लिए खोल दिया गया है ।

भाप से चलने वाले इंजनों के निर्माण के बारे में विवाद

1237. **श्री वी० मायावान :**

श्री पी० ए० सामिनाथन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में भाप से चलने वाले इंजनों के निर्माण के बारें में जिनका निर्माण वर्ष 1972 में बंद कर दिया गया था, विवाद चल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस विवाद के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक कर लिया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कैप्रोलक्टम के आयात के लिए व्यय की गई विदेशी मुद्रा

1238. **श्री मधु लिमये** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि गुजरात राज्य उर्वरक कम्पनी लिमिटेड के कैप्रोलैक्टम परियोजना को चालू करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप कैप्रोलैक्टम के आयात में कितनी मुद्रा व्यय की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय म उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : यह अनुमान है कि गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कम्पनी की कैप्रोलैकटम परियोजना के कार्यक्रम में 8 महीनों का विलम्ब होगा । परियोजना के जुलाई 1973 में कार्यन्वित किये जाने का कार्यक्रम था और कार्यक्रम में इस विलम्ब के कारण अभी तक कोई आयात किये जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी ।

यदि कैप्रोलैकटम पर आधारित स्थापित क्षमता का अधिकतम स्तर पर हिसाब लगाया जाये तो अनुमान है कि आठ महीनों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिये 12,800 मीटरी टन कैप्रोलैकटम के आयात करने की आवश्यकता होगी । विश्व बाजार में कैप्रोलैकटम की वर्तमान कमी के कारण इसके मूल्य स्थिर नहीं है और तदनुरूप विदेशी मुद्रा संबंधी आवश्यकताओं को किसी रकम का संकेत करना कठिन है ।

पंपिंग सैटों का यंत्रीकरण तथा गांवों का विद्युतीयकरण

1239. **श्री मधु लिमये** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि ग्यारह राज्यों में पम्पिंग सैटों के लिये विद्युत प्रदान करने तथा ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्यक्रम कुछ पीछे पड़ गया है तथा वहां इस कार्य की गति राष्ट्रीय औसत से कम है ;

(ख) यदि हां, तो विद्युतीकृत पम्पिंग सैटों की, राज्यवार संख्या क्या है तथा इस समय राज्यवार कितने प्रतिशत तथा कुल कितने गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है ; और

(ग) इस कमी को पूरा करने तथा इस संबंध में संतुलित विकास का लक्ष्य पूरा करने हेतु क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) 12 राज्यों अर्थात् असम, बिहार, जम्मू व कश्मीर, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में ग्राम विद्युतीकरण की प्रगति अखिल भारतीय औसत 24.8 प्रतिशत से कम है ।

(ख) 31-5-1973 को गांवों के विद्युतीकरण और पंप सैटों के ऊर्जन के संबंध में इन राज्यों में उपलब्ध की गई प्रगति नीचे दी गई है :—

क्रम सं०	राज्य का नाम	गांवों की कुल सं०	31-5-73 को विद्युतीकृत गांव	31-5-73 को विद्युतीकृत गांवों का प्रतिशतांश	31-5-73 को ऊर्जित पंप सेटों की संख्या
1.	असम	20,565	677	3.3	105
2.	बिहार	67,665	8,717	12.9	82,844
3.	जम्मू व कश्मीर	6,559	829	12.6	326
4.	मध्य प्रदेश	70,414	9,933	14.1	1,14,808
5.	मणिपुर	1,866	205	10.9	—
6.	मेघालय	4,407	71	1.7	—
7.	नागालैंड	814	85	10.4	1
8.	उड़ीसा	46,466	6,366	13.7	2,075
9.	राजस्थान	32,241	4,912	15.2	66,830
10.	त्रिपुरा	4,932	97	1.9	36
11.	उत्तर प्रदेश	1,12,624	27,130	24.1	2,03,105
12.	पश्चिम बंगाल	38,454	6,548	17.0	1,748

(ग) ग्राम विद्युतीकरण के बारे में कार्यक्रम राज्य सरकारों द्वारा तैयार किया जाता है और इसका निष्पादन उनके राज्य बिजली बोर्डों के जरिए किया जाता है । यह विभिन्न घटकों जैसे, विद्युत की उपलब्धता, ग्राम क्षेत्रों में पारेषण और वितरण तार-जाल, भू-भाग, संसाधनों, संगठनात्मक संरचना इत्यादि पर निर्भर करता है । तदनुसार देश में सभी राज्यों में ग्राम विद्युतीकरण के मामले में एक समान उन्नति नहीं हो सकती ।

ग्राम विद्युतीकरण के लिए योजनाएं विभिन्न राज्यों द्वारा तैयार और कार्यान्वयन की जाती हैं तथा इनके लिए धन राज्य योजना परिव्यय से और वित्तीय व्यवस्था करने वाले संस्थानों जैसे जीवन बीमा निगम, वाणिज्यिक बैंकों, कृषि वित्त/पुनर्वित्त निगम इत्यादि से लिया जाता है। वित्तीय व्यवस्था करने वाले संस्थानों द्वारा ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रमों के लिए दिए गए धन राज्य योजना परिव्यय के बाहर होते हैं। उन राज्यों में, जो अखिल भारतीय औसत से नीचे हैं, ग्राम विद्युत्तीकरण की प्रगति को तीव्र करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। चतुर्थ योजना में अधिक परिव्यय किया गया है। इसके अतिरिक्त, ग्राम विद्युतीकरण निगम, जिसकी स्थापना केंद्रीय क्षेत्र में की गई है, राज्य विद्युत बोर्डों की ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के कार्यान्वयनार्थ योगात्मक धनराशि की व्यवस्था करता है। निगम पिछड़े हुए राज्यों तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों में स्कीमें स्वीकृत करने पर अधिक से अधिक बल दे रही है। निगम द्वारा अब तक स्वीकृत 465 स्कीमों में से 248 स्कीमें उन राज्यों से संबंधित हैं जो पिछड़े हुए हैं तथा ग्राम विद्युतीकरण के मामले में अखिल भारतीय औसत से नीचे हैं। 247.05 करोड़ रुपये की कुल ऋण सहायता के प्रति 135.76 करोड़ रुपये की धनराशि इन राज्यों के लिए स्वीकृत की गई है।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान देश में प्रत्येक राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का कम से कम 30 से 40 प्रतिशत के लिए विद्युत का लाभ पहुंचने का प्रस्ताव है। इस कार्यक्रम से पिछड़े हुए राज्यों में ग्राम विद्युतीकरण के स्तर कों ऊंचा करने में सहायता मिलेगी।

पारेषण तथा वितरण के दौरान बिजली की हानि

1240. **श्री मधु लिमये** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़े देशों में पारेषण तथा वितरण के दौरान बिजली की हानि केवल 5.7 से 12 प्रतिशत तक होती है;

(ख) क्या भारत में यह हानि 18 से 25 प्रतिशत तक है;

(ग) क्या पंजाब में यह हानि और भी अधिक अर्थात् 34 प्रतिशत है;

(घ) यदि हां, तो इतनी बड़ी मात्रा में हानि होने के क्या कारण हैं; और

(ङ) बिजली के पारेषण और वितरण के दौरान होने वाली इस हानि को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) कुछ उन्नत देशों में पारेषण तथा वितरण में विद्युत की क्षति 8 प्रतिशत से 12 प्रतिशत तक है।

(ख) भारत में उपर्युक्त क्षति कुल पारेषित ऊर्जा का 17.5 % है।

(ग) जी, हां।

(घ) तथा (ङ) क्योंकि कुछ ऊर्जा का विद्युत के पारेषण की प्रक्रिया में उपयोग हो जाता है; क्षति का कुछ भाग पारेषण विद्युत में अन्तर्विहित है। कम विद्युत अनुपात के साथ ग्राम्य भारों के वृहत् ब्लाक के कारण अधिक क्षति होती है। पंजाब में क्षति के आंकड़ों में उन असंख्य कृषि संबंधी भारों को ऊर्जा की सप्लाई भी शामिल है जिनमें मीटर नहीं लगे हैं। ऊर्जा की चोरी भी कुछ सीमा तक अधिक क्षति का कारण है। पंजाब राज्य बिजली बोर्ड ने कुछ उपकेन्द्रों में कैपेसीटर्स की स्थापना

की है और उन्हें अन्य उपकेन्द्रों में भी प्रतिष्ठापित करने का आयोजन कर रहा है ताकि विद्युत अनुपात में सुधार हो और जिससे पारेषण क्षति में कमी होगी । राज्य में लम्बी 11 के० वी० (60 से 80 किलोमीटर तक) पारेषण लाइनें हैं । वे अब ई० एच० वी० लाइनों को बढ़ाने की योजना बना रहे हैं ताकि पृथक 11 के० वी० लाइनों की लम्बाई 23 किलोमीटर तक सीमित की जा सके । चोरी को रोकने के लिए बोर्ड का प्रवर्तन स्टाफ समय-समय पर आकस्मिक छापे मारता हैं ।

सम्पूर्ण रूप से देशीय औषध निर्माता एककों को जारी किये गये सी० ओ० बी० लायसेंस.

1241. **श्री के० एस० चावड़ा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सम्पूर्ण रूप से देशीय औषध निर्माता एककों को कितने सी० ओ० बी० लायसेंस जारी किये गये तथा ऐसे लायसेंसों के लिये सरकार के पास कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन पड़े हैं ;

(ख) उन एककों के नाम तथा उनके द्वारा उत्पादित मदों के नाम क्या हैं, प्रत्येक मद के संबंध में उनकी कितनी क्षमता है और वर्ष 1971 तथा 1972 में उनका उत्पादन कितना रहा ;

(ग) क्या उनकी अनुमोदित क्षमता उनको सी० ओ० बी० लायसेंस जारी होने के पूर्व के तीन वर्षों के वास्तविक उत्पादन पर आधारित है अथवा स्वयं आवेदकों द्वारा बताये गये उत्पादन के आधार पर आधारित है ; और

(घ) आवेदकों द्वारा बताये गये उत्पादन के आंकड़ों की किस प्रकार जांच की जाती है तथा क्या कुछ मदों का उत्पादन लायसेंस में निर्धारित क्षमताओं के संदर्भ में अनाधिकृत अथवा अधिक पाया गया ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलवीर सिंह) : (क) सम्पूर्ण रूप से देशीय औषध निर्माता एककों, जिनमें विदेशी साम्य पूंजी नहीं लगी हुई है, को 3 सी० ओ० बी० लाइसेंस दिए गए । 5 आवेदन-पत्र, जो सब 1973 में प्राप्त हुए थे, सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) और (ग) एक विवरण-पत्र संलग्न है । [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 5248/73]

(घ) आवेदन-पत्रों पर आवेदनकर्त्ताओं द्वारा सूचित किए गए उत्पादन आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए, तकनीकी सलाहकारों द्वारा विचार-विमर्श करने के बाद निर्णय लिया जाता है । अनाधिकृत उत्पादन नहीं हुआ है ।

अनुमति-पत्रों के आधार पर औषध निर्माता फर्मों द्वारा कतिपय औषधियों का उत्पादन

1242. **श्री के० एस० चावड़ा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ औषध निर्माता फर्मों उनको जारी किये गये अनुमति-पत्रों के आधार पर कतिपय औषधियों का उत्पादन कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलवीर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) अनुमति-पत्र सरकार द्वारा जारी किये गये थे ।

विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा अर्जित लाभों का बाहर भेजा जाना

1244. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक विदेशी तेल कम्पनी ने गत तीन वर्षों में वर्षवार कुल तथा शुद्ध कितना लाभ कमाया ;

(ख) प्रत्येक कम्पनी ने गत तीन वर्षों में, वर्षवार प्रत्येक शीर्ष के अधीन कुल कितना लाभांश बाहर भेजा ; और

(ग) इन कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण के बारे में वस्तुतः सरकार द्वारा कब तक अन्तिम निर्णय किये जाने की अपेक्षा है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) इस मामले पर अभी भी विचार किया जा रहा है और इस वर्ष के अन्त तक कोई निर्णय ले लिये जाने की आशा है ।

पश्चिमी बंगाल में गांवों का विद्युतीकरण

1245. **श्री ज्योतिर्मय वसु** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में अप्रैल, 1972 तथा अप्रैल, 1973 के बीच कुल कितने गांवों को बिजली पहुंचाई जानी थी ;

(ख) वहां प्रत्येक जिले के कितने गांवों को इस अवधि के दौरान वस्तुतः बिजली पहुंचाई गई ;

(ग) 31 मार्च, 1973 तक पश्चिम बंगाल में कुल कितने गांवों को तथा कुल गांवों की संख्या के किस अनुपात को बिजली पहुंचाई गई ; और

(घ) क्या सीमेंट तथा इस्पात की कमी के कारण पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विद्युतीकरण की प्रगति को आघात पहुंचा है और यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) पश्चिम बंगाल बिजली बोर्ड ने 1972-73 के दौरान 3,500 ग्रामों का विद्युतीकरण करने की योजना बनाई थी ।

(ख) 1972-73 के वर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल में 2,209 ग्राम विद्युतीकरण किए गए थे । इन ग्रामों का जिला-वार ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

दार्जलिंग . .	18
जलपाइगुड़ी .	6
कूच बिहार . . .	53
पश्चिम दिनाजपुर . . .	66
माल्दा . . .	162
मुर्शिदाबाद . .	173
नदिया	130
24-परगना .	261
कलकत्ता	—
हावड़ा	87
हुगली	220
बुर्दवान	237
बीरभूम	141
बंकुरा	149
मिदनापुर	412
पुरूलिया	94
कुल	2,209

(ग) पश्चिम बंगाल में 38,454 ग्रामों में से 5,537 ग्राम, जो कि कुल ग्रामों का 14.4 प्रतिशत है, 31-3-1973 तक विद्युतीकृत किए गए थे ।

(घ) पश्चिम वंगाल राज्य बिजली बोर्ड ने सूचित किया है कि उन्हें ग्राम विद्युतीकरण से संबंधित कार्यों के कार्यान्वियन के लिए स्टील, सीमेंट और खम्भों की प्राप्ति में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । बोर्ड ने सामग्रियों की प्राप्ति की समस्या को सुलझाने के मामले को संबन्धित प्राधिकारियों के साथ उच्छाया है ।

ओखला, दिल्ली डिबीजन (उत्तर रेलवे) पर ए०सी०सी० साईडिंग पर लगाया विलम्ब शुल्क

1246. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, मई तथा जून, 1973 के महीनों के दौरान ओखला, दिल्ली डिवीजन मे ए० सी० सी० साइडिंग पर कितनी राशि का विलम्ब शुल्क लगाया गया ;

(ख) उक्त साइडिंग स्वामियों से कितनी राशि वसूल की गई ; और

(ग) ए० सी० सी० साइडिंग अधिकारियों के विकास विलम्ब-शुल्क वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) ए० सी० सी० साईडिंग के लिए ली जाने वाली विलम्ब शुल्क की रकम नीचे बतायी गयी है :—

अप्रैल, 1973	2585.70 रुपये
मई, 1973	5484.60 ,,
जून, 1973	9483.20 ,,

(ख) अभी तक कोई रकम वसूल नहीं की गयी है ।

(ग) सम्बद्ध पक्ष से अभ्यावेदन मिलने के फलस्वरूप रेल प्रशासन ने साईडिंग में माल डिब्बे लगाने से संबंधित पद्धति में संशोधन कर दिया है और तदनुसार 1-4-1973 के बाद की अवधि के विलम्ब शुल्क के बिलों को दुबारा तैयार किया जा रहा है ।

न्यायालयों में निर्णयाधीन पड़े वरिष्ठता संबंधी मामले

1247. **श्री राजदेव सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाप्रबन्धकों को शीघ्र स्थायीकरण किये जाने जैसे विभिन्न मान-दंडों के आधार पर मूल नियमों में संशोधन तथा परिवर्तन करने और तदनुसार वरिष्ठता में परिवर्तन करने के लिए परिपत्र जारी करने का अधिकार प्राप्त है ; और

(ख) वे कौन से डिवीजन हैं जिनके सर्वाधिक वरिष्ठता संबंधी तीन मामले न्यायालयों में निर्णायार्थ पड़े हुए हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) महाप्रबन्धकों को रेलवे बोर्ड द्वारा बनाये गये मूल नियमों में संशोधन या परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है ।

(ख) उत्तर रेलवे में, जिससे कि संभवतः यह प्रश्न संबंधित है, निम्नलिखित तीन मण्डल हैं जिनके वरिष्ठता संबंधी सबसे अधिक मामले न्यायालयों में निर्णयार्थ पड़े हुए हैं :—

(1) दिल्ली मण्डल	25
(2) लखनऊ मण्डल	19
(3) इलाहाबाद मण्डल	18

चौथी योजना में अतिरिक्त विद्युत प्रजनन का लक्ष्य

1248. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 90 लाख किलोवाट अतिरिक्त विद्युत का प्रजनन करने का लक्ष्य रखा गया था ।

(ख) क्या 90 लाख किलोवाट की तुलना में 70 लाख किलोवाट की तुलना में 70 लाख किलोवाट अतिरिक्त विद्युत प्रजनन क्षमता का कार्य भी पूरा नहीं हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो किन-किन राज्यों ने अपना-अपना कोटा पूरा कर दिया है तथा कौन-कौन से राज्य अतिरिक्त क्षमता पैदा करने में पीछे रह गये ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोबिन्द वर्मा) : (क) चौथी योजनावधि के दौरान लगभग 9.2 मिलियन किलोवाट की अतिरिक्त विद्युत जनन क्षमता को चालू करने का लक्ष्य रखा गया है ।

(ख) 1972-73 के अन्त तक लगभग 3.8 मिलियन किलोवाट की अतिरिक्त विद्युत जनन क्षमता को चालू किया जा चुका है और 1973-74 के दौरान लगभग 2.1 मिलियन किलोवाट और क्षमता चालू करना अनुसूचित है ।

(ग) केवल राजस्थान और मध्य प्रदेश ने ही अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया है। अन्य सभी राज्य इसमें पिछड़ गये हैं ।

कच्चे तेल के आयात पर खर्च की जाने वाली अतिरिक्त विदेशी मुद्रा

1249. **श्री एच० एन० मुखर्जी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य पूर्व में कच्चे तेल के मूल्यों में हाल ही में वृद्धि होने के फलस्वरूप भारत को कच्चे तेल आयात करने के लिये अनुमानतः कितनी अतिरिक्त विदेशी मुद्रा, खर्च करनी पड़ेगी ;

(ख) क्या पश्चिम तेल कम्पनियों तथा तेल का निर्यात करने वाली कम्पनियों ने विक्रेता बाजार में अपने मूल्य बढ़ाने के लिए डालर के अवमूल्यन का लाभ उठाया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या भारत ने तेल का निर्यात करने वाले अन्य अत्यधिक त्रस्त देशों के सहयोग से इन बढ़े मूल्यों में कमी कराने के लिये कोई प्रयास किये हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) यू० एस० डालरों को शामिल करते हुए 11 मुद्राओं के संतुलन मूल्य में परिवर्तन किये जाने पर अन्तर्राष्ट्रीय तेल कम्पनियों तथा ओ० पी० ई० सी० के देशों के बीच हुए संशोधित जेनेवा करार के कारण जून, 1973 से कच्चे तेल के दर्ज मूल्यों में लगभग 11.84 प्रतिशत की वृद्धि की गई है । इस करार में तेल का उत्पादन तथा निर्यात करने वाले देशों की आय को बनाये रखने की व्यवस्था की गई है क्योंकि उन के कर उनके कच्चे तेलों, जो यू० एस० डालरों में दर्ज किये जाते हैं, के मूल्यों के आधार पर एकत्र किये जाते हैं । उपरोक्त वृद्धि के कारण वर्ष 1973-74 के दौरान कच्चे तेल के आयात के लिए विदेशी मुद्रा संबंधी आवश्यकताओं में लगभग 18.55 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी।

(ग) भारत ऐसे किसी संस्थान से संबद्ध नहीं होना चाहता जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से तेल का उत्पादन करने वाले देशों का विरोध करने के लिए बनाये गये हैं।

उड़ीसा में देवगढ़ टाउन में बिजली का फेल होना

1250. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा के देवगढ़ कस्बे में बिजली के बार-बार फेल हो जाने का कारण संबंधित विभाग में प्रशासनिक व्यवधान का उचित न होना है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समस्या के स्थायी हल के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोबिन्द वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Destinations of New Trains recently Introduced

1251. **Shri Nathu Ram Ahirwar:** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether some trains have been discontinued during the last few months and at the same time some new trains have been introduced ; and

(b) the destinations of the new trains introduced ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) Yes.

(b) The following additional trains have been introduced during the period from 1st January to 15th July, 1973 :—

(1) A pair of bi-weekly Jayanti Janata Express trains between New Delhi and Mangalore/Cochin Harbour Terminus.

(2) A pair of Express trains between Katihar and Jaynagar/Nirmali *via* Purnea and Darbhanga.

(3) A pair of bi-weekly Janata Express trains between Bina and Lucknow by extending Bombay-Bina Bi-weekly Janata Express.

(4) A pair of fast trains between Buxar and Patna by extending Delhi-Buxar Express/Fast Passenger.

(5) A pair of Passenger Trains between Varanasi and Allahabad City by extending Chupra-Varanasi Passenger.

(6) A pair of passenger trains between Mathura and Kasganj.

(7) A pair of passenger trains between Lumding and Badarpur.

(8) A pair of passenger trains between Rangapara North and Tezpur.

(9) A pair of passenger trains between Adra and Asansol.

(10) A pair of passenger trains between Bhadrak and Nergundi.

(11) A passenger train from Palwal to New Delhi.

(12) A passenger train from Hazrat Nizamuddin to Palwal by extending Hapur-Hazrat Nizamuddin train.

(13) A pair of passenger trains between Bahadurgarh and Sampla by extending Delhi-Bahadurgarh Passenger.

(14) A pair of Diesel Cars between Burdwan and Katwa (Narrow Gauge).

Suspension of Express Trains

1252. Shri Nathu Ram Ahirwar : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether some express trains had recently been suspended ; and

(b) the names thereof and the period for which each train remained suspended and the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railway (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) Yes, Sir.

(b) A statement is enclosed. [Placed in Library. See No. LT 5249/73].

रेलवे सुरक्षा बल तथा इसके गठन संबंधी समस्याओं के अध्ययन के लिए समिति

1253. **श्री प्रसन्न भाई मेहता:**
श्री वीर भद्र सिंह:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने रेलवे सुरक्षा बल की समस्याओं का अध्ययन करने के लिये एक समिति गठित करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के सदस्य कौन-कौन हैं ; और

(ग) यह समिति कब तक अपना प्रतिवेदन पेश करेगी ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी): (क) जी हां । सरकार द्वारा गठित समिति, रेलवे सुरक्षा दल के पुनर्गठन और दल के प्रशासन संबंधी अन्य मामलों के बारे में रेलवे बोर्ड द्वारा किये गये विभिन्न विनिश्चयों का मूल्यांकन करेगी और उन्हें कार्यान्वित करेगी ।

(ख) (i) अपर सदस्य वाणिज्य, रेलवे बोर्ड।

(ii) उप महानिरीक्षक रेलवे सुरक्षा विशेष दल, रेलवे बोर्ड ।

(iii) प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे से सबंधित मामलों के सबंध में प्रत्येक अक्षेत्रीय रेलवे के मुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक और मुख्य सुरक्षा अधिकारी ।

(ग) काम शुरू करने की तारीख से 6 महीने के अन्दर ।

31-7-1973 को दिया जाने वाला उत्तर 'लैक आफ बैगन्स हिट्स बैंटोनाइट मुवमेंट'

1254. **श्री प्रसन्न भाई मेहता**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 जून, 1973 के 'टाइम्स आफ इंडिया' (अहमदाबाद संस्करण) में लेक आफ बेगन हिट्स बैंकोनाइट मुवमेंट शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या रेलवे ने मई, 1972 में भुज से 73 बेगन चलाये तथा मई, 1973 में केवल सात बैंगन ही चलाये; और

(ग) यदि हां, तो बैगनों की सप्लाई में सुधार करने के लिये सरकार क्या कदम उठायेगी ताकि बैंटानाइट को बचाया जा सके तथा इसे समय पर अन्य स्थानों को भेजा जा सके?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी): (क), (ख) और (ग) जी हां। इस्पात कारखानों, रक्षा संस्थानों, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग और सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य उपक्रमों को भेजे जाने वाले बैंटोनाइट को उच्च प्राथमिकता पर ढोया जाता है और संचालन की सामान्य परिस्थितियों में इसकी शीघ्र निकासी की व्यवस्था करने में आमतौर पर कोई कठिनाई नहीं होती। लेकिन निजी लेखे में भेजा जाने वाला बैंटोनाइट ढुलाई की निम्नतम प्राथमिकता अर्थात् मद 'इ' के अन्तर्गत ढोये जाने के लिये अर्ह है। इस क्षेत्र से अनाज, उर्वरक और नमक जैसा उच्च प्राथमिकता वाला यातायात

बहुत अधिक मात्रा में ढोया जाता है और उसके लिये तरजीही आधार पर माल डिब्बों की सप्लाई करनी होती है। इसके अलावा, हाल के महीनों में पश्चिम रेलवे में स्टेशन और लोको कर्मचारियों के आन्दोलन का बैंटोनाइट समेत सभी प्रकार के माल यातायात की निकासी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था।

उपर्युक्त सीमितताओं के बावजूद, मई और जून, 1973 के महीनों में कच्छ क्षेत्र जिसमें भुज और गांधीधाम शामिल हैं, के स्टेशनों से मीटर लाइन के 58 और बड़ी लाइन के 15 माल डिब्बों में बेंटोनाइट का लदान किया गया। चालू महीने में लदान और बढ़ा है और 20-7-73 तक कच्छ क्षेत्र से मीटर लाइन के 58 और बड़ी लाइन के 27 माल डिब्बों में बैंटोनाइट का लदान हो चुका है। बकाया मांगें अधिकाशतः निजी लेखे में हैं।

रेल गाड़ियों में लूट-पाट की घटनाओं में वृद्धि

1255. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**

श्री पी० ए० सामिनाथन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में लूटपाट की घटनायें पुनः बढ़ती जा रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या रेल विभाग रेल गाड़ियों में लूट पाट की बढ़ती हुई घटनाओं को रोकने में असमर्थ रहा है; और

(ग) रेल गाड़ियों में लूटपाट की घटनाओं को रोकने तथा यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रात वाली सभी महत्वपूर्ण यात्री गाड़ियों पर यथा-सम्भव सरकारी

1. रेलवे पुलिस के मार्ग रक्षकों की व्यवस्था की जाती है ताकि प्रभावित क्षेत्रों में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

2. रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों को निदेश दिया गया है कि रेलों पर ऐसी घटनाओं के लिये जिम्मेदार अपराधियों को पकड़ने में सरकारी रेलवे पुलिस और सिविल पुलिस को सक्रिय सहयोग दिया जाये।

3. सरकारी रेलवे पुलिस और सिविल पुलिस के साथ निकट संपर्क कायम रखा जाता है ताकि खंड में सक्रिय बदमाशों पर कड़ी निगाह रखी जा सके।

लाखों टन कोयले के एक स्थान से दूसरे स्थान को परिवहन के लिए तैयार की गई योजनायें

1256. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे द्वारा लाखों टन कोयले के एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन के लिये कई योजनायें तैयार की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उपभोक्ताओं को सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये रेलवे विभाग ने कोयला खान प्राधिकरण के साथ ताल-मेल बना लिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में तैयार की गई योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) (ख) और (ग) यह ज्ञात नहीं है कि मानवीय सदस्य का आशय किन योजनाओं से है। देश के विभिन्न उपभोक्ताओं की मांगों को सन्तोषजनक ढंग से पूरा करने के लिये कोयले के परिवहन की व्यवस्था करने के उद्देश्य से, रेलें सामान्यत: उत्पादकों, अर्थात् कोयला खान प्राधिकारी के परामर्श से कार्रवाई करती है।

उर्वरक करखाने स्थापित करने हेतु वित्तीय तथा तकनीकी सहायता के लिए जापान के साथ बातचीत

1257. **श्री रानेन सेन :**
श्री डी०पी० जदेजा :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में नये उर्वरक कारखानों की स्थापना के लिये वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्राप्त करने हेतु जापान से कोई बात की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) इस बारे में जापान के प्राधिकारियों से विचार-विमर्श किया गया है और उनकी अन्तिम प्रक्रियाओं की प्रतीक्षा की जा रही है।

दामोदर घाटी निगम में वर्ष 1980 में बिजली की कमी

1258. **श्री रानेन सेन** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1980 में दामोदर घाटी निगम में ही 1200 मैगावाट बिजली की कमी हो जाने की संभावना है जबकि उसकी अधिष्ठापित क्षमता की गणना करनी हैं ;

(ख) यदि हां, तो संभावित कमी के क्या कारण हैं ; और

(ग) दामोदर घाटी निगम को विद्युत प्रजनन क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) वर्तमान संकेतों के अनुसार, दामोदर घाटी निगम प्रणाली में अब तक अनुमोदित मांगों की गणना करने के उपरांत 1980 में मुख्यत: प्रणाली में विद्युत मांग की सामान्य वृद्धि लगभग 400 मे० वा० प्रतिष्ठापित क्षमता की कमी होगी।

(ग) (एक) दामोदर घाटी निगम के ताप विद्युत केन्द्रों के लिये अच्छी किस्म के कोयले/मिडिलिंग की पर्याप्त सप्लाई उपलब्ध की जा रही है।

(दो) युनिटों की मरम्मत के लिये आवश्यक कलपुर्जों के आयात तथा विदेशी विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करने के लिये आवश्यक विदेशी-मुद्रा अवमुक्त कर दी गई है।

गौहाटी-लुम्डिंग सैक्शन (पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे) पर मालगाड़ी का दुर्घटनाग्रस्त होना

1259. श्री रानेन सेन :
श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दार :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2 जुलाई, 1973 को पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के गोहाटी लुम्डिंग सेक्शन पर एक मालगाड़ी के पटरी से उतरने के फलस्वरूप 10 व्यक्ति मारे गये थे;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे; और

(ग) क्या सरकार ने मारे गये व्यक्तियों के परिवारों को कोई मुआवजा दिया है?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) :(क) जी हां।

(ख) रेल संरक्षा के अपर आयुक्त गोरखपुर ने इस दुर्घटना की जांच की थी जिनके अनन्तिम निष्कर्ष के अनुसार यांत्रिक उपस्कर की खराबी के कारण गाड़ी पटरी से उतर गई थी।

(ग) जी नहीं।

Representation made by public for linking of Karvi Station with Sitapur and Sitapur Station with Chitrakoot

1260. Shri R. R. Sharma : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of representations received from the public for linking Karvi Station on the Jhansi-Manikpur Branch line of the Central Railway with Sitapur (Kamad Giri) and for linking Sitapur (Kamad Giri) Station with Chitrakoot Station and for constructing a new Station at Sitapur (Kamad Giri) ; and

(b) the time likely to be taken in completing the aforesaid works ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) and (b) No representatioin has been received in the recent past for extension of line from Karvi or Chitrakoot to Sitapur.

Due to paucity of funds and lack of adequate traffic justification, it is difficult to consider the construction of the suggested line in the near future.

राष्ट्रीय जल नीति

1261. श्री प्रभुदास पटेल :
श्री सी०के० चन्द्रप्पन :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पानी की आवश्यकता का निरन्तर अनुमान लगाने और उसका अत्याधिक लाभदायक और समान उपयोग सुनिश्चित करने के लिये क्या उन्होंने राज्य सरकारों को राष्ट्रीय जल नीति बनाने की आवश्यकता से अवगत करा दिया है;

(ख) यदि हां, तो कितने राज्य इस प्रस्ताव से सहमत हो गये हैं, तथा कितने राज्यों ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) देश के जल संसाधनों के बढ़ते हुये उपयोग तथा भविष्य में बृहत्तर समुपयोजन के कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप समस्त देश के हित में विभिन्न उपयोगों के लिए उपलब्ध पानी के अति लाभदायक तथा समान आवंटन और पानी की आवश्यकताओं का सतत मूल्यांकन करने के लिये और एक और राष्ट्रीय जल नीति बनाने के लिये एक उच्च शक्ति प्राप्त राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् गठित करने की आवश्यकता स्वीकार की गई है ।

प्रथम कार्यवाही के रूप में संविधान के कुछ उपबंधों में संशोधन आवश्यक समझा गया है ताकि राज्यों के बीच जल विवादों के शीघ्र समझौते के लिए तथा राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तरों पर अपेक्षित संगठनों के प्रभावी कार्य को समर्थ बनाने के लिए पानी की धारणा को एक राष्ट्रीय परिसम्पति के रूप में किया जाय । इन मामलों पर राज्य सरकारों के विचार मांगे गए थे । राज्य सरकारों द्वारा व्यक्त किए गए विचार को ध्यान में रखते हुए इन संशोधनों के लिए प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं ।

ट्राम्बे उर्वरक संयंत्र में उर्वरक का प्रस्तावित उत्पादन

1262. **श्री प्रभुदास पटेल** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ट्राम्बे उर्वरक संयंत्र में गत वर्ष और इस वर्ष उर्वरकों का कुल कितना उत्पादन हुआ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : ट्राम्बे एकक में गत वर्ष तथा इस वर्ष के प्रथम चतुर्व्यशि में उर्वरक का कुल उत्पादन निम्न प्रकार रहा :—

	1972–73	1973–74
		(जून '73 तक)
	मी० टन	मी० टन
एन .	62,600	14,500
पी० $_2$ ओ० $_5$	37,000	6,700

विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा राज्यों में डीजल सप्लाई करने से इन्कार करना

1263. **श्री प्रभुदयाल पटेल** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1973 में तेल की कुछ फर्मों ने कुछ राज्यों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये डीजल सप्लाई करने से इंकार कर दिया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या राज्यों में डीजल तेल की नियमित सप्लाई सुनिश्चित कराने के लिये सरकार ने कदम उठाये हैं?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आगामी पांच वर्षों में तेल अन्वेषण कार्य में सम्भावित प्रगति

1264. **श्री इन्द्रजीत** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आगामी पांच वर्षों में देश में तेल अन्वेषण कार्य में कितनी प्रगति होने की आशा है?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह): तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, जो देश में तेल अन्वेषण कार्य करने के लिए मुख्य उपक्रम है, ने एक कार्यक्रम तैयार किया है जो 1974-75 से प्रारम्भ होने वाली पांचवी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ किया जायेगा। इसमें 1.47 मिलियन मीटर के व्यधन कार्य 105 पार्टी-वर्ष के भूगर्भीय कार्य तथा 150 पार्टी-वर्ष के भू-भौतिकीय कार्य की परिकल्पना की गई है। इसके परिणामस्वरूप तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग 70 मिलियन मीटरी टन तेल के एक अतिरिक्त प्रतिलभ्य स्टोर तथा अशोधित तेल के उत्पादन को इस रूप में प्राप्त करने की आशा है, कि जिससे (इस समय 4 मिलियन के कुछ अधिक की तुलना में) 1978-79 के दौरान 8.42 मिलियन मीटरी टन के उत्पादन स्तर को प्राप्त किया जा सके।

इसी प्रकार आयल इण्डिया लि०, जो पूर्वी क्षेत्र में कार्य करता है ने अपने अन्वेषण कार्य में और वृद्धि करने के लिए एक दीर्घावधि कार्यक्रम तैयार किया है, इस कार्य में आगामी वर्षों में 192,500 फीट की गहरायी के असम में 11 कुओं तथा अरुणाचल प्रदेश में 5 कुओं के व्यधन कार्य सम्मिलित है। यह कार्य, पर्याप्त व्यधन कार्य से अतिरिक्त है जो अन्य खनन पट्टे वाले क्षेत्रों में किए गए हैं।

संविधान के अनुच्छेद 31ग के विषय में उच्चतम न्यायालय के विचार

1265. **श्री इन्द्रजीत गुप्त**: क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 31ग पर उच्चतम न्यायालय के हाल ही के निर्णय के निहितार्थ का अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस अनुच्छेद के विषय में उच्चतम न्यायालय ने जो मत व्यक्त किया है उसके उत्पन्न हुई कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी): (क) जी हां।

(ख) सरकार ने इस विषय में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया है।

ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए पश्चिमी बंगाल को सहायता

1266. **श्री इन्द्रजीत गुप्त**: क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों से ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए पश्चिम बंगाल को कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई; और

(ख) कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के मामले में राज्य ने अब तक कितनी प्रगति की है?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा): (क) और (ख) ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम राज्य सरकारों द्वारा बनाया जाता है और संबंधित राज्य बिजली बोर्डों उनके द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। चौथी योजना के आरंभ से राज्य सरकारों को योजना स्कीमों के लिए केन्द्रीय सहायता किसी खास स्कीम के लिए नहीं दी जाती किन्तु यह ब्लाक ऋणों और अनुदानों

के रूप में दी जाती है। केन्द्रीय सेक्टर में स्थापित ग्राम विद्युतीकरण निगम राज्य बिजली बोर्डों की ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के क्रियान्वयन के लिए योगात्मक धन देता है। ग्राम विद्युतीकरण निगम ने गत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड को निम्नलिखित सहायता स्वीकृत की है:—

वर्ष	स्वीकृति ऋण की राशि (लाख रुपयों में)	कितना काम किया गया	
		ग्राम	पम्प
1970-71 .	313.90	1172	5109
1971-72	872.77	2213	7675
1972-73	957.23	2126	8554
	2143.90	5511	21338

इन स्कीमों को तीन से पांच वर्ष की अवधि में पूरा करने का कार्यक्रम बनाया गया है और ये क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

पश्चिम बंगाल में चौथी योजना के आरंभ में अर्जित 1199 पम्पों और विद्युतीकृत 2433 ग्रामों के प्रति 31-5-1973 तक चौथी योजना के दौरान 549 पम्प और 4115 ग्राम विद्युतीकृत हुए हैं। इस राज्य में विद्युतीकृत ग्रामों की प्रतिशतता चौथी योजना के आरंभ में 6.9 प्रतिशत के प्रति 16.1 प्रतिशत हो गई है।

बिजली फेल हो जाने के कारण तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग तथा गुजरात तेल शोधक कारखाने को हुई हानि

1267. **श्री प्रभुदास पटेल** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तारापुर और धुवरन से 1973 के जूनं महीने के दौरान बार-बार बिजली की सप्लाई बन्द होने के कारण तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग तथा गुजरात तेल शोधक कारखाने को भारी हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गुजरात स्थित इन उपक्रमों को कुल कितनी हानि हुई; और

(ग) क्या बिजली की सामान्य सप्लाई आरम्भ होने से इन उपक्रमों ने हानि को पूरा करना प्रारम्भ कर दिया है और यदि हां, तो कहां तक?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) जून, 1973 में गुजरात विद्युत बोर्ड द्वारा अन्क्लेश्वर तेल क्षेत्र को सप्लाई किये जाने वाले विद्युत बारम्बार फेल हो जाने के कारण अन्क्लेशर तेल क्षेत्र से गुजरात शोधनशाला को तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा 6050 मीटरी टन अशोधित तेल के प्रेषण में कमी आई। इस कमी में से जुलाई, 1973 के दौरान 1135 मीटरी टन पूरा कर लिया गया है और पहले योजना में व्यवस्थित मात्रा से अधिक प्रेषण दर में वृद्धि करने से आगामी महीनों में बाकी मात्रा को तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को पूरा करने की आशा है। इस प्रकार, अन्तिम विश्लेषण में इस अस्थाई कमी को हानि कहना उपयुक्त नहीं होगा।

गत तीन महीनों में देश में हुई रेल दुर्घटनाएं

1268. **श्री विक्रम महाजन :**

श्री हुकुम चन्द कछवाय :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन महीनों में जोन वार कितनी रेल दुर्घटनाएं हुई;

(ख) इन दुर्घटनाओं के क्या कारण थे;

(ग) इन दुर्घटनाओं में कुल कितने व्यक्ति मारे गये और घायल हुए; और

(घ) मृतकों के परिवारों को और घायल हुए व्यक्तियों को रेलवे ने कितना मुआवजा दिया ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) अप्रैल से जून, 1973 तक भारत की सरकारी रेलों के विभिन्न क्षेत्रों में हुई गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या नीचे दी गई है :—

रेलवे	दुर्घटनाओं की संख्या	रेलवे	दुर्घटनाओं की संख्या
मध्य	15	दक्षिण	18
पूर्व . .	9	दक्षिण-मध्य	18
उत्तर .	28	दक्षिण-पूर्व	20
पूर्वोत्तर . . .	17	पश्चिम	34
पूर्वोत्तर सीमा . .	17	जोड़ .	176

(ख) 176 गाड़ी दुर्घटनाओं में से, 87 रेल कर्मचारियों की गल्ती के कारण, 44 रेल कर्मचारियों से भिन्न व्यक्तियों की गल्ती के कारण, 19 उपस्कर की खराबी के कारण, 1 तोड़-फोड़ के कारण और 14 आकस्मिक रूप से हुई। 6 घटनाओं में कारणों का पता नहीं लग सका और 5 मामलों में कारणों का अन्तिम रूप से निर्णय अभी नहीं हुआ है।

(ग) इन दुर्घटनाओं में 67 व्यक्ति मारे गये और 180 घायल हुए।

(घ) अभी तक इन दुर्घटनाओं का शिकार हुए व्यक्तियों या उनके आश्रितों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया है।

बम्बई जा रही वाराणसी एक्सप्रेस की छत पर बैठकर जाने वाले यात्रियों की मृत्यु

1269. **श्री विक्रम महाजन :**

कुमारी कमला कुमारी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1973 के अन्तिम सप्ताह में बम्बई जा रही 28 अप वाराणसी एक्सप्रेस की छत पर बैठकर जाने वाले 15 से अधिक यात्रियों की सतना के निकट एक पुल से टकराकर मृत्यु हो गयी थी; और

(ख) इस घटना में मरने वालों की सही संख्या कितनी है और यात्री गाड़ियों में अत्यधिक भीड़ न होने देने तथा और इस मामले पर कड़ी निगरानी रखने के लिए कि यात्री डिब्बों की छतों पर बैठकर न जायें क्या विशिष्ट कदम उठाए गये हैं अथवा उठाने का विचार है; और

(ग) दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों के परिवारों को कितना मुआवजा दिया गया है?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी): (क) और (ख) जी नहीं। लेकिन 26-6-1973 को मैहर स्टेशन पर 28 अप वाराणसी दादर एक्सप्रेस गाड़ी के इंजन से चौथे और पांचवें नम्बर पर लगी तीसरे दर्जे की दो बोगियों के कप्लिग और बफर पर दो मृत शरीर लटकते हुए पाये गये थे।

गाड़ियों में भीड़-भाड़ का अनुमान लगाने के लिए वर्ष में दो बार की जाने वाली यात्री गणना के परिणामों के आधार पर अतिरिक्त गाड़ियां चलाने, वर्तमान गाड़ियों का चालन-क्षेत्र बढ़ाने और उनमें डिब्बों की संख्या बढ़ाने के लिए, चल स्टाक, खण्डीय और पर्यन्त सुविधाओं आदि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, निरंतर प्रयास किये जाते हैं। बहुत अधिक भीड़-भाड़ उन डाक/एक्सप्रेस गाड़ियों के मामले में, जो भाप कर्षण के अन्तर्गत पहले ही अधिकतम डिब्बों के साथ चल रही हैं, भाप इंजनों के स्थान पर उत्तरोत्तर डीजल/बिजली इंजन लगाये जा रहे हैं जो अधिक डिब्बे खींच सकते हैं। छुट्टियों, गर्मी, मेलों, त्योहारों आदि के दिनों में आवधिक भीड़-भाड़ की जरूरतों को पूरा करने के लिए वर्तमान गाड़ियों के साथ अतिरिक्त डिब्बे लगाने के अलावा विशेष गाड़ियां भी चलाई जाती हैं।

किसी डिब्बे की छत, सीढ़ियों या पायदानों या गाड़ी के किसी और ऐसे भाग पर, जो यात्रियों के इस्तेमाल के लिए नहीं होता, यात्रा करना भारतीय रेल अधिनियम, 1890 (1890 का 9) के अधीन दण्डनीय अपराध है। पायदानों और छतों पर यात्रा करने के खतरों के बारे में उपयुक्त प्रचार करने और जहां किसी के इस प्रकार अनधिकृत रूप से यात्रा करते हुए देखा जाए वहां ऐसी यात्रा करने वालों को इससे बाज रहने का अनुरोध करने और ऐसे यात्रियों को छतों, पायदानों आदि से नीचे उतारने के लिए प्रयास करने की हिदायतें पहले से ही मौजूद हैं।

(ग) रेलवे को क्षतिपूर्ति का कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ।

पोंग बांध के कारण हटाए गये लोगों को मुआवजा देना

1270. **श्री विक्रम महाजन**: क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पोंग बांध हिमाचल प्रदेश के कारण हटाए गए कितने लोगों को पहली जुलाई, 1973 तक मुआवजा मिलने की संभावना है और कितने लोग ऐसे हैं जिनकी भूमि अगस्त, 1973 तक पानी में डूब जाएगी, पर उन्हें मुआवजा नहीं मिलेगा; और

(ख) ऐसे कितने प्रतिशत लोगों को पहली जुलाई, 1973 तक 20,000 रुपये से कम मुआवजा दिया गया तथा कितने प्रतिशत लोगों को 20,000 रुपये और 50,000 रुपये के बीच मुआवजा दिया गया ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोबिन्द वर्मा) : (क) जिनकी भूमि अगस्त, 1973 तक जलमग्न होगी, वे सब तब तक मुआवजा प्राप्त कर लेंगे। पहली जुलाई, 1973 तक 59,586 व्यक्तियों को मुआवजा दिया जा चुका है।

(ख) उन व्यक्तियों का प्रतिशतांश जिनको मुआवजा दिया जा चुका है, नीचे दिया जाता है।

(1)	20,000 रुपये से नीचे	80%
(2)	20,000 और 50,000 रुपये के मध्य	15%
(3)	50,000 रुपये से ऊपर	5%

Priority to the Supply of Power to Industries

1271. Dr. Laxminarayan Pandeya: Will the Minister of **Irrigation & Power** be pleased to state:

(a) whether Government propose to give priority to the supply of power to industries while the present power shortage continues; and

(b) if so, whether Government propose to give an assurance that the industries would not face power crisis in future?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation & Power (Shri Balgovind Verma): (a) and (b) In view of power shortage in most parts of the country till a few days back and its undesirable effect on certain sectors of the economy from the overall national point of view, the Ministry of Irrigation and Power have formulated general guidelines to ensure effective rationing of power and have recommended them to the State Governments for implementation on priority basis. The State Governments have been requested that, as far as practicable, imposition of restrictions in power supply to the following consumers should be avoided or kept to the minimum:—

(1) Services like water supply, urban and semi-urban transportation, hospitals, communication facilities etc. essential for normal life of the community.

(2) Defence oriented industries.

(3) Research establishments oriented to defence and development.

(4) Priority industries like coal and oil, iron and steel, fertilizer, essential food processing and preserving industries, export oriented industries.

(5) Railways.

(6) Agricultural pumps in drought affected areas etc.

Time-limit for Supply of Wagons

1272. **Dr. Laxminaryan Pandeya:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the time within which the persons or institutions desirous of transporting foodgrains, cement, coal, cloth and other essential commodities and the products of small industries through Railway can get wagons after submitting their applications therefor;

(b) whether Government are formulating any scheme to reduce the said period, and if so, the salient features thereof; and

(c) whether Government have fixed some definite period within which the wagons would be made available after the submission of the applications?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a), (b) and (c): The allotment of wagons against indents depends upon a number of factors, like, the priority to which traffic is entitled, seniority of indents, availability of the type of wagon asked for, route *via* which trafic is to be booked etc. It is, therefor, not possible to fix a definite time limit for compliance of demands. However, movement of foodgrains, coal, and cement is mostly programmed in advance and their clearance is arranged as expeditiously as possible. Various steps are being taken to reduce the time lag between placement of demand and supply of wagons. These include manufacture of additional wagons, increase in demurrage and wharfage rates etc.

दामोदर घाटी निगम द्वारा बिहार को बिजली की सप्लाई

1273. **श्री हरि किशोर सिंह:** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि बिहार विद्युत् बोर्ड की सलाहकार समिति ने, दामोदर घाटी निगम के "बिजली सप्लाई के मामले में बिहार के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार" को देखते हुए, राज्य सरकार से दामोदर घाटी निगम से संबंध-विच्छेद कर लेने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा): (क) जब तक सिविल कार्यों में विलम्ब के कारण इरेक्शन निलम्बित है लोअर सिलेरू (2×100 मैगावाट) और इदिक्को (3×130 मैगावाट) के लिये उपस्करों को स्टोर में जाना था। इसके अतिरिक्त कोसी जल विद्युत् परियोजना (1×5 मैगावाट) की यूनिटों में से एक के लिये उपस्कर का इरेक्शन नहीं किया जा सका, क्योंकि पाकिस्तान द्वारा ज़ब्त किय गए पुर्जों के लिये प्रतिस्थापन निर्माताओं से प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) सिविल कार्यों में विलम्ब और इसके परिणामस्वरूप विद्युत् परियोजनाओं के उपस्कर के इरेक्शन में विलम्ब देश में विद्युत् उत्पादन की कमी के कारणों में से एक है।

(ग) विभिन्न परियोजना स्थलों पर सिविल कार्यों में शीघ्रता लाई जा रही है। सीमेंट इस्पात इत्यादि जैसी दुर्लभ सामग्रियों के लिये विशेष रूप से प्रबंध किया जा रहा है।

बिजली उत्पादन के लिए भूमिगत जल संसाधनों का उपयोग

1274. **श्री हरि किशोर सिंह:** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में, विशेषकर गंगा के मैदान में बिजली उत्पादन के लिये भूमिगत जल संसाधनों का उपयोग करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मुजफ्फरपुर, बिहार में एक तापीय बिजली घर का निर्माण

1275. **श्री हरि किशोर सिंह:** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुज़फ्फरपुर (बिहार) में एक तापीय बिजली घर के निर्माण के संबंध में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) यदि इस दिशा में कोई विलम्ब हुआ है, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) यह परियोजना सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और विद्युत् परियोजनाओं संबंधी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकार्य पाई गई है। योजना आयोग की स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है।

मिट्टी के तेल तथा पेट्रोलियम में अपमिश्रण रोकने के लिए एक एजेन्सी की स्थापना

1276. **श्री वी० आर० शुक्ल** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिट्टी के तेल तथा पैट्रोलियम में अपमिश्रण रोकने के लिये सरकार ने कोई एजेन्सी स्थापित की है;

(ख) क्या सरकार ने अपमिश्रण के ऐसे मामले पाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे कार्य करने के लिये कितने व्यक्तियों पर मुकदमे चलाए गए अथवा अन्य प्रकार की कार्यवाही की गई ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) मिट्टी के तेल की मोटर स्पिरिट के साथ मिलावट करने से इंजन में खराबी हो जाती है और कुछ छुट-पुट मामलों को छोड़ कर, इस प्रकार की बड़े पैमाने पर मिलावट किये जाने की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। तथापि मिट्टी के तेल की हाई स्पीड डीज़ल आयल के साथ मिलावट किये जाने के बारे में रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। इस प्रकार की मिलावट का विस्तृत प्रयोगशाला परीक्षण किये जाने के बगैर आसानी से पता नहीं लगाया जा सकता। गत समय में इस प्रकार की मिलावट के कुछ मामलों का पता लगाया गया था और इस प्रकार की मिलावट करने वाले डीलरों की एजेंसियां समाप्त कर दी गई थीं। सरकार मिट्टी के तेल में उपयुक्त रंग के शुरू किये जाने के बारे में विचार कर रही है जिससे मिलावट किया गया डीज़ल तेल आंखों से देखा जा सकेगा। ऐसा हो जाने पर, इस प्रकार की मिलावट के स्रोतों का पता लगाना आसान होगा और उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

(ग) सूचना राज्य सरकारों से प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

मुरादाबाद-अलीगढ़ यात्री गाड़ी (उत्तर रेलवे) से यात्रा करने वाली महिला यात्रियों को लूटा जाना तथा उनके साथ अभद्र व्यवहार

1277. **श्री हरी सिंह** :

श्री नवल किशोर सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 2 जुलाई, 1973 को उत्तर रेलवे के मुरादाबाद डिवीज़न में मुरादाबाद-अलीगढ़ यात्री के जनाने डिब्बे में यात्रा कर रही महिलाओं के लूटे जाने तथा उनके साथ अभद्र व्यवहार की घटना की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये तथा अपराधियों को गिरफ्तार करने के मामले में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) महिला यात्रियों के साथ छेड़-छाड़ अथवा उन्हें लूटे जाने की कोई घटना नहीं हुई थी। लेकिन 2-7-1973 को जब नं० 1 ए सी एम (अलीगढ़-चन्दौसी-मुरादाबाद) सवारी गाड़ी राजा-का-साहसपुर स्टेशन पर आई तो गाड़ी में भीड़भाड़ के कारण कुछ यात्री तीसरे दर्जे के एक साधारण डिब्बे में खिड़कियों के रास्ते घुस आए। फल-

स्वरूप डिब्बे में पहले से बैठे यात्रियों तथा राजा-का-साहसपुर स्टेशन पर उस डिब्बे में घुसने वाले यात्रियों के बीच कुछ कहा-सुनी हो गई। अन्दर आने वाले कुछ यात्रियों में श्रीमती पुष्पा सिंघल तथा कुसुम सिंघल के प्रति जो कि इस डिब्बे में राजघाट से मुरादाबाद जा रही थीं, कुछ भद्दी टिप्पणियां की और उनसे बेहूदे ढंग से पेश आए। इन महिलाओं ने सरकारी रेलवे पुलिस, मुरादाबाद के पास 5-7-1973 को शिकायत की और पुलिस ने भारतीय रेल अधिनियम की धारा 120 के अधीन मामला नं० 245 दर्ज कर लिया। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस जांच-पड़ताल कर रही है।

Cases pending in Allahabad High Court

1278. **Shri Hari Singh:** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of cases pending as in July, 1973 in the Allahabad High Court in Uttar Pradesh : and

(b) whether any scheme is proposed to be formulated by Government for the early disposal of these cases and if so, the salient features thereof ?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri H. R. Gokhale): (a) Up-to-date information is not readily available. However, the number of cases pending at the end of 1972 in the Allahabad High Court was 78,617.

(b) A statement giving the steps taken to reduce the arrears in High Courts is attached.

Statement

The State authorities have been advised to undertake a review of the Judge strength in the light of the current institutions and disposals and the arrears to be cleared.

A Committee of Judges under the Chairmanship of Shri Justice J. C. Shah has submitted a report on the problem of arrears in the High Courts. The Committee has made a number of recommendations for reducing arrears and for minimising delays in dispensing justice. The recommendations of the Committee which are purely of administrative nature and which do not require amendment to the rule, statute or law have been communicated to the State Governments and High Courts for implementation. The recommendations involving amendments to the Statute or law are being examined.

The Law Commission has suggested certain specific amendments to the Code of Civil Procedure, 1908, with a view to eliminating minimising delays in civil litigation and thereby reducing costs. The suggestions are under examination. The reconstituted Law Commission had also been requested to go into the question of further amendments to the Civil Procedure Code and the Commission have recently submitted their report which is under examination.

The Law Commission has also made a number of recommendations for the amendment of the procedural law in criminal matters. Most of them have been accepted by the Government and a Bill for the revision of the Code of Criminal Procedure is now before Lok Sabha after it has been passed by the Rajya Sabha.

कलकत्ता में पेट्रोल तथा एच०एस०डी० तेल की कमी

1279. **श्री राज राज सिंह तेदेव :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता के बहुत-से भागों में पैट्रोल तथा एच० एस० डी० तेल की अत्यधिक कमी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या पैट्रोल और एच० एस० डी० तेल की न्यूनतम सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने कोई प्रबंध किया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) कलकत्ता में न ही मोटर स्पिरिट और न ही हाई स्पीड डीज़ल आयल की अत्यधिक कमी के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। किन्तु गत कुछ महीनों में विद्युत् की कमी एवं परिवहन सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण बाज़ारों को सप्लाई करने पर प्रभाव पड़ा। इन दो उत्पादों के समग्र रूप में सप्लाई संतोषजनक रही है। तेल कम्पनियों द्वारा इन दोनों उत्पादों की पर्याप्त मात्रा की सप्लाई की जा रही है।

पैट्रोलियम उत्पाद तथा गैस का पता लगाने के लिए पश्चिम बंगाल के गलसी स्थान में एक कुंए का खोदा जाना

1280. **श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पैट्रोलियम उत्पादन तथा गैस का पता लगाने के लिये पश्चिम बंगाल में बर्दवान जिले के गलसी स्थान में एक कुआं खोदने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो वहां कार्य कब तक आरम्भ होगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) जी नहीं। तथापि, उस आम क्षेत्र में व्यधन कार्य हेतु स्थान चयन की सम्भाव्यता हाल ही में किये गए भूकम्पीय सर्वेक्षण के परिणाम पर निर्भर करना है।

हाल्दिया पेट्रो-रसायन उद्योग समूह में उत्पादन प्रारम्भ करना

1281. **श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर :** क्या **पेट्रोलिय और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल्दिया के पैट्रो-रसायन उद्योग समूह में उत्पादन कब प्रारम्भ होगा; और

(ख) इस उद्योग समूह की रोज़गार क्षमता क्या होगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) चतुर्थ आयोजना अवधि में हल्दिया में एक पैट्रो-रसायन कम्पलक्स के स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, नवम्बर, 1971 में सरकार ने भारतीय उर्वरक निगम द्वारा हल्दिया में एक उर्वरक परियोजना की स्थापना के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है जिसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 3,79,000 मीटरी टन नाइट्रोजन फास्फेट उर्वरक, 1,65,000 मीटरी टन यूरिया उर्वरक, 60,000 मीटरी टन सोडा एस एवं 41,250 मीटरी टन मेथनोल होगी। इस परियोजना में कार्य प्रगति पर है। 1975 के मध्य तक परियोजना की पूर्ण होने की आशा है। इस सम्बन्ध में अपेक्षित जनशक्ति का अनुमान लगभग 1,400 है।

Stay of High Officials of Medical Department at the same station in Northern Railway

1282. **Shri Phool Chand Verma:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of high officials in the Medical Department of Northern Railway who are stationed at one place for the last 7 years or more;

(b) the names of those officials and the reasons for their long stay at one place; and

(c) Government's reaction thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) Two.

(b) and (c) 1. Dr. R. S. Lakhtakia, 2. Dr. H. P. Rajmalani. No rigid period of stay of officers at one place has been fixed.

Tours undertaken by Higher Officers of Health Department in Northern Area of Northern Railway

1283. **Shri Phool Chand Verma:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of emergency or planned tours undertaken by the higher officers of Health Department in the Northern area of Northern Railway during the last three years;

(b) the names and designations of such officers and the suggestions made by them for improvement of the services; and

(c) the action taken thereon?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) The total number of tours undertaken by higher officers (senior scale and above) of the Health Department of Northern Railway during the last three years is 169. This includes tours of the Northern area of the Northern Railway only, i.e., Firozpur and Delhi Divisions.

(b) The names and designations of such officers are as under:

Dr. S. S. L. Verma	Chief Medical Officer
Dr. Amar Chand	—do—
Dr. H. G. Roy	Divisional Medical Officer Firozpur.
Dr. B. R. Bagga	—do—
Dr. S. M. Chaudhuri	Divisional Medical Officer Delhi.
Dr. S. R. Sen	—do—
Dr. A. P. Tandon	—do—

Dr. A. C. Basu	S.M.O.(H)/Headquarters
Dr. N. K. Sen	—do—
Dr. N. K. Sinha	S.M.O.(FP)/Headquarters
Dr. S. L. Kapur	—do—
Dr. B. R. Bagga	—do—
Dr. N. K. Sen	—do—
Dr. D. K. Mitra	—do—

Tours are undertaken to check on the implementation of the various orders and instructions besides suggesting further improvement of the services. A list of important suggestions made for further improvement of services is given as Statement 'A'. **[Placed in Library. See No. LT-5250/73].**

(c) Brief of the action taken implementing the important suggestions made, is given in Statement 'B'. **[Placed in Library. See No. LT-5250/73].**

Cases of Corruption in Health Department in Northern Railway

1284. **Shri Phool Chand Verma**: Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the number of cases of corruption in Health Department of Northern Railway that were brought to the notice of Government during the last three years ; and

(b) the action taken in the matter and the outcome thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) 23 cases of corruption in Health Department of Northern Railway were brought to the notice of the Government during the past three years.

(b) Action on the complaints taken by the Government is indicated below :

No. of complaints where allegations remained unsubstantiated.	6
No. of complaints pending investigations	9
No. of complaints where disciplinary proceedings are being initiated.	1
No. of complaints pending trial in Court.	1
No. of complaints sent to units for disposal.	6

पिछड़े क्षेत्रों में नई लाइनें बिछाने तथा परिवर्तन परियोजनाओं के लिए 235 करोड़ रुपये की राशि का अतिरिक्त नियतन

1285. श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

श्री नारायणचन्द पाराशर :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय से पिछड़े हुए क्षेत्रों में नई लाइनें बिछाने तथा परिवर्तन परियोजनाओं के लिये 235 करोड़ रुपये की राशि के अतिरिक्त नियतन करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मोटी बातें क्या हैं; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) जी हां। विभिन्न मुख्य मंत्रियों, संसद् सदस्यों और दूसरे हितों की ओर से आए अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए, रेल मंत्रालय ने योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय से कहा है कि रेलवे की पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिये अपेक्षित पूंजीगत परिव्यय से बाहर, 225 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाए ताकि पिछड़े क्षेत्रों में विकास कार्यों के उद्देश्य से नई लाइनों का निर्माण और मौजूदा लाइनों का आमान-परिवर्तन किया जा सके। अभी सरकार के फैसले की प्रतीक्षा की जा रही है।

मैसूर में काविनो परियोजना का निर्माण

1286. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि मैसूर सरकार द्वारा राज्य में काबिनो परियोजना के निर्माण के कारण केरल में उलर वायलाद में बहुत बड़ा क्षेत्र पानी में डूब गया है;

(ख) सरकार का केरल के उन लोगों को क्षतिपूर्ति के लिये जिन्हें भूमि और सम्पत्ति जल में डूब जाने से हानि हुई है, क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ग) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार को इस बारे में कोई अभ्यावेदन दिया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) योजना आयोग ने 1958 में एक छोटे आकार की काबिनी परियोजना स्वीकृत की थी जिसके अन्तर्गत केरल में कोई जमीन नहीं डूबनी थी। जुलाई, 1970 में मैसूर सरकार ने संशोधित काबिनी परियोजना भेजी और उसमें यह कहा गया है कि उसमें 254 एकड़ भूमि पानी में डूब जाएगी और बस्तियों आदि के लिये 650 एकड़ जमीन की जरूरत होगी तथा लगभग 22 लाख रुपये का कुल मुआवजा देना होगा। संशोधित परियोजना भारत सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं हुई।

केरल सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने केरल राज्य में डूबने वाले सम्भावित क्षेत्र निर्धारित करने तथा जल पलायन के परिणामस्वरूप होने वाली क्षति और पुनर्वास की लागत का मूल्यांकन करने के लिये कन्नौर के जिलाधीश की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसका अध्ययन राज्य सरकार कर रही है।

(ग) जी, हां।

(घ) मैसूर की काविनो परियोजना कावेरी बेसिन में पड़ती है और कावेरी जल के प्रयोग के सम्बन्ध में तथा विभिन्न राज्यों की विभिन्न परियोजनाओं के संबंध में राज्यों के बीच मतभेद है। केरल मैसूर और तमिलनाडु के मुख्य मंत्रियों ने मई, 1972 में विचार-विमर्श किया था जिसमें सबका एकमत था कि मतभेदों को शीघ्र ही बातचीत द्वारा खत्म करने के लिये गम्भीर रूप से प्रयत्न किया जाए। इस पर भी एक राय थी कि कावेरी के पानी, उसके समुपयोजन आदि से सम्बन्धित सभी आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिये एक तथ्यान्वेषी समिति स्थापित की जाए। तदनुसार, एक तथ्यान्वेषी समिति स्थापित की थी और इसने अपनी रिपोर्ट दिसम्बर, 1972 को प्रस्तुत कर दी थी। मुख्य मंत्रियों ने अप्रैल, 1973 में तथ्यान्वेषी समिति की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श किया था और इस समिति की रिपोर्ट में दी गई कावेरी नदी की कुल मात्रा पर एकमत था। मुख्य मंत्रियों के अनुरोध पर मई, 1973 में तथ्यान्वेषी समिति पुनः

बनाई गई ताकि जब भी आवश्यक हो, जांच के पश्चात् स्पष्टीकरण दिया जा सके। विचार-विमर्श जारी रखने तथा एक समझौते पर पहुंचने की सम्भावनाओं की जांच करने के लिये मुख्य मंत्री बाद में बैठक करने के लिये सहमत हो गए।

त्रिपुरा में वारमूरा के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर तेल के लिए छिद्रण

1287. **श्री बीरेन दत्त:** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में वारमूरा के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर निकट भविष्य में तेल के लिए छिद्रण कार्य आरम्भ किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं; और

(ग) उक्त कार्य कब तक आरम्भ किए जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) से (ग) वारमुरा के अतिरिक्त गोजलिया, टिचना, वैटचिया, रोखिया एवं तुलामुरा संरचनाएं तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा दी गई है। इस संबंध में एठाये गये प्रारम्भिक कदम के पूर्ण हो जाने पर 1974 के अन्तिम चरण में गोजलिया संरचना में व्यधन कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ किये जाने की आशा है।

Cases pending with the Supreme Court

1288. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Law, Justice and company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of cases pending with the Supreme Court at present ; and

(b) the number of cases pending for the last five years or more ?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri H. R. Gokhale): (a) & (b) As on 1st July 1973, the number of cases pending in the Supreme Court was 12,060 and the number of cases pending for more than five years was 380.

Cases pending with High Courts

1289. **Shri Hukam Chand Kachwai :**

Shri Somnath Chatterjee :

Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to State:

(a) the number of cases pending in the various High Courts in the country at present ;

(b) the number of cases pending for the last three years or more ; and

(c) the steps proposed to be taken for an early disposal of the cases ?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri H. R. Gokhale): (a) & (b) Up-to-date information is not readily available. The figures as at the end of 1972 are given in the attached statements (Statements I & II)

[Placed in Library. See No. LT 5251/73].

(c) A statement (Statement III) is attached.

[Placed in Library. See No. LT 5251/73].

सिंचाई परियोजनाओं की लागत में वृद्धि संबंधी विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन

1290. **श्री पी० ए० सामिनाथन :**

श्री आर० वी स्वामीनाथन :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंचाई परियोजनाओं की लागत में वद्धि होने के बारे में नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो विशेषज्ञ समिति ने अपने प्रतिवेदन में क्या क्या मुख्य सिफारिशें की हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) विशेषज्ञ समिति ने संकेत किया है कि लागत में वृद्धि के महत्वपूर्ण कारण ये हैं :

(1) धन की कमी के कारण निर्माण अवधि में वृद्धि और इसके परिणामस्वरूप दीर्घ प्रारंभिक अवधि जिसके दौरान मूल्यों में वृद्धि हुई।

(2) निर्माण सामग्री और श्रम की लागत में सतत वृद्धि।

(3) अनेक मामलों में अपर्याप्त अन्वेषण ।

(4) मूल प्राक्कलनों में अपर्याप्त प्रावधान ।

(5) प्राक्कलन स्वीकृत होने के उपरांत लाभों में वृद्धि के लिए परियोजनाओं के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन।

(6) निर्माण के दौरान अभिकल्प और अतिरिक्त आवश्यकाताओं में परिवर्तन ।

(7) भूमि अधिग्रहण लागत में वृद्धि ।

(8) पुनर्वास उपायों की लागत में वृद्धि और इस प्रकार के उपायों के स्केल में वृद्धि।

(9) स्वदेशी उपस्कर द्वारा कम कार्य निष्पादन।

2. समिति द्वारा दी गई सिफारिशें ये हैं :-

(1) परियोजना को तैयार करने और निर्माण की दीर्घ अवधि में मूल्य वृद्धि के प्रभाव को दूर करने के लिये एक समुचित वार्षिक वृद्धि गुणांक पर विचार करने के उपरांत प्राक्कलनों में वृद्धि कर देनी चाहिए।

(2) व्यवहार्यता प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने से पूर्व परियोजनाओं का समुचित रूप में अन्वेषण होना चाहिए। 30 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली बहुत बड़ी परियोजनाओं के लिए प्रथम चरण में केवल अन्वेषण प्राक्कलन ही स्वीकृत किया जाना चाहिए।

(3) पूर्णतः रिपोर्टों को तैयार करने पर बल दिया जाना चाहिए और परियोजना चालू होने के दो से तीन वर्षों के अंदर इसे अंतिम रूप दिया जाना चाहिए जिससे भावी परियोजनाओं के प्राक्कलनों को समुचित रूप में तैयार करने में रिपोर्टों का लाभ उठाया जा सके।

(4) जहां तक संभव हो कार्य क्षेत्र में परिवर्तनों का परिहार करना चाहिए। अगर इस प्रकार का संशोधन प्राक्कलन में सम्मिलित कर लिया जाता है तो उसको "संशोधित प्राक्कलन" के रूप में स्वीकृत किया जाना चाहिए।

(5) परियोजनाओं की जटिलता के कारण व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने की अवस्था में प्रत्येक मद और आवश्यकता की कल्पना नहीं की जा सकती चाहे कितने ही गहन अन्वेषण क्यों ने किए गए हों। प्राक्कालन को और अधिक तथ्यपूर्ण बनाने क लिए कार्य-मदों की अनुमानित लागत एक समुचित गुणांक से बढाई जानी चाहिए जिसे "सीमांत त्रुटि" कहा जाए। इस उद्देश्य के लिए अपनाई जाने वाली आवश्यक प्रतिशतता का भी सुझाव दिया गया है।

(6) पुनर्वास एक व्यापक राष्ट्रीय नीति का विकास किया जाना चाहिए।

(7) परियोजनाओं का आयोजन चरण बद्ध होना चाहिए और इनको चरणबद्ध रूप में शुरू किया जाना चाहिए परियोजना के एक बार अनुमोदित हो जाने पर इसके निर्माणार्थ पूरा धन उपलब्ध किया जाना चाहिएं।

(8) प्राक्कलनों को तैयार करने के निमित्त आधार रूप में स्वीकार करने के लिए स्वदेशी उपस्कर तथा मशीनरी के अध्ययन किए जाने चाहिए और उनके कार्य निष्पादन को निर्धारित कर लेना चाहिए। स्वदेशी उपस्कर के निर्माताओं को अपने उपभोक्ताओं के लिए बेहतर सेवाएं उपलब्ध की जानी चाहिएं।

(9) शक्तियों के समुचित प्रत्यायोजन, मुख्यकार्मिकों के सांतत्व की आवश्यकता, प्रशिक्षण और अधुनिक प्रबंध तकनीक को अपनाने पर बल दिया गया है।

रिपोर्ट की समिति की सिफारिशों पर उनके विचारों को बनाने के लिए राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों और केन्द्रीय सरकार क संबंधित विभागों को, परिपत्रित कर दी गई है।

राज्यों के सिंचाई और विद्युत् मंत्रियों का कोडाइकनाल में सम्मेलन

1291. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :**
श्री आर०वी० स्वामीनाथन :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों के सिंचाई और विद्युत् मंत्रियों का हाल में कोडाइकनाल में एक सम्मेलन हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में किन मुख्य विषयों पर विचार-विमर्श किया गया तथा क्या निर्णय किये गये ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा) : (क) जी, हां

(ख) सूचना का विवरण संलग्न है।

विवरण

3-4 जुलाई, 1973 को कोडैकेनाल में हुए राज्यों के सिंचाई और विद्युत् मंत्रियों के सातवें सम्मेलन में सिंचाई, विद्युत तथा ग्राम विद्युतीकरण के क्षेत्रों में कार्यक्रमों तथा उनके निष्पादन का पुनरवलोकन तथा उन पर विचार विमर्श किया गया। कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में आई कठिनाइयों को ध्यान

में लाया गया और उनको दूर करने के लिए आवश्यक समझे गए उपायों पर विचार किया गया। सम्मेलन ने मंत्रियों की दो समितियों का गठन करने की सिफारिश की--एक जल संसाधनों के विकास, समुपयोजन तथा प्रबंध में आधुनिक प्रवृत्तियों का पुनरवलोकन करने के लिए और दूसरी 1981-90 के दशाब्दी के दौरान विद्युत विकास के लिए योजना पर सलाह देने के लिए।

सिंचाई शक्यता के कम-समुपयोजन पर छठे सम्मेलन द्वारा नियुक्त मंत्रियों की समिति की रिपोर्ट पर विचार किया गया और राज्य सरकारों से आग्रह किया गया कि रिपोर्ट में दिए गये मूल्यवान सुझावों के कार्यान्वयन के लिए शीघ्र कार्यवाई शुरू की जाए। देशी संयंत्र तथा उपस्कर के संबंध में मंत्रियों की समिति की रिपोर्ट पर भी विचार किया गया और समिति के इन विचारों का समर्थन किया कि पांचवीं योजना के लिए संयंत्र तथा उपस्कर की आवश्यकताएं आवश्यकतानुसार न्यूनतम निश्चित की जानी चाहिए और कि संयंत्र तथा उपस्कर के आयात के लिए उस सीमा तक जहां तक अनुसूची के अनुसार देशी संसाधनों से सप्लाई पूरी न की जा सके, पग उठाए जाने चाहिएं। सम्मेलन ने सिफारिश की कि विद्युत कार्यक्रम के संचालन के लिए, जिसमें पांचवीं योजना के दौरान शुरू की जाने वाली परियोजनाओं के लिए विद्युत-जनन संयंत्र तथा उपस्कर की सामयिक सप्लाई शामिल है, केन्द्रीय और राज्य सरकारों के संबंध मंत्रियों की एक संचालन-समिति नियुक्त की जाए। सम्मेलन ने यह भी सिफारिश की कि राज्य सरकारों, राज्य खान निगम अथवा राज्य बिजली बोर्डों को, ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले की अनुपूरक सप्लाई करने के लिए खान संबंधी कार्यवाई शुरू करने के लिए अनुज्ञा दी जाए। सम्मेलन द्वारा की गई अन्य महत्वपूर्ण सिफारिशें ये थीं।

सिंचाई

(1) नई सिंचाई परियोजनाएं तैयार करते समय देश के दुर्लभ जल संसाधनों भूगत तथा भूतल दोनों के इष्ट तम समुपयोजन करने की आवश्यकता को हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए। राज्य सरकारों को विभिन्न विभागों के बीच सतत तथा प्रभावी समन्वय के लिए पर्याप्त संगठनात्मक संस्थाएं स्थापित करने के लिए सलाह दी गई।

(2) पूर्ण सिंचाई परियोजनाओं का क्रमबद्ध मूल्याकंन करने के लिए और नयी परियोजनाओं के आयोजन तथा पहले से प्रचालनाधीन परियोजनाओं के सुधार के लिए उचित मार्गदर्शन तैयार करने के लिए राज्य सरकारों को मशीनरी स्थापित करनी चाहिए।

(3) राज्य सरकारों को अतिरिक्त संसाधनों में वृद्धि करने के लिए जल दरें बढ़ाने के प्रश्न पर विचार करना चाहिए।

(4) भारत सरकार को धन के लिए पर्याप्त प्रावधन करने चाहिएं जिसमें विशेष सहायता शामिल है, ताकि राज्य सरकारें 64-एफ के अन्तर्गत सूखा प्रवण क्षेत्रों में शुरू किए गए सभी मध्यम तथा लघु सिंचाई कार्यों को पूरा करने में सक्षम हो सकें।

विद्युत

(5) पांचवीं योजना के लिए विद्युत-ग्रस्त लक्ष्यों में कम से कम 20 मिलयन किलोवाट अतिरिक्त क्षमता की व्यवस्था की जानी चाहिए जिसके बिना औद्योगिक तथा कृषि संबंधी उन्नति पर कुप्रभाव पड़ेगा। स्लिप्पेजिग तथा बेकार पुरानी मशीनों के बेकार होने से संभावित कमी को पूरा करने के लिए इस लक्ष्य के अतिरिक्त 10 और विद्युत-जनन क्षमता की आवश्यकता होगी।

(6) प्रणाली ऊर्जा क्षति को न्यूनतम करने के लिए राज्य बिजली बोर्डों को प्रभावशाली उपाय तैयार करने के लिए अध्ययन शुरू करने चाहिएं।

(7) कोयले की कीमत-संरचना को मुख्यतः इसके ऊष्मीयमान तथा उसमें राख मात्रा के अनुसार गठित किया जाना चाहिए। राज्य बिजली बोर्डों को उन मूल्यों से अधिक अदायगी के लिए नहीं कहा जाना चाहिए जो कि कोयला उद्योगों के राष्ट्रीयकरण से पहले थे और भविष्य में कीमत विद्युत सप्लाई उद्योगो के साथ सलाह करके नियत की जानी चाहिए।

(8) बढ़ती हुई प्रणाली क्षमताओं और समेकित प्रचालन के लिए बढ़ती हुई आवश्यकता के साथ फालतू विद्युत के अन्तर्राज्यीय हस्तांतरण के लिए पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए। अन्तराज्यीय लाइनों तथा भार प्रेषण केन्द्रों की स्थापना को तेजी के साथ पूरा किया जाना चाहिए।

(9) यह सुनिश्चित करने के लिए कि धन की कमी विद्युत परियोजनाओं को तेजी के साथ कार्यान्वयन में बाधा उपस्थित न कर सके, केन्द्र को इन परियोजना पर धन लगाने के लिए विचार करना चाहिए जिनपर राज्य सरकार अपने योजना आवंटन से आवश्यक धन लगाने में असमर्थ हो विकल्पतः ग्राम विद्ययतीकरण निगम जैसे उचित वित्तीय संस्थान स्थापित किए जाने चाहिएं अथवा वाणिज्यक बैंकों या सरकारी वित्त संस्थानों से ऋण लेने की अनुमति होनी चाहिए।

(10) सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं के लिए इस्पात तथा सीमेंट की आवश्यकताओं को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

ग्राम विद्युतीकरण

राज्य सरकार को हरिजन बस्तियों के विद्युयतीकरण की गति में तेजी लानी चाहिए ताकि रजतजयंती वर्ष के दौरान 14 अगस्त, 1973 से पहले पहले अधिक से अधिक बस्तियों में बिजली लगाई जा सके।

पन बिजली पैदा करने में अपने साधन समाप्त कर चुके राज्यों में बिजली उत्पादन कार्यक्रम तैयार करने के लिए एक समिति का गठन

1292. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पन बिजली पैदा करने में अपने साधन समाप्त कर चुकने वाले राज्यों में बिजली उत्पादन कार्यक्रम तैयार करने के लिए सरकार का एक समिति गठित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोबिन्द वर्मा) : (क) और (ख) मामला विचाराधीन है।

कच्चे तेल के मूल्य संबंधी शान्तिलाल शाह समिति का फार्मूला क्रियान्वित करने के लिए विदेशी तेल कम्पनियों की मांग

1293. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा शैल और कालटैक्स विदेशी तेल कंपनियों ने सरकार से कच्चे तेल के मूल्य में वृद्धि करने के बारे में शान्तिलाल शाह समिति का फार्मूला दृढ़ता से क्रियान्वित करने की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : : (क) जी हां।

(ख) उत्पाद के मूल्य को नियत करने के लिए उच्च अशोधित तेल मूल्य को मान्यता देने का प्रश्न विचाराधीन है।

रोपड़ पंजाब में एक तापीय विद्युत संयंत्र की स्थापना

1294. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोपड़ में एक तापीय विद्युत संयंत्र स्थापित करने के पंजाब सरकार के प्रस्ताव को केन्द्रीय सरकार ने अस्वीकार कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को अस्वीकार करने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) : इस स्कीम को परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग में मई, 1971 के अंत में प्राप्त हुई थी और इससे संबंधित ब्यौरों पर परियोजना अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श नवम्बर, 1971 में किया गया था जबकि कुछ स्पष्टीकरण मांगे गये थे। इनकी पंजाब राज्य बिजली बोर्ड से प्रतीक्षा की जा रही है।

जालंधर जिले में फिल्लौर स्टेशन (उत्तर रेलवे) के निकट पटरी पर एक बम का पाया जाना।

1295. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जालन्धर जिले में फिल्लौर स्टेशन के निकट रेल पटरी पर 3 जुलाई, 1973 को एक बम पाया गया था ;

(ख) क्या इस संबंध में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाई की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) लाढोवाल और फिल्लौर स्टेशनों के बीच रेल पथ के पास एक भरा हुआ ग्रैनेड 2-7-73 को मिला था, 3-7-1973 को नहीं।

(ख) ऐसा संदेह है कि यह ग्रैनेड उस मिलिटरी स्पैशल गाड़ी से गिर गया होगा या फैंका गया होगा जो ग्रैनेड पर नजर पड़ने से पहले एक घंटा पहले उस रेलवे लाइन से गुजरी थी। जांच करने पर पता चला कि गैनेड में प्रस्फोटक नहीं लगा हुआ था इस लिए वह चल नहीं सकता था। अतः तोड़-फोड़ का संदेह नहीं किया गया और इस लिए सरकारी रेलवे पुलिस ने कोई मामला दर्ज नहीं किया और न किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।

दिल्ली के उपनगरीय क्षेत्र के लिए तेज गाड़ियां चलाने के बारे में अनुरोध

1296. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के उपनगरीय क्षेत्रों में मीटर गैज और ब्राड गेज लाइन पर तेज गाड़ियां चलाने की सुविधाएं देने के बारे में सरकार को अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो रेल उपभोक्ताओं की मांगों को पूरा करने के लिये ऐसी कितनी गाड़ियां चलायी जायेंगी ; और

(ग) उक्त गाड़ियां कब से चलाई जायेंगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) लाइन क्षमता पर बहुत अधिक भार होने तथा दिल्ली/नई दिल्ली स्टेशनों पर आवश्यक टर्मिनल सुविधाओं की कमी के कारण फिलहाल दिल्ली क्षेत्र में अतिरिक्त गाड़ियां चलाना परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है।

फिर भी, महानगर परिवहन परियोजना संगठन दिल्ली में यातायात की आवश्यकताओं का पता लगाने तथा यातायात में राहत देने के उद्देश्य से दिल्ली में तकनीकी आर्थिक व्यावहारिकता अध्ययन के साथ एक तीसरा टर्मिनल खोलने के लिये प्रारम्भिक इंजीनियरी सर्वेक्षण कर रहा है। यह अध्ययन 1973 के अन्त तक पूरा हो जाने की संभावना है और उसके बाद परियोजना की रिर्पोट पर विचार किया जायेगा।

बड़े तापीय बिजली घरों के लिए स्थान चयन करने संबंधी समिति का प्रतिवेदन

1297. **श्री नवल किशोर शर्मा :**

श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में बड़े तापीय बिजली घरों की स्थापना करने हेतु स्थानों का चयन करने के लिये गठित समिति ने इस बीच सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये चुने गये स्थानों के नाम क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) जी, अभी तक नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान में पोंग बांध के कारण बेघर हुए व्यक्तियों को बसाना

1298. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने राजस्थान में पोंग बांध के कारण बेघर हुए व्यक्तियों को बसाने के मामले में केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है।

(ख) यदि हां, तो अनुरोध करने का क्या प्रयोजन है ;

(ग) राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार के प्रस्ताव को किस हद तक स्वीकार कर लिया है ; और

(घ) केन्द्रीय सरकार राजस्थान सरकार को कितनी सहायता देगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) से (घ) ; राजस्थान में पोंग बांध विस्थापितों के पुनर्वास से संम्बधित सभी मामले राजस्थान और हिमाचल प्रदेश सरकारों के मध्य आपसी समझौते के द्वारा पहले ही तय किये जा चुके हैं। बहरहाल, हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में चालू मानसून के दौरान विस्थापित होने वाले विस्थापितों को और उनको जिनको राजस्थान

में भूमि आवंटन करने के लिए अधिसूचित नहीं किया गया है, अस्थायी शरण स्थान दिये जाने का प्रस्ताव किया है। इस कार्य के लिये व्यास निर्माण बोर्ड द्वारा हिमाचल प्रदेश को वित्तीय व्यवस्था पहले ही उपलब्ध कर दी गई है।

रेलवे प्रशासन को सुव्यवस्थित करना

1299. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक**: क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के विचाराधीन रेलवे प्रशासन को सुव्यवस्थित करने का कोई प्रस्ताव है बिना कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि किये वर्तमान कर्मचारियों से इष्टतम परिणाम प्राप्त किये जा सकें; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का सार क्या है तथा इस संबंध में कब तक निर्णय किये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शकी कुरेशी): (क) फिलहाल कोई विशिष्ट प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

प्रादेशिक बिजली बोर्डों का पुनर्गठन

1300. **श्री श्रीकिशन मोदी**: क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय बिजली इंजीनियर्स संघ ने एक प्रस्ताव में यह मांग की है कि प्रादेशिक बिजली बोर्डों को पूर्णतया स्वायत्त निकायों के रूप में पुनर्गठित किया जाना चाहिये ;

(ख) क्या संघ ने प्रभावशाली ढंग से बिजली विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिये एक उच्च स्तरीय केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण की स्थापना करने की भी मांग की है ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रस्तावों पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) विद्युत् की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के उद्देश्य से, चौथी योजना की समाप्ति पर लगभग 19 मिलियन किलोवाट की प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता पांचवीं योजना के अन्त तक बढ़ कर लगभग 38 से 40 मिलियन किलोवाट तक हो जाने की संभावना है। ऐसे बृहत् विकास कार्यक्रम और बृहत् विद्युत् केन्द्रों और विद्युत् प्रणालियों के एकताबद्ध प्रचालन के माध्यम से मितव्ययी विद्युत् सप्लाई की व्यवस्था करने की आवश्यकता के संदर्भ में बिजली सप्लाई उद्योग की पुनर्संरचना के प्रश्न का अध्ययन किया जा रहा है और उपर्युक्त प्रस्तावों पर विचार किया जायेगा।

मूल औषधियों के मूल्य ढांचे के बारे में जांच

1301. **श्री श्रीकिशन मोदी**: क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मूल औषधियों और भेषजों के मूल्य ढांचे के बारे में जांच कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कब क्या निर्णय लिया जायेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) जी हां। 24 प्रपुंज औषधों एवं भेषजों के लागत ढांचे (जिसमें एम्पटी हार्ड गेलेटाइन कैपसूल शामिल हैं) पर औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो के अध्यक्ष की अध्यक्षता में स्थापित किये गये कार्यकारी दल की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है एवं सरकार के विचाराधीन है।

(ख) जल्दी ही एक निर्णय लिये जाने की आशा है।

अत्यावश्यक बल्क ड्रग्स के मूल्यों के बारे में औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो का प्रतिवेदन

1302. **श्री श्रीकिशन मोदी :**

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अत्यावश्यक बल्क ड्रग्स के मूल्यों में एकरूपता लाने के बारे में औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो का प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य सिफारिश क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार का क्या निर्णय है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) से (ग) प्रपुंज औषधों के लागत ढांचे (जिसमें एम्पटी हार्ड गेलेटाइन कैपसूल शामिल हैं) पर औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरों के अध्यक्ष की अध्यक्षता में स्थापित किये गये कार्यकारी दल की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है एवं सरकार के विचाराधीन है।

आन्ध्र प्रदेश में उर्वरक संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव

1303. **श्री श्रीकिशन मोदी :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में संयुक्त क्षेत्र नीति के अन्तर्गत एक उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई संभावना प्रतिवेदन तैयार कर लिया गया है; और

(ग) परियोजना पर कितनी लागत आयेगी तथा विदेशी सहयोगकर्त्ताओं संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) से (ग) आंध्र प्रदेश में एक उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र की पार्टियों से दो प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं। उनमें से एक में राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा साम्य शेयर पूंजी में कुछ सांझेदारी की संभावना का संकेत है। तथापि राज्य सरकार से इस प्रकार की साझेदारी के बारे में अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

पांचवीं योजना में समुद्री-कटाव विरोधी कार्यक्रम

1304. **श्री श्रीकिशन मोदी :**

श्री एन० शिवप्पा :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि पांचवीं योजना में समुद्री-कटाव विरोधी कार्यक्रम को केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में समझा जाना चाहिये ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने तटवर्ती कटाव प्रतिक्रिया के बारे में व्यापक अध्ययन करने के लिए तट कटाव बोर्ड का पुनर्गठन किया है; और

(ग) यदि हां, तो इसने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय द्वारा गाठित सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और जल निस्सार तथा कमान क्षेत्र विकास संबंधी कार्यकारी दल ने अपनी रिपोर्ट में यह सुझाव दिया है कि केरल में समुद्र कटाव रोधी कार्यक्रम को पांचवीं योजना के दौरान केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के रूप में समझना चाहिए ।

(ख) तट कटाव बोर्ड पहले भारत सरकार द्वारा फरवरी, 1966 में केरल में, जहां की समुद्र कटाव की समस्या बहुत गम्भीर है, समुद्री कटाव रोधी कार्यक्रम बनाने, उसके मार्गदर्शन करने और कार्यान्वित करने के लिए बनाया गया था । समस्त देश में तट कटाव संबंधी कार्यवाही का तथा एक वैज्ञानिक और समेकित ढंग से समस्त का समाधान करने के लिए अपेक्षित कार्यवाही पर विस्तृत अध्ययन करने के लिये दोबारा बनाया गया था ।

(ग) पुनर्गठित तट कटाव बोर्ड ने अब तक चार बैठकें की हैं । तटीय इंजीनियरिंग समस्याओं के प्रभावी और वैज्ञानिक समाधान निकालने तथा अध्ययन करने में भू-रूपात्मक चित्रों की अति आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने यह प्रस्ताव रखा है कि ऐसे चित्रों को तैयार किया जाए । प्रारम्भ में केरल, पश्चिम बंगाल और कैम्बे की खाड़ी में तीन विशेष पहुँचों को चुना गया है और भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारत द्वारा इन तीनों पहुँचों के चित्रों को तैयार करने के कार्य को हाथ में लिया गया है । बोर्ड की तट सुरक्षा स्कीमों के आयोजन तथा अभिकल्पन के लिए अनुसंधानों के लिए गाइड लाइनें भी तैयार की हैं ।

राष्ट्रीय जल योजना के बारे में बिधान

1305. श्री शशि भूषण :

श्री मूल चन्द डागा :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय जल योजना के बारे में सरकार द्वारा विधेयक लाये जाने को ध्यान में रखते हुए राज्यों में जल विवाद से संबंधित वर्तमान सभी आयोगों को भंग करने का प्रस्ताव है जिससे सरकार राष्ट्रीय स्तर पर स्वंय कोई निर्णय कर सके ;

(ख) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं; और

(ग) प्रस्तावित विधेयक कब तक पुनः स्थापित किया जायेगा तथा विधेयक प्रस्तुत किये जाने में विलंब के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) देश के जल संसाधनों के बढ़ते हुए उपयोग तथा भविष्य में बृहत्तर समुपयोजन के कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप समस्त देश के हित में विभिन्न उपयोगों के लिए उपलब्ध पानी के अति लाभदायक तथा समान आबंटन

और पानी की आवश्यकताओं का संतत मूल्यांकन करने के लिये और एक राष्ट्रीय जल नीति बनाने के लिये एक उच्च शक्ति प्राप्त राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् गठित करने की आवश्यकता स्वीकार की गई है।

संविधान के कुछ उपबंधों में संशोधन आवश्यक समझा गया है ताकि राज्यों के बीच जल विवादों के शीघ्र समझौते के लिये तथा राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तरों पर अपेक्षित संगठनों के प्रभावी कार्य को समर्थ बनाने के लिए पानी की धारणा को एक राष्ट्रीय परिसम्पत्ति के रूप में लिया जाए। इन संशोधनों के लिए प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं।

आवश्यक विधि के अधिनियमन के बाद और विवाद हल करने के लिए वैकल्पिक वृत्तियों की व्यवस्था करने के बाद अंतर्राज्यीय विवादों पर उचित समय पर न्यायनिर्णयन क लिए स्थापित न्यायाधिकरणों के जारी रहने या न रहने के बारे में विचार किया जायेगा।

दिल्ली में भूमिगत रेलवे के बारे में सर्वेक्षण प्रतिवेदन

1306. **श्री शशि भूषण :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में भूमिगत रेलवे निर्माण के बारे में सर्वेक्षण प्रतिवेदन तैयार कर लिया गया है ;

(ख) उक्त सर्वेक्षण प्रतिवेदन पर कुल कितनी धन राशि खर्च हुई; और

(ग) प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं और परियोजना पर कब कार्य आरम्भ किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम तीन महीनों में अनाज का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाना

1307. **श्री शशि भूषण :**

श्री नवल किशोर सिन्हा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम तीन महीनों में रेलवे अनाज की आशातीत मात्रा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में असफल रही है ;

(ख) इसका अनुमानित लक्ष्य क्या था और वास्तव में कितना अनाज एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया गया ;

(ग) अनाज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में क्या बातें प्रभावी रहीं और इस बारे में क्या कठिनाइयां अनुभव की गई ; और

(घ) स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं।

(ख) कृषि मंत्रालय ने अप्रैल से जून, 1973 तक की अवधि में अतिरिक्त उपज वाले पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्यों से कमी वाले विभिन्न राज्यों को

27.81 लाख मीटरिक टन अनाज के संचलन का कार्यक्रम बनाया था और इस अवधि में रेल द्वारा 24.12 लाख मीटरिक टन अनाज का संचलन किया गया। इसके अलावा, इसी अवधि में इन राज्यों से 6.11 लाख मीटरिक टन अनाज की ढुलाई व्यापारिक लेखे में हुई।

(ग) लदान और भी अधिक हुआ होता लेकिन निम्नलिखित अपरिहार्य कारणों से नहीं हो सका:

(1) कतिपय क्षेत्रों में स्टाक की अनुपलब्धता के कारण भारतीय खाद्य निगम द्वारा कम यातायात प्रस्तुत किया गया ;

(2) पश्चिम, उत्तर, पूर्वोत्तर, और पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर रेल इंजन कर्मचारियों द्वारा आन्दोलन ;

(3) खाद्य निगम के कुछ डिपुओं पर श्रमिक अशान्ति ;

(4) जून, 1973 में असम और उत्तर बंगाल में बाढ़ के कारण हुई लाइनों की टूटफूट।

(घ) रेलें अनाज के संचलन को उच्चतम प्राथमिकता देती हैं।

श्री निवासपुरी नई दिल्ली में गहरी नालियों के कारण रेल दुर्घटनाएं

1308. **श्री शशि भूषण:** क्या रेल मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्रीनिवासपुरी, नई दिल्ली में रेलवे लाइनों के साथ-साथ बड़ी और गहरी नालियों के स्थित होने के कारण अनेक दुर्घटनायें होती हैं,

(ख) वहां गत दो वर्षों में कितनी दुर्घटनायें हुई हैं और इन घटनाओं में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई ; और

(ग) सरकार ने उन नालियों को ढकने अथवा बन्द करने के बारे में क्या कार्यवाही की है?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी): (क) और (ख) जिस नाली का उल्लेख किया गया है वह रेलवे की सीमा से बाहर है और उसकी देखभाल दिल्ली नगर निगम द्वारा की जाती है। इस नाली के कारण हुई किसी दुर्घटना की रेल प्रशासन को कोई जानकारी नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

देश में प्रीडिनसोलीन के उत्पादक और इसकी मैसर्स जान वाइथ द्वारा तस्करी

1309. **श्री विद्याधर बाजपेयी:** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्रीडिनसोलीन के उत्पादनकर्ताओं के नाम क्या हैं, उनकी लाइसेंस क्षमता कितनी है और गत तीन वर्षों में उन्होंने कितना उत्पादन किया ;

(ख) देश में निर्मित प्रीडिनसोलीन का बिक्री मूल्य कितना है और अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य से इसकी क्या तुलना है; और

(ग) क्या मैसर्स जोन वाइथ, जो देश में इसका उत्पादन करती है, चोरी छिपे प्रीडिनसोलीन का कुछ स्टाक प्राप्त करने में सफल हो गई और उसने उसे देश में निर्मित उत्पादन में जमा कर उसे देश में निर्मित उत्पादन के लिये निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचा?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) प्रेडीनीसोलोन संश्लेषित हार्मोन के समूह जिसमें प्रेडीनोसोन हाईड्रकारटीसोन आदि, जैसे उत्पाद हैं, से संबंधित है। देश में कुल लाइसेंस शुदा क्षमता सभी हार्मोन के लिये 3148 किलो ग्राम है। परन्तु प्रेडीनीसोलोन के लिए क्षमता अलग से नहीं दी गई है। मैसर्स गिलैक्सो लेबोरेट्रीज लि० मैसर्स मर्कशर्प डोम लि० और वाईथ लैबोरट्रीज लि० को प्रेडीनीसोलोन के लिये निर्माण के लिये लाइसेंस दिया गया है। विभिन्न हार्मोन के अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि निर्माता कंपनियां 1971 तक सभी संश्लेषित हार्मोन का सम्मिलित उत्पादन दिखाती थी। 1972 में प्रेडीनीसोलोन का उत्पादन 595 किलोग्राम था।

(ख) स्वदेश में निर्मित प्रेडनीसोलोन का विक्रय मूल्य प्रति किलो 14266.21 रुपये है। आयातित प्रेडीनीसोलोन की लागत बीमा भाड़ा मूल्य लगभग 4300 रुपये है।

(ग) बताया जाता है कि मैसर्स वाईथ लैबोरेट्रीज ने प्रेडनीसोलोन की कुछ मात्राएं स्थानीय रूप से खरीदी थीं और अपने उत्पाद से उसका मिश्रण किया था। परन्तु उन्होंने यह स्टाक औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1970 के अंतर्गत निर्धारित मूल्य से अधिक पर नहीं बेचा था। इस बात की आयात निर्यात के मुख्य नियंत्रक द्वारा जांच की जा रही है कि जिस कंपनी से मैसर्स वाईथ ने स्थानीय क्रय किया था उसने प्रेडनीसोलोन की तस्करी तो नहीं की थी।

मैसर्स सैन्डोज द्वारा रूस को औषधियों का निर्यात

1310. **श्री विद्याधर बाजपेयी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स सैन्डोज को रूस से लगभग 2 करोड़ रुपये की कीमत की औषधियों का निर्यात करने का क्रयादेश प्राप्त हुआ है; यदि हां, किन-किन औषधियों का निर्यात किया जायेगा ;

(ख) क्या रूस सरकार से सहयोग प्राप्त करने वाले एक सरकारी उपक्रम, आई० डी० पी० एल०, को रूस सरकार को निर्यात करने के लिए इसी प्रकार के क्रियादेश प्राप्त नहीं हो सके :

(ग) निर्यात क्रयादेशों को क्रियान्वित करने के लिए सैन्डोज को आयात प्रोत्साहन दिये गये ; और

(घ) निर्यात से हुई आय से विदेशी मुद्रा पर क्या प्रभाव पड़ा और इस मामले में कितने आयात की अनुमति दी गई ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) :(क) जी हां। मैसर्स सैन्डोज (इंडिया) लि० ने मलरिल तथा इनटेस्टोपन गोलियों के लिये 172,68,000 रुपये मूल्य का सोवियत संघ को निर्यात का एक आर्डर प्राप्त किया है।

(ख) ये दो औषधियां आई०डी०पी०एल० द्वारा नहीं बनाई जाती हैं।

(ग) विद्यमान नीति में परिष्कृत औषधियों पर एफ०ओ०बी० वसूली के 20 प्रतिशत तक आयात आपूर्ण लाईसेंस और 20 प्रतिशत रोकड़ सहायता दिये जाने की व्यवस्था है।

(घ) एफ०ओ०बी० वसूली के 20 प्रतिशत आयात आपूर्ण लाईसेंस जिसमें 31 लाख रुपये के मूल्य के मलरिल पदार्थ आयात का पहले से दिया गया लाईसेंस सम्मिलित है, को घटा कर विदेशी मुद्रा की शुद्ध आय 1,38,00,000 रुपये होने की आशा है।

मैसर्स फाइजर लिमिटेड द्वारा आक्सी-टेट्रासाक्लाइन का उत्पादन

1311. **श्री विद्याधर बाजपेयी:** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स फाइजर लिमिटेड द्वारा आक्सी-टेट्रासाक्लाइन का उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो फर्म की लाइसेंस प्राप्त क्षमता क्या है और वर्ष 1972 में वास्तविक उत्पादन क्या था ;

(ग) क्या मैसर्स फाइजर लिमिटेड द्वारा अपने उत्पादन के कुछ अंश की सप्लाई गैर-संबद्ध फार्म्यूलेटस को दी जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के अन्तर्गत कार्य-वाही करने और फर्म को यह कहने का है कि लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अतिरिक्त सारे उत्पादन की सप्लाई गर-संबद्ध फार्म्यूलेटस को की जाये ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) जी हां।

(ख) आक्सी-टेट्रासाइक्लीन के निर्माण के लिये प्रतिवर्ष 9 मीटरी टन लाइसेंसीकृत क्षमता की तुलना में मैसर्स फाइजर लि० ने 1972 के दौरान 39 मीटरी टन प्रपुंज औषध का उत्पादन किया।

(ग) जी नहीं ।

(घ) औषध मूल्य नियंत्रण आदेश, 1970 के अन्तर्गत कार्यवाही करने का प्रश्न इसलिए नहीं उठता क्योंकि मैसर्स फाइजर से इस औषध के रिलीज (देने) के संबंध में सरकार को ऐसे असम्बद्ध विनिर्माणकों से कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ ।

दिल्ली और बम्बई से कलकत्ता जाने वाले मेल/एक्सप्रैस गाड़ियों का मार्ग बदल कर उन्हें बिहार के पालामऊ जिले के रास्ते से गुजराना

1312. **कुमारी कमला कुमारी:** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली और बम्बई से कलकत्ता जाने वाली मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में से एक गाड़ी का मार्ग बदल कर उसे बिहार के पालामऊ जिले के रास्ते गुजारने का है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि हां, तो उस मेल/एक्सप्रेस गाड़ी का नाम क्या है जिसका मार्ग बदला जा रहा है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी): (क) जी नहीं।

(ख) इस समय कलकत्ता और दिल्ली/बम्बई के बीच चलने वाली किसी भी मेल/एक्सप्रेस गाड़ी का मार्ग परिवर्तन करके उसे पालामऊ जिले के रास्ते से चलाना परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है क्योंकि प्रस्तावित मार्ग में लाइन क्षमता का अभाव है, यात्रा समय अधिक लगता है और रेल पथ पर गाड़ियां धीमी रफ्तार से चलाई जाती हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

बखडीह डेहरी और गड़हवा रोड-चोपन लाईनों पर गाड़ियों का देरी से चलना

1313. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बखडीह-डेहरी लाईन और गड़हवा रोड़-चोपन लाईन पर गाड़ियां हमेशा घंटों लेट चलती है और गाड़ियों को समय पर चलाने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की जाती;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) गाड़ियों को समय पर चलाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जानी है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) इन स्टेशनों पर गाड़ियों का समय पालन संतोषजनक नहीं रहा है ।

(ख) बखडीह डेहरी-ऑन-सोन खंड और गडहवा रोड़-चोपन खंड पर गाड़ियों के समय पालन पर दुष्प्रभाव पड़ने का मुख्य कारण बदमाशों द्वारा खतरे की जंजीर के उपकरण का दुरुपयोग किया जाना, होज पाइप का काटा जाना और सिगनल उपस्करों के साथ छेड़ छाड़ किया जाना है तथा इनके फलस्वरूप इकहरी लाइन खंडों पर गाड़ियों के सामयिक क्रासिंग का अस्त-व्यस्त हो जाना है।

(ग) समय पालन में सुधार के लिये गाड़ियों के चालन पर विशेष निगरानी रखी जाती है तथा सभी परिहार्य विलंब के लिए संबंधित कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई की जाती है। कुछ अन्य गाड़ियों पर खतरे की जंजीर के उपकरण भी निष्क्रिय कर दिये गये हैं ताकि समय पालन में सुधार किया जा सके।

रांची से चुनारगढ़, चोपान, गडहवा रोड, पंखा बखडीह अथवा डेहरी-डालटन गंज के रास्ते दिल्ली के लिये नई डाक/एक्सप्रैस ' गाड़ी

1314. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रांची से चुनारगढ़, चोपान, गड़हवा रोड, बखडीह के रास्ते अथवा डेहरी डाल्टन गंज, बखडीह-रांची के रास्ते दिल्ली तक डाक-एक्सप्रेस गाड़ी न चलाने के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या सरकार ने स्वतन्त्रता के 25 वर्ष में डेहरी-बखडीह लाईन पर गाड़ियों की सेवा में कोई सुधार किया है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) यातायात की दृष्टि से औचित्य के प्रश्न के अलावा, चुनार, चोपन, गड़हवा रोड, बखडीह के रास्ते अथवा डेहरी-ऑन-सोन, डाल्टनगंज-बखडीह होकर दिल्ली और रांची के बीच एक अतिरिक्त डाक/एक्सप्रेस गाड़ी चलाना इस समय परिचालन की दृष्टि से भी व्यावहारिक नहीं है क्योंकि रास्ते के खंडों में लाईन क्षमता की कमी है और दिल्ली/नयी दिल्ली में टर्मिनल सुविधायें सीमित हैं ।

(ख) स्वाधीनता के बाद से, डेहरी-ऑन-सोन-बखडीह लाइन के यात्रियों के लिये निम्नलिखित अतिरिक्त गाड़ी सुविधाओं की व्यावस्था की गयी है :—

(1) 27-5-1958 से 1 डीबी/2 डी बी बखडीह-डेहरी-ऑन-सोन सवारी गाड़ियों का चालन क्षेत्र मुगलसराय तक बड़ा दिया गया ।

(2) 1-4-1960 से गोमो और बखडीह के बीच एक जोड़ी अतिरिक्त गाड़ियां चलायी गयीं जिनका चालन-क्षेत्र 1-4-1970 से गढ़वा रोड तक बढ़ा दिया गया।

छोटा नागपुर क्षेत्र के लिये रेल विकास कार्यक्रम

1315. **कुमारी कमला कुमारी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रेल विकास के संबंध में अब तक छोटा नागपुर क्षेत्र की उपेक्षा करती रही है और बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र में किसी जिले में भी मेल/एक्सप्रेस रेल सेवा उपलब्ध नहीं की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं। ?

रेल मत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं। छोटा नागपुर क्षेत्र में इस समय 7 जोड़ी मेल/एक्सप्रेस गाड़ियां चल रही हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गंगा नदी पर फरक्का बांध के निर्माण के बारे में बंगला देश की समस्या

1316. **श्री त्रिदिव चौधरी: क्या सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बंगला देश के बाढ़ नियंत्रण और जल संसाधन मंत्री द्वारा बंगला देश की संसद में 4 जुलाई, 1973 को दिये गये इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि भारत सरकार द्वारा गंगा नदी पर फरक्का बांध के निर्माण से बंगला देश के लिये एक वास्तविक समस्या पैदा हो गई है और उनका विचार दोनों देशों के बीच इस समस्या पर मंत्री स्तरीय वार्ता करने का है ; और

(ख) क्या बंगला देश सरकार ने औपचारिक रूप से और सरकारी रूप से फरक्का बांध परियोजना के द्वारा उनके देश के लिए खड़ी हो गयी समस्याओं के बारे में अपने विचार बता दिये हैं और यदि हां, तो उसका सार क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोबिन्द वर्मा : (क) और (ख) जी, हां। 16 जुलाई, 1973 को बंगलादेश के प्रतिनिधिमंडल जिसका नेतृत्व वहां के बाढ़ नियंत्रण, जल संसाधन और विद्युत के मंत्री ने किया तथा भारतीय प्रतिनिधिमंडल, जिसका नेतृत्व विदेशी मामलों के केन्द्रीय मंत्री ने किया, के मध्य नई दिल्ली में विचार विमर्श हुए थे। ये विचार-विमर्श मुख्यतौर पर फरक्का वराज पोषक नहर चालू करने तथा उसके बंगला देश पर प्रभाव के बारे में हुए थे, विचार-विमर्श के दौरान यह विचार प्रकट किया गया कि फरक्का परियोजना भागीरथी में प्राकृतिक बहाव निस्सार को कम करने से बंगला देश में पदमा की बाढ़ सघनता बढ़ जाने की संभावना है। इस प्रश्न पर विचार-विमर्श किया गया और बंगलादेश के प्रतिनिधिमण्डल को आश्वासन दिया गया कि पोषक नहर और जंगी पुर बराज का प्रचालन इस प्रकार किया जाएगा कि भागीरथी मानसून अवधि के दौरान पहले जैसा ही और अगर संभव हो तो उससे भी अधिक पानी प्राप्त करती रहेगी। भारत सरकार ने यह मान लिया था कि फरक्का बराज परियोजना बंगलादेश में पदमा की बाढ़ सघनता को नहीं बढ़ाएगी। इस बात पर भी सहमति हुई कि दोनों ओर के प्रतिनिधि फिर मिलेंगे और फरक्का बराज परियोजना के प्रचालन से पहले पहले समस्या का कोई हल ढूंढने के उद्देश्य से विचार-विमर्श जारी रखेंगे।

फैरो-एलायस कारपोरेशन लिमिटेड के विरुद्ध कम्पनी अधिनियम के उल्लंघन की शिकायतें

1317. **श्री त्रिदिव चौधरी: क्या विधि, न्याय और कम्पनी** कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कंपनी अधिनियम और नियमों के उपबंधों के उल्लंघन के बारे में फैरो-

एलायस कारपोरेशन लिमिटेड के विरुद्ध गंभीर शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; जोकि एक पब्लिक कंपनी है और जिसका पंजीकृत कार्यालय तुमसार (महाराष्ट्र) में है और जिसके कारखाने गारीविडी, आंध्र प्रदेश में हैं और जिसमें अंशधारियों के धन के अतिरिक्त राष्ट्रीयकृत बैंकों, साधारण बीमा कंपनियों और आंध्र प्रदेश सरकार के, आंध्र प्रदेश औद्योगिक निगम का भी बहुत सा धन लगा है ; और

(ख) यदि हां, तो तो क्या धारा 237 ख के अंतर्गत कोई जांच की गई है ?

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) :(क) हां, श्रीमान्, कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) नहीं, श्रीमान्।

फरक्का बांध परियोजना के अन्तर्गत भागीरथी पर जंगीपुर बांध की सुरक्षा

1318. **श्री त्रिदिव चौधरी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरक्का बांध परियोजना की अन्तर्गत वेस्वानाथपुर 'आफ टेक' से उपर तथा नीचे गंगा के भूक्षरण से भागीरथी पर जंगीपुर बांध के संरक्षण हेतु इस वर्ष यदि कोई उपाय किए हैं, तो वें क्या हैं; और

(ख) फरक्का से नीचे वेस्वानाथपुर तक गंगा से भूक्षरण की नवीनतम स्थिति क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा) : (क) पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने विश्वनाथपुर आफ टेक के निकट भू-कटाव को रोकने के लिये तत्काल सुरक्षा उपाय किये हैं। यह सूचना मिली है कि रीच में प्रस्तावित चार अवगाहन क्षम ठोकरों में से दो को पूरा कर दिया गया है और पत्थरों की कमी के कारण रुके हुए अन्य दो पर कार्यों को फिर से चालू करने के लिये बजरों द्वारा पत्थर ले जा कर प्रयत्न किये जा रहे हैं। जंगीपुर बराज की सुरक्षा के लिये इन कार्यों की लागत फरक्का बराज परियोजना द्वारा वहन की जाएगी।

(ख) फरक्का के निम्नस्रोत के अत्यधिक असुरक्षित स्थानों पर नई ठोकरों के निर्माण तथा वर्तमान ठोकरों के दृष्टिकरण द्वारा भू-कटाव पर संतोषजनक रूप से नियंत्रण कर लिया है। धुलियां, औरंगाबाद नीमतीता और हजारपुर ब्रह्मनगर जैसे महत्वपूर्ण स्थानों को सुरक्षित कर दिया गया है। राजपथ को भी बचा लिया गया है जिसे भू-कटाव से खतरा पैदा हो गया था। वहरहाल, मिथिपुर कुर्सवपुर रीच में भू-कटाव जारी है।

Re-opening of S. S. Light Railway

1319. **Shri Ram Chandra Vikal:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the broad outlines of the steps taken so far in regard to re-opening of Shahdara Saharanpur Railway line ; and

(b) the time by which the said Railway will be opened to traffic ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) It has been decided to construct a broad gauge line in the area. Alternative alignments and junction arrangements for the line are under examination.

(b) It always takes some time to construct a new line, whereafter it will be opened to traffic.

1978-79 तक उर्वरकों के उत्पादन तथा मांग में अन्तर

1320. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1978-79 तक उर्वरकों के उत्पादन और मांग में बहुत अधिक अंतर होगा; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का उर्वरकों की कमी को किस प्रकार से पूरा करने का विचार है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) कृषि मंत्रालय के प्रारंभिक अनुमान के अनुसार 1978-79 तक देश में उर्वरक की मांग 52.13 लाख मीटरी टन नाइट्रोजन 2186 लाख मीटरी टन पी $_2$ औ $_5$ तथा 11.06 लाख मीटरी टन के $_2$ ओ के रूप में होगी। इसके विपरीत देश में उत्पादनाधीन एवं कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं से 33.20 लाख मीटरी टन नाइट्रोजन एवं 9.34 लाख मीटरी टन फास्फेटिक उर्वरक के रूप में कुल उत्पादन होने की आशा है। पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 5 नये उर्वरक संयंत्र स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है जिनकी कुल क्षमता 11.10 लाख मीटरी टन नाइट्रोजन एवं 3.75 लाख मीटरी टन पी$_2$ ओ$_5$ होगी। इसके अतिरिक्त पंच वर्षीय योजना के अंतर्गत गैर-सरकारी क्षेत्र में से नये उर्वरक संयंत्रों की स्थापना के कुछ प्रस्ताव प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर है। जहां तक संभव हो कमी को आयात द्वारा पूरा करना होगा।

आन्ध्र प्रदेश में बिजली की कमी

1321. **श्री पी० वेंकटासुब्बया** :
श्री वाई० ईश्वर रेडी :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में बिजली की अत्यधिक कमी है जिसका कृषि उत्पादन कार्यक्रमों तथा उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ;

(ख) आंध्र प्रदेश में बिजली की सप्लाई में वृद्धि करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है और यह मामला इस समय किस आवस्था में है ; और

(ग) राज्य बिजली उत्पादन में कब तक आत्म निर्भरता प्राप्त कर लेगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) जी, नहीं। 12.0 मिलियन यूनिट प्रति दिन की ऊर्जा आवश्यकता के प्रति उपलभ्यता 10.5 मिलियन यूनिट प्रति दिन है। विद्युत कटौतियों में जुलाई, 1973 के तीसरे सप्ताह से और ढील दी गई है।

(ख) और (ग) कोठागुडम में 110 मैगावाट का पहला यूनिट अगस्त 1973 में और 110 मैगावाट का दूसरा यूनिट दिसम्बर, 1973 में चालू होना संभावित है। इससे राज्य को विद्युत स्थिति में कुछ राहत मिलने की संभावना है। दीर्घकालीन उपाय के रूप में निम्नलिखित विद्युत स्कीमों को कार्यान्वयन किया जा रहा है :—

(1) 4 × 110 मैगावाट की लोअर सिलेरू जल-विद्युत स्कीम

(2) 4 × 110 मैगावाट की श्रीसेलम जल-विद्युत स्कीम

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित परियोजनाओं को हाल ही में स्वीकृत किया गया है :—

(1) नागर्जुनसागर पम्पड संचय 2 × 50 मैगावाट

(2) कोठागुडम चरण-चार 2 × 110 मैगावाट

इसके अतिरिक्त 2 × 200 मैगावाट का विजयवाड़ा में एक ताप-विद्युत केन्द्र और 2 × 60 मैगावाट का अपर सिलेरू विस्तार विचाराधीन है। यदि इन सभी परियोजनाओं को शीघ्र शुरू किया जाता है तो राज्य धीरे-धीरे विद्युत उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाएगा।

आन्ध्र प्रदेश में वरदराजस्वामी जलाशय परियोजना का निर्माण

1322. **श्री पी० वेंकटासुब्बया:** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने अभी हाल में वरदराजस्वामी जलाशय परियोजना के स्थान का निरीक्षण किया था ;

(ख) क्या उस परियोजना का शिलान्यास लगभग दस वर्ष से भी अधिक समय पूर्व तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो इस जलाशय परियोजना का निर्माण शुरू करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) जी हां,।

(ख) जी, हां।

(ग) विभिन्न परियोजना प्रस्तावों की स्थल पर जांच की गई थी और राज्य के अभियंताओं को यह सुझाव दिया गया था कि वन्डाला मड्डु के निकट स्थल के लिए प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जाए। इस स्थल के लिए वैज्ञानिक अन्वेषण राज्य अभियंताओं द्वारा आरंभ कर दिए गए हैं।

परियोजनाओं और प्राक्कलनों को अंतिम रूप दिए जाने और राज्य सरकार द्वारा भेज दिये जाने तथा कृष्णा न्यायाधिकरण का पंचाट उपलब्ध हो जाने के तुरंत बाद इस परियोजना पर कार्यान्वयनार्थ विचार किया जाएगा।

आन्ध्र प्रदेश में श्री सैलम पन बिजली परियोजना का क्रियान्वित किया जाना

1323. **श्री पी० वेंकटासुब्बया:** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही में आन्ध्र प्रदेश में श्री **सैलम** पन-बिजली परियोजना का निरीक्षण किया था;

(ख) उस परियोजना के काम की प्रगति के बारे में उनके क्या विचार हैं; और

(ग) निर्धारित समय के अन्दर परियोजना को शीघ्र पूरा करने लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) चूंकि पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं की जा रही है, कार्य प्रगति बहुत धीमी रही है।

(ग) प्रथम विद्युत यूनिट को जून, 1977 तक चालू करने के लिए परियोजना अधिकारियों ने संशोधित निर्माण कार्यक्रम तैयार किया है।

बांसपानी जखपाड़ा रेल मार्ग पर निर्माण कार्य

1324. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही:** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बांसपानी -जखपाड़ा रेल लाईन पर निर्माण कार्य वर्ष 1973-74 में आरंभ कर दिया जायेगा; और

(ख) यदि नहीं, तो इस महत्वपूर्ण रेलवे लाइन का निर्माण कार्य, जब कि आवश्यक सर्वेक्षण कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है, विलम्ब से आरम्भ किये जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) बांसपानी-जखपाड़ा रेलवे लाइन के निर्माण के लिए विस्तृत इंजीनियरिंग एवं यातायात सर्वेक्षण को 1973-74 के बजट में शामिल कर लिया गया है। मलंगटोली क्षेत्र में लोह अयस्क के दोहन के संबंध में अध्ययन दल की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिये जाने के बाद ही इस लाइन के सर्वेक्षण और निर्माण के बारे में विनिश्चय किया जायेगा।

उड़ीसा में कटक स्थित राज सहायता प्राप्त रेलवे होस्टल की क्षमता में वृद्धि करना

1326. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में कटक स्थित राज सहायता प्राप्त रेलवे होस्टल की क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव कार्यान्वित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो होस्टल की अब क्या क्षमता है और उस की क्षमता में कितनी वृद्धि की गई है; और

(ग) अपेक्षित मांग क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) कटक स्थित आंशिक सहायता-प्राप्त रेलवे होस्टल प्रारंभ में 25 सीटों के साथ खोला गया था, जिनकी संख्या बढ़ाकर 49 और बाद में गत वर्ष 52 कर दी गयी।

(ग) यदि, कटक स्थित आंशिक सहायता-प्राप्त होस्टल की क्षमता बढ़ाने की आगे कोई मांग आयेगी तो उस पर रेलवे द्वारा विचार किया जायेगा।

बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के लिये उड़ीसा को विशेष सहायता

1327. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चौथी योजना के अंतिम दो वर्षों में बाढ़ नियंत्रण की विशेष योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उड़ीसा को 10 करोड़ रुपये की विशेष सहायता देना स्वीकार किया था;

(ख) क्या यह राशि उड़ीसा को दे दी गयी थी ; और

(ग) यदि हां, तो इस सहायता के साथ कौन-कौन सी विशेष योजनाएं कार्यान्वित की गई ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) भारत सरकार उड़ीसा की राज्य सरकार को निम्नलिखित प्राथमिकता वाले बाढ़ नियंत्रण कार्यों के तेजी से कार्यान्वयन के लिए चौथी योजना के अंतिम दो वर्षों के दौरान 10 करोड़ रुपये की उच्चतम सीमा तक वित्तीय सहायता की व्यवस्था करने के लिए सहमत हो गई है :

1. रेंगाली बांध परियोजना
2. भीमकुंड बांध परियोजना
3. तटबंधों को ऊंचा तथा सुदृढ़ करना।

वित्तीय सहायता स्वीकृत स्कीमों के संबंध में व्यय की प्रगति पर राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर अवमुक्त की जाती है। अब तक केवल रेंगाली परियोजना को स्वीकृति दी गई है। जून, 1973 के अन्त तक संभाव्य व्यय की रिपोर्ट पर आधारित इस स्कीम पर व्यय करने के लिए उड़ीसा की राज्य सरकार को 1 करोड़ रुपये की धनराशि दी गई है।

पश्चिम बंगाल में फरक्का बांध का कार्य

1328. **श्री शंकरराव सावन्त:** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल में फरक्का बांध का कितना कार्य पूरा कर लिया गया है और कितना कार्य पूरा किया जाना शेष है;

(ख) क्या कार्य की गति धीमी कर दी गई है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस बांध के निर्माण से भारत को क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा): (क) फरक्का बराज और बराज के ऊपर शीर्ष नियामक और रेल-मय-सड़क पुल पूर्ण हो चुके हैं। गाइड और एपलवस बंध, प्रतिप्रवाह नौवहन लाक आदि सहायक कार्य प्रगति पर हैं। पोषक नहर का 97 प्रतिशत मिट्टी कार्य पूर्ण हो चुका है।

जंगीपुर पर बराज पूर्ण हो चुका है। फाटकों का निर्माण और इरेक्शन प्रगति पर है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) फरक्का बराज से भारत को संभावित लाभ मुख्यत: निम्नलिखित हैं:—

(1) कलकत्ता पत्तन के लिए नौवहन जलमार्ग का पुनरूद्धार; और गंगा भागीरथी हुगली के जरिए अन्त: स्थलीय नौवहन को बढ़ाना।

(2) गंगा के दोनों तटों के क्षेत्रों के मध्य संचार संपर्क।

(3) कलकत्ता महानगर और उसके अड़ोस-पड़ोस के क्षेत्रों को ताजे पानी की सुनिश्चित सप्लाई।

महाराष्ट्र में सिंचाई योजनाओं को स्वीकृति

1329. **श्री शंकरराव सावन्त:** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र में सिंचाई की किन-किन योजनाओं को स्वीकृति दे दी है;

(ख) उपरोक्त योजना के बारे में क्या प्रगति हुई है; और

(ग) क्या किसी योजना का कार्य निर्धारित समयावधी से पीछे है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोबिन्द वर्मा): (क) से (ग) महाराष्ट्र में निम्नलिखित 18 वृहत सिंचाई स्कीमें विभिन्न योजनाओं में योजना आयोग द्वारा कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत की गई:—

1. घोड़
2. वीर
3. गिरना
4. मुला
5. पूर्णा

6. पुस
7. भीमा
8. जयकवाड़ी चरण-एक
9. कृष्णा
10. वर्णा
11. काल
12. कुकाडी चरण-एक
13. अपर गोदावरी
14. तुलसी
15. वाग
16. इत्यदोह
17. खडकवासला चरण-एक
18. अपर तापी

घोड, वीर तथा गिरना वृहत परियोजनाएं पूर्ण हो गई हैं। मुला, वाग, इत्यादोह और पुस परियोजनाएं पूर्ण होने को हैं। शेष स्कीमों के संबंध में प्रगति और विलम्ब के कारण उपाबंध में दिए गए हैं।

उपर्युक्त के अतिरिक्त 69 मध्यम स्कीमें भी कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत की गई थी इनमें से 57 स्कीमें पूर्ण हो चुकी हैं ; चार अन्य स्कीमों के चौथी योजना के अन्त तक पूर्ण होने की संभावना है; और शेष के पांचवीं योजना की अवधि में पूरा होने की उम्मीद है।

विवरण

महाराष्ट्र में निर्माणाधीन आठ वृहद सिंचाई परियोजनाओं के सम्बन्ध में देरी के कारण और कार्यों में प्रगति :

1. भीम परियोजना—मार्च, 1973 के अन्त तक परियोजना पर निम्नलिखित प्रगति हुई है :

(1) पवाना बांध शत प्रतिशत पूर्ण

(2) भीम के ऊपर बांध
  (1) चिनाई बांध 45% पूर्ण
  (2) मिट्टी का कार्य 60% पूर्ण

(3) वामतट मुख्य नहर 10% पूर्ण

परियोजना के कार्यान्वयन में देरी धन की कमी के कारण हुई है।

2. अपर गोदावरी परियोजना : करंजावन बांध पर 81% चिनाई और 83% मिट्टी का कार्य मार्च, 1973 के अन्त तक हुआ है। पालखेड जलाशय पर प्रारंभिक कार्य भी प्रगति करते रहे। बघाद तथा औजरखेड नामक अन्य जलाशयों पर कार्य अभी आरंभ नहीं हुआ है। परियोजना के कार्यान्वयन में देरी का मुख्य कारण धन का पर्याप्त न होना है।

3. अपर तापीय चरण-एक : वीयर का लगभग 16% कार्य पूर्ण हो चुका है। मुख्य नहर के पहले 15 किलोमीटर पर कार्य प्रगति कर रहा है।

परियोजना के कार्यान्वयन में देरी का मुख्य कारण धन का पर्याप्त न होना है।

4. **कुकाड़ी परियोजना** : परियोजना पर केवल प्रारंभिक कार्य ही शुरु किए गए हैं। परियोजना के कार्यान्वयन में देरी का मुख्य कारण धन का अपर्याप्त होना है।

5. खड़कवासला परियोजना चरण-एक

मार्च, 1973 के अन्त तक कार्यों की प्रगति निम्नलिखित है :

बांध	100 प्रतिशत पूर्ण
मुख्य नहर तथा संबंधित कार्य	100% पूर्ण
शाखाएं तथा उपशाखाएं	43.6% पूर्ण
क्रास ड्रेनेज कार्य	7% पूर्ण

राज्य सरकार के अनुसार परियोजना के कार्यान्वयन में देरी पंशेत और खडकवासला बांधों में दरारों के पड़ जाने के कारण है।

6. कृष्णा परियोजना

ढोम बांध और नहरों पर कार्य पूरे जोरों से चल रहा है और आरफल बांध खास अगले वर्ष शुरु करने का विचार है। आरफल बांध पर हो रहे काम के तेजी पकड़ने पर कनहर बांध और नहरों पर कार्य शुरु कर दिया जाएगा।

चूंकि गत दो वर्षों के दौरान परियोजना के लिए अपेक्षित धन-राशि नहीं जुटाई जा सकी, यह परियोजना अनुसूची से पीछे रह गई है।

7. वार्णा परियोजना

बांध और नहरों खास पर कार्य इसलिए आरम्भ नहीं किया जा सका क्योंकि परियोजना से प्रभावित होने वाले लोग परियोजना के लिए अपेक्षित भूमियों के अर्जन का विरोध अब भी कर रहे हैं।

8. जायकवाडी परियोजना चरण-एक

मिट्टी के बांध पर कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। चिनाई बांध जून, 1974 तक ओजी क्रैस्ट तक पूर्ण हो जाएगा और उमड़मार्ग कपाट 1976 तक लगा दिए जाएंगे। वांई तट नहर के 204 किलोमीटर में से पहले 100 किलोमीटर पर कार्य 1974–75 में पूर्ण हो जाएगा और समस्त नहर 1979-80 तक पूर्ण हो जाएगी। 1974-75 में 24 हजार हे० भूमि की सिंचाई का प्रस्ताव है। परियोजना पर कार्य अनुसूचि के पीछे है क्यों कि 1966 से 1971 तक की अवधि के दौरान परियोजना के लिए राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित धन उपलब्ध नहीं किया जा सका।

विभिन्न उच्च न्यायालयों में रिक्त पद

1330. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न उच्च न्यायालयों की न्यायपीठों में इस समय कितने रिक्त पद हैं ;

(ख) उक्त पदों को इतने लम्बे समय तक रिक्त रखने के क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) विभिन्न उच्च न्यायालयों में रिक्तियों की कुल संख्या इस समय 49 है।

(ख) और (ग) कतिपय रिक्तियां भरे जाने के प्रस्ताव अनुमोदित कर दिए गए हैं और उन्हें अधिसूचित किया जा रहा है। कतिपय अन्य रिक्तियां भरे जाने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं जबकि शेष रिक्तियां भरे जाने के प्रस्ताव राज्य प्राधिकारियों द्वारा भेजे जाने की प्रतीक्षा है, जिन्हें स्मरण करा दिया गया है।

मैसूर में बिजली की सप्लाई में कटौती

1331. **श्री डी० बी० चन्द्र गौंडा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लिंगनामक्की जलाशय (मैसूर) में जल जमा होने की स्थिति में सुधार हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य में इस समय लागू बिजली की कटौती को इसके परिणामस्वरूप समाप्त किया जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) उच्च वौल्टता वाले उपभोक्ताओं के अतिरिक्त, राज्य में विद्युत कटौती को पहले से ही हटा दिया गया है। इनके मामले में 10 प्रतिशत की कटौती अभी तक जारी है।

जापान तथा अन्य देशों से उर्वरक कारखानों की स्थापना के लिये ऋण

1332. **श्री डी० बी० चन्द्र गौंडा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री बी० आर० भगत की अध्यक्षता में एक दल ने उर्वरक कारखानों की स्थापना के लिए ऋण प्राप्त करने हेतु हाल ही में जापान का दौरा किया था ; और

(ख) यदि हां, तो जापान तथा अन्य देशों से इन कारखानों की स्थापना के लिए कितनी सहायता मिलने की संभावना है और किन-किन देशों से सहायता मांगी जा रही है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) 4-6 जून, 1973 को जापान में सम्बद्ध समिति से बात चीत करने के लिये भारत-जापान समिति के एक शिष्ट मंडल का श्री बी० आर० भगत ने नेतृत्व किया। दोनों समितियां विभिन्न आर्थिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भारत-जापान सहयोग के दीर्घ कालीन पहलुओं पर विचार करने से संबंधित हैं। दोनों समितियों ने उर्वरक या अन्य औद्योगिक प्रायोजनाओं के लिये भारत को जापान से सहायता के प्रश्न पर कोई विचार विमर्श नहीं किया। अत: श्री भगत के दौरे के दौरान किसी सहायता के समझौते अथवा आश्वासन का कोई प्रश्न नहीं था।

गुलधार और गाजियाबाद (उत्तर रेलवे) के बीच मेरठ शटल गाड़ी के यात्रियों का लूटा जाना

1333. **श्री राम भगत पासवान** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुलधार और गाजियाबाद के बीच 29 जून, 1973 के बीच की सुबह को मेरठ शटल गाड़ी के कुछ यात्रियों को लूटने का प्रयास किया गया था ; और

(ख) यदि हां, मेरठ शटल के दैनिक यात्रियों के जीवन और माल की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किये गए हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) साहिबाबाद और मुजफ्फरनगर के बीच प्रभावित सवारी गाड़ियों की अनुरक्षा के लिए मेरठ और गाजियाबाद के सरकारी रेलवे पुलिस ने एक उड़नदस्ता तैनात किया है जिसमें एक सब-इन्सपेक्टर, एक हेड कांसटेबल और 12 कांसटेबल है।

29 जून, 1973 को मेरठ शटल में यात्रियों को लूटने में शामिल सभी 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और वे न्यायिक हिरासत में हैं।

Assistance for New Projects for Rural Electrification

1334. SHRI DHAN SHAH PRADHAN :

SHRI M. S. PURTY :

Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state :

(a) whether Government have provided Rs. 6.31 crore for 20 new projects for rural electrification;

(b) if so, the names of States concerned along with the number of villages to be electrified in each of these States; and

(c) the amount proposed to be given to each State for this purpose?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Balgovind Verma) :

(a) to (c) The Rural Electrification Corporation which has been set up in Central Sector provides additive finances to State Electricity Boards for implementation of their rural electrification schemes. The schemes received from the Electricity Boards are scrutinised by the Corporation and acceptable schemes are being sanctioned for loan assistance from time to time. The Corporation in its last meeting held on 30th June, 1973, sanctioned 20 new rural electrification schemes of various State Electricity Boards envisaging loan assistance of Rs. 631.139 lakhs for the electrification of 1313 villages, energisation of 12,184 pumpsets and power supply to 1417 small scale and agro industries. State-wise break-up of these schemes is given below :—

Name of State	No. of schemes sanctioned	COVERAGE			
		Villages	Pumpsets	Small scale industries/ Agro Industries	Amount of loan sanctioned (Rs. in lakhs)
Andhra Pradesh	2	62	1,045	100	58.780
Bihar	1	99	1,000	140	59.790
Haryana	1	83	1,330	40	29.868
Himachal Pradesh	1	149	11	42	27.508
Jammu & Kashmir	1	53	—	45	19.062
Madhya Pradesh	3	207	2,100	195	106.840
Maharashtra	1	41	960	60	22.859
Mysore	1	57	313	28	12.558
Orissa	2	145	1,880	165	60.170
Punjab	1	198	1,440	180	59.520
Rajasthan	1	78	1,010	169	43.414
Tamil Nadu	3	71	620	93	61.710
Uttar Pradesh	2	80	500	160	69.060
GRAND TOTAL :	20	1,313	12,184	1,417	631.139

Request of Chairman of State Electricity Board for sanction of power generation schemes within this year and for grant of financial assistance

1335. **Shri Dhan Shah Pradhan:** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to State:

(a) whether the Chairman of the Electricity Boards of various States of the country have requested the Central Government that the power generation schemes presented by the States to Government be sanctioned within this year;

(b) whether they have also demanded that the assistance be provided to the States which are financially incapable of implementing the power generation schemes; and

(c) if so, the reaction of the Central Government thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Balgovind Verma): (a) & (b) Yes, Sir.

(c) All efforts are being made to sanction the Fifth Five Year Plan schemes by the end of this year. While sanctioning the schemes, the mode of financing will also be taken into consideration.

जूनागढ़ जिले के त्रिमूर्ति में एक लघु उर्वरक संयंत्र की स्थापना

1336. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव:** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जूनागढ़ जिले में त्रिमूर्ति स्थान पर लघु उर्वरक संयंत्र लगाने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर कुल कितनी लागत आएगी ; और

(ग) इसकी उत्पादन क्षमता क्या होगी और उत्पादन कब तक प्रारंभ हो जाएगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

ईंट भट्ठा उद्योग की भट्ठों तक कोयला लाने के लिये वैगनों के नियतन की मांग

1337. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के दिनांक 24 मई, 1973 के "इंडियन एक्सप्रैस" के "कोल शार्टेज हिट्स ब्रिक किल्नइंडस्ट्री" शीर्षक से छपे समाचार की जानकारी है जिसमें उक्त उद्योग ने भट्ठों तक कोयला लाने के लिए वैगनों की अपर्याप्त संख्या की शिकायत की है और बताया है कि बाद में इससे भट्ठा श्रमिक बेकार हो जायेंगे, और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी): (क) जी हां ।

(ख) पिछले तीन महीनों में ईट-भट्ठा उद्योग के लिए स्लैक कोयले की ढुलाई इस प्रकार रही :—

(चौपाहिये के हिसाब से)

महीना	माल डिब्बे
अप्रैल, 1973 . .	5942
मई, 1973	1101
जून, 1973	2532

स्लैक कोयले के लिए बिजलीघरों की भारी मांग को देखते हुए, ईट-भट्ठा उद्योग के लिए इसकी ढुलाई में और तेजी नहीं लायी जा सकी ।

भारत में बिजली उत्पादन की लागत

1338. **श्री डी० डी० देसाई**: क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 25 मई, 1973 के "फिनांश्यल एक्सप्रैस" में छपे समाचार के अनुसार देश में बिजली उत्पादन की लागत इसलिए अधिक है क्योंकि एक तो देशी विद्युत उपकरणों पर अधिक लागत आती है और दूसरे कोयले की कीमतें भी बहुत बढ़ गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने बिजली उत्पादन के आर्थिक पहलुओं का हिसाब लगाया है ; और

(ग) केन्द्र ने उत्पादन लागत घटाने और राज्य बिजली बोर्डों का दायित्व कम करने के लिए किन उपायों की सिफारिश की है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा): (क) जी, हां । इसके अतिरिक्त, अन्य कारणों से भी राज्य बिजली बोर्डों का वित्तीय बोझ बढ़ता रहा है ।

(ख) जी, हां । किसी विद्युत उत्पादन परियोजना की स्वीकृति से पहले विद्युत उत्पादन की अर्थ-व्यवस्था को भली-भांति जांचा जाता है ।

(ग) निम्नलिखित उपायों की सिफारिश की गई है :—

(1) सम्पूर्ण देश में विद्युत प्रणाली का पूर्ण एकताबद्ध प्रचालन ।
(2) विद्युत उत्पादन के लिए ऊर्जा संसाधनों का ठीक मिश्रण ।
(3) पारेषण हानियों में कमी ।
(4) संयंत्र उपलब्धता में सुधार ।
(5) आधुनिक तकनीकों को अपना कर कोयले के परिवहन की लागत में कमी ।
(6) मानकीकरण ।
(7) राज्य सरकारों द्वारा राज्य बिजली बोर्डों को दिए गए ऋणों पर ब्याज के बकाया की माफी ।
(8) ग्राम विद्युतीकरण पर बोर्डों को हुई हानियों के बराबर राज्य सरकारों द्वारा राज्य बिजली बोर्डों को परिदान देना ।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम अथवा अभी हाल में राष्ट्रीयकृत की गई कोयला खानों द्वारा तापीय बिजली घरों को दिये गये कोयले की किस्म के बारे में शिकायत

1339. **श्री डी० डी० देसाई**: क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में राष्ट्रीयकृत कोयला खानों या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा तापीय बिजली घरों को सप्लाई किए गए कोयले की किस्म के बारे में किसी बिजली घर से कोई शिकायत मिली है ; और

(ख) यदि हां, तो कोयले की किस्म सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बदरपुर और ओबरी तापीय बिजली घर

1340. **श्री डी० डी० देसाई**: क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बदरपुर और ओबरी तापीय बिजली घर अपने 1972-73 के लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्यों ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा) : (क) बदरपुर और ओबरा ताप विद्युत् केन्द्रों को चालू करने में कुछ महीनों का विलम्ब हुआ है ये केन्द्र लाभकारी प्रचालन के लिए तैयार हैं ।

(ख) बदरपुर ताप विद्युत् केन्द्रों के लक्ष्यों में कमी के मुख्य कारण अपेक्षित संरचनात्मक इस्पात सेक्शनों की अनुपलब्धता, वृहत् सिविल कार्यों के ठेकेदारों द्वारा पूर्ण होने की लक्ष्य तिथियों का पालन न करना, रेलवे साइडिंग के निर्माण में विलम्ब इत्यादि के कारण मुख्य बिजलीघर के निर्माण में हुआ विलम्ब है ।

ओवरा ताप विद्युत् केन्द्र के सम्बन्ध में कमी का कारण मुख्य संयंत्र और उपस्करों की आपूर्ति में विलम्ब, खराब पुर्जों के प्रतिस्थापन में विलम्ब, इरेक्शन ठेकेदार के श्रमिकों द्वारा कार्य-बंदी इत्यादि हैं ।

मैसूर की सिंचाई तथा विद्युत योजनायें

1341. **श्री जी० वाई० कृष्णन**:

श्री पी० रंगानाथ शिनाय:

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार को मैसूर सरकार से कोई सिंचाई और विद्युत् योजनाएं अनुमोदनार्थ प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा) : (क) और (ख) मैसूर सरकार ने कृष्णा बेसिन में 20 नई स्कीमें तथा गोदावरी बेसिन में 2 नई स्कीमें प्रस्तावित की हैं । इन बेसिनों के सम्बन्ध में जल विवाद, इस समय न्यायानिर्णयनाधीन हैं तथा उनपर विचार करने से पूर्व न्यायाधिकरणों के पंचाट की प्रतीक्षा करनी होगी । इन स्कीमों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

मैसूर सरकार ने कावेरी बेसिन में निम्नलिखित स्कीमें प्रस्तावित की हैं :—

परियोजना	लागत (लाख रुपयों में)	प्रस्तावित सिंचाई
हेमावती	1715	100,000 एकड़
कावेरी जलाशय	500	20,000 एकड़
हरंगी	1162	90,000 एकड़
काबिनी (संशोधित)	3650	185,000 एकड़
स्वर्णवती	248	20,000 एकड़

राज्यों के बीच कावेरी जल पर विवाद के हल हो जाने के पश्चात् ही इन परियोजनाओं पर विचार किया जाएगा ।

यागची परियोजना (लागत 712 लाख रुपये, सिंचाई 32,000 एकड़) तथा इग्गालूट परियोजना (लागत 132 लाख रुपये, सिंचाई 10,700 एकड़) स्वीकार्य पाई गई है । इन स्कीमों को मैसूर राज्य की योजना में सम्मिलित करना इसलिए सम्भव नहीं हो पाया कि इनके निर्माण के लिए संसाधन दिखाई नहीं पड़े ।

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित अन्य स्कीमें ये है :—

क्रम सं०	परियोजना	लागत (लाख रुपये)	प्रस्तावित सिंचाई (एकड़)
1.	चंगावती	86.00	6500
2.	चिक्कलहाले	94.00	4200
3.	उदूथोरहल्ला	468.00	15500
4.	वीरपुर ताल	109.00	7300
5.	अतवेरी ताल	67.50	3400
6.	दुर्गादहल्ला ताल	67.00	3300
7.	उत्तर पनकिनी	80.00	5600
8.	अर्कवती जलाशय (संशोधित)	376.00	18500
9.	बचांकी ताल	126.44	4800

इनमें से प्रथम सात स्कीमों पर टिप्पणियां राज्य सरकार को भेज दी गई हैं तथा उनके उत्तरों की प्रतीक्षा की जा रही है । स्कीम संख्या 8, केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग में फरवरी, 1972 में प्राप्त हुई थी तथा इसपर टिप्पणियां जून, 1972 में राज्य सरकार को भेज दी गई थी । राज्य सरकार से उत्तर, हाल ही में प्राप्त हुए हैं तथा उन पर केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग में विचार किया जा रहा है ।

बांचकी ताल स्कीम मई 1973 में प्राप्त हुई थी तथा उस पर केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग में विचार किया जा रहा है ।

मैसूर सरकार ने निम्नलिखित नई विद्युत् परियोजनाओं का प्रस्ताव भी किया है :—

परियोजना का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	अनुमानित लागत (लाख रुपये)
1. लिंगनामक्को बांध विद्युत् घर	55	937
2. काली नदी जल विद्युत् परियोजना चरण-2	640	9357
3. वराही जलविद्युत् परियोजना	260	4600
4. बेदती जलविद्युत् परियोजना	220	4055

लिंगनामक्को परियोजना को 2 अप्रैल, 1973 को अपनी स्वीकृति दे दी है ।

कालीनदी परियोजना चरण-दो को सलाहकार समिति ने अनुमोदित कर दिया है तथा योजना आयोग से इसे स्वीकार करने की सिफारिश की है ।

बारहो तथा बेदती परियोजनाओं की रिपोर्ट मार्च 1973 में प्राप्त हुई थी तथा इस समय इन पर केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग में विचार किया जा रहा है ।

विवरण

परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपये)	प्रस्तावित लाभ (एकड़)
गोदावरी बेसिन		
1. करंजा .	990.00	96000
2. चुल्की नाल	210.00	10000
कृष्णा बेसिन		
1. घाटप्रभा चरण-तीन	3043.00	300000
2. भीमा सिंचाई	2040.00	135000
3. अपर तुंगभद्रा .	2020.00	135000
4. धर्मपुर ताल पर पोषक	118.00	6000
5. अमारजा . .	390.30	18000
6. वाणिविलासा सागर का विकास	147.00	25000
7. डंडावती जलाशय . .	173.80	12500
8. भद्रा एनिकट (वाम तट नहर विस्तार) .	71.77	9500
9. वेदवती नदी में रानी खेड़े तक पोषक चैनल	116.60	10200
10. मदग मसूर .	142.22	21000
11. चन्द्रमापल्ली	176.12	13000
12. गंधोरी नाला	283.65	22000
13. नरोहल्ला जलाशय	118.00	11300
14. अपर मुल्लामारी . .	190.00	10000
15. थट्टोहाले (सती नाला)	132.31	5900
16. लोअर मुल्लामारी	369.60	32000
17. चित्तवाडगी	47.32	2200
18. मसकी नाला	164.00	6000
19. बन्नीथोरा .	831.00	50000
20. हिप्पारगी बाम सिंचाई	2153.00	150000

उन गाड़ियों के नाम जिनमें दूसरे दर्जे के डिब्बे हटा दिये गय हैं

1342. **श्री जी० वाई० कृष्णन :**

श्री रण बहादुर सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन गाड़ियों की संख्या तथा नाम क्या है जिनमें दूसरे दर्जे के डिब्बे हटा लिए गए है; और

(ख) क्या सरकार ने इनकों तीसरे दर्जे के डिब्बे के रूप में बदल दिया है और यदि नहीं, तो क्यों ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुंरेशी) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Proposed amendments to election laws

1343. **Shri Atal Bihari Vajpayee**: Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the salient features of the amendments proposed to be made in the election laws; and

(b) the time by which these are likely to be enforced?

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri Nitiraj Singh Chaudhary): (a) The amendments proposed to be made in election law are mainly based on the Report of the Joint Committee on Amendments to Election Law and are still under consideration. The Report was laid on the Table of the House on March 13, 1972.

(b) A Bill for the purpose is likely to be introduced in Parliament during the current session.

Water in Pong Dam

1344. **Shri Atal Bihari Vajpayee**: Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the date by which the water was to be stored to full capacity in Pong Dam according to the original scheme; and

(b) whether a good deal of water of the river Beas will not be available for utilisation for irrigation and power purposes due to delay in closing the tunnels of the Dam?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Balgovind Verma): (a) Water to full capacity was scheduled to be stored in Pong Dam during monsoon 1974.

(b) The extent to which the water can be permitted to be stored in the reservoir at the time of first filling depends on the completion of the height of the dam and installation of gates and completion of spillway bridge. These have yet to be done. Plugging of the remaining two tunnels can be taken up only when the dam has been raised to a safe height. It is envisaged that partial storage will be possible this year. No power generation had been envisaged from Pong Power Plant this year.

Third Railway Terminus for Delhi

1345. **Shri Atal Bihari Vajpayee:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) since when the proposal for setting up a third Railway terminus in Delhi to cope with heavy increase in Railway traffic has been under consideration; and

(b) the progress made so far and the further action to be taken in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) and (b) Railway's Metropolitan Transport Project Organisation Delhi, commenced surveys and studies regarding third rail terminal from August 1971. The survey work is in advanced stage and expected for completion in 1973 after which the proposal will be considered by the Railway Board.

Progress of Work on Pong Dam

1346. **Shri M. C. Daga:** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) the date by which the work on Pong Dam will be completed and the flow of water into Pakistan would be stopped;

(b) whether the water is flowing into Pakistan even after the expiry of fixed date;

(c) whether Government of Himachal Pradesh are creating hurdles in the completion of Pong Dam from time to time; and

(d) the original estimates approved for the construction of this dam and the extent to which these have increased by now?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Balgovind Verma): (a) The dam is expected to be completed to its full height by March, 1974. The remaining two penstock tunnels at Pong Dam are scheduled to be closed in the later part of August this year, after which it shall be possible to utilise entire flows in India.

(b) After the expiry of the transitional period provided in in the Indus Waters Treaty, the surplus flows of Beas have been going down to Pakistan only during the monsoons period.

(c) No, Sir.

(d) The cost of the Project as estimated in 1968 was Rs. 162.90 crores. The revised cost is likely to be Rs. 209.29 crores.

Import of Crude Oil from Kuwait

1347. **Shri M. C. Daga:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) the steps taken by Government to import crude oil from Kuwait;

(b) the period for which crude oil will be imported from this country and the conditions on which it will be imported; and

(c) the quantity of oil that will be imported during the current year?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Dalbir Singh): (a) Kuwait has not yet negotiated any "Participation" agreement with the international oil companies operating in that country and, therefore, does not have any crude oil for direct sale.

(b) & (c) Do not arise.

Requirement and availability of wagons for transportation of goods

1348. **Shri M. C. Daga:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the total number of wagons available at present for loading and the total number of wagons required for transportation of goods as also the steps taken by the Railway department to meet this requirement;

(b) the time by which the Railway department would become self-sufficient in this regard; and

(c) whether the industrialists are transporting their goods by road due to non-availability of wagons in time and the steps being taken by the Railway department to check this tendency?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) & (b) At the end of May 1973, the Indian Railways had about 3,60,000 wagons on the Broad Gauge and 1,13,000 on the Metre Gauge.

This fleet of wagons would have met the current level of traffic under normal conditions of working and a reasonable level of efficiency on the part of our users. Short supplies of wagons on occasions have been due to extraneous factors and abnormal conditions prevailing in the country which has impede rail movement.

(c) Some traffic which could move by rail, particularly high rated traffic is no doubt moving by road owing to certain inherent advantanges of road transport. Various steps are continuously being taken, on the one hand to improve the operational efficiency of railways and on the other to wean traffic from the road. Some of these are—extension of diesel & electric traction, application of work study and operations research techniques in marshalling yards, loco sheds etc. introduction of schemes like containers, freight forwarders, Super Goods Expresses etc. Both container and freight forwarder services have proved very popular and are presently operating between 11 and 35 points respectively.

Arrangements for announcements on mike at Marwar Junction Station

1349. **Shri M. C. Daga:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether mike arrangements will be made at Marwar Junction Station for the convenience of the passengers and if not, the reasons therefor; and

(b) whether platforms are changed for the trains quite frequently at the above station and the passengers have to experience a lot of inconvenience in the absence of any announcement to this effect?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) Yes.

(b) Platforms are changed only when absolutely necessary i.e., for late arrival of trains etc.

हल्दिया-बरौनी कानपुर पाईप-लाइन के दस्तावेजों के गुम होने के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के विचार

1350. **श्री नारायण चन्द पाराशर:** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लोक सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति ने अपने 33वें प्रतिवेदन में बहुत गंभीर गलती पर अर्थात हल्दिया-बरौना-कानपुर पाईप-लाइन के निर्माण से सम्बद्ध महत्वपूर्ण दस्तावेजों के गुम होने पर सरकार द्वारा कोई कार्यवाही न करने पर आश्चर्य प्रकट किया है; और

(ख) यदि हां, तो समिति की इस रिपोर्ट पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) जी, हां ।

(ख) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के 33वीं रिपोर्ट के प्रतिवेदनों में भारतीय तेल निगम (पाइपलाईन डिवीजन) पर 33वीं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (चौथी लोक सभा) की सिफारिशों के बारे में प्रसंग आया है । सरकार द्वारा जसटिस जे० एन० टकरू का एक व्यक्ति जांच आयोग, इंडियन रिफाइनरीज लि०/भारतीय तेल निगम/सरकार के पदाधिकारियों द्वारा किये गये अनेक कार्यों तथा त्रुटियों की जांच करने के लिए जैसा कि 66वीं रिपोर्ट में बताया गया है, कि नियुक्ति की गई। ठेके के प्रलेखों के उचित आरक्षण तथा संबंधित अधिकारियों पर उत्तरदायित्व नियत करने के प्रश्न, शर्तों के संदर्भ (बी), (के) और (ई) जिनका नीचे उल्लेख किया गया है, में आते हैं:—

(बी) हल्दिया-बरौनी-कानपुर पाइपलाईन के निर्माण तथा व्यवस्था, डिजाइन, जांच, ससंपादन कार्य, एकत्रण तथा जांच संबंधी ठेके के प्रलेखों को सुरक्षित रखने के बारे में तथा क्या ठेका देने के बारे में विचार-विमर्श परिश्रम पूर्वक किया गया और क्या विचार-विमर्श से संबंधित प्रलेख पर्याप्त मात्रा में रखे गए, को निश्चित करना था।

(के) क्या सरकार/इण्डियन रिफाइनरीज लि०/भारतीय तेल निगम के पदाधिकारियों तथा उनके कर्मचारियों द्वारा अपना कार्य पूरा किया था और उन्होंने किसी प्रकार की अपेक्षा या असावधानी तो नहीं दिखाई तथा इस बारे में उनके सदाचार संबंधी उद्देश्य तो नहीं थे अथवा ऐसे सम्बन्धित मामले जो आयोग के विचार से सुसंगत हों, पर सलाह देना।

(ई) साधारण तथा किसी भी विषय पर जो आयोग द्वारा सुसंगत समझा गया हो, रिपोर्ट देना।

27-3-73 को सरकारी वकील ने जांच आयोग के समक्ष एक याचिका प्रस्तुत की जिसमें प्रार्थना की गई कि भारतीय तेल निगम के साथ साथ स्नाम प्रोगटी को मूल करार को प्रस्तुत करने के लिए आदेश दिया जाय क्योंकि सरकारी उपक्रमों संबन्धी समिति के 66वीं रिपोर्ट में करार के 18 संलग्न पत्र (कार्य विवरण) गायब थे । इसलिए जांच आयोग खोए हुए प्रलेखों के प्रश्न के बारे में जांच करेगा और इसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है

देश में बिजली का उत्पादन

1351. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत विश्व के 1200 के डब्लू एच के औसत की अपेक्षा बहुत ही कम (94 के डब्लू एच) है (दोनों आंकड़े वर्ष 1971-72 के हैं) ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा) : (क) : जी, हां।

(ख) भारत एक विकासशील देश है। सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय ने देश में चौथी योजना अवधि के अंत में 20 मिलियन कि० वा० से बढ़ाकर पांचवीं योजनावधि के अंत तक 38 से 40 मिलियन कि० वा० प्रतिष्ठानपित जनन क्षमता करने के लिए योजनाएं बनाई हैं। इससे प्रति व्यक्ति खपत 1971-72 में 94 यूनिट से बढ़कर चौथी योजना के अंत में 117 यूनिट और पाँचवीं योजना अवधि के अंत में 196 यूनिट हो जाने की संभावना है।

उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और जम्मू काश्मीर में बिजली की खपत

1352. श्री **नारायण चन्द पाराशर** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी क्षेत्र के उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-काश्मीर राज्यों में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत अब भी प्रति व्यक्ति बिजली की खपत की राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है यद्यपि देश की उत्पादन क्षमता में नौगुना वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो विशेषकर इन राज्यों में अतिरिक्त स्थापित उत्पादन क्षमता पैदा करके और बड़े पैमाने पर वितरण और प्रेषणलाइनें बनाकर इस असंतुलन को समाप्त करने के लिए किन उपायों पर विचार किया जा रहा है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा) : (क) और (ख) इन राज्यों में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत अब भी राष्ट्रीय औसत में कम है। बहरहाल, बहुत से सालों से इस क्षेत्र में विद्युत् भारों में वृद्धि की दर लगातार राष्ट्रीय औसत से अधिक रही है और यह अन्तर अब कम हो रहा है। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पारेषण सुविधाओं और विद्युत् उत्पादन को इस तरह बढ़ाने के प्रस्ताव तैयार करने के लिए कार्यवाही की गई है कि मांग को अधिकतम पूरा किया जा सके। बहरहाल, विशेषकर, उद्योग और कृषि में काफी धन लगाने की आवश्यकता होगी।

Areas in North-East India leased to Oil India Ltd. for Exploration of Petroleum

1353. **Shri M. S. Purty :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the area in square kilometres, for which the Oil India Limited holds mining lease in North-Eastern India the area for which they have petroleum explo-

ration licences and the number of wells drilled by them during the last three years indicating the extent of success achieved;

(b) the number of wells producing oil, the number of wells producing gas, the number that are dry and the number of wells in respect of which exploration is still under way; and

(c) whether Government have conducted a survey of the mineral area of Nahar-katiya and Moran in order to ascertain the area in which petroleum could become available there?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Dalbir Singh): (a) The requisite data is as follows:—

(i) Mining Leases 1990.018 sq. kms.

(ii) Petroleum Exploration Licences. 551.668 sq. kms.

(iii) Forty wells were drilled by the Oil India Ltd., in the three years 1970, 1971, 1972. 97 per cent of these were producers of oil and/or gas.

(b) The table below gives the status of wells from the inception of Oil India Limited, till 1-1-1973:—

Oil producers	240
Gas producers	17
Dry	31
Awaiting Testing	24

(c) Extensive geological and geophysical surveys have preceded the discovery of Nahorkatiya and Moran oilfields. Further detailed surveys and interpretational work have been carried out periodically by the Oil India Ltd. since then, using the latest sophisticated techniques, in the search of additional areas of petroleum accumulation within the company's Mining Lease and Petroleum Exploration Licence Areas. Arising partly out of this and partly out of sophisticated oilfield development techniques, the Company has been able to increase its recovery expectations by over 24 million tonnes till the end of 1972.

बाण सागर परियोजना सम्बन्धी समझौते का प्रारूप

1354. **श्री एम० एस० पुरती:**

श्री रण बहादुर सिंह:

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश सरकारों की सलाह से बाणसागर परियोजना संबंधी समझौते का प्रारूप तैयार किया गया था;

(ख) क्या मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने इसे स्वीकार कर लिया है; और

(ग) क्या बिहार सरकार ने इसे नहीं माना है और यदि हाँ, तो प्रारूप समझौते की मुख्य बातें क्या हैं और इस पर बिहार सरकार को क्या आपत्ति है?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा) : (क) से (ग) बनसागर परियोजना पर बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारों के साथ विचार-विमर्श किया गया है जिसके परिणामस्वरूप इस परियोजना पर उनके मतभेद कम हो गये हैं। इससे सम्बन्धित समझौते के प्रारूप पर भी उन्होंने विचार किया था जब कि प्रारूप समझौता मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकार को स्वीकार्य था। बिहार सरकार ने इसकी जांच करने के लिए कुछ और समय की मांग की।

ऐसे प्रस्तावों को निकालने के प्रयत्न जारी हैं जोकि सभी तीन राज्यों को स्वीकार्य हों और उम्मीद है कि इन राज्यों के बीच निकट भविष्य में समझौता हो जायेगा।

घायल हो जाने या मृत्यु हो जाने पर यात्रियों को दिये जाने वाले मुआवजे की राशि

1355. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल गाड़ियों में यात्रा करने वालों को गम्भीर रूप से घायल हो जाने या मृत्यु हो जाने पर कितना मुआवज़ा दिया जाता है; और

(ख) दुर्घटना होने के बाद कितने समय के अन्दर-अन्दर यह मुआवज़ा दे दिया जाता है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) यदि कोई यात्री यात्रियों को ले जाने वाली किसी गाड़ी की दुर्घटना के फलस्वरूप घायल हो जाता है या मर जाता है तो मृत्यु होने पर रेल प्रशासन को न्यूनतम 4,000 रुपये और सर्वथा अपंग हो जाने पर 5,500 रुपये और अधिकतम 20,000 रुपये का मुआवजा देना होता है। मुआवजे का भुगतान प्रत्येक मामले के गुण-दोष पर निर्भर करता है।

(ख) मुआवजा औसतन, दावा आयुक्त को आवेदन पत्र पेश किये जाने की तारीख से आम तौर पर 6 महीने के अन्दर दे दिया जाता है।

वर्ष 1973-74 में अशोधित तेल की कीमतों में दो बार वृद्धि होने के कारण विदेशी मुद्रा का अतिरिक्त भार

1356. **श्री राजा कुलकर्णी** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष की अपेक्षा वर्ष 1973-74 में विदेशी तेल कम्पनियों को आयातित कच्चे तेल के मूल्यों में दो बार वृद्धि करने की अनुमति देने के परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा का कुल कितना अधिक भार वहन करना होगा ; और

(ख) क्या सरकार ने उक्त कम्पनियों के साथ कच्चे तेल के मूल्यों में वृद्धि की उनकी मांग को पूर्णरूपेण स्वीकार करने के वैकल्पिक उपाय करने सम्बन्धी कोई बातचीत की है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) अप्रेल, 1973 से जहां बर्मा शैल एवं कालटैक्स ने अशोधित तेल के मूल्य में दो बार वृद्धि करने को कहा है वहां एस्सो कम्पनी ने तीन बार मूल्य में वृद्धि करने को कहा है। तीन विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा अशोधित तेल के मूल्य में वृद्धि करने को कहा है जिससे 1973-74 के दौरान लगभग 10 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा परिव्यय पर प्रभाव पड़ेगा।

(ख) नवम्बर, 1970 से विश्व भर में अशोधित तेल के मूल्यों में लगातार वृद्धि हो रही है अशोधित तेल को अब सामान्य टैन्डर पद्धति से नहीं लाया जा सकता। अन्य देशों के समान भारत को भी विश्व-बाजार से वर्तमान मूल्यों पर अशोधित तेल खरीदना होता है। वर्तमान बदलती हुई परिस्थितियों में, बातचीत के लिए बहुत कम अवसर रह गया है।

उत्तर प्रदेश में टेहरी बांध का निर्माण

1357. **श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने उत्तर प्रदेश में टेहरी बांध के निर्माण को अन्तिम रूप से स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितनी लागत आएगी और इससे क्या लाभ प्राप्त होने की आशा है ; और

(ग) क्या बांध के निष्कासित व्यक्तियों को बांध का निर्माण आरंभ होने से पूर्व ठीक से पुनर्वास किया जायेगा तथा उनको मुआवजा दिया जाएगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) लागत–197.92 करोड़ रुपये

लाभ–600 मैगावाट विद्युत्।

(ग) टिहरी नगर के विस्थापितों को वन विभाग से उपलब्ध 700 एकड़ भूमि पर वर्तमान चम्बा नगर के निकट बादशाही थोल में बसाने का प्रस्ताव है। टिहरी नगर के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों के विस्थापितों को निम्नलिखित तीन वैकल्प दिये गये हैं:–

(1) नकद पूनर्वास अनुदान के साथ भूमि के लिए पूरा मुआवजा स्वीकार करना।

(2) पुनर्वास अनुदान के साथ-साथ देहरादून जिले और अन्य मैदानी इलाकों में भूमि के लिए भूमि स्वीकार करना।

(3) जो लोग निकटस्थ पहाड़ी इलाकों में बसना चाहें, वे पुनर्वास अनुदान के साथ, वन विभाग द्वारा जलाशय स्तर के ऊपर तैयार किये जाने वाले चबूतरों के रूप में भूमि के बदले में भूमि ले सकते हैं।

उत्तर प्रदेश में ऋषिकेश से मुनीकी रेती तक रेल लाइन का बढ़ाया जाना और हरिद्वार तथा ऋषिकेश के बीच अधिक रेलगाड़ियों का चलाया जाना

1358. **श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में ऋषिकेश से मुनीकी रेती तक रेल लाइन बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) क्या हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच और रेलगाड़ियां चलाई जायेंगी ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) प्रस्तावित विस्तार के लिए मार्च, 1973 में प्रारम्भिक मूल्यांकन किया गया था जिससे पता चला कि इस विस्तार से रेलवे के पास कोई अतिरिक्त यातायात नहीं आयेगा सिवाय इसके कि कुछ यातायात जो इस समय ऋषिकेश में सम्हाला

जा रहा है मुनीकी रेती से होने लगेगा, जिससे कर्षण-दूरी 5 किलोमीटर और बढ़ जायेगी। इसके अलावा, नयी लाइनों के निर्माण के लिए उपलब्ध धन बहुत सीमित होने के कारण इस लाइन को मुनीकी रेती तक बढ़ाने का तत्काल औचित्य नहीं दिखायी देता।

(ख) जी नहीं।

आपात काल के लिये विद्युत् जमा करने की योजना

1359. **श्री एन० शिवप्पा :**
श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विद्युत् संयंत्रों के प्रायः बन्द होने जाने के बारे में सरकार को पता है ;

(ख) क्या आपात काल के लिए विद्युत् को जमा करने के लिए सरकार ने कोई योजना बनाई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : एक बड़े पैमाने पर विद्युत का संचय तकनीकी रुप से संभव नहीं है । बहर-हाल, विद्युत सयत्रों के ब्रेक डाऊन को कम से कम करने के लिए और जहां भी संभव हो, अभावग्रस्त क्षेत्रों को बिजली स्थानांतरित करने के लिए कई उपाय किए हैं ।

पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों को बढ़ाने के लिये अपनाया गया फोर्मूला

1360. **श्री एन० शिवप्पा :**
श्री के० लकप्पा :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य हाल में बढ़ा दिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो मूल्य बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या फार्मूला अपनाया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां, ।

(ख) सरकार ने इस मामले में उस फार्मूले का यथासंभव अनुसरण किया है जिस की तेल मूल्य समिति ने सिफारिश की थी ।

मालहारगढ़ और हरकियाखाल स्टेशनों (पश्चिम रेलवे) के बीच यात्री गाड़ी का पटरी से उत्तर जाना

1361. **श्री एन० शिवप्पा :**
श्री अजीत कुमार साहा :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 4 जून, 1973 को पश्चिम रेलवे के मीटर गेज सैक्शन पर मालहारगढ़ और हरकिया-खाल स्टेशनों के बीच एक यात्री गाड़ी पटरी से उतर गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इसमें कितने व्यक्ति मरे तथा घायल हुए ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) दो व्यक्ति मारे गये और 12 घायल हुए जिनमें 10 को मामूली चोटें आयीं ।

नेशनल रेयन्स कम्पनी में चुनाव

1362. **श्री बयालार रवि** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल रेयन्स कंपनी में चुनाव किस प्रक्रिया के अनुसार कराये गये थे ;

(ख) क्या कुछ व्यक्तियों ने शक्ति प्राप्त करने के लिए चुनाव में गड़बड़ की है ; और

(ग) यदि हां, तो मामले के तथ्य क्या हैं और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) सम्भवत : माननीय सदस्य के विचार में, 11 मई, 1973 को सम्पन्न बैठक में कंपनी के निदेशकों का चुनाव है । जहां तक विभाग को मालूम है चुनाव कंपनी अधिनियम, 1956 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्पन्न हुआ था ।

(ख) तथा (ग) कुछ व्यक्तियों द्वारा शक्ति प्राप्त करने के लिए 11 मई, 1973 को हुई बैठक में जोड़-तोड़ के संबंध में विभाग में न कोई सूचना या शिकायत प्राप्त हुई है । हांलाकि, विभाग को कंपनी के एक सदस्य से जिन्हें उसने कंपनी द्वारा समाचार-पत्रों में प्रेषित विज्ञापनों से संबंधित कुछ सदस्यों द्वारा कुछ व्यक्तियों के नामों के प्रस्ताव के लिए जो सेवानिवृत होने वाले निदेशक नहीं थे, उनको निदेशकों के पदों के प्रत्याशियों के रूप में प्रस्ताव के साभिप्राय हेतु संकल्प पारित करने के नोटिस के विषय में असहमति अभिव्यक्त की है, एक संदर्भ प्राप्त हुआ है । उसने इसी प्रश्न को 11 मई, 1973 की सम्पन्न महासभा की बैठक में उठाया था, जब अध्यक्ष ने कानूनी परामर्श लेने के पश्चात् उनके विरुद्ध व्यवस्था दी। इसके पश्चात् कम्पनी के वादेक्षक ने सम्बन्धित मदस्य की कानूनी स्थिति का पूर्ण रूप से उल्लेख किया ।

2. 1970 में सम्पन्न महासभा की बैठक एक प्रतिपत्री द्ववारा सदस्यों महित दो समूहों में आरोप और प्रत्यरोपों में साक्षात्कार और प्रैस प्रचार में युद्ध के रुप में परिणित हो गई । चुनाव ढांचे से प्रगट होता है कि एक समूह ने अधिक संख्या में प्रतिपत्रियां एकत्र करली जबकि दूसरे समूह ने अथधारियों के वगैर मताधिकार के बहुमत का समर्थन प्राप्त किया।

पश्चिम कोसी नहर का कमला नदी के साथ जोड़ा जाना

1363. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री कमला नदी के बांधों के बढ़ाये जाने के बारे में 24 अप्रेल, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7945 के उत्तर के संबंध में यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कमला नदी के बांधों को नेपाल में मिर्चिया तक बढ़ाये जाने को योजना को इस बीच अंतिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा) : (क) और (ख) बिहार सरकार ने कहा है कि कमला तटबंध के नैपाल क्षेत्र में मिर्चिया तक विस्तार को स्कीम को अंतमि रूप नहीं दिया गया है क्योंकि तटबंध के प्रस्तावित रेखांकन पर अभी नेपाल सरकार के इंजीनियरों के साथ विचार-विमर्श करना है ।

पूर्वोत्तर रेलवे मजदूर संघ को मान्यता देना

1364. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रेल मंत्री पूर्वोत्तर रेलवे मजदूर संघ को मान्यता देने के बारे में 17 अप्रैल, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7299 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक मात्र पंजीकृत पूर्वोत्तर रेलवे मजदूर संघ को मान्यता देने के मामले पर इस बीच विचार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ; और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या है ;

(ग) क्या गैर-पंजीकृत गुट को, जिसने अपना नाम भी पूर्वोत्तर रेलवे मजदूर संघ बना रखा था, दी गई मान्यता को वापस ले लिया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसका औचित्य क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (घ) इस मामले पर विचार किया गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक फैसले के अनुसार "सम्बन्धित यूनियन के दोहरे पदाधिकारियों के बीच बहुत साफ तौर पर इस किस्म का झगड़ा है कि केवल दीवानी मुकदमे के जरिये ही उसका समुचति रुप से फैसला किया जा सकता है।" अभी तक एस तरह का कोई फैसला इस झगड़े पर नहीं हुआ है। एसलिए यह विनिश्चय किया गया है कि स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहनी चाहिए।

देश में सिंचाई/जल शुल्क की दर

1365. **श्री बसन्त साठे** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में सिंचाई / जल शुल्क की दर अलग-अलग है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके मूल कारण क्या हैं ;

(ग) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि विकास की प्रक्रिया से 'वाटर लार्डस्' उत्पन्न न हो, जल की दरों के ढांचे को युक्तियुक्त बनाने के लिए कोई कानूनी उपाय के विचाराधीन हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारें में क्या कार्यवाही करने का विकार है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा) (क) और (ख) विभिन्न राज्यों में सिंचाई नहर प्रणाली के अंतर्गत मुख्य फसलों के लिए जल दरें दिखाने वाली सारणी संलग्न है। सिंचाई प्रभारों के लिए कोई समान या तर्कसंगत आधार नहीं रहे हैं। [ग्रंथालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल०टी०5252/73]

(ग) और (घ) सिंचाई एक राज्य विषय है और इसलिए जल दरें राज्य विधान द्वारा तय किए जाते हैं ।

इस समय राज्य सरकार द्वारा नियत जल दरें आम तौर पर प्रचालन व्ययों और ब्याज प्रभारों को संयुक्त रूप से पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे समान आधार पर जल दरें नियत करें ताकि कम से कम 2½ प्रतिशत की दर से ब्याज और अनुरक्षण और प्रचालन प्रभारों को पूरा करने और संक्रमण अवधि के लिए व्यवस्था करने के बाद बढ़ी हुई दरें एकत्रित की जाएं ताकि उन लोगों से, जो सिंचाई परियोजनाओं से जिनमें अधिक सरकारी परिव्यय निहित होता है, अतिरिक्त संसाधन वसूल किए जा सकें।

विदर्भ क्षेत्र में विद्युतीकरण

1366. **श्री बसन्त साठे:** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदर्भ क्षेत्र के आठ जिलों में प्रत्येक जिले में अलग-अलग कितने तथा कितने प्रतिशत गांवों में बिजली लगाई गई है और इससे कितनी जनसंख्या को लाभ पहुंचा है और समूचे महाराष्ट्र की तुलना में यह कितना है ;

(ख) गत तीन वर्षों में विदर्भ क्षेत्र में बिजली की खपत का मुख्य ब्यौरा क्या है अर्थात् घरेलू प्रयोजनों हेतु, उद्योगों में तथा सिंचाई आदि में बिजली की कितनी खपत हुई ;

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक विदर्भ क्षेत्र में बिजली की कितनी मांग हो जाएगी; और

(घ) विदर्भ क्षेत्र में विद्युतीकरण को तेज करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा): (क) महाराष्ट्र के कुल 35,851 ग्रामों में से 15,4155 ग्राम, जो कि कुल ग्रामों का 42.2 प्रतिशत है, 31-3-1973 तक विद्युतीकृत किए गए थे। कुल मिलाकर इससे सम्पूर्ण राज्य की 58.9 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को लाभ पहुंचा है। विदर्भ क्षेत्र के आठ जिलों में 31-3-1973 को विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या और इससे लाभन्वित जनसंख्या का ब्यौरा इस प्रकार है :—

जिले का नाम	ग्रामों की कुल संख्या	31-3-1973 को विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या	विद्युतीकृत प्रतिशतांश	31-3-1973 को लाभान्वित जन-संख्या का प्रति-शतांश (1961 की जनगणना के आधार)
वर्धा . .	972	476	49.0	64.5
योतमल	1,629	622	38.1	52.6
चन्द्रपुर	2,755	395	14.3	38.2
अकोला	1,508	558	37.0	52.5
अमरावती	1,609	788	49.0	70.7
बुलढाना	1,225	452	36.9	53.0
नागपुर	1,653	808	48.9	58.2
भांद्रा .	1,486	644	43.3	60.1
कुल विदर्भ क्षेत्र .	12,837	4,743	36.9	55.1

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान विदर्भ क्षेत्र में बिजली की खपत-पैटर्न निम्न प्रकार है:—

वर्ष	घरेलू	औद्योगिक	सिंचाई	कुल
		(मिलियन यूनिट)		
1970-71	38	512	43	593
1971-72	45	543	55	643
1972-73 . .	66	590	65	721

(ग) विदर्भ क्षेत्र में पांचवीं योजना के अंत तक प्रायोजित मांग 610 मैगावाट आंकी गई है।

(घ) ग्राम विद्युतीकरण का कार्यक्रम राज्य सरकारों द्वारा तैयार किया जाता है और उसका कार्यान्वयन उनके राज्य बिजली बोर्डों द्वारा किया जाता है। ग्राम विद्युतीकरण निगम, जो केन्द्रीय सैक्टर में स्थापित किया गया है, राज्य बिजली बोर्डों को उनकी ग्राम विद्युतीकरण स्कीम के कार्यान्वयन के लिए योगात्मक धन देता है। निगम ने अब तक 2059.58 लाख रुपये की ऋण सहायता से महाराष्ट्र राज्य की 38 स्कीमें स्वीकृत की हैं। इनमें से 647.89 लाख रुपये की ऋण सहायता की 11 स्कीमें विदर्भ क्षेत्र से सम्बन्धित हैं। इन स्कीमों में इस क्षेत्र में 10,45 गांवों तथा 12,730 पम्पसेटों को बिजली देने की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त विदर्भ क्षेत्र सहित राज्य में ग्राम विद्युतीकरण के कार्यक्रम में सहायता लाने हेतु राज्य बिजली बोर्ड का वित्त संस्थानों से सहायता प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

अकोला रेलवे स्टेशन के लिए 'टर्मिनल सुविधाएं'

1367. **श्री बसन्त साठे**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अकोला रेलवे स्टेशन पर मीटरगेज तथा ब्राडगेज दोनों यात्री गाड़ियों के लिये टर्मिनल की सुविधाओं तथा अकला रेलवे स्टेशन को पूर्णरूप से नया रूप देने के बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावों पर जो विचार किया जा रहा है वह किस अवस्था में है; और

(ग) इन प्रस्तावों के कब तक क्रियान्वित किये जाने की सम्भावना है?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफ़ी कुरेशी): (क) से (ग) विदर्भ वाणिज्य मण्डल, अकोला से जनवरी, 1970 में अकोला स्टेशन के ढांचे में पूर्ण परिवर्तन करने के लिए एक अभ्यावेदन मिला था मण्डल का अनुरोध था कि पहले तीसरे दर्जे के प्रतीक्षालय में सुधार किया जाये। यह काम मार्च, 1970 में पूरा हो गया था। हाल ही में पैट्रोल तेल एवं स्नेहन के अतिरिक्त यातायात को सम्हालने के लिए तेल साईडिंग का भी विस्तार किया गया है। यात्री प्लेटफार्मों की लम्बाई 1969-70 में बढ़ायी गयी थी और कुछ दूसरी यार्ड सम्बन्धि सुविधाओं का काम भी किया गया था।

क्योंझर, उड़ीसा में आनन्दपुर बांध परियोजना

1368. **श्री अर्जुन सेठी**: क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा के क्योंझरे जिल की आनन्दपुर बांध परियोजना को केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग और योजना आयोग ने स्वीकृति दे दी है;

(ख) क्या जल विज्ञान निदेशालय में बाढ़ निस्सारण के डिजाइन (डिजाइन फ्लड डिस्चार्ज) की अभी भी जांच की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) उड़ीसा सरकार ने विस्तृत अभिकल्पों और आरेखनों को तैयार करने का कार्य केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग को सौंपा है। अतिरिक्त जल वैज्ञानिक आंकड़ों की रोशनी में आनन्दपुर बराज के अभिकल्प बाढ़ निस्सार का उड़ीसा सरकार के अभियंताओं के परामर्श से पुनर्वलोकन किया जा रहा है।

उड़ीसा में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं पर कार्य आरंभ किया जाना

1369. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में उड़ीसा में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय प्रायोजित कितनी योजनाओं पर कार्य आरंभ किया गया है; और

(ख) योजनाओं के नाम क्या है और यदि उनमें कोई प्रगति हुई है तो क्या ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा) : (क) और (ख) ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम राज्य बिजली बोर्डों द्वारा बनाया जाता है और कार्यान्वित किया जाता है। केन्द्रीय सैक्टर में स्थापित ग्राम बिद्युतीकरण निगम राज्य विद्युत बोर्डों को उनकी ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के कार्यान्वयन के लिये योगात्मक धन देता है। निगम ने अभी तक गंजम, बालासौर और सुंदरगढ़ जिलों से संबन्धित तीन स्कीमें चालू विद्युत् वर्ष के दौरान स्वीकार की हैं जिनमें 97.21 लाख रुपये की ऋण-सहायता शामिल है। इन स्कीमों को 3 से 5 वर्षों के बीच पूर्ण करने की योजना बनाई गई है।

निगम ने उड़ीसा की दो स्कीमें भी स्वीकृत की हैं जिनमें पहले से विद्युतीकृत ग्रामों की 268 हरिजन बस्तियों में 1027 स्ट्रीट लाईटें देने के लिये 14.495 लाख रुपये की ऋण सहायता परिलिपत है।

दक्षिण-पूर्व रेलवे के पैसेन्जर हाल्ट के एजेन्टों द्वारा टिकट की बिक्री के लिए बढ़ी हुई दर से कमीशन देने का अनुरोध

1370. **श्री अर्जुन सेठी** : **क्या रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे के पैसेंजर हाल्ट ऐजेंटों ने टिकटों की बिक्री पर कमीशन की दर बढ़ाने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उन्होंने किस दर के लिये अनुरोध किया है तथा सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफ़ी कुरैशी) : (क) और (ख) केवल खड़गपुर-भद्रक खंड पर नवगांव-मयूरभंज रोड़ स्टेशन के कमीशन एजेन्ट ने इस सवारी हाल्ट स्टेशन से टिकटों की बिक्री की रकम पर कमीशन की दर 6-1/4 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का आवेदन दिया है जिसमें कमीशन की अधिकतम सीमा 300 रुपये प्रतिमास हो।

नीति के रूप में दक्षिण-पूर्व रेलवे सहित सभी रेलों पर हाल्ट एजेन्टों को कुल बिक्री की रकम 15 प्रतिशत से अनधिक दर से कमीशन दिया जा सकता है ताकि उस दर से प्रतिमास लगभग 150 रुपये कमीशन के रूप में मिल सके । दक्षिण-पूर्व रेलवे इस विषय में आवश्यक कार्रवाई कर रही है ।

Agreement regarding purchase of wheels for Beas Project

1371. **Shri Mahadeepak Singh Shakya:** Will the Minister of **Irrigation** and **Power** be pleased to state:

(a) whether the agreement regarding the purchase of wheels for Beas Project provided for the right to reject the supplies even if these had been inspected before despatch; and

(b) whether this right has been exercised and if so, in how many cases?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Balgovind Verma): (a) Yes, Sir.

(b) Necessity to exercise this right arose only on one occasion. The matter, however, could not be pursued to finality as, in the meantime, the firm underwent dissolution.

Purchase of wheels for use in Mine Trains of Beas Project

1372. **Shri Mahadeepak Singh Shakya:** Will the Minister of **Irrigation** and **Power** be pleased to state:

(a) whether Government had purchased from an unregistered firm 994 wheels, made of cast iron for the mine trains being used in Beas Project at a cost of Rs. 1.03 lakh;

(b) whether the wheels supplied by the said firm were found to be of sub-standard quality and the firm concerned refused to take them back; and

(c) if so, the steps taken to make good the loss suffered as a result thereof as also the nature of action taken against the officers found guilty as well as against the owners of the said firm?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Balgovind Verma): (a) The Beas Project had invited fresh tenders for purchase of 600 cast steel wheels sometime in 1966. An order for supply of these wheels was placed with the firm who had quoted lowest. The wheels were to be machined in the Project Workshop before being put to use. The firm was not registered with DGS&D but the Agreement provided for inspection of the wheels by DGS&D Inspectors before despatch. After due inspection the firm despatched 494 wheels during 1967. An amount of Rs. 81,108 representing 90 per cent of the cost was paid to the firm on receipt of R. Rs., as per agreement.

(b) & (c) On machining some blow holes were noticed in the wheels. The matter was taken up with the firm and further payments were stopped. Order for the balance supplies was also cancelled. The firm however, was not agreeable to take

back the supplies already made. The Project authorities continued their efforts to pursue the matter with the firm but the matter could not be finally resolved because the firm by that time had gone into dissolution.

Most of the wheels have been put to the intended use. Some of them were only to be reconditioned in the Project Workshop and after reconditioning these wheels have given 100 per cent extra service. The Project has not undergone any material loss in this transaction.

As the defects were noticed after machining and the material was despatched by the firm as per the terms of the agreement, the question of fixing responsibility on any officer does not arise.

जनवरी, 1972 में दिल्ली स्टेशन से हावड़ा के लिए बुक की गई मटर की खेप

1373. **श्री महादीपक सिंह शाक्य**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली मेन स्टेशन से हावड़ा के लिए 6 जनवरी, 1972 को ताजे मटर के क्रमश : 40 और 14 बोरों की दो खेपें पी० डब्ल्यू० बी० संख्या 514306 तथा 514307 के अंतर्गत बुक की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो गतव्य स्थान पर पहुंचने पर इनका जब पुन: वजन किया गया तो इन बोरों का वजन 940 किलोग्राम से 1800 किलोग्राम और 560 किलोग्राम के बजाय 1120 किलोग्राम निकला था और क्या ऐसे और कई मामले भी रेलवे प्रशासन के ध्यान में आये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या दोनों कर्मचारियों को दण्ड दिया गया है ; और नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) मटर की 40 बोरियों का एक परेषण पार्सल रवन्ना संख्या 514306 दिनांक 6-1-72 के अधीन और गाजर की 14 बोरियों का एक परेषण पार्सल रवन्ना संख्या 514307 दिनांक 6-1-72 के अधीन बुक किया गया था।

(ख) जी हां। -

(ग) इस के लिए जो कर्मचारी जिम्मेदार पाये गये थे उन्हें मामूली अथवा बड़ी शास्ति के लिए ज्ञापन दिया गया है।

ताप बिजली घर पर कोयले की कमी का प्रभाव

1374. **श्री आर० बी० स्वामीनाथन :**

श्री इन्द्र जीत गुप्त :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के महीने में कोयले की कमी के कारण 20 ताप बिजली घरों को बिजली उत्पादन में कमी करनी पड़ी और कभी-कभी तो उत्पादन बन्द ही कर देना पड़ा था ;

(ख) क्या कोयला संकट के कारण विद्युत् उत्पादन में, राज्यवार, प्रभाव के बारे में उनके मंत्रालय ने कोई रिपोर्ट तैयार की है ; और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा) : (क) और (ख) कोयले की कमी के कारण महाराष्ट्र में नासिक और पारस जैसे बड़े विद्युत्-केन्द्र पर, जिनकी कुल प्रतिष्ठापित क्षमता 372 मेगावाट है लगभग 50 प्रतिशत प्रतिष्ठापित क्षमता पर कुप्रभाव पड़ा है। बहरहाल, यह केवल थोड़े से समय के लिए ही रहा। लगभग 80 मेगावाट की कुल क्षमता के छोटे केन्द्रों पर भी कोयले की कमी का उनकी क्षमता के लगभग 75 प्रतिशत उत्पादन पर प्रभाव पड़ा। कोयले की सप्लाई में अब बहुत सुधार हो चुका है।

(ग) विद्युत् केन्द्रों को कोयले की सप्लाई को बनाए रखने तथा उनमें कोयले का उचित भंडार बनाने के लिए खान विभाग तथा रेलवे बोर्ड के साथ संयुक्त रूप में सतत प्रयास किए जा रहे हैं। रेलवे बोर्ड में विद्युत् केन्द्रों को कोयला पहुंचाने की व्यवस्था पर निगरानी रखने तथा ऐसे केन्द्रों को, जहां कोयला तुरंत चाहिए हो, कोयला तुरंत भेजने के लिए की जा रही सामयिक कार्यवाही को सुविधामय बनाने के लिए एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना कर दी गई है।

राज्य बिजली बोर्डों के चेयरमैनों का सम्मेलन

1375. **श्री आर० बी० स्वामीनाथन :**
श्री जगन्नाथ मिश्र :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य बिजली बोर्ड के चेयरमैनों के सम्मेलन में कार्यान्वयन हेतु विभिन्न निर्णय लिए गए हैं ताकि पांचवीं पंचवर्षीय योजना में विद्युत् की कमी को दूर किया जा सके ;

(ख) यदि हां तो लिए गए निर्णयों की मुख्य बातें क्या हैं, और

(ग) सरकार ने सम्मेलन की सिफारिशों को किस हद तक स्वीकार किया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) इस वर्ष हुए राज्य बिजली बोर्डों के अध्यक्षों के सम्मेलन ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत् उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठाने की सिफारिश की ताकि पांचवीं योजना में प्रत्याशित मांग को पूरा किया जा सके।

(ख) सम्मेलन द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों का विवरण संलग्न है । [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल०टी० 5253/73]

(ग) ये सिफारिशें सामान्य रूप से स्वीकार्य हैं और जिनके सम्बन्ध में अन्य मंत्रालय एवं योजना आयोग के साथ परामर्श करने की आवश्यकता है, उनके लिए औपचारिक उपाय हाथ में लिए गए हैं।

भारत में तेल की खोज हेतु उपकरणों के लिए रूस से समझोता

1376. **श्री एन० शिवप्पा :** क्या **पट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस देश में तेल की खोज हेतु रूस ने भारत को उपकरणों की पेशकश की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में किसी करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में किसी भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने हाल में रूस का दौरा किया था; और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ; और

(घ) रूस द्वारा अन्य क्या सहायता दी जायेगी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) तेल के अन्वेषण तथा उत्पादन उपकरणों की सप्लाई के लिये तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग तथा सम्बन्धित रूसी फर्मों के साथ समय-समय पर करार होते रहे हैं। 2.65 करोड़ रुपये के मूल्य के उपकरण आदि के आयात के लिये 30 मार्च, 1973 को इस प्रकार एक अन्तिम करार पर हस्ताक्षर किये गये थे।

(ग) तथा (घ) तेल के अन्वेषण तथा उत्पादन में भारत-रूस सहयोग में हुई प्रगति का पुनरीक्षण मास्को में 17-20 जुलाई, 1973 को पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्री के नेतृत्व में भारतीय तेल शिष्ट-मण्डल और रूसी प्राधिकारियों के बीच हुए विचार-विमर्श के दौरान किया गया था। इस विचार-विमर्श तथा इस के पहले तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के प्रतिनिधियों और सम्बन्धित रूसी प्रदायकों के बीच अलग से हुए विस्तृत परामर्शों के परिणामस्वरूप, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को सोवियत रूस से तेल के अन्वेषण तथा उत्पादन के लिए करार करने की आशा है।

तेल के अन्वेषण तथा उत्पादन के क्षेत्र में, उपकरणों की सप्लाई अतिरिक्त, सोवियत रूस कुछ विशिष्ट कार्यों में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को सहायता देने के लिए सहमत हो गया है ; इनमें देश के विभिन्न स्थलों में हाइड्रोकार्बन के भंडारों का अनुमान लगाया जाना और इस प्रकार के प्रयोगशाला सम्बन्धी अध्ययन, जिन के लिए भारत में अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, करना और उत्पादन संबंधी कुछ समस्याएं सुलझाने के लिए तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की सहायता करना शामिल है।

अर्हता प्राप्त बेरोजगार व्यक्तियों को ठेके देने की योजना

1377. **श्री चंद्रभाल मणी तिवारी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अर्हता-प्राप्त बेरोजगार व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के ठेके देने की कोई योजना विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस प्रकार की योजना का अध्ययन करने का है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) सम्भवत: माननीय सदस्य का आशय अर्हता-प्राप्त बेरोजगार सिविल इंजीनियरों को ठेके देने की योजना से है। यदि ऐसा ही है, तो उत्तर इस प्रकार है :--

बैरोजगार सिविल इंजीनियरिंग स्नातकों को रोजगार के अवसर मुहैय्या करने के उद्देश्य से पाइलट परियोजना के रूप में एक योजना पहले ही तैयार की जा चुकी है।

इस योजना के अंतर्गत बेरोजगार सिविल इंजीनियरी स्नातकों को प्रत्येक मामले में एक लाख रुपये तक की लागत के निर्माण कार्य ठेकों के लिए अपेक्षित बयाने और प्रारंभिक जमानत की रकम जमा किये बगैर टेंडर देने की अनुमति है । ऐसे इंजीनियरिंग स्नातक जो अलग अलग या सामूहिक रूप से ऐसे ठेके लेने के इच्छुक हैं, पहले अपने को संबंधित रेलों पर "ठेकेदार" के रूप में पंजीकृत करवाना जरूरी है ।

गाजियाबाद, मुराद नगर और मोदी नगर (उत्तर रेलवे) में टिकटों की पुनः बिक्री

1378. **श्री श्री भारत सिंह चौहान**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गाजियाबाद, मुराद नगर और मोदी नगर (उत्तर रेलवे) में टिकटों की पुनः बिक्री के कुछ मामले रेलवे प्रशासन के ध्यान में आये हैं; और

(ख) क्या गिरोह को तोड़ने के उद्देश्य से इस कार्य के लिये जिम्मेदार पाये गये कर्मचारियों को वहां से स्थानान्तरित करने का प्रशासन का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी): (क) इस तरह का कोई मामला अभी तक नजर में नहीं आया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

रेल कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने की प्रक्रिया

1380. **श्री समर मुखर्जी**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन रेल कर्मचारियों को जनका न तो पी०एन०एम० और जे०सी०एम० में प्रतिनिधित्व है, शिकायतों को दूर करने हेतु क्या बंध किये गये हैं; और उनकी संख्या कितनी है ।

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): जो कर्मचारी अपने निजी कारणों से मान्यताप्राप्त यूनियनों में शामिल नहीं होते, उनके लिए एक पूरा तंत्र मौजूद है जिसमें स्टेशनों, कारखानों और कार्यालयों में शिकायत रजिस्टर रखे जाते हैं और उनकी शिकायतों की देखभाल कल्याण निरीक्षकों और सभी स्तर के अधिकारियों द्वारा की जाती है। कहीं से भी अभ्यावेदन प्राप्त होने पर- चाहे वे किन्हीं व्यक्तियों से आये हों अथवा गैर-मान्यता प्राप्त यूनियनों से -उन पर समुचित विचार किया जाता है और जहां जैसा व्यावहारिक हो कार्रवाई की जाती है। हरेक व्यक्ति जरूरत होने पर प्राधिकारियों से मिल सकता है और वह अपने अभ्यावेदन का उत्तर प्राप्त करने का हकदार होता है। गैर-मान्यता प्राप्त यूनियनों को कोई उत्तर नहीं दिया जाता और न उनसे औपचारिक वार्ता ही की जाती है।

चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में रजिस्टर्ड ट्रेड युनियनें

1381. **श्री समर मुखर्जी**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में कितनी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियने कार्य कर रही हैं और कितनी यूनियनें मान्यता दिए जाने के योग्य हैं, और

(ख) क्या रेलवे अधिकारी अन्य उन रेलवे कर्मचारियों की तुलना में, जिनकी मन्यताप्राप्त यूनियनें हैं, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के कर्मचारियों के साथ किसी मान्यता प्राप्त यूनियन न होने के बाबजूद अच्छे सम्बन्ध रखते है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) चितरंजन रेल इंजन कारखाने में पांच पंजीकृत ट्रेड यूनयिनें हैं। उनमें से केवल तीन अर्थात् चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स यूनयिन, सी० एन० डब्ल्यू० रेलवेमैन्स यूनियन तथा सी० एल० डब्ल्यू० लेबर यूनियन का यह दावा है कि सामान्यतः सभी कर्मचारियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उनकी सदस्य संख्या पर्याप्त है। मान्यता प्रदान करने के लिए आधारभूत रूप में यह आवश्यक है कि सदस्य संख्या कम से कम 15 प्रतिशत हो।

(ख) अपने विवेक का उपयोग करते हुए सरकार ने किसी भी उत्पादन यूनिट की, जिनमें चित्त-रंजन रेल इंजन कारखाना भी शामिल है, किसी भी यूनियन को मान्यता देना आवश्यक नहीं समझा है। रेल कर्मचारियों को कर्मचारी परिषदों के माध्यम से वार्ता की सुविधाएं प्राप्त हैं जिनमें कर्मचारियों के सीधे चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। इसलिए यह व्यवस्था काफी कारगर साबित हुई है।

चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में चोरी के मामले

1382. **श्री समर मुखर्जी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में चोरी की कितनी घटनाएं हुईं और उनमें कितने मूल्य की रेलवे सम्पत्ति चोरी हुई है;

(ख) क्या नगर के चारों ओर दीवारें ऊंची करने और खाइयां खोदने के बाद रेलवे सम्पत्ति की चोरी कम हुई है;

(ग) रेलवे सुरक्षा दल के अधिकारियों सहित कितने रेलवे कर्मचारी इस समय रेलवे सम्पत्ति की चोरी के विभिन्न मामलों में अन्तर्ग्रस्त हैं;

(घ) चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के स्टील फाउंडिंग में हाल में चोरी की गई कनवेयर बैल्ट का मूल्य क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी): (क) विगत तीन वर्षों के दौरान रेल सम्पत्ति की चोरी के मामलों की संख्या और उनमें चुरायी गयी सम्पत्ति का मूल्य नीचे दिया गया है :—

वर्ष	मामलों की संख्या	चुरायी गयी सम्पत्ति का मूल्य
1971	51	1,09,580
1972	108	48,615
1973 (जून तक)	45	6,310

(ख) जी हां, कुछ हद तक।

(ग) 1973 में (जून तक) चोरी के मामलों में रेल सुरक्षा दल के छः कर्मचारी और सत्रह अन्य रेल कर्मचारी शामिल थे।

(घ) 23,531 रुपये।

रूस द्वारा उपकरणों की सप्लाई न किये जाने के कारण मथुरा तेल शोधक कारखाने के निर्माण कार्य में विलम्ब

1383. **श्री मधु दण्डवते:** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मथुरा तेल शोधक कारखाने के लिए रूस द्वारा सप्लाई किए जाने वाले उपकरण तैयार नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने मथुरा तेल शोधक कारखाने के लिए उपकरणों का कोई वैकल्पिक प्रबन्ध किया है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) रूस सरकार तथा भारत सरकार के बीच 20-7-1973 को हुये नयाचार के अनुसार, इस बात पर सहमति हो गई है कि मथुरा तेल शोधनशाला के निर्माण में रूस भारत के साथ सहयोग करेगा, और इस प्रयोजन के लिये, रूस के संस्थान इस परियोजना के लिये उन उपकरणों, मशीनों सामग्रियों आदि की सप्लाई करेगा जिनकी भारतीय संस्थाओं को आवश्यकता होगी ।

औषधियों के मूल्यों में वृद्धि

1384. **श्री मधु दण्डवत** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औषधियों के मूल्यों में बहुत वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो 1 जनवरी, 1973 से लेकर अब तक मूल्य वृद्धि की प्रतिशतता क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने औषधियों के मूल्यों में असाधारण वृद्धि की जांच की है और यदि हां; तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

1 जुलाई, 1973 को हावड़ा में रेल दुर्घटना

1385. **श्री० आर एन० वर्मन** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जुलाई, 1973 को हावड़ा में हुई रेल दुर्घटना में कितने व्यक्ति हताहत हुए ;

(ख) दुर्घटना के कारण क्या हैं ; और

(ग) प्रभावित व्यक्तियों को कितनी और किस प्रकार की क्षतिपूर्ति की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 1-7-1973 को हावड़ा स्टेशन पर स्थानीय गाड़ी नं० 202 डाउन बर्दवान-हावड़ा के साथ हुई दुर्घटना में किसी की मृत्यु नहीं हुई। पांच व्यक्ति घायल हुए थे जिनमें से तीन को मामूली चोटें आयीं।

(ख) रेल सुरक्षा के अपर आयुक्त, पूर्वी क्षेत्र, कलकत्ता, ने इस दुर्घटना की विधिक जांच की और उनके अनन्तिम निष्कर्ष के अनुसार दुर्घटना रेल कर्मचारियों की गलती के कारण हुई।

(ग) अभी तक दुर्घटनाग्रस्त किसी व्यक्ति को कोई क्षतिपूर्ति की रकम नहीं दी गयी है और न ही इसके लिए कोई अर्जी प्राप्त हुई। फिर भी, गंभीर रूप से घायल दो यात्रियों में से एक को अनुग्रह के रूप में 400 रुपये का भुगतान किया गया है ।

विद्युत प्रजनन परियोजनाओं के लिये सीमेंट और इस्पात की सप्लाई हेतु स्थापित समिति

1386. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 16 जून, 1973 को बिजली बोर्डों के चेयरमैनों के वार्षिक सम्मेलन द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार विद्युत प्रजनन परियोजनाओं के लिए सीमेंट और इस्पात की सप्लाई पर निगरानी रखने के लिए कोई समिति स्थापित की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं और समिति के निर्देश-पद क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा) : (क) और (ख) 1973-74 के दौरान चालू करने के लिए अनुसूचित विद्युत उत्पादन स्कीमों की प्रगति और अन्तर्राष्ट्रीय पारेषण लाइनों के निर्माण पर विचार-विमर्श करते समय जून, 1973 में हुए राज्य बिजली बोर्डों के अध्यक्षों के सम्मेलन ने सिफारिश की थी कि विद्युत परियोजनाओं को इस्पात और सीमेंट के आवंटन और आपूर्ति का मासिक पुनरीक्षण करने और इन सामग्रियों को पर्याप्त और समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उपचारात्मक उपाय करने हेतु एक स्थायी समिति का गठन किया जाना चाहिए।

इस सिफारिश पर राज्यों के सिंचाई और विद्युत मंत्रियों ने कोडाईकनाल में हुए 2 से 4 जुलाई, 1973 तक हुए अपने सम्मेलन में विचार-विमर्श किया। विचार-विमर्श के उपरांत सम्मेलन ने एक प्रस्ताव पास किया कि भारत सरकार में संबंधित मंत्रालय से कहा जाए कि सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं के निमित्त इस्पात और सीमेंट के लिए अनुरोधों को उच्च प्राथमिकता दी जाए। तदनुसार इस्पात और औद्योगिक मंत्रालय से अनुरोध किया गया कि वे इस्पात और सीमेंट का आवंटन करते समय सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं को उच्च प्राथमिकता दें।

पूर्वी और पश्चिमी रेलवे में तीसरे दर्जे के आरक्षणों में कदाचार

1387. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि विशेषकर पूर्वी और पश्चिमी रेलवे में लम्बी यात्रा के लिए तीसरे दर्जे के आरक्षण में बहुत अधिक कदाचार हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इन कदाचारों को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) समय समय पर रिपोर्टें मिलती रहीं हैं जिनमें रेलवे आरक्षणों में, विशेषकर दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता जैसे महत्वपूर्ण नगरों से चलने वाली लंबी दूरी की गाड़ियों के मामले में कदाचार का आरोप लगाया गया है।

(ख) शायिकाओं/सीटों के आरक्षण में होने वाले कदाचार को रोकने के लिए जो कदम उठाये गये हैं, उनका विवरण संलग्न है। कदाचार और अनियमितताएं रोकने के लिए उपायों का सुझाव देने के उद्देश्य से टिकटों की बिक्री और गाड़ियों में स्थान के आरक्षण के सम्बंध में वर्तमान नियमों और क्रियाविधियों से उत्पन्न होने वाली विभिन्न समस्याओं पर संसद् सदस्यों की एक समिति भी आजकल विचार कर रही है।

विवरण

(1) यात्रियों के व्यक्तिगत नामों पर शायिकाएं बुक की जाती हैं और नाम में कोई परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाती ।

(2) आरक्षित स्थान अवरुद्ध न हो इसके लिए, लाइन में प्रतीक्षा करने वाले किसी व्यक्ति को एक पार्टी के लिए 4 शायिकाएं और एक परिवार के लिए 6 से अधिक शायिकाएं देने की अनुमति नहीं है।

(3) खाली होने वाला स्थान प्रतीक्षा सूची के यात्रियों को बिल्कुल प्राथमिकता के अनुसार आवंटित किया जाता है ।

(4) प्रत्येक गाड़ी में आरक्षित संस्थान की उपलब्धता की स्थिति बताने वाले नोटिस बोर्ड स्पष्ट प्रमुख संस्थानों पर प्रदर्शित किए जाते हैं।

(5) आरक्षित स्थान के संबंध में धोखा-धड़ी करने वाले व्यक्तियों पर निगाह रखने के लिए टिकट खिड़कियों के निकट विशेष दस्ते तैनात किये जाते हैं।

(6) अत्यधिक भीड़-भाड़ की अवधियों में आरक्षण कार्यालयों और गाड़ियों में बार बार जांच की जाती है।

(7) प्रमाणिकता का पता लगाने के लिए उन व्यक्तियों से सीधे सम्पर्क स्थापित करके जांच की जाती है जिनके नाम से आरक्षण किये गये हों।

(8) स्टेशनों पर नोटिस बोर्डों के माध्यम से जनता का सहयोग मांगा जाता है, उनके द्वारा जनता को चेतावनीदी जाती है कि वे अनधिकृत स्रोतों से यात्रा और आरक्षण टिकट न खरीदें।

(9) भीड़-भाड़ की अवधियों में यथासंभव अधिक गाड़ियां चलायी जाती हैं और विशेष गाड़ियों की व्यवस्था की जाती है।

(10) जहां कहीं किन्हीं व्यक्तियों के कदाचार में लगे होने का पता चलता है, वहां पूरी जांच की जाती है और यथासंभव मुकदमा चलाने सहित उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

पूर्वी रेलवे के हावड़ा और सियालदह सेक्शनों में उपनगरीय यात्रियों की सुरक्षा

1388 **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन महीनों में पूर्वी रेलवे, विशेषकर हावड़ा और सियालदह सेक्शनों के उपनगरीय यात्रियों ने रात्रि में यात्रा की सुरक्षा का प्रश्न उठाया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं।

(ख) पूर्व रेलवे के उपनगरीय खंडों पर सुरक्षित रेल यात्रा सुनिश्चित करने के लिए निम्नलितखित उपाय किये गये हैं :—

(i) उपनगरीय खंडों पर रात के समय गाड़ियों में सशस्त्र व्यक्तियों का पहरा रहता है ;

(ii) यात्रा करने वाली जनता का मनोबल ऊंचा उठाने के लिए महत्वपूर्ण स्थलों पर सशस्त्र व्यक्ति तैनात किये जाते हैं ;

(iii) पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने खुफिया विभाग के सादा कपड़ों वाले कर्मचारियों के दस्ते संगठित किये हैं जो गाड़ियों में संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ने के लिए गुप्त रूप से घूमते रहते हैं।

(iv) अपराध आसूचना एकत्र करने के काम को तेज कर दिया गया है, और

(v) संदिग्ध व्यक्तियों को भी आंतरिक सुरक्षा अधिनियम के अधीन बंद कर दिया जाता

आल इण्डिया मिनिस्टेरियल स्टाफ एसोसियेशन की दानापुर शाखा द्वारा 27 मार्च, 1973 को रेल मंत्री को प्रस्तुत किया गया ज्ञापन

1389. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दानापुर के डिवीजनल सुपरिन्टेन्डेन्ट के माध्यम से आल इंडिया मिनिस्टेरियल स्टाफ एसोसिएशन की दानापुर शाखा द्वारा 27 मार्च, 1973 को उन्हें एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था,

(ख) क्या 283 रेलवे श्रमिकों ने उक्त ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, और

(ग) यदि हां, तो उसका सारांश क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) जी हां ।

(ग) ज्ञापन में की गयी मांगें अनुबंध में दी गयी हैं। लिपिक वर्गीय कर्मचारियों सहित कर्मचारियों की सभी कोटियों की जायज मांगें लगातार उठायी जाती हैं, उनपर विचार किया जाता है और सामूहिक समझौता तंत्र के विभिन्न स्तरों अर्थात् स्थायी वार्ता तन्त्र और संयुक्त परामर्श तन्त्र जो काफी लम्बे समय से वैधानिक और उद्देश्यपूर्ण रूप से कार्य करते रहे हैं, के माध्यम से सुलझाई जाती हैं। प्राप्त व्यक्तिगत अभ्यावेदनों की भी प्रशासन द्वारा जांच की जाती है और उनका निबटारा किया जाता है।

विवरण

आल इन्डिया मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसियेयशन की दानापुर शाखा द्वारा प्रस्तुत किये गये ज्ञापन में की गई मांगो की सूची :—

1. लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के पदोन्नति ग्रेड में वृद्धि करने के संबंध में 7-1-69 को तत्कालीन रेल मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासनों का क्रियान्वयन न किया जाना ।
2. लिपिक वर्गीय कर्मचारियों और चतुर्थ श्रेणी के कार्यालय कर्मचारियों की भर्ती पर प्रतिबंध।
3. प्रशासकीय कार्यालयों/मंडल कार्यालयों और दूसरे कार्यालयों, अर्थात् कार्यशाला/शेड/कारखानों में काम करने वाले लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के बीच काम के घंटे और छुट्टियों में असमानता को तत्काल दूर करना ।
4. राष्ट्रीय छुट्टियों के दिन काम करने पर दुगुने वेतन का भुगतान ।
5. विभिन्न ग्रेडों के अनुसार लिपिक संवर्ग के लिए माप-दंड निश्चित करना ।
6. रेल कर्मचारियों को बोनस देना ।
7. सभी रेल कर्मचारियों को स्थान और सरकारी आवास का ख्याल किये बिना मकान किराया देना।

डिविजनल कर्मशियल सुपरिन्टेंडेंट, आसनसोल द्वारा जारी किये दण्ड सम्बन्धी आदेश

1390. श्री रामावतार शास्त्री : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 14 दिसम्बर, 1972 की सिविल नियम संख्या 786 (डब्लू) के अन्तर्गत कलकत्ता उच्च न्यायलय ने स्पष्ट रुप से यह निर्णय किया था कि अपनी इच्छा के डिफेंस हैल्पर के रुप में सह-नियुक्ति द्वारा अधिकार की रक्षा किया जाना कानूनी अधिकार है ;

(ख) क्या डिविजनल कर्मशियल सुपरिन्टेडेंट, आसनसोल, पूर्वी रेलवे ने अनेक मामलों में इस सांविधिक अधिकार को अस्वीकार कर दिया है;

(ग) क्या रेलवे प्रशासन ने इस मामले में कोई कार्यवाही की है; और

(घ) पूर्वी रेलवे के मुख्य कार्मिक अधिकारी के परिपत्र संख्या 7297 और 7541 के अन्तर्गत परिचालित किये गए रेलवे बोर्ड के आदेशों का पालन किये बिना डिविजनल कर्मशियल सुपरिन्टैडेंट आसनसोल ने गत तीन वर्षों में श्रेणीवार छोटे और बड़े रेलवे कर्मचारियों को कितने दण्ड आदेश जारी किये हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

डिविजनल सुपरिन्टेन्डेंट, धनबाद के कार्यों पर कलकत्ता उच्च न्यायालय की टिप्पणियां

1391. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 17 अगस्त, 1972 को कलकत्ता उच्च न्यायलय के न्यायधीश ने 1969 के सिविल नियम संख्या 6172 (डब्लू) के अन्तर्गत डिविजनल सुपरिन्टेडेंट धनबाद के कार्यों पर टिप्पणी की थी

(ख) पेटीशनर रेलवें सरवेंट को उक्त मामले में किसी प्रकार की सेवा किये बिना वेतन और भत्ते के रुप में कितनी राशि का भुगतान किया गया है, और

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रखा दी जाएगी ।

उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में नदियों में बाढ़ों का नियंत्रण करने सम्बन्धी प्रस्ताव

1392. **श्री नरसिंह नारायण पांडे** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में राप्ती, घाघरा, सरयू तथा कुआनों नामक नदियों में बार-बार आने वाली बाढ़ों को नियंत्रित करने हेतु, सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में पांचवीं पंचवर्षीय योजना में क्या कदम उठाने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) : बाढ़ों से सुरक्षा और उनसे क्षति को कम करने की व्यवस्था के लिये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1964 में तैयार की गई बाढ़ नियंत्रण की व्यापक योजना के प्रारूप में राप्ती, कुआनों और अन्य सहायक नदियों सहित घाघरा वेसिन में ऐसे उपाय प्रस्तावित किये गए थे जिनमें 53.8 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर पार्श्व-तट बंधों गांवों को ऊंचा करने नगर बचाव कार्य, जल निकास में सुधार और बाढ़ अवरोधन जलाशय सम्मिलित थे । केन्द्र में प्रस्तावों की जांच के उपरांत, राज्य सरकार से अनुरोध किया गया था कि 1964 के परवर्ती वर्षों में बाढ़ों के अनुभव को दृष्टि में रखकर उनको संशोधित किया जाए । इस प्रकार संशोधित योजना राज्य सरकार से अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं ।

राज्य सरकार ने अपनी पांचवीं योजना के प्ररुप में घाघरा वेसिन जिसमें इसकी सहायक नदियां जैसे राप्ती, कुआनो, इत्यादि सम्मिलित हैं में नये तटबंधों का निर्माण, नदी नियंत्रण और नगर बचाव कार्य तथा जल निकास सुधार कार्य प्रस्तावित किए हैं । सरजू वैसिन में जल निकास सुधार स्कीमें भी प्रस्तावित की गई हैं। उत्तर प्रदेश की पांचवीं योजना के प्रस्तावों पर विचार विमर्श करने तथा इनको अंतिम रुप देने के उपरांत व्यौरों पर निर्णय लिया जना है ।

सिंचाई क्षमता का कम उपयोग करने के कारण हुई भारी हानि

1393. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पहली जुलाई, 1973 के "पैट्रियट" में "पैनल वान्टस इफेक्टिव इरिगेशन मेथड्स हमृज लॉस डयू टु पुअर युटिलाइजेशन आफ पोटेन्शियल" शीर्ष से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) इस शीर्षक के अंतगर्त समाचार सिंचाई और बहुदेशयी परियोजनाओं की लागत में वृद्धि संबंधी विशेष समिति की रिपोर्ट के संबंध में है । इस समिति ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल, 1973 में प्रस्तुत कर दी थी। इस रिपोर्ट को राज्य सरकारों, संघीय क्षेत्रों और केन्द्रीय सरकार के संबद्ध मंत्रालयों तथा विभागों में समिति की सिफारिशों को उनके विचारों के लिए परिपत्रित कर दिया गया है ।

उत्तर प्रदेश द्वारा बिजलीघरों के लिये प्रस्तुत प्रस्ताव

1394. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य में बिजली घरों के लिए केन्द्रीय सरकार को अपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने प्रस्तावों की इस बीच जांच की है और यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या निर्णय लिए गए हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत विद्युत उत्पादन स्कीमों की वर्तमान स्थिति का विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 5254/73]

ब्यास-सतलुज लिंक प्रोजैक्ट मजदूर एकता यूनियन, सुन्दर नगर जिला मंडी (हिमाचल प्रदेश) से ज्ञापन

1395. **श्री दशरथ देव** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 1973 में ब्यास सतलुज लिंक परियोजना में कार्य करने वाले श्रमिकों द्वारा उठाई गई कठिनाइयों के बारे में ब्यास-सतलुज लिंक प्रोजैक्ट मजदूर एकता यूनियन जिला सुन्दर नगर मन्डी (हिमाचल प्रदेश) से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो वे शिकायतें क्या हैं ; और

(ग) शिकायतें दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविंद वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) उनके द्वारा की गई शिकायतें मुख्यतया नीति संबंधी मामलों जैसे कार्य-भारित कर्मचारियों के वेतनमान में फरवरी, 1968 से पूर्व प्रभावी संशोधन करना, बोनस की अदायगी, भविष्य निधि सुविधाएं, महंगाई भत्ता में वृद्धि, ब्यास-सतलुज सम्पर्क परियोजना के औद्योगिक कर्मचारियों के लिए तृतीय वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू करना और उचित दर दुकानों को खोलने से संबंधित हैं।

(ग) यह यूनियन मान्यता प्राप्त यूनियन नहीं है और अनुशासन संहिता के अनुसार इस प्रकार के नीति संबंधी मामले केवल मान्यता प्राप्त यूनियनों द्वारा ही उठाये जा सकते है। बहरहाल, एक मान्यता प्राप्त यनियन से प्राप्त प्रायः इसी प्रकार की मांगों को उठाने वाले एक अभ्यावेदन के उत्तर में परियोजना प्राधिकारियों ने पहले ही समुचित कार्यवाही कर दी है।

डुम्बरू (त्रिपुरा) में गोमती पनबिजली परियोजना

1396. **श्री दशरथ देव** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डुम्बरु (त्रिपुरा) में गोमती पनबिजली परियोजना के पूरा होने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) विलम्ब के क्या कारण हैं और इस परियोजना के कब तक पूरा होने की संम्भावना है ;

(ग) इस परियोजना के पूरा होने से लगभग कितने परिवारों की भूमि जलमग्न हो जायेगी : और

(घ) अब तक कितने परिवारों को वैकल्पिक भूमि जैसी सुविधा दी गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविंद वर्मा) : (क) गोमती जल विद्युत् परियोजना पर अब तक की गई प्रगति निम्नलिखित है :

(1) बांध इंटेक स्ट्रक्चर लगभग 90 प्रतिशत खुदाई और 36 प्रतिशत कंक्रीट का कार्य अब तक पूर्ण हो चुका है।

(2) विद्युत् चैनल लगभग 85 प्रतिशत खुदाई का कार्य पूर्ण हो चुका है। कुल 1145 मीटर की लम्बाई में से 87 मीटर की लम्बाई में पलस्तर हो चुका है। विद्युत् संयंत्र तथा उपस्कर की बहुत सी मदें स्थल पर प्राप्त हो चुकी हैं।

(ख) श्रमिकों के न मिलने, सीमेंट की कमी, परिवहन कठिनाइयों के अतिरिक्त जिन के कारण प्रगति धीमी पड़ गई 1970-71 में परियोजना पर कार्य पूर्वी पाकिस्तान की सीमा के परे से होने वाले हमलों के कारण भंग हो गया था। 1971-72 में बंगलादेश के संकट के कारण कार्य को प्रगति में और भी धक्का लगा। इस परियोजना को अब मार्च, 1975 तक पूर्ण होने की संभावना है।

(ग) और (घ): लगभग 3096 परिवार/प्रभावित जनजातियों के लिये एक कारबुक में एक पाइलट परियोजना स्थापित की गई है। विभिन्न जगहों पर लगभग 2000 परिवारों के पुनर्वास की स्कीम बनाई जा रही है।

देहरादून एक्सप्रेस और सियालदाह एक्सप्रेस गाड़ियों के लिये फैजाबाद स्टेशन के लिये आरक्षण कोटा

1397. **श्री आर० के० सिन्हा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देहरादून एक्सप्रैस और सियालदा एक्सप्रैस रेल गाड़ियां फैजाबाद से गुजरती हैं;

(ख) क्या इन रेलगाड़ियों में फैजाबाद से यात्रा करने के लिये आरक्षण कोट निर्धारित नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन गाड़ियों में यात्रा करने हेतु फैजाबाद के लिये कुछ स्थानों के आरक्षण का कोटा निर्धारित करने की बांछनीयता पर विचार करने का प्रस्ताव है; और यदि हां, तो उस पर कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) अलग-अलग स्टेशनों के लिये आरक्षण के विशिष्ट कोटे केवल वहीं आवंटित किये जाते हैं जहां आरक्षण के लिये नियमित और भारी मांग होती है। ऐसा विभिन्न स्टेशनों से आने वाली मांगों और गाड़ियों में उपलब्ध कुल स्थानों को ध्यान में रखकर किया जाता है। इस कसौटी के आधार पर अलग से कोटे रखने, खासकर फैजाबाद के लिये अलग कोटा रखने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन फैजाबाद से किये जाने वाले आरक्षण की मांग जहां तक व्यावहारिक होता है आरक्षण का नियंत्रण करने वाले स्टेशन के सामान्य कोटे से या मध्यवर्ती स्टेशन के कोटे से पूरी की जाती है।

उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा अपने कर्मचारियों को समय पर वेतन का भुगतान न किया जाना

1398. **श्री आर० के० सिन्हा :**

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड अपने कर्मचारियों को जून, 1973 का वेतन समय पर नहीं दे सका है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविंद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने सूचित किया है कि उनके कर्मचारियों को जून, 1973 के लिये वेतन समय पर न मिलने का कारण धन को प्राप्त करने में देरी था। बहरहाल, बोड ने यह सुनिश्चित करने के लिये यह कार्यवाही की है कि ऐसी देरी फिर न हो।

मथुरा तेल-शोधक कारखाने के लिये उपकरणों की सप्लाई के लिये रूस से बातचीत

1399. **श्री वीरभद्र सिंह :**

श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मथुरा तेल शोधक कारखाने के लिये कुछ उपकरण खरीदने हेतु बातचीत करने के लिये एक प्रतिनिधि मण्डल मास्को भेजा गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) मथुरा शोधनशाला के निर्माण में भारत तथा रूस के बीच सहयोग की संभावनाओं पर विचार-विमर्श करने के लिये पेट्रोलियम और रसायन मंत्री के नेतृत्व में एक शिष्ट मण्डल ने हाल में रूस का दौरा किया था। शिष्टमण्डल के दौरान दोनों सरकारों के बीच एक विज्ञप्ति पर हस्ताक्षर किये गए थे। विज्ञप्ति में मथुरा शोधनशाला के निर्माण में भारत तथा रूस के बीच सहयोग निहित है। इस से भारत को ऐसे उपकरणों तथा सामग्रियों की सप्लाई करेगा जो शोधनलाशा की कार्यान्विति के लिये भारत में समय पर उपलब्ध नहीं हो सकते।

देश में बिजली घरों की स्थापना

1400. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 में देश में किन-किन राज्यों में बिजली घरों की स्थापना करने का विचार किया गया था और 1973-74 में किन-किन राज्यों में कितने-कितने बिजली घरों की स्थापना करने का विचार है; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्येक बिजली घर पर कितनी राशि खर्च की गई और कितनी राशि खर्च की जाएगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) 1972-73 के दौरान चालू की गई और 1973-74 के दौरान चालू की जाने वाली विद्युत् उत्पादन यूनिटें संलग्न विवरण-एक और दो में दी गई है। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5255/73]

(ख) देश में विद्युत् विकास कार्यक्रम को राज्य के अपने संसाधनों द्वारा और जहां कहीं आवश्यक हो, पूरक केन्द्रीय सहायता द्वारा वित्तपोषित किया जा रहा है। चौथी योजना के प्रारंभ से राज्य योजना स्कीमों को केन्द्रीय सहायता राज्य के समग्र योजनाव्यय के लिये केवल ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जा रही हैं और किसी विशेष विद्युत् परियोजना के लिये नहीं दी जाती है। अतः यह कहना संभव नहीं है कि किसी एक परियोजना पर खर्च किये गए धन का कितना अंश केन्द्रीय सहायता के रूप में प्राप्त हुआ।

3 अप्रैल, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5746 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

Statement Correcting reply to U.S.Q. No 5746 dated 3.4.73

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : 3 अप्रैल, 1973 को अतारांकित प्रश्न संख्या 5746 के उत्तर को सभा पटल पर रखते समय, मैंने अन्य बातों के साथ-साथ उक्त प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में यह भी उल्लेख किया था कि सभी अन्य फुटकर विक्रय केन्द्रों, जो निगम के स्वामित्व वाले स्थानों पर स्थापित नहीं हुए हैं, के आबंटन में प्रथम प्रवरता, कम आय वाले समूह के परिवारों के बेरोजगार स्नातकों/इंजीनियरों आदि को दी जाती है। इस संबंध में सही स्थिति यह है कि प्रारम्भ में 'बी' स्थल के फुटकर विक्रय केन्द्रों की कम लाभप्रदता को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में भारतीय तेल निगम को सभी 'बी' स्थल से संबंधित फुटकर विक्रय केन्द्रों का सामान्य पद्धति से विज्ञापन जारी करना चाहिये और साथ ही साथ उन केन्द्रों की रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक पुनर्वास को भी सूचना दी जानी चाहिये ताकि महानिदेशक पुनर्वास योग्य विकलांग रक्षा कर्मचारियों को यदि कोई हों, सूचित कर सके ताकि वे उस अवसर का लाभ उठा सकें और विज्ञापन का उत्तर भेज सकें। यह भी निर्णय लिया गया है कि अन्य बातें सामान्य रहने पर भारतीय तेल निगम, इस पद्धति के अन्तर्गत भविष्य में सभी 'बी' स्थल से संबंधित फुटकर विक्रय केन्द्रों के चयन में प्रार्थियों में से विकलांग सैनिकों एंव भूत-पूर्वक सैनिकों को तरज़ीह देगा।

2. उपर्युक्त बताई गई स्थिति को ध्यान में रखते हुए में सदन से पिछले उत्तर में संशोधन करने के लिए निवेदन करुंगा। मैं यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि पूर्वदी गई गल्त सूचना अनवेक्षा के कारण दी गई थी और मैं इस के लिए खेद व्यक्त करता हूं।

3. क्योंकि गल्ती हाल ही में ध्यान में आई थी, शुद्धि एक सप्ताह के अन्दर नहीं की जा सकी। विलम्ब के लिये खेद है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

दिल्ली में खाद्य पदार्थों में बड़े पैमाने पर अपमिश्रण का समाचार

श्री सतपाल कपूर (पटियाला) : मैं **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :

दिल्ली में खाद्य-पदार्थों में बड़े पैमाने पर अपमिश्रण और बेसन में केसरी दाल की मिलावट पाई जाने, जिसके कारण शरीर के निचले अंगों में लकवा हो सकता है , के समाचार

(अन्तर्बाधा)

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे असंसदीय घोषित कर दिया है और कार्यवाई से काट दिया है ।

श्री पीलू मोदी (गांधदा) : आप उन्हें ये शब्द वापस लेने के लिए कह रहें है अथवा नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : हमने ध्यान आर्कषण प्रस्ताव पर चर्चा आरम्भ कर दी है और माननीय मंत्री उत्तर देने जा रहें हैं । प्रतिदिन कोई न कोई विवादास्पद प्रश्न उत्पन्न हो जाता है और इस प्रकार अनेक महत्वपूर्ण प्रश्न रह जाते हैं । तीन अथवा चार से अधिक प्रश्न निपटाने हेतु मैं आपका सहयोग चाहता हूं। एक प्रश्न पर दस मिनट से अधिक नहीं लगने चाहिए ।

श्री श्यामानन्दन मिश्र (बेगुसराय) : क्या आप मंत्रियों को यह नहीं कहेंगे कि वे अपनी गलितियों को ठीक करें ?

अध्यक्ष महोदय : मैं दोनों ओर लोगों को कह रहा हूं।

Shri Shankar Dev (Bidar): I want to raise a point of order. This House is being called as August House . . . .

अध्यक्ष महोदय : कृपा करके आप लोग बैठ जायें।

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : खाद्य अपमिक्षण निवारण अधिनियम को दिल्ली में लागू करने की मुख्य जिम्मेदारी स्थानीय निकायों की है । गत पांच वर्षों में लिये गये नमूनों और उनके परीक्षणों से यह देखा गया है कि मिलावटी पाये गए नमूनों की प्रतिशतता बढ़ती जा रहीं है । स्थानीय निकायों को समय-समय पर यह सलाह दे दी गई है कि वे इस अधिनियम को लागू करने वाली मशीनरी को मजबूत करें। दिल्ली नगर निगम ने दो विशेष दस्ते बनाए हैं जिनमें पूरे समय तक काम करने वाले 16 खाद्य निरीक्षक तथा दो मुख्य खाद्य/निरीक्षक नियुक्त किए गए हैं।

नई दिल्ली नगरपालिका के क्षेत्र में पूरे समय तक काम करने वाले 3 खाद्य निरीक्षक और एक मुख्य खाद्य निरीक्षक नियुक्त किए गए हैं। इसके अतिरिक्त दो मुख्य सफाई निरीक्षकों तथा चार सफाई निरीक्षकों को भी खाद्य निरीक्षकों का काम सौपां गया है । दिल्ली कन्टोन्मेंट बोर्ड ने दो सफाई निरीक्षकों तथा एक सफाई अधीक्षक की खाद्य निरीक्षकों का काम सौंपा है ।

2. 1 जून, 1973 से 30 जुलाई, 1973 तक दिल्ली नगर निगम के निरीक्षकों ने बाजार से थोक विक्रेताओं तथा खुदरा व्यापारियों दोनों से बेसन के 65 नमूने लिये । इनमें से 42 नमूनों में केसरी

दाल की मिलावट और दो में कीड़ा लगा हुआ पाया गया। इस मिलावट की प्रतिशतता 5 से 80 तक थी। कानून के अधीन मिलावटकर्ताओं के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

3. विशेषज्ञों का यह विचार है कि केसारी दाल को काफी समय तक अन्यधिक मात्रा में खाते रहने से लेथीरस (चटरी-मटरी) रोग हो जाता है जो लकवा नाम का एक तन्त्रि का रोग है। इसका प्रभाव खासकर किशोरों पर पड़ता है। केसारी दाल की खेती मुख्यतः मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में की जाती है।

4. खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमवाली के उपबन्धों के अनुसार केसारी दाल की बिक्री पर रोक है। किन्तु, ऐसी रोक संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित तिथि से ही लागू होगी। मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और गुजरात राज्य सरकारों ने इस संबंध में आवश्यक अधिसूचना जारी नहीं की है।

5 राजधानी में खाद्य पदार्थों में हो रही इस मिलावट की बात से सरकार बहुत चिन्तित है और माननीय सदस्यों ने इस संबंध में जो चिन्ता व्यक्त की है सरकार उसको भली भांति समझती है। हमने इस बारे में संबंधित अधिकारियों से परामर्श किया है और मौजूदा मशीनरी को सरल, कारगर तथा मजबूत बनाने के लिये आवश्यक उपाय किये जा रहे हैं ताकि इन नियमों को लागू करने वाली मशीनरी अधिक प्रभावकारी हो जाये । जनता को सतर्क करने के लिये विशेष अभियान भी चलाए जा रहे हैं। केन्द्रीय नागरिक परिषद् भी जनता को इस संबंध में सतर्क कर इस समस्या को हल करने में विशेष रूची ले रही है।

Shri Sat Pal Kapoor (Patiala): The problem is not simple as the hon. Minister has tried to make it out. You cannot get anything pure. Even the salt is adulterated. Only the inspectors get pure food. It has been stated in a report just published that the ministry of Petroleum is losing about Rs. 20 crores due to adulteration in Petrol and Diesel. The Government is not giving as much attention to this problem as much is needed. The Government is depending on the food inspectors. They simply take bribe and do nothing to check the adulteration. The punishment should be detenent. I may suggest that Government should issue an order saying that everything should be made available to the people in packets and every packet should have markings of Indian Standard Institution. Any person who sells the food articles without the marking of I.S.I. should be arrested. This matter of checking the food articles should be taken over from the municipalities. A new order and atmosphere should be built in the country. The centre should prove the necessary machinery to check the articles. State Governments should also be asked to farm such machinery. All political parties and Trade Unions should be involved in this matter.

श्री आर० के० खाडिलकर: यह गहरी चिन्ता का विषय है कि प्रतिदिन प्रयोग में आने वाली अनेक वस्तुओं में मिलावट की जा रही है। 1964 के अधिनियम, जिसमें संशोधन भी किया गया था, में सजा देने की व्यवस्था भी है। दूसरे यह शक्ति समवर्ती सूची में है जिसका प्रयोग केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों दोनों को करना है। क्रियान्विति संबंधी व्यवस्था अधिकतर निगम के हाथों में ही है। यह ठीक है कि इसमें भ्रष्ट लोग है परन्तु यह ठीक नहीं कि प्रत्येक इन्स्पैक्टर भ्रष्ट है।

मैं इस बात से सहमत हूं कि हमें जमाखोरी चोर बाजारी तथा अभिमिश्रण के विरुद्ध एक वातावरण तैयार करना है, और जनता को इन बातों के प्रति जागरुक करना है। जनता में एक ऐसी जागृति नहीं आई है कि इस सामाजिक बुराई को खत्म करना चाहिये।

दूसरे हमारा विचार यह है कि न्यायपालिका ऐसे अपराधों के लिए कम दण्ड देती है। वह इसे अधिक गम्भीरता से नहीं लेती। हालांकि क्रियान्वित मशीनरी है फिर भी अधिनियम को क्रियान्वित करना कठिन हो रहा है। चने की दाल और केसरी दाल की मिलावट के कुछ मामलों को हमने पकड़ा है। आशा है कि इन का वांछित प्रभाव पड़ेगा और जनता में जागरूकता उत्पन्न होगी।

Shri Satpal Kapoor: May I know the reaction of the Hon. Minister on my suggestions ?

श्री आर० के० खाडिलकर : उन्होंने जो सुझाव दिये हैं वे बहुत अच्छे हैं। इस समय वितरण प्रणाली उन लोगों के हाथों में है जो परम्परागत रूपसे इस व्यवसाय में लगे हुए हैं। जब तक सरकार की अपनी वितरण प्रणाली नहीं बन जाती तब इस सुझाव को क्रियान्वित करना सम्भव नहीं है। फिर भी हम इन सभी सुझावों पर गम्भीरता से विचार करेंगे।

श्री आर० के सिन्हा (फ़ैज़ाबाद) : यदि सरकार ने मिलावट के कुछ मामलों को पकड़ कर उनमें प्रभावी दण्ड दिया होता तो उसके परिणाम बहुत अच्छे निकल सकते थे। यदि समवर्ती सूची में दी गई शक्तियों के बारे में कुछ भ्रम है तो विधि प्रणाली को सुधारा जाना चाहिये यदि आप यह समझते ह कि कानून में कमी है जिस कारण न्यायपालिका कम दण्ड देती है तो कानून और सख्त बनाया जाना चाहिये। देश के लोगों का स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। अत: इस मामले की उपेक्षा नहीं की जा सकती।

हाल में मिलावट के अनेक मामले ध्यान में आये हैं। बम्बई के खाद्य मंत्री ने हाल में कहा था कि खाद्य निगम द्वारा भेजे गए गेहूं में लोहे के छोटे छोटे टुकड़े मिले हैं। 25 अप्रैल, को कटक के समाचारपत्रों में छपा था कि कनाडा के गेहूं में किसी धातु के टुकड़े मिले हैं।

8 मई के एक स्थानीय समाचारपत्र में छपा है कि राजधानी में जो गेसोलीन बिक रही है वह अपमिश्रित है। इससे कार्बन मोनोक्साइड अधिक निकलता है जो वातावरण को दूषित करता है। यह लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक है। अब तो ऐसी स्थिति है कि दूध में पानी नहीं बल्कि पानी में दूध मिलाकर बेचा जाता है। इस प्रकार घी में भी अत्यधिक मिलावट है। दिल्ली में किये गये नमूना सर्वेक्षण किया गया था उससे पता चला है कि दिल्ली में 50 प्रतिशत खाद्य पदार्थ मिलावट वाले हैं और दिल्ली में बेचे जा रहे घी का 60 प्रतिशित मिलावटी है। ऐसा सब भ्रष्ट अधिकारियों के कारण है तथा इसका कारण है कि कानूनी कार्यवाही बहुत धीमी होती है। 1972 में खाद्य पदार्थों के केवल 935 मामलों की ही जांच की गई। सारे मामले की पूरी तरह जांच की जानी चाहिये।

16 जून को एक समाचार छपा था जिसमें नकली टुथ पेस्ट तथा नकली दवाईयों का उल्लेख किया गया था। यहां तक कि दवाइयों की दुकान में जीवन बाचाओं दवाइयों की भी नकल रखी हुई थी। यह मामला सीधे स्वास्थ्य मंत्रालय से सम्बन्धित रखता है। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे मामलों में अब तक कितने व्यक्तियों को दण्ड दिया गया है। क्या नकली दवाइयां बनाने वालों तथा बेचने वालों के नाम का भी प्रकाशित किये गये हैं ?

श्री आर० के० खाडिलकर : जैसा मैंने पहले कहा है मुख्य समस्या कानून की है। यह विषय समवर्ती सूची में है। परन्तु स्थिति का सामना करने हेतु मेरे साथी ने सम्बन्धित अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित किया है। इन्होंने इस बात का पता लगाने का प्रयास किया है कि क्या कानून को अधिक प्रभावशाली ढंग से लागू किया जा सकता है अथवा नहीं। दूसरे मैंने पहले भी कहा है कि हमारी कठिनाई

यह है कि न्यायपालिका द्वारा ऐसे मामले में बहुत कम दण्ड दिया जाता है। नकली औषधियों के मामले में भी स्थिति लगभग ऐसी ही है ।

श्री आर० के० सिन्हा : क्या आप इन इन्स्पैकटरों के आयकर विवरण देखेंगे तथा उनकी सम्पत्ति की जांच करायेंगें कि उन्होंने इतनी सम्पत्ति किस तरीके से बनाई है ।

श्री आर० के० खाडिलकर : कार्यवाही करने हेतु यह एक अच्छा सुझाव है । मैं इसे ध्यान में रखूगां । यह बताने में बहुत समय लगेगा कि हमने ऐसे कितने मामलों का पता लगाया है तथा कितने मामलों में दण्ड दिया है । 1966-67 में 54 मुकदमें चलाये गये थे, 36 मामलों में निर्णय हो गया था । एक मामले में छह महीने का कारावास दिया गया था ।

Mr. Speaker: You may place it on the Table of the House.

श्री आर० के० खाडिलकर : मैं इसे सभा पटल पर रख दूगां । मैं समझता हूं कि सभी दलों को इकठ्ठे होकर इस बुराई का विरोध करना चाहिये। हम सबको एक उदाहरण स्थापित करना चाहिये। इन लोगों को दण्ड देने का यही एक तरीका है कि उपभोक्ताओं को इस का विरोध करने हेतु तैयार किया जाये।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): I want to know the contents of the bottle which are lying before the hon. Minister?

श्री आर० के० खाडिलकर : मेरे पास चने की दाल तथा केसरी दाल के दो नमूने रखे हैं । इनको देखकर यह कहना कठिन है कि किस बोतल में क्या है । यदि इस केसरी दाल को उबाल लिया जाये और पहला पानी फैंक दिया जाये तो यह दाल हानिकारक नहीं है ।

Shri Ishwar Choudhry (Gaya): I have this bottle of Gold Spot with me. Something is mixed with its content. I do not know what is this. I want to present it to the hon. Minister. I do not know what the officers are doing?

Shri R. S. Pandey (Rajnandgaon): Delhi has become the biggest market of adulterated articles. It appears from the statement that the hon. Minister is unable to do anything. He is finding it defficult to implement the law. A milk-seller was caught in Bombay because he was mixing blotting paper with milk. His annual consumption of blotting paper was worth two lakhs of rupees. The Court released this person saying that an investigation should be made to see whether this mixing of blotting paper is fatal for human life or not? In Nagpur rat killing poison was mixed in the tonic and several persons died after taking it. It is not justified on the part of the hon. Minister to say that this subject comes under the concurrent list and it comes under the purview of corporations and municipalities. Some stringent steps should be taken by the Government in this regard. Adulterators should be awarded capital punishment. The Government machinery should be strengthened. It is unfortunate that first of all things are not available in the market and if at all one gets the things there are adulterated. Mobile Courts should be established to deal with the cases of adulteration. Stringent laws should also be framed.

श्री आर० के० खाडिलकर : रबड़ी में ब्लाटिंग पेपर मिलाने वाला मामला लखनऊ में हुआ था। इसका पता वहां के आयकर अधिकारियों ने लगाया था। घोड़े की लीद को मसाले में मिलाने का मामला दिल्ली में पकड़ा गया था। अतः जहां तक सरकारी मशीनरी को मजबूत बनाने का प्रश्न है हम इस बात को ध्यान में रखेंगे।

Shri Shashi Bhushan (South Delhi): This adulteration is a blot in our country. The principles of democracy should not apply on the adulterators and black marketeers. We should deal with them firmly, otherwise the nation's health is in danger. If it is not possible to give them full food atleast they should be given pure food. Even the drugs are spurious. But if some cases are detected the Courts take long time to give their decision in them. I suggest that for such cases people's Courts should be established.

May I know whether you will advise the Government to form a sub-committee of the cabinet which may issue directions to the effect that adulterators and black marketeers should be hanged or shot dead. I am sure the people will support the Government if it will punish the adulterators and black marketeers severely.

श्री आर० के० खाडिलकर : हम वर्तमान व्यवस्था का अत्यधिक लाभ उठाने तथा कानून को यथासम्भव क्रियान्वित करने का प्रयास कर रहे हैं। हम सभी प्राधिकारियों में समन्वय उत्पन्न करने का भी प्रयास कर रहे हैं। यदि माननीय सदस्य यह समझते हैं कि वर्तमान व्यवस्था अपर्याप्त है तो उन्हें पहल करनी चाहिए। उनकी अन्य बातों पर मैं ध्यान दूंगा।

विहार में सूखे और अभाव की स्थिति के बारे में

Re. Drought and Scarcity Conditions in Bihar

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : हमने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। मैं इस बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रतिदिन ऐसा नहीं हो सकता। मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं ध्यानाकर्षण एवं नियम 377 के अन्तर्गत एक दो प्रस्ताव स्वीकार करता हूं। आपको अपने विचारों की अभिव्यक्ति के अनेक अवसर मिलते हैं। मैं आपके प्रस्ताव को मंत्री महोदय को भेज दूंगा। (अन्तर्वाधाएं)

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : हम विरोधी पक्ष के पांच सदस्यों ने मुगलसराय से गया तक यात्रा की। एक राशन की दुकान में जहां पर 400 कार्ड पंजीकृत हैं, केवल एक बोरी चावल की थी। पिछले वर्ष वहां सूखा पड़ा और इस वर्ष भी वर्षा कम हुई है। सहरसा, औरंगाबाद और गया की जनसंख्या 20 लाख है। 15 लाख व्यक्ति भूमिहीन श्रमिक हैं। भूखमरी से 14 मौतें हो चुकी हैं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : कुछ संसद सदस्यों ने बिहार के सूखाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया था। वहाँ की स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक है।

Shri K. M. Madhukar (Kesaria): We travelled three districts of Bihar. These areas have suffered due to absence of rains. The manner in which the Bihar Government has acted in the procurement of foodstuffs is all the mere disturbing. Fifty lakh people of Bihar can survive only if 2 lakh tons of food is supplied every year.

Shri Ishwar Chaudhry (Gaya): Due to continuous droughts the situation has deteriorated to such an extent that people are compelled to eat grass roots. Today there is no water, no electricity and no facilities for irrigation. The lives of 25 lakh people is in danger. There have taken place starvation deaths.

Shri Madhu Limaye (Banka): The districts of Bhagalpur, Santhal and Monghyr were affected by floods last year. The Food Minister has admitted that distribution system is not working there. This should be improved. Please allow discussion under Rule 193.

Mr. Speaker: Enough has been said in last week's discussions on this subject.

Shri Madhu Limaye: That was a Call Attention Notice. Then the Hon. Minister said that he would tour the areas. Now that tours have taken place, a discussion should be held now.

श्री पो० के० देव (कालाहांडी) : उड़ीसा में अकाल से मौतें होती रही हैं । परन्तु सदा उनसे इन्कार किया जाता है । इस मामले से अधिक महत्वपूर्ण कौन सा मामला हो सकता है जबकि सरकार की निन्दा की जा सके ।

श्री दिनेश सिंह (प्रतापगढ़) : खाद्य और सूखे की स्थिति से हम भी उतने ही चिंतित हैं। इस स्थगन प्रस्ताव की अनुमति मिलनी चाहिए ।

Mr. Speaker: The more I am asking you to give up a thing the more you are stressing for it. Even yesterday I helped you.

Shri Atal Bihari Vajpayee: We understand about your help. This is a method to raise the issue.

Shri Ishaque Sambhali (Amroha): What has been stated here about Bihar equally applies to the districts of U.P. like Balia, Ghazipur, Azamgarh etc. You should allow us full discussion on the subject.

Shri Bhogender Jha: There are no two opinions regarding preventing food crisis.

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

विधान सभाई निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमत आदेश, 1966 की अनुसूची 9 में संशोधन

विधि न्याय और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : मैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 9 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सां० आ० 267 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखूंगा । जो भारत के

राजपत्र, दिनांक 4 मई, 1973 में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा तमिल नाडु राज्य के संबंध में संसदीय और विधानसभाई निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, 1966 की अनुसूची 9 में कतिपय संशोधन किया गया है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए एल० टी० संख्या 5243/73)]

निक्षेप बीमा निगम बंबई के कार्यकरण पर प्रतिवेदन

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं निक्षेप बीमा निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निक्षेप बीमा निगम, बम्बई के 31 दिसम्बर, 1972 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण संबंधी प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे सभा-पटल पर रखता हूं । [ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या 5244/73]

उड़ीसा सिचाई अधिनियम, 1961 में संशोधन

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० के० एल० राव) : मैं उड़ीसा राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 3 मार्च, 1973 की उद्घोषणा के खंड (ग) (तीन) के साथ पठित उड़ीसा सिंचाई अधिनियम, 1959 की धारा 53 की उपधारा (3) के अन्तर्गत उड़ीसा अधिसूचना संख्या सां० नि० आ० 479/73 (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं जो उड़ीसा राजपत्र, दिनांक 28 मई, 1973 में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उड़ीसा सिंचाई नियम, 1961 में कतिपय संशोधन किया गया है । थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 5245/73]

कम्पनी (केन्द्रीय सरकार के) साधारण नियम और प्रपत्र

विधि, न्याय और समवाय कार्य में उपमंत्री (श्री बेदव्रत बरुआ) : म कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अन्तर्गत कम्पनी (केन्द्रीय सरकार के) साधारण नियम और प्रपत्र (संशोधन) नियम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं जो भारत के राजपत्र, दिनांक 30 जून, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 667 में प्रकाशित हुए थे । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 5246/73] ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

21वां प्रतिवेदन

श्री बूटा सिंह (रोपड़) : मैं शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय (शिक्षा विभाग) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर—में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये प्रवेश तथा अन्य सुविधाओं के संबंध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का 21वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

नियम 377 के अंतर्गत मामले
MATTER UNDER RULE 377

प्रो० मधु दंडवते : (राजापुर) : महाराष्ट्र-मैसूर विवाद कई वर्षों से चला आ रहा है । मतदाताओं के स्पष्ट संकेत एवं दोनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों के विवाद को हल करने के लिये आश्वासन के बावजूद कोई समाधान नहीं मिल पाया । इसके कारण राज्यों की सीमा पर तनाव पैदा हो जाते हैं । 23 जुलाई को 40,000 व्यक्तियों ने मराठी भाषी व्यक्तियों पर एक विशेष भाषा उन पर लादे जाने के विरुद्ध आन्दोलन किया । इस बारे पुलिस की कार्यवाहियों की जांच की जाये ।

केन्द्र को मैसूर और महाराष्ट्र के बीच जो विवाद है उस सुपरिभाषित सिद्धांतों के आधार पर हल करना चाहिये। महाराष्ट्र एकता समिति ने 21 नवम्बर से शांतिपूर्ण आन्दोलन चलाने की घोषणा की है ।

मंत्री महोदय इस बारे में वक्तव्य दें ।

अध्यक्ष महोदय : यह उन्हें भेज दिया गया है ।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : मैं श्री दंडवते के इस विचार से सहमत हूं कि इस मामले का शांतिपूर्ण समाधान खोजा जाना चाहिए । परन्तु इस बारे में आन्दोलत्मक दृष्टि नहीं अपनायी जानी चाहिए । इस बारे में बिना किसी उत्तेजना के समाधान खोजा जाना चाहिए ।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बज कर तीस मिनट तक के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for lunch till half past fourteen of the clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक-सभा दो बज कर तैंतीस मिनट पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha re-assembled after lunch at thirty three minutes past Fourteen Hours of the clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr: Deputy Speaker in the Chair]

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : क्या आपका ध्यान 29 जुलाई, 73 के पेट्रियेट में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ? एक गुप्तचर ऐजेंसी स्थापित हुई है जिसकी शाखाएं पूरे देश में हैं जिसके 1500 कर्मचारी हैं तथा उसका अमरीकी दूतावास से संबंध है । मंत्री महोदय इस बारे में वक्तव्य दें क्योंकि इससे देश की सुरक्षा को खतरा है ।

सीमा-शुल्क, स्वर्ण (नियंत्रण) और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक
CUSTOMS GOLD (CONTROL) AND CENTRAL EXCISE AND SALT (AMENDMENT) BILL

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : सरकार ने श्री बांचू के सभापतित्व में प्रत्यक्ष कर जांच समिति नियुक्त की थी । विधि आयोग ने अपनी 47वीं रिपोर्ट में सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर ध्यान दिलाया है । सरकार ने इनमें से कुछ सिफारिशों को लागू करने के लिये विधेयक पुरःस्थापित किया है ।

इस विधेयक के द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम, स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम तथा केन्द्रीय उत्पाद और नमक कानून को विधि आयोग एवं अध्ययन दल की सिफारिशों को कानूनी रूप देने का प्रस्ताव है ।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962, स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962, स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : जहां तक विनियमों का अधिलंघन करने वालों से इस विधेयक का संबंध है मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं ।

यह ठीक है कि मूल्य से कम अधिक बीजक बनाने के कारण विदेशी मुद्रा की हानि होती है। इस बारे में बड़े व्यापार गृहों को $2\frac{1}{2}$ करोड़, रुपए जुर्माना किया गया था । इस प्रकार के कानूनों जिसमें सरकार को कठोरतर दंड दिया गया है स्वागत योग्य है । परन्तु मामला उनके क्रियान्वित किये जाने का है ।

स्वर्ण नियंत्रण के तीन उद्देश्य बताये गये थे ; एक था तस्करी का समाप्त अथवा कम होना दूसरे सोने का मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के अनुरूप करना तथा दिया सोना बाहर लाना ठंडे दिमाग से विचार करने से स्पष्ट है कि इन तीनों उद्देश्यों में विफलता रही है ।

आज सराफों को तंग किया जाता है । जो सराफ पैसा दे देते हैं उन्हें तंग नहीं किया जाता।

सीमा शुल्क के मामलों में केवल 10,000 से 50,000 रु० जुर्माना किया जाता है जोकि उनके लिये महत्वहीन है । एक अधिकारी मूल्य से कम बढ़ती बीजक बनाने वालों के विरूद्ध कार्यवाही करता था । आज वह विभाग में नहीं है । मुझे पता चला है कि बंबई के बड़े तस्कर श्री गुली मस्तन आदि ने उसे स्थानान्तरित करवा दिया है । तस्कर व्यापारी इस देश में इतने शक्तिशाली हैं कि कुछ ी करवा सकते हैं ? तस्करों को पकड़ने के लिये तीव्र गति वाली नौकाएं तैयार की जानी थी परन्तु निहित स्वार्थों ने उसे रूकवा दिया है ।

क्या यह सच है कि प्रत्यक्ष करों संबंधी बोर्ड ने विड़ला बन्धुओं के विरूद्ध पुनः कार्यवाही करने के लिये एक समिति नियुक्त की है ?

***श्री टी० एस० लक्ष्मणन्** (श्री परेबटूर) : इस विधेयक के द्वारा प्रस्तावित अधिनियमों के संशोधनों पर अपनी पार्टी की ओर से कुछ विचार रखता हूं ।

खंड 3 के अधीन जुर्माने बढ़ाने का प्रस्ताव है । वास्तव में विदेशी व्यापारी भारतीय व्यापारियों के साथ मिल कर कम बढ़ती बीजक दिखाते हैं । विदेशी मुद्रा को जन हित में बचाया जाना चाहिए । उपलब्ध आकड़ों के अनुसार प्रतिवर्ष 200 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की इस प्रकार हानि होती है ।

---

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर ।

*English translation of the speech delivered in Tamil.

इस विधेयक के द्वारा ऐसे आर्थिक अपराध की रोकथाम के लिये सीमा-शुल्क अधिनियम में संशोधन किया जाना है। मेरे विचार से इतना ही पर्याप्त नहीं है। भारत सरकार को चाहिए कि भारतीय व्यापारियों के विदेशी बैंकों के लेखों को पकड़े और उन पर तुरन्त रोक लगा दे। दूसरे, ऐसे आर्थिक अपराध करने वाले व्यापारियों के आयात लाइसेंसों को निरस्त कर दिया जाना चाहिये।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि कानून के किस उपबन्ध के अन्तर्गत किसी व्यक्ति में बकाया विदेशी मुद्रा को वसूल किया जायेगा ?

अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं विधेयक के खंड 16 का उल्लेख करना चाहूंगा। लाखों स्वर्णकार सड़कों पर फिर रहे हैं और केन्द्रीय सरकार ने जब स्वर्ण नियंत्रन अधिनियम बनाया था तब उन्हें आश्वासन दिया था कि उनके लिये रोजगार के अन्य अवसर ढूंढ़ निकाले जायेंगे परन्तु सरकार ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है। इस खंड से उनकी समस्याएं और बढ़ जायेंगी अतः मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह वाद-विवाद का उत्तर देते समय खंड 16 के प्रभाव को स्पष्ट करें।

श्री मधु दंडवते (राजापुर) : मैं इस विधेयक की इसलिये आलोचना नहीं कर रहा हूं कि इसमें किस बात का उल्लेख किया है, परन्तु इसलिये कर रहा हूं कि इसमें किस बात का उल्लेख नहीं किया गया है। स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम में आमूल संशोधन के लिये अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ आन्दोलन कर रहा है। उसने बार-बार प्रतिनिधिमंडल और ज्ञापन आदि भेजे और ठोस सुझाव दिये। मैं समझता हूं कि इस विधेयक का प्रारूप पुनः बनाने की गुंजाइश है।

खंड 16 का उद्देश्य अधिनियम की धारा 100 में संशोधन करना है। मैं यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि इस खंड में सोने की जो मात्रा रखी गई है क्या उतनी ही मात्रा अन्य खंडों में भी रखी जायेंगी।

मूल अधिनियम की धारा 114 के अन्तर्गत सरकार को व्यापक शक्तियां दी गई है। उन्हें स्पष्ट करना चाहिये कि उन शक्तियों का क्षेत्र क्या होगा और क्या उन शक्तियों का प्रयोग छोटे स्वर्णकारों को हतोत्साहित करने के लिये किया जायेगा।

खंड 13 से धारा 85 में संशोधन करने का प्रयास किया गया है जिसके अनुसार न केवल स्वर्णकारों तथा परिष्कारकों (रिफाइनर्ज) ही अपितु छोटे स्वर्णकारों को भी इस धारा के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत रखा जायेगा। यदि इसकी विस्तारपूर्वक जांच की जाये तो पता चलेगा कि छोटे स्वर्णकारों को इस खंड के क्षेत्राधिकार में अलग रखा जाना चाहिये।

छोटे स्वर्णकारों और उनके संगठनों द्वारा अनेक सुझाव दिये गए हैं। मंत्री महोदय को चाहिये कि विरोधी दलों और सत्तारूढ़ दल के प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए विभिन्न ज्ञापनों की तीन चार बातों को विधेयक में शामिल कर लें।

1. ऋण अदायगी की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष की जानी चाहिये और ऋण की अदायगी न करने पर ऋण-प्रमाण-पत्र रद्द नहीं किये जाने चाहिये।

2. व्यक्तिगत बांड पर 1500 रुपये तक दिया गया ऋण राज सहायता समझा जाना चाहिये।

3. किसी भी आवेदन को जो कम से कम एक वर्ष के लिये प्रशिक्षित हो, किसी भी प्रमाणित स्वर्णकार द्वारा बिना आगे कोई प्रतिबन्ध लगाये, प्रमाण-पत्र दे दिया जाना चाहिये।

4. प्रत्येक प्रमाणित स्वर्णकार को एक समय पर ग्राहकों तथा सोने का काम करने वालों से 200 ग्राम तक पुराने जेवर खरीदने तथा 500 ग्राम तक सोना जमा रखने की अनुमति होनी चाहिए।

जिस रूप में यह विधेयक है उस रूप में ही रहेगा तो इससे छोटे स्वर्णकारों के हितों की रक्षा कभी नहीं होगी। अतः मैं आशा करता हूं कि सरकार इस विधेयक को वापस ले और पुनः तैयार किया गया विधेयक सभा में प्रस्तुत करें।

रेलवे में नौकरियों के लिये अल्पसंख्यकों की भर्ती के सम्बन्ध में चर्चा

DISCUSSION RE : RECRUITMENT OF MINORITIES FOR JOBS IN THE RAILWAYS

श्री समर गुह (कन्टाई) : सम्प्रदायवाद और जातिवाद, ये दो ऐसी मुख्य बातें हैं जो हमारी प्रगति में रोड़ा अटकाती है।

ये दोनों बातें हमारी राजनीति में घर कर गई हैं और उन्हें दूर करने के लिये कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है, बल्कि इन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है।

आजकल सभी राजनीतिक दलों में चुनावों में लाभ उठाने की दृष्टि से हरिजनों, आदिवासियों, मुसलमानों और ईसाइयों को राजी करने की होड़ लगी हुई है।

प्रथम श्रेणी के पदों के लिये भर्ती के संबंध में अर्हता में किसी प्रकार की छूट के मैं विरुद्ध हूं। कार्य कुशलता को ही चयन का मुख्य मानदंड माना जाना चाहिए अन्यथा हमारा प्रशासनिक ढ़ाचा चरमरा उठेगा और राष्ट्र की प्रगति को धक्का लगेगा। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि अनुसूचित जातियों अथवा आदिवासियों, मुसलमानों या ईसाइयों की मानसिक क्षमता उन्नत समुदाय के लोगों की तुलना में किसी तरह कम है। यदि उन्हें प्रशिक्षण दिया जाये तो वे भी उन्नत समुदाय के लोगों के साथ प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं।

प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की भर्ती के मामले में मौखिक परीक्षा को समाप्त किया जाना चाहिए। उस दिन रेल मंत्री विरोध कर रहे थे कि किसी समुदाय के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं है परन्तु कठिन समस्या तो यह है कि कुछ समुदायों के प्रति पक्षपात होता है। प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से प्रथम श्रेणी की भर्ती के मामले में मौखिक परीक्षा को हटाया जाना चाहिये क्योंकि परीक्षक उन्नत वर्ग के होते हैं और जाति पूर्वाग्रह, सम्प्रदाय पूर्वाग्रह आदि के शिकार होते हैं.....

उपाध्यक्ष महोदय : आपने अपना आधा समय ले लिया है और अभी तक आपने रेलवे के बारे में कुछ नहीं कहा है।

श्री समर गुह : मैं समस्या पर आ रहा हूं।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): The motion was not intended to be confined to the Railways only. The question is regarding Government jobs. Is the question of providing jobs to the minorities only relates to the Railways? It is strange, how the original motion has been changed?

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे पास अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव है। इसे हम बदल नहीं सकते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह प्रस्ताव किसने दिया ?

उपाध्यक्ष महोयद : यह प्रस्ताव श्री समर गुह, श्री अटल बिहारी बाजपेयी, श्री ज्योतिर्मय बसु, श्री एस० एम० बनर्जी और श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे के नाम से हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैंने अपने प्रस्ताव में अनुसूचित जातियों/जन जातियों और अन्य अल्पसंख्यकों की नौकरियों में भर्ती का भी उल्लेख किया था..... (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष महोदय को अधिकार है कि वह प्रस्ताव को किसी भी रूप में स्वीकृत करें।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सदस्यों को सूचना दिये बिना ही ?

उपाध्यक्ष महोदय : प्रातः काल यह कार्य-सूची सदस्यों में परिचालित की गई थी उस समय आपको अध्यक्ष महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहिये था।

Shri Atal Bihari Vajpayee: This matter is not only related to the Railways. This is an important matter. I wish the hon. Minister of Home Affairs and the hon. Prime Minister had been present in the House. Will this matter be discussed Ministry-wise? Please ask the hon. Minister of Home Affairs to be present in the House.

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से इस पर कार्य मंत्रणा समिति में विचार हुआ था। संसदीय कार्य मंत्री महोदय यहां उपस्थित हैं। वह इस पर अवगत करा सकते हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : समिति में एक या दो सदस्यों द्वारा सुझाव दिया गया था कि इसे सभी सेवाओं के लिये रखा जाना चाहिये परन्तु मेरे तथा अन्य सदस्यों द्वारा यह राय व्यक्त की गई कि चूंकि यह प्रश्न रेलवे से संबंधित प्रश्न से उत्पन्न हुआ है इसलिये इसे रेलवे तक ही सीमित रखा जाना चाहिये।

श्री के० एस० चावड़ा (पाटन) : यह प्रश्न अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में था।

श्री डी० एन० तिवारी (गोपालगंज) : यह प्रश्न रेलवे के बारे में था, यदि कोई दूसरा प्रस्ताव दिया जाना है तो उसे अलग से दिया जा सकता है..... (**व्यवधान**)।

Shri Ishaque Sambhale (Amroha). Shri Vajpayee and I had laid emphasised that this question should cover all the Government Departments. It is not proper to bring a motion against the decision taken in the Business Advisory Committee.

Dr. Laxmi Narayan Pandeya (Mandzaur): It was decided in the Business Advisory Committee to enlarge this question to Scheduled Castes and Scheduled Tribes also but it is strange that the motion has been changed.

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : इस प्रश्न पर विचार के समय श्री रघुरामैया ने कहा था कि यदि अन्य मंत्रालयों को भी शामिल करना हुआ तो सरकार से राय लेनी पड़ेगी और यदि सरकार सहमत हुई तो प्रस्ताव उसी रूप में रहेगा।

श्री के० रघुरामैया : यहां थोड़ी भ्रांति हो गई है। मैं नहीं समझता कि इस संकल्प से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर चर्चा करने पर रोक लगाती है।

यदि आप इस प्रस्ताव का क्षेत्र बढ़ाना चाहते हैं तो सभी सेवाओं पर चर्चा कर लीजिए। मेरे पास अपने अन्य सहयोगी से परामर्श करने के अतिरिक्त और कोई अधिकार नहीं है।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मेरे प्रस्ताव का क्या हुआ ?

उपाध्यक्ष महोदय : कोई प्रस्ताव नहीं है। श्री समर गुह।

श्री समर गुह : भारतीय होने के नाते मैं महसूस करता हूं कि प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की भर्ती के संबंध में कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए क्योंकि देश का भाग्य उन पर निर्भर करता है।

हमारी जनसंख्या का 25 प्रतिशत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का है। हमारे संविधान में उन्हें गारंटी दी गई है कि उनके लिये 25 प्रतिशत आरक्षण होना चाहिये। आज 25 वर्ष के बाद स्थिति यह है कि प्रथम श्रेणी की नौकरियों में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत 2.7 है और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत .4 है। इसी प्रकार अन्य श्रेणियों में इन जातियों का प्रतिशत बहुत कम है।

जहां तक तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी में पदोन्नति का संबंध है, इसमें काफी कठिनाई है। अस्पृश्यता अपराध विधेयक के संबंध में देश के दौरे के समय मैंने पाया कि अधिकांश मामलों में गोपनीय प्रतिवेदन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और मुसलमानों तथा ईसाइयों के विरुद्ध थे। अतः रेलवे तथा अन्य मंत्रालयों में द्वितीय श्रेणी में पदोन्नति के मामलों में गोपनीय प्रतिवेदनों की प्रथा समाप्त कर दी जानी चाहिये। भर्ती की प्रक्रिया का सावधिक पुनर्विलोकन किया जाना चाहिए।

जहां तक गैर-सरकारी सेवा का संबंध है, इस बारे में हम केवल नैतिक दबाव डाल सकते हैं। हम कुछ नियम बना सकते हैं और उसके आधार पर हम नियंत्रण कर सकते हैं तथा कुछ वाणिज्यिक गृहों को बाध्य कर सकते हैं कि वे अपने उद्योगों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को भर्ती करें।

विभाजन के पश्चात् बहुत से मुसलमान पाकिस्तान चले गए और रक्षा तथा पुलिस सेवाओं में मुसलमान नहीं रहे। इसलिये हमें इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को याद रखना है परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि गत 25 वर्षों में हमने मुसलमान समुदाय के लिये कुछ नहीं किया है। गत 25 वर्षों में मुसलमान समुदाय का सेवाओं में क्या प्रतिनिधित्व रहा हैं ? इस संबंध में मैं आंकड़े देता हूं। प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी में दोनों को मिलाकर, रक्षा तथा वित्त मंत्रालयों में 18000 अधिकारियों में से 290 अधिकारी मुसलमान समुदाय के हैं जो केवल 1.45 प्रतिशत है। यह प्रतिशत रेलवे में 2.14 है तथा डाक तथा तार विभाग, कार्मिक विभाग, विदेश मंत्रालय, परिवार नियोजन मंत्रालय और खनिज तथा धातु विभाग में मुसलमान अधिकारियों का प्रतिशत 1.57 है। रेलवे तथा अन्य विभागों में उनका उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

उस दिन मंत्री महोदय ने कहा था कि उन्हें उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये।

जनता में यह भावना व्याप्त है कि भारतीय मुसलमानों में अधिकांश पाकिस्तानी समर्थक हैं।

कुछ अधिकारियों का रवैया पक्षपात पूर्ण है और इसी कारण रेलवे अथवा अन्य विभागों में मुसलमानों को भर्ती नहीं किया गया है। सरकार को यह तथ्य स्वीकार करना चाहिये। इस कठिनाई को दूर करने का एक उपाय यह है कि संघ लोक सेवा के अधिकारियों को श्रेणी एक, दो और तीन में मुस्लिम और ईसाई समुदाय का उचित प्रतिनिधित्व रखना चाहिये।

ऐसा नियमों द्वारा किया जा सकता है। जहां तक तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी में पदोन्नत किये जाने का प्रश्न है, गुप्त रिपोर्ट और मौखिक परीक्षा को समाप्त किया जाना चाहिये।

यह कहा जाता है कि रेलवे सेवा में मुस्लिम समुदाय के केवल दो सदस्य हैं। उसमें मुस्लिम समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये। मुस्लिम, ईसाई और अल्प समुदाय के व्यक्तियों को उचित प्रतिनिधित्व न मिलने के कारणों की जांच के लिये एक विशेष समिति नियुक्त की जानी चाहिये। जब तक सरकार साम्प्रदायिक दलों और नीतियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही नहीं करती और साम्प्रदायिक दलों पर प्रतिबन्ध नहीं लगाती वर्तमान स्थिति में सुधार होना संभव नहीं। केवल अल्प संख्यकों को प्रतिनिधित्व देकर हम जातीयता अथवा साम्प्रदायिकता को समाप्त नहीं कर सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य रेलवे मंत्रालय की सीमा के भीतर ही बोले उससे बाहर जाने का प्रयास न करें।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : हमें भारत सरकार के कार्यालयों में रोज़गार के मामले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों और ईसाई और मुस्लिम समुदाय जैसे अल्प-संख्यक समुदाय के लोगों को रोज़गार देने के बारे में जांच करनी चाहिये।

रेलवे के 1971-72 के प्रतिवेदन के अनुसार 8311 प्रथम और द्वितीय श्रेणियों के अधिकारियों में अनुसूचित जन जातियों के व्यक्तियों की संख्या केवल 40 है और अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की संख्या 300 है। जहां तक तीसरी श्रेणी का संबंध है लगभग छः लाख में से 51,000 व्यक्ति अनुसूचित जातियों के हैं और 6,000 अनुसूचित जनजातियों के हैं। चौथी श्रेणी में 8 लाख में से 1,73,806 अनुसूचित जातियों के व्यक्ति हैं और 31,662 अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति हैं।

जहां तक अल्पसंख्यकों की भर्ती का प्रश्न है, मंत्री महोदय ने स्वयं उल्लेख किया है कि वह रेलवे आयोग की भर्ती करने संबंधी नीति से संतुष्ट नहीं हैं।

यह आरोप लगाया गया है कि रेलवे भवन में एक भी लिफ्टमैन अथवा चपरासी मुस्लिम समुदाय का नहीं है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इससे भेदभाव का आभास मिलता है। सरकार को मुसलमानों के साथ कोई भेदभाव का रुख नहीं अपनाना चाहिये। हम चाहते हैं कि इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिये जिससे उक्त स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो। इस प्रकार की बीमारी न केवल रेलवे में हैं बल्कि सरकार के अन्य कार्यालयों में भी व्याप्त है। इसे दूर किया जाना चाहिये।

यदि सरकार समानता के नियमों के आधार पर कार्य कर रही है और आरक्षण नियमों के आधार पर नहीं, तो समान योग्यता प्राप्त व्यक्तियों के मामले में समानता से काम लिया जाना चाहिये। सरकार अनुच्छेद (1) के अन्तर्गत सब व्यक्तियों को समान अवसर देने में सफल नहीं हुई है। इसके लिये संवधानिक रूप से मंत्री महोदय दोषी हैं।

यह कहना उचित नहीं है कि रेलवे का उपाध्यक्ष एक मुस्लिम व्यक्ति होने के कारण रेलवे में केवल मुस्लिम समुदाय के लोगों को भर्ती किया जाता है।

हम यह चाहते हैं कि जो लोग दुर्भाग्य के शिकार हैं उनके मामले में कोई भेदभाव नहीं किया जाय, वे राष्ट्र के सपूत हैं और हमारे अपने ही भाई हैं, चाहे वे मुसलमान, ईसाई अथवा हिन्दू या अन्य जाति के हों। अतः उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिये। इस मामले की पूरी जांच की जानी चाहिये।

श्री हनुमन्तैय्या ने उल्लेख किया है कि ईसाईयों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त है। ऐसा पहले ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाई जा रही नीति के कारण हो सकता है। लेकिन मंत्री महोदय को इस बात की ओर ध्यान देना चाहिये कि गत 10 अथवा 15 वर्षों में अपनाई जा रही नीति न्यायोचित है। यदि ऐसा नहीं है, तो माननीय मंत्री को भेदभाव दूर करने के लिये की जाने वाली उपचारात्मक कार्यवाही के बारे में वक्तव्य देना चाहिये।

यदि किसी विशेष समुदाय जो पिछड़ा हुआ है, से अब तक भर्ती नहीं की गई है और यदि अब उक्त समुदाय को भर्ती के मामले में प्राथमिकता दी जाती है तो उक्त आदेश को संविधान के अनुच्छेद 16(1) अथवा 16(4) के अन्तर्गत अस्वीकार नहीं किया जा सकता। इस संबंध में की जाने वाली कार्यवाही की उन्हें सत्र समाप्त होने से पूर्व घोषणा करनी चाहिये।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद और अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने की घोषणाएं करने के बावजूद स्वतन्त्रता प्राप्ति के 26 वर्ष बाद भी सरकार पर अपने ही दल के लोगों द्वारा अल्पसंख्यकों से भेदभाव करने का आरोप लगाया जा रहा है। मंत्री महोदय ने अभी तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और मुसलमानों के साथ भर्ती के मामले में किये भेदभाव के आरोपों के बारे में कोई वक्तव्य नहीं दिया है।

केवल कुछ क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों के हितों को संरक्षण देकर सरकार समस्या का समाधान नहीं कर सकती।

मुसलमानों का यह अनुभव है कि उन्हें हमेशा दूसरे दर्जे का नागरिक समझा जाता है। पश्चिम बंगाल में एक मुसलमान अपनी सम्पत्ति की बिक्री पंचायत प्रधान से प्रमाण-पत्र प्राप्त किये बिना नहीं कर सकता। सरकार सभी क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव कर रही है। बिहार में भी एक मुसलमान को सम्पत्ति बेचते समय पंचायत के प्रधान का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना पड़ता है।

लोक सभा और राज्य सभा की ही उदाहरण लें उनमें नहीं के बराबर संख्या में मुसलमान चपरासी अथवा अधिकारी हैं? सरकार का अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने का दावा केवल दिखावा है। सरकार रक्षा और पुलिस सेवाओं में भर्ती के मामले में भी अल्पसंख्यकों से भेदभाव कर रही है। ऐसा ही भेदभाव अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों से किया जा रहा है।

रेल विभाग ने अपने सेवा आयोग तथा अन्य भर्ती करने वाले अधिकारियों को एक परिपत्र भेजा है जिसके अन्तर्गत मुसलमानों को भर्ती के लिये न केवल अपनी पहचान तथा अन्य अर्हताओं के बारे में जिला अथवा प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट से प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा बल्कि अपने पूर्वजों के इतिहास के बारे में भी कुछ अधिकारियों से प्रमाण-पत्र प्राप्त करने होंगे। अतः मैं सरकार पर यह आरोप लगाता हूं कि वह अपनी सुविधानुसार अल्पसंख्यक समुदायों के साथ सभी मामलों में भेदभाव से काम ले रही है। इसके कारण रोजगार की व्यवस्था खराब होती जा रही है।

इस समस्या का अंतिम समाधान यही है कि देश के आर्थिक और सामाजिक ढांचे में पूर्ण परिवर्तन हो और जब तक सरकार ऐसा नहीं करती यह समस्या हल नहीं हो सकती।

देश में अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य बढ़ रहे हैं और मूल्य वृद्धि का विरोध करने वालों पर लाठी चार्ज किया जाता है।

मंत्री महोदय को भर्ती करने के बारे में जारी किया गया परिपत्र रद्द कर देना चाहिये।

श्री सी० एम० स्टीफन (भुवन्तुपुजा) : संविधान के अनुच्छेद 335 में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों के दावों पर विचार करने का उपबन्ध है। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रपति को सयम-समय पर उक्त समुदाय के हितों की रक्षा के लिये आयोग नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है। उक्त आयोग पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा के लिये सलाह देगा तथा इस बारे में विभिन्न उपायों का सुझाव देगा।

समय समय पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिये पर्याप्त उपाय किये जा रहे हैं, लेकिन रेलवे में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों, अल्पसंख्यकों तथा पिछड़े वर्गों के लोगों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ है।

नवीनतम आंकड़ों के अनुसार रेलवे में कुल 17 लाख कर्मचारी काम करते हैं। इन कर्मचारियों को 500 करोड़ रुपये वेतन दिया जाता हैं। यह आवश्यक है कि 500 करोड़ रुपये की इस धनराशि का समान रूप से वितरण हो। उपलब्ध आंकड़ों से विदित होता हैं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा नहीं की गई हैं। उनको उनका आरक्षित कोटा उपलब्ध नहीं कराया गया है। उनके लिये प्रथम श्रेणी के पदों पर भी आरक्षिण किया जाना चाहिये।

आरक्षण के बावजूद भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को रोजगार नहीं मिलता। इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है बल्कि इसका कारण यह है कि भर्ती करने के लिये नियुक्त अधिकारियों का दृष्टिकोण संविधान की भावना के विपरीत होता है और वह सामाजिक न्याय नहीं करते जिसकी उनसे अपेक्षा की जाती है। सरकार के निर्णयों को क्रियान्वित न करने वाले अधिकारियों को पदों पर बने नहीं रहने देना चाहिये।

देश के सब लोगों के लिये रोजगार की व्यवस्था सुनिश्चित करना बहुत कठिन है। किसी श्रेणी अथवा समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न होने पर उसके लिये आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिये। पिछड़ेपन को दूर करने के लिये कुछ व्यवस्था की जानी चाहिये संविधान के अन्तर्गत भी सरकार लोगों के आरक्षग के लिये आरक्षग के उपबन्ध को व्यवस्था कर सकती है।

अल्प समुदाय इस विश्वास के साथ रह रहे हैं कि वह भी इस महान देश के अंग हैं। मुझे संविधान सभा में दिये गये उस वक्तव्य का उल्लेख करते हुए गर्व होता है कि ईसाई समुदाय किसी आरक्षण के उपबन्ध के अन्तर्गत संरक्षण नहीं चाहता।

जहां तक मुसलमानों का प्रश्न है यह आवश्यक है कि 8 करोड़ मुसलमानों में यह भावना पैदा की जाय कि वह इस देश के अभिन्न अंग हैं। अधिकांश मुसलमान इस देश में अंधविश्वास और निष्ठा रखते हैं और इस देश के भाग्य के साथ अपने आपको रखे रहे हैं। हमें उनके देश के प्रति विश्वास को न्यायोचित समझना है और हमें यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उन्हें सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। यदि हम देखते हैं कि कुछ अन्याय हुआ है और किसी प्रकार का असंतुलन हुआ है और यदि हमारे शुभ इरादों के बावजूद भी अनुसूचित जातियों का संरक्षण नहीं किया जा रहा है, तो उससे मैं यही निष्कर्ष निकालूंगा कि ऐसे असंतुलन जो भी हैं, किसी व्यक्ति की ओर से बुरे इरादों के कारण नहीं हैं। इस असंतुलन को दूर करने हेतु उन्हें सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व देने के लिये प्रत्येक प्रयास करना होगा।

इस असंतुलन के कारण साम्प्रदायिक संगठन बहुत तेजी से पनपते जा रहे हैं और उन्हें बनाने का प्रयास किया जा रहा है और हम देखते है कि दो-राष्ट्र सिद्धान्त में विश्वास रखने वाली मुस्लिम लीग भी है। खतरनाक दर्शन अब बढते जा रहे हैं। हमें उनकी ओर ध्यान देना चाहिये और यह सुनिश्चित करना चाहिये कि देश के किसी भाग में किसी व्यक्ति को लोगों के किसी वर्ग को इस प्रकार संगठित करने का बहाना न मिल सके जिससे राष्ट्र के लिये, जो कुछ मूल्यवान है, अर्थात इस देश की मजबूती एकता और राष्ट्रीय एकीकरण पर कुठाराघात न हो। स्वतंत्रता के नाम पर किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय एकीकरण पर कुठाराघात करने नहीं देना चाहिये। हमें इस बुराई का, जो अब सामने आ रही है, दमन करने के लिये पग उठाये जाने चाहियें। इसके साथ ही हमे गलत प्रवृतियों के, हमारे राष्ट्र को खतरा पैदा हो सकता है, साथ भी निपटना चाहिये। उस काम का हम सामना कर रहे हैं। इस चर्चा से अनिवार्य रूप से सरकार को दोनों कामों का सामना करने में समर्थ बनाया जाना चाहिये। हमें इन समस्यायों से निपटना चाहिये और उन व्यक्तियों के, जो दुर्भाग्यवश ऐतिहासिक कारणों से पिछड़ी हुई स्थिति में रखे गये है, लिये विश्वास, आशा और पूर्ण संतुष्टि की भावना लानी चाहिये और हमें यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उन्हें समुदाय मंडल में, जो इस देश के बड़े लोगों का बना हुआ है उचित स्थान प्राप्त करने का आश्वासन मिल जाये।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): Mr. Qureshi has stated in his reply to a supplementary that in class I—Scheduled Castes and Scheduled Tribes are 3.8 per cent and 0.52 per cent respectively. In class II Scheduled Castes and Scheduled Tribes are 3.5 per cent and 0.46 per cent respectively. In class III Scheduled Castes and Scheduled Tribes are 21.88 per cent and 3.98 per cent respectively. From this it is quite clear that the Scheduled Castes and Scheduled Tribes have not got proper representation in the Railway Ministry. We do not know about the efforts being made to have full percentage. Then there is another question that according to a judgment of the Supreme Court, not only in the case of recruitment, but in the case of promotion also, they should be given preference. I have come to know that in spite of the said judgement of the Supreme Court, no decision has been taken in this regard. May I know the reasons for not implementing this judgment? Will the Scheduled Castes and Scheduled Tribes of Bihar be satisfied the Governor of

Bihar is Shri Bhandare, who was himself a Harijan now he has become a Budhist. Inspite of his being there you have seen the type of treatment meted out to 4 women in Bihar. When this matter was raised in the House, the Prime Minister remained silent although she was present in the House at that time.

At the time of admission in schools and colleges, people stand in que for hours together, whose condition is very pitiable, to get a certificate to the effect that their income is Rs. 150/- p.m.

See the Defence Ministry. In Kanpur factory the Class I and Class II officers never belong to Harijan Community.

Now I come to those minorities, in regard to whom many things have been mentioned here. In Uttar Pradesh thousands of Muslims are unemployed. Even after doing B.A., B.Sc. and Engineering Courses, they are unemployed. Will the problem of unemployed Muslims be solved by appointing Shri Akbar Ali Khan who is a Muslim, as Governor?

What benefit has been achieved by having two Muslim chairmen of Railway Commissions, as any body got a post of a messenger or class III post in the Railways because of Mr. Qureshi being Deputy Minister there, who is also a Muslim. If there are 17 vacancies of L.D.Cs. 17 thousand applications are received. This is the main difficulty. The figures indicate that Muslims are very inadequately represented in the Central Secretariat Services.

We want that a Commission of other minorities should be appointed as we have already got commissions for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and liquigistic minorities. The Muslims of India are very poor although I do not say that the Hindus are rich. I want that Muslims should be adequately represented in the services. I am saying about mental reservation. In the case of a Muslim who is recruited in the Railways, his patriotism is to be verified by a constable, who has to go to inquire about it. Only then he gets the service whereas in case of a Hindu, who is recruited in the Railways, he gets service on producing a certificate from two Gazetted officers or M.P.'s and M.L.A.'s. If there is any such discriminatory circular in this regard, it should be withdrawn. The Muslims and Christians should be given adequate representation. Thus the feeling of insecurity would be removed among the Muslims and the national integration would be strengthened. Their applications should not be rejected on the ground of patriotism. Whether they belong to Scheduled Castes, Scheduled Tribes or they are Muslim or Christian minorities or they are Parsees like Shri Piloo Modi, they should be adequately represented. I would request to dispel the feeling of unsecurity from the minds of the Muslims. I want the Minister to reply to all these questions. I am pleading for the minority as a whole. I would again ask you to assure the minorities keeping in view the feeling of national integration, so that their interests are protected.

श्री मोइनुल हक चौधरी (धुबरी) : विश्व एक महान व्यक्ति श्री नेहरू ने अपने आत्म-चरित में कहा कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग बहुसंख्यक वर्ग की सद्भावना के बिना प्रगति नहीं कर सकता और कोई भी दृढ़-संकल्पित अल्पसंख्यक वर्ग को बहुसंख्यक वर्ग द्वारा नहीं दबाया जा सकता चाहे वह कितना ही दृढ़संकल्पित क्यों न हों । मेरे द्वारा इस वाद विवाद में भाग लेने का मेरा अभिप्राय बहुसंख्यक वर्ग की सद्भावना और सहानुभूति प्राप्त करना है । यदि मैं मुसलमानों का उल्लेख करता हूं, तो मैं इस

सभा के माननीय सदस्यों से बहुत ही विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि वे मुझे गलत न समझें। मैं एक कांग्रेसी हूं और लगातार 1952 से अर्थात गत 21 वर्षों से कांग्रेस का एक विधायक हूं। मैं कांग्रेस में इस लिये हूं क्योंकि मैं अभी तक यह विश्वास करता हूं कि यह समाजवाद और समानता लायेगी और समाज, को भी सुनिश्चित करेगी। न केवल संविधान के प्राक्कथन में ही, बल्कि इसके मौलिक अधिकारों और निर्देशक तत्वों के अध्यायों में भी हम ने आश्वासन दिया था कि हमारे लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा और वह भी लोकतांत्रिक गणराज्य द्वारा न कि सीमित अथवा असीमित तानाशाही के द्वारा।

मुझे अपने देश के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप में बड़ी आस्था है। मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को बड़ी कृतज्ञता से याद करता हूं जिन्होंने इस देश के मुस्लिमों की खातिर अपने जीवन का बलिदान किया। हमारे तीन प्रधान मंत्री—पंडित नेहरू, शास्त्री जी और श्रीमती गांधी—राष्ट्रीय एकीकरण को सुनिश्चित करने के लिये लगातार काम करते रहे। मैं जानता हूं कि इस सभा के सदस्यों का भारी बहुमत अल्पसंख्यकों विशेषकर मुस्लिमों के बारे में उचित रूप से चिन्तित है।

मुझे जिस बात ने उत्तेजित किया है, वह यह है कि मंत्री महोदय ने कहा है कि उन्होंने आंकड़े देखे हैं और वह उन से संतुष्ट नहीं हैं। इस का अर्थ यह है कि यह आंकड़े बहुत कम हैं कि वह सब को इनके बारे में बताना नहीं चाहते हैं। उन्होंने भेदभाव के आरोपों का खंडन किया है। यह बात गलत है कि रेलवे सेवा आयोग के दो सभापति हैं। केवल एक ही सभापति है। दूसरी बात यह है कि अध्यक्ष को इस आयोग के सदस्यों के बहुमत की इच्छा के अनुसार निर्णय देना होता है। तीसरी बात यह है कि भारतीय रेलों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को, जिनमें अर्धकुशल और अकुशल, गेटमैन और चपरासी शामिल हैं और जिनकी संख्या 7 लाख से अधिक है, इन आयोगों द्वारा भर्ती नहीं किया जाता। वह कृपा करके बतायें कि तृतीय श्रेणी के 51,472 और चतुर्थ श्रेणी में से लगभग 8 लाख कर्मचारियों में से कितने मुसलमान, ईसाई और अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के हैं। यदि राष्ट्र को मज़बूत बनाना है और यदि राष्ट्र में एकता लानी है, तो सभी में भाग लेने की भावना महसूस करानी होगी।

मंत्री महोदय सभा को बतायें कि क्या सत्य नहीं है कि 31-3-73 को रेलों के 7,000 प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों में से केवल 150 मुसलमान थे जो केवल 2.14 प्रतिशत बनता है। आज प्रथम और द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या बढ़कर 8,216 हो गयी है; किन्तु मुस्लिमों की प्रतिशतता कम होकर 2.14 प्रतिशत हो गयी है। दो मंत्रियों के निजी स्टाफ में एक भी मुसलमान नहीं है।

मंत्री महोदय ने कहा है कि उन्होंने अल्पसंख्यकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिये निर्देश दिये हैं और कि रेलवे बोर्ड और विभिन्न भर्ती करने वाले अधिकारियों द्वारा विवरण तैयार किये जायेंगे। कितने दुख की बात है। भारतीय संविधान में सामाजिक और आर्थिक न्याय करने का निर्देश दिया हुआ है। मैं यह जानना चाहता हूं कि रेलवे सेवाओं में हमें अल्पसंख्यकों को उचित भाग दिलाने के लिये सरकार द्वारा कौन से निर्देश और विवरण दिये जायेंगे।

सेवाओं में भेदभाव करने की इस समस्या ने न केवल राज्यों में ही अपितु भारत सरकार में भी, गम्भीर समस्या का रूप धारण कर लिया है। लगभग चार महीने पूर्व मुझे एक शिष्ट मण्डल मिला, उन्होंने मुझे वही आंकड़े दिये हैं जो श्री समर गुह द्वारा दिये गये थे। मैंने इन्हें एक पत्र के साथ प्रधान मंत्री को भेज दिया। उन्होंने मुझे आज तक उत्तर नहीं दिया है कि यह आंकड़े गलत हैं। औद्योगिक विकास मंत्रालय में यह प्रतिशतता सब से अधिक है, जो कि 5 प्रतिशत है जबकि शिक्षा मंत्रालय

में 0 प्रतिशत है, विधि मंत्रालय में 0 प्रतिशत है, संसदीय कार्य मंत्रालय में भी 0 प्रतिशत है। रक्षा मंत्रालय अर्थात रक्षा सेवाओं में यह 0.7 प्रतिशत है जिसे अब्दुल हमीद, जनरल उसमान और जनरल शेख द्वारा इस देश के लिये किये गये महान् बलिदानों का सम्मान प्राप्त है। मैंने समाचार पत्रों में प्राप्त हुये आंकड़े प्रधान मंत्री को चार महीने पूर्व दिये थे। मैंने उसकी एक प्रति सभा पटल पर भी रख दी है और एक प्रति मैं अपने मित्र श्री ललित नारायण मिश्र को दे दूंगा। उन्हें जांच करने दीजिये और बताने दीजिये कि क्या यह आंकड़े गलत हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

यदि आप यह कहते हैं कि भेदभाव नहीं किया जा रहा है, तो उन्हें छात्रवृत्ति प्रशिक्षण और अन्य सुविधाओं के रूप में क्या दिया है, ताकि वे सेवाओं को प्राप्त कर सकें। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा में मुसलमानों की औसतन भर्ती 200 में से प्रतिवर्ष 1 अथवा $1\frac{1}{2}$ व्यक्ति की होती है। उन्हें उन राजनीतिज्ञों के हाथों में डालने के लिये विवश न कीजिये जो उन्हें आरक्षण की मांग करने के लिये उकसायेंगे। मैं आरक्षण का समर्थक नहीं हूं।

इसलिये मैं सभा को और सभा के द्वारा सरकार और राष्ट्र को अपील करूंगा कि सभी अल्प संख्यकों के साथ उदारतापूर्वक व्यवहार करके इस कठिन स्थिति से बचा जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : उस पत्र के बारे में जो आप सभा पटल पर रखना* चाहते हैं, आप मुझे अध्ययन के लिये दे सकते हैं।

[श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे पीठासीन हुए]
[Shri N. K. P. Salve in the chair]

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): In the Fundamental rights guarantee that all the Citizens would get equal opportunities. It is also provided in the constitution that there would be no discrimination on the basis only of religion, caste, sex, place of birth, residence etc., for getting any Government service. If there is any discrimination with anybody on the above basis, he will have the right to go to the court of law.

After 1947, when India was partitioned on the basis of religion, we decided to establish a secular state.

The question is this whether the constitution is being implemented. If anybody is being discriminated against on the basis of his being a Muslim, this is wrong, unfair, unconstitutional and unjust and is also against our culture. If there are any such instances of discrimination, then this is a blot on the whole administration and the whole country. If any such discrimination is being practised, then it should be stopped forthwith. I have to say that the reservation for Scheduled Castes is 15 per cent and for Scheduled Tribes is 7 per cent. I would suggest that the campaign should be started to fill the unfulfilled quota of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. This reservation is there, but the way in which appointments are made against reservations is unsatisfactory. I cannot agree that the candidates having proper qualifications are not available. I would suggest that special efforts should be made to fill the unfulfilled reserved quota of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

*अध्यक्ष द्वारा बाद में आवश्यक अनुमति न दिये जानें के कारण उस पत्र को सभापटल पर न रखा गया समझा गया।

*The speaker not having subsequently accorded the necessary permission the document was not treated as laid on the Table.

I would say that the President can declare some categories as backward under article 340 of the constitution. Other backward people can also be appointed. It is not being done in the Centre although in some states it has been done. Kaka Kalelkar's report was not implemented and list of those backward classes who are economically and socially backward, has not been prepared according to its recommendations.

Now I want to say about the minorities. What is the meaning of the minorities? I can understand the linguistic as well as religious minorities.

How should the question of jobs be viewed? Just now Shri Moinul Haq Chaudhary spoke of the Muslims. The Christians, Sikhs, Jains, Buddhists, Arya Samaji's in Punjab are all minorities. We are divided in Castes and sub-Castes.

We would have to have a healthy approach towards the question of minority and majority. The genuine grievances must be removed and there should not be any discrimination or partiality on the basis of birth or religion. The President of Muslim League had talked of reservation for Muslims. The Minister for Railways said that there should be appropriate, due or fair representation for the minorities, but what would be the criterion for such a representation? Would it not be seen keeping in view the figures of population? There should be such an arrangement that the persons, who have all along been ignored in the matter of employment, get due representation in services. There should not be any discrimination or partiality towards any section of society.

The employment problem is basically an economic problem. There are nearly 45 millions of people without any job. We would have to increase the employment opportunities and make swift progress economically and industrially.

The politics should not be allowed to play a role in the matter of jobs. The country has already seen the consequences of the division of the country on account of communalism. If some of our friends feel that there is discrimination on the basis of religion, it should be enquired into. But there should not be any agreement with communalism to get to the power. This is not the way to bring the Muslims to the mainstream of the country.

Shri B. P. Maurya (Hapur): The caste-system of thousand years and slavery of centuries left behind a most backward section of the society. But after the independence of the country, the fathers of the constitution made a special provision for the backward classes. I would like to make it quite clear to the House that I do not believe in any special legal concession or provision for any section of the society. No society can be allowed to exist on the basis of permanent disablement and time limit should be prescribed for the purpose. The political protection was given to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes by making reservation of seats in Assemblies and Parliament. Initially, this reservation was made for a period of ten years, which was subsequently extended to 20 and 30 years. The reservation in Government jobs was provided through article 335. No time limit was prescribed for such a reservation.

The Supreme Court judgement of 1968 goes against the interests of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The Government should make a special provision for the people belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, otherwise they would never be able to get proportional representation according to their population. It has been observed in the Supreme Court judgement that while making provision for reservation of posts, the Government have to take into consideration not only the claims of the members of the backward classes, but also the maintenance of efficiency of the administration which is of paramount importance.

It is high time that the persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes should get due representation in services and a time limit should be set for this purpose. As soon as this reservation quota is achieved, there should not be any further concession for them.

In class I posts, there are 126 persons, belonging to the Scheduled Castes and 17 belonging to the Scheduled Tribes, out of total posts of 3,252, which comes to 3.87 and 0.52 per cent for Scheduled Castes and Scheduled Tribes respectively. In class II posts, this percentage for scheduled Castes and Scheduled Tribes is 3.51 per cent and 0.46 per cent respectively.

According to the Supreme Court Judgement, there could not be any reservation unless any special circular is issued for reservation in class I and class II posts also. Persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes might be promoted to class II from class III, but there are only 3.5 per cent Scheduled Castes/Scheduled Tribes people in class II posts.

The system of promotion is also defective. The recommendation No. 1948 in current year's report of Scheduled Castes and Scheduled Tribes Commissioner, clearly states that in accordance with the orders issued by the Ministry of Home Affairs, the field of choice for promotion by selection is to be decided by the Departmental Promotion Committee in each case, and wherever possible to extend the zone of consideration to five or six times the number of vacancies expected in a year. The element of discretion implied in the orders should be done away with and it should be made obligatory on the part of the appointing authorities to fix the zone of consideration for promotion by selection upto five or six times the number of vacancies anticipated in a year so that the prospects of promotion for Scheduled Castes and Scheduled Tribes are enhanced. It is hoped that a decision would be taken soon.

I would like to suggest that the reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes has no meaning unless article 335 of the constitution is amended. Because the Supreme Court has said that the reservation of posts for Scheduled Castes and Scheduled Tribes should be consistent with the maintenance of efficiency of the administration. The Personnel Officers in Railways, who used to look after the welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, and other minorities had been removed. These officers should be appointed once again, so that the rights of the backward community could be protected.

I would also like to suggest that the quota prescribed for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes should be filled by making a special recruitment. It has also been said in recommendation Nos. 39 and 40 in the Report of Scheduled Castes and Scheduled Tribes Commissioner that fifty per cent promotions and recruitment should be made from among the people belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes unless their quota is filled.

The definition of Scheduled Castes and Scheduled Tribes should also be changed and they should be redefined as there who are socially, educationally and economically backward and not only those who are socially and educationally backward. Unless this is done, the most depressed section of the society can not be benefited by the concessions meant for them. If a person belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes turns out to be a Buddhist, he should be allowed to get the same facilities which are available to the Scheduled Caste people.

I am totally opposed to the political protection, as it is not in the interest of national integration.

I would like to know whether Shri Moinul Haq Chaudhary had raised this question when he was in the Cabinet. When a Muslim becomes the President or a Cabinet Minister, he does not utilise his power, but when he is no longer in power, he shouts for power. It is not good, especially when we are passing through a crisis.

श्री मोइनुल हक चौधरी (धुबरी) : मैं व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। पद भार संभालते समय प्रत्येक मन्त्री गोपनीयता की शपथ लेता है । मुझे इस सदन को यह बताने का हक नहीं है कि मन्त्री के रूप में मैंने क्या किया । अगर वह जानने के इच्छुक हैं, तो राष्ट्रपति और प्रधान मन्त्री की अनुमति ले लें, तो मैं इस बारे में वक्तव्य दे सकता हूं।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : जब जाते समय मैंने यह कहा था कि इस देश में अल्पसंख्यकों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है तो उस समय में कवल राजनैतिक अल्पसंख्यकों की बात कर रहा था। मैं यह बात भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं अपने आपको अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य नहीं मानता ।

यहाँ कुछ ऐसे तथ्य प्रकट किये गये हैं, जो बहुत दुखद हैं। सिद्धान्त की बात करने, अथवा क्या होना चाहिए था या भविष्य में क्या होना चाहिए—इसकी चर्चा करने से कोई मतलब हल होने वाला नहीं है।

यह देश ही अल्पसंख्यकों का है और इस देश में कोई भी बहुसंख्यक नहीं है । आंकड़ों से पता चलता है कि देश के एक विशेष समुदाय अर्थात् मुस्लिम समुदाय के साथ भेद-भाव हुआ है—संभव है इसके कुछ ऐतिहासिक या अन्य कारण रहे हों,—परन्तु यह हमारे देश की सरकार की प्रतिष्ठा और ईमानदारी पर एक कलंक है । यही कारण है कि हमारी पार्टी पिछले चौदह साल से इस बात की मांग करती आ रही है कि पाकिस्तान के साथ मित्रता की जाय, क्योंकि यही मुस्लिमों के प्रति भेद-भाव की जड़ है । अगर पच्चीस वर्षों की शत्रुता को समाप्त नहीं किया जाता, तो देश का यह विशिष्ट समुदाय देश की शेष जनता के साथ घुल-मिल नहीं सकता ।

हमारा यह समाज अन्याय पर आधारित है, चाहे वह नौकरियों का मामला हो, चाहे लाइसेन्सों का। भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद के बगैर यहाँ कोई काम नहीं होता।

असन्तुलित रोजगार का कारण यह है कि इस देश में सभी साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से सोचते हैं। ब्राह्मण नौकरी में आ जायेगा, तो वह अपने चारों ओर ब्राह्मणों को नियुक्त करने की कोशिश करता है—इसी प्रकार का व्यवहार अन्य जातियों के लोग करते हैं। मुस्लिम समुदाय के प्रति इस प्रकार के व्यवहार को शीघ्र से शीघ्र समाप्त किया जाना चाहिए।

मन्त्री महोदय के उत्तर से ऐसा प्रतीत होता है कि नौकरियों में आपात स्तर पर उपाय करने के बारे में मन्त्री महोदय उत्सुक नहीं हैं।

मैं आरक्षण के पूर्णतया विरुद्ध हूँ, क्योंकि इससे भेदभाव को प्रोत्साहन मिलता है । मैं अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण किये जाने के विरुद्ध हूं यद्यपि मैं एक निश्चित अवधि के लिए आर्थक और सामाजिक आवश्यकता के अनुरूप व्यवस्था किये जाने का समर्थन करता हूँ। सरकार को नौकरियों के आवेदनपत्रों के साथ धर्म, जाति अथवा लिंग जोड़ने की अनुमति नहीं देनी चाहिये जिससे कि नौकिरियों के लिए चुनाव गुण-दोषों के आधार पर हो सके। परन्तु यह तभी संभव हो सकता है यदि सब को समान अवसर प्राप्त हो सके ।

वास्तव में देश में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए शिक्षा सुविधाओं की बहुत कमी है अतः सरकार को इसके लिए व्यवस्था करनी चाहिये।

Shri Chandrajit Yadav (Azamgarh): It is a very serious matter and it is not connected with one Ministry. It is also not connected with any particular religion or caste.

People belonging to weaker sections of the society did not get an opportunity to play their role in political, administrative and economic life of the country. Taking into account policies and programmes outlined in our constitution, it has become a necessary for us to pay special attention towards such sections of the society which have suffered for ages.

It is not fair to look at this problem from sectarian point of view. Hindus from majority in this country. But a few families amongst them are economically well off and people from these families dominate class one services, such as I.A.S. and I.F.S.

If we have 12 per cent Harijans and 11 per cent Muslims that does not mean that we should make as much reservation for them in services. We should try to evolve a system in the country under which a young boy or girl should have a right to get employment on completion of school or college education.

Railway Minister has issued instructions that at the time of making appointments, special consideration should be shown towards backward classes. There are clear instructions but the difficulty is that Governmental instructions are not implemented properly and fully. This thing applies to all the Ministries and is not confined to Railway Ministry alone. We have, therefore, to consider as to how Government instructions could be effectively implemented. Bureaucracy and administration are standing in the way of development of the country. This administration has to be improved.

No doubt reservations are made in Railways but if we see the facts we find that 40-45 per cent of the posts in the Railways are technical. We should, therefore, make such arrangements so that they may acquire technical qualifications. Unless it is done they can not hope to get selected against technical posts. This aspect had been neglected all these 25 years.

We should not give political colour to this problem. Ours is a democratic and secular country. We should try to improve our shortcomings and try to implement effectively our policies and programmes. Only then this problem and many other problems of the country could be solved.

Railway Minister is himself not satisfied with the facts given. He has agreed that he is not satisfied with mere issuance of instructions.

श्री जो० विश्वनाथन (वन्दीवाश) : जहां तक सरकारी नौकरियों का संबंध है, भारत सरकार की भर्ती की नीति सामाजिक न्याय की स्थापना में अत्यन्त असफल रही है।

अल्पमत संप्रदाय और विशेष रूप से मुसलमान यह समझते हैं कि स्वतन्त्रता के 25 वर्षों के पश्चात् भी उनके साथ अन्याय और भेदभाव होता है। हमें ऐसे प्रयास करने चाहियें कि कम से कम भविष्य में देश में सामाजिक न्याय की स्थापना हो। अल्पमतों के मन में यह बात होनी चाहिये कि वे इस देश में सुरक्षित हैं।

इस बात को सभी ने स्वीकार किया है कि वर्तमान स्थिति सन्तोषजनक नहीं है। मुसलमान इस बात से बहुत नाखुश हैं कि उन्हें समान अवसर नहीं प्रदान किये जाते और उनके साथ भेदभाव होता है। संविधान के अनुच्छेद 16 और 46 के अन्तर्गत राज्य नीति के निदेशक सिद्धान्तों में पिछड़े वर्गों और अन्य अल्पमत सम्प्रदायों की समस्याओं को हल करने के लिए व्यवस्था होते हुए भी स्थिति सन्तोषजनक नहीं है।

भारत सरकार आज देश में सब से बड़ी नियोजक है। अतः भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त की तरह भर्ती नीति पर विचार के लिए भी एक आयोग नियुक्त किया जाना चाहिये। लापरवाही और तदर्थ निर्णयों से समस्या हल नहीं होने वाली। मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि मुसलमानों के लिए भी कुछ प्रतिशत आरक्षण हो। यदि जाति के आधार पर आरक्षण किया जाने लगा तो हिन्दू समाज भी जातियों के आधार पर बंट जायेगा और सभी वर्ग अल्पमतों को दी गई सुविधाओं की मांग करने लगेंगे।

जो भी आरक्षण किया गया है अथवा जितने प्रतिशत का भी आरक्षण है वह सब अंतरावधि के लिए है। वे केवल अन्तरिम उपाय हैं। ये आरक्षण राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से भी हितकर नहीं हैं। अतः हमें 10-15 वर्षों की अवधि नियत करके स्पष्ट कर देना चाहिये कि उक्त समय तक शिक्षा ाप्त करनी चाहिये और इस प्रकार का कोई आरक्षण उसके पश्चात् उपलब्ध नहीं होगा।

Shri Shambu Nath (Saidpur): Shri Maurya has said that there should not be reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Political field. This is not a good suggestion. This reservation is well defined in the constitution. Even after 26 years of independence there has not been much improvement in the condition of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The circumstances under which we were compelled to continue the reservations for a further period of 10 years have not changed. Hence it is necessary to continue this reservation.

It is very sad that reservations in services made for Scheduled Castes and Scheduled Tribes are not adhered to. Government should be firm in this regard. Appointing authorities should be directed to ensure that the reservation quota is filled up. If these authorities fail to ensure it, their promotions should be withheld.

Minorities have not been given adequate representation in services. How this position is going to be improved? I feel that unless constitutional provisions similar to Scheduled Castes/Scheduled Tribes are made in respect of Minorities, their lot cannot be improved.

Shri Shyamnandan Mishra (Begu Sarai): Real test of democracy is what minorities feel about it. What is their feeling about the treatment being meted out to them? That Society or Nation is a divided Society or Nation where there is a feeling that justice is not being done towards minorities. There should be complete cohesion between different classes, if we want the Society to be strong.

Minorities in our country are having a feeling that they are not getting full justice in the matter of employment. We cannot brush this aside by merely saying that they are not upto the mark. If it is so, it should be brought out before the House. This feeling should not be allowed to grow that minorities are being deprived of the opportunities to enter into services.

Facts have shown that minorities are not getting adequate representation in services. But this problem cannot be solved unless we implement the things we say. Ours is a secular democracy. Social justice is a fundamental right for all. But when it comes to implementation, the position becomes different. There are social, educational and economic disparities in the country and these disparities are creating problems. I would suggest that National Integration Council should play active role in this regard. National integration should be the main object. I also suggest that there should be a Cabinet Committee, under the Prime Minister, to look after this problem. Government should pay attention towards Social planning as well and see whether Society is getting stronger or not.

Shri Md. Jamilurrahman (Kishanganj): The Railway Minister has admitted that justice is not being done to the Muslim Community and other minorities. I would suggest that a Personnel Officer should be appointed in the Ministry of Railways who should go into the records of every Commission and submit a report to the hon'ble Minister after every six months in which figures of recruitment of candidates from various communities should be given. Bureaucrats will have to implement the decisions taken by the Government. They should enforce the provisions of the constitution relating to the rights of minorities. After 1947, the Muslims have become backward economically, socially and educationally. In view of this, article 16 of the constitution should be enforced so that economic, social and educational problems of Muslims could be solved. Such a sizeable population cannot be ignored, because they have also equal rights under the constitution. The Chairman of the Railway Service Commission should be above board. They should do justice irrespective of the fact whether one is Muslim, Yadav or Scheduled Tribe or Scheduled Caste.

श्री कार्तिक उरांव (लोहारडगा) : रेलवे में अल्पसंख्यकों के बारे में इस चर्चा से ऐसा आभास मिलता है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के हितों का वास्तव में बड़ा ध्यान रखा जा रहा है । वस्तुत: रेलवे में भर्ती सम्बन्धी नीति पर व्यापक दृष्टि से विचार किया जाना चाहिये । यदि किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय किया जाता है तो, चाहे वह मुसलमान हो, ईसाई हो, अनुसूचित जनजाति अथवा अनुसूचित जाति का हो, वह अन्याय ही कहा जायेगा । अत: यदि भर्ती सम्बन्धी नीति में कोई अनियमितता है तो हमें उसका विरोध करना चाहिये और यदि मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जाता है तो हमें उसका विरोध इसलिये नहीं करना चाहिये कि वह मुसलमान है बल्कि इसलिये कि वह भी भारतीय नागरिक हैं।

संविधान सभा में अल्पसंख्यकों के संरक्षण के मामले पर विचार किया गया था और अन्त में 14 मई, 1949 को एक संकल्प पास करके यह निर्णय किया गया था कि अनुसूचित जातियों को छोड़ कर अन्य अल्पसंख्यकों के लिये आरक्षण प्रणाली को समाप्त कर दिया जाये। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या संविधान में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये सेवाओं में आरक्षण के सम्बन्ध में निर्धारित प्रतिशतता का लक्ष्य पूरा किया जा रहा है ? सेवाओं में आरक्षण करने या न करने से कोई अन्तर नहीं पड़ता। जब तक मंत्रालयों में बैठे अधिकारियों का दृष्टिकोण नहीं बदलता तब तक वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता । अत: अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों या अल्पसंख्यकों को सेवाओं में उचित भाग मिलना चाहिये । हमारे मन में मूल भावना यह रहनी चाहिये कि हम सर्व प्रथम भारतीय हैं, हमें इस बात को ध्यान में नहीं रखना चाहिये कि अमुक व्यक्ति ईसाई, मुसलमान, अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का है । हम सब भारतीय हैं और यदि किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय होता है तो उसकी अवश्य निन्दा और आलोचना की जानी चाहिये।

एक सुझाव यह दिया गया था कि यदि किसी समुदाय विशेष में कोई व्यक्ति प्रगति कर लेता है तो उस समुदाय विशेष को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिये। प्रत्येक समुदाय में कुछ लोग समुन्नत होने चाहियें अन्यथा उनके हितों की देखभाल कौन करेगा। ऐसी स्थिति में इन जातियों का कोई भी व्यक्ति संसद् सदस्य नहीं बन सकेगा। अत: यह बात ठीक नहीं है ।

Shri Nathu Ram Ahirwar (Tikamgarh): I would like to suggest that Scheduled Castes' and Scheduled Tribes' candidates should not be interviewed along with other candidates as has been done in Madhya Pradesh. An officer should be appointed in the Railway Department or Board who should see that no injustice is done to these people. I have received many complaints about the high-handedness of the authorities. They enter adverse remarks in the service rolls so that one is not promoted. In view of this, there should be an officer of Scheduled Castes'/Scheduled Tribes' community to see that no injustice is done to the candidates of these communities in the matter of recruitment as well as promotion. The quota reserved for these communities must be filled with the candidates selected from these communities. Before concluding, I would point out that political reservation is quite necessary to represent the cause of Harijans.

Shri Mulki Raj Saini (Dehra Dun): The simple question is that we should discuss the manner in which the percentage of Scheduled Castes and Scheduled Tribes as well as other minorities could be increased in the services. Now, the main point is that how can it be done in the absence of facilities of education,

because they cannot be appointed without having academic qualifications. The students coming out of public schools are appointed to the executive posts but the students of the schools meant for us can be appointed to class III and class IV posts only. Kaka Kalelkar Sahib had prepared a report in regard to the backward classes but unfortunately the same has never been discussed in this House. I demand that that Report should be discussed in this House so that people could know as to who is ruling the country in the real sense and who is being exploited.

Shri Ishaq Sambhali (Amroha): A great injustice is being done to Muslims in the matter of appointments. Several examples can be cited to prove that there is a lot of discrimination against Muslim Community. Many Muslims had applied for the jobs of coolies at Delhi/New Delhi Railway Stations but they have not been taken. In view of this, I would request the Government to take necessary steps to remove this sort of discrimination, otherwise a feeling is bound to develop in their minds that they are 2nd class citizens of this country.

Shri Darbara Singh (Hoshiarpur): I would like to know the reasons for not filling the vacancies reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes? I think bureaucracy is responsible for such a situation and sooner the dispense with this system better it would be. We should review this system of providing employment in order to remove the lacunae. We should not judge the intelligence of a person simply because one can speak fluent English. The system should go. Government should take necessary steps to uplift the Muslim minorities as well as people belonging to backward classes. The whole issue should be discussed in the background of their economic condition.

Shri Hukam Chand Kachwai (Moren): It was said that vending contracts would be given to Harijans but the same has not been done so far. I would like to know the measures being taken to give due representation to the minorities in services. There should not be any discrimination against various minorities in providing them with jobs. The system of recruitment should be streamlined so that no injustice is done to the candidate belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

Minister of Railways (Shri L. N. Mishra): This discussion has not been confined to minorities only but many other issues have also been raised. In fact, I have realised during these five months that we should do something more for the minorities. This does not mean that nothing has been done so far. A lot has been done but we propose to do something more. Our party is pledged to help the minorities in all possible ways. We are not prejudiced against anybody nor we want to take any political advantage. The Ministry of Home Affairs have instructed all the Ministries to enforce the provisions made in article 16(4) and article 335 of the constitution. I can say that we shall do everything possible to enforce these provisions in so far as the Ministry of Railways is concerned. Many concessions have been given in respect of candidates of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. A relaxation in the age-limit has been allowed to them. Their age-limit is 30 years. They are allowed to appear for the interview at Government expense. These facilities have not been provided to other candidates.

रेलवे सेवा आयोग स्वविवेक से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के ऐसे उम्मीदवारों की सिफ़ारिश कर सकते हैं जिन्होंने परीक्षा में कम अंक प्राप्त किये हों ।

जिन मामलों में परीक्षा न ले कर, अन्य तरीकों से भर्ती की जाती है, नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों का चयन कर सकते हैं।

महाप्रबन्धकों से कहा गया है कि वे अपनी शक्तियों के अधीन उपरोक्त जातियों के ऐसे उम्मीदवारों को नियुक्त कर सकते हैं जो डाक्टरी परीक्षा को पास न कर सके हों।

शिक्षुओं/प्रशिक्षणार्थियों को भर्ती करने और प्रशिक्षण देने के लिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को दोबारा वज़ीफा दे कर भी दोबारा प्रशिक्षण दिया जाता है।

जितने स्थान रिक्त रह जाते हैं उन्हें तीन वर्षों तक आगे बढ़ाया जाता है और जिस वर्ष में कोई भर्ती नहीं होती, उस वर्ष को इन में नहीं गिना जाता।

We have done all these things but the results of the same are not upto our expectations. We have also taken the following steps :—

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को जिस किसी डिवीज़न में रिक्त स्थान हो, नियुक्त कर दिया जाता है और उनकी नियुक्ति केवल दो डिवीज़नों तक ही सीमित नहीं रखी जाती जिसके लिये उन्होंने प्राथमिकता दी होती है। रेलवे सेवा आयोग से भी कहा गया है कि वे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित कोटा भरने के लिये विशेष उपाय करें।

सहायक स्टेशन मास्टर, शिक्ष फ़ायरमैन और सहायक ड्राईवरों की नियुक्ति के लिये एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण की व्यवस्था की गई है ।

Now I would like to point out five other measures which I hope will be helpful in taking more people in the services.

प्रत्येक जोनल रेलवे में एक वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी नियुक्त किया जायेगा और रेलवे बोर्ड में सैल को एक अतिरिक्त निदेशक और दो परामर्शदाता को नियुक्त करके सुदृढ़ बनाया जायेगा । इन परामर्शदाताओं में एक अनुसूचित जाति का और दूसरा अनुसूचित जन-जाति का होगा।

श्रेणी III से श्रेणी II में पदोन्नति के लिये कोटा आरक्षित करना।

सीधी भर्ती में लिखित परीक्षा पास करने वाले सभी उम्मीदवारों के लिये मौखिक परीक्षा के स्थान पर व्यक्तिगत साक्षात्कार की व्यवस्था और उनका रैंक लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के अनुसार होगा।

मेरा विचार कार्मिक विभाग की सहमति से तीसरी श्रेणी में सभी ग़ैर-चयनात्मक पदोन्नति ग्रेडों के लिये कोटा आरक्षित करने का है ।

श्रेणी III से श्रेणी I में पदोन्नति के लिये निर्णय करने में केवल शैक्षिक डिग्री को ही आधार नहीं बनाया जायेगा।

I am going to set up a cell in the Railway Board who will keep a watch on the implementation of the steps taken by me and my predecessors. We shall submit a report to the Parliament in this regard after every six months.

We have accepted the suggestion referred to by Shri Maurya in regard to the recommendation made by the Scheduled Castes Commissioner that for promotion to class II posts zone of consideration should be fixed at six times the number of vacancies and this should not be left to the Departmental Promotion Committee.

It would be wrong to say that we do not have any faith in the minorities. The Muslims have demonstrated their loyalty to the country during our conflict with Pakistan in 1965 as well as in 1971. It has been alleged that a circular has been issued to the fact that thorough enquiry should be done before appointing any Muslim. I contradict this statement. No such circular has been issued. Police verification is done before making any appointment in respect of all the candidates irrespective of their religion.

I shall see that fair deal is given to the minorities in society as well as Government.

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार 1 अगस्त 1973, 10 श्रावण, 1895 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Wednesday, the 1st August, 1973/Sravana 10, 1895 (Saka).

MGIPRRND—26 LSS/73 Sec. II (N. S.)—25-11-73—490.